खण्ड–505, अंक–5
गुरुवार, 08 भाद्रपद, शक संवत् 1940
(30 अगस्त, 2018 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2018)

(खण्ड 505 में 6 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2017

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	... ...	1-8
विपक्ष द्वारा मुख्य मंत्री के बजट भाषण से कतिपय शब्दों को कार्यवाही से निकाले जाने की मांग	... ...	9-11
प्रश्नोत्तर	... ...	11-87
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	... ...	88
लोक सभा की भांति विधान भवन में भी स्मोकिंग जोन बनाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	... ...	88-90
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	... ...	90-91
जनपद चन्दौली में सम्पूर्ण नहरों की सफाई एवं कुलाबे की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	... ...	91-92
जनपद सुल्तानपुर के कुड़ेभार के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के आवासीय भवनों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	92
जनपद बदायुं के ग्राम डहरपुर कला में राजकीय कन्या इण्टर कालेज का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	92
जनपद बलरामपुर में नवनिर्मित संयुक्त चिकित्सालय में आपातकालीन सेवा प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	...	92-93
जनपद मिर्जापुर अन्तर्गत हिनौता करमा मार्ग से रामपुर वरहो सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	93
जनपद गौतमबुद्धनगर के दादरी कोतवाली दिनांक 19-07-2018 को मुकदमा सं0-537/18 के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	93
जनपद गाजीपुर के सैदपुर में शारदा सहायक नहर में पानी दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	... ...	93-94
प्रदेश में उपभोक्ता एवं बांट माप विभाग द्वारा जारी अधिसूचना का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	...	94
जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र इसौली के कतिपय ग्रामों में तैनात ट्यूबवेल आपरेटर द्वारा अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	... ...	94

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में आवारा पशुओं से हो रहे फसलों के नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	95
जनपद हरदोई के अन्तर्गत तहसील सण्डीला के मुख्य सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	95-96
जनपद प्रतापगढ़ स्थित सई नदी में बढ़ते जल प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	96
जनपद बाराबंकी में कृषि यंत्रों की खरीद में किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	96-97
जनपद बरेली के अन्तर्गत बरेली हाइवे की मुख्य सड़क की मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	97
उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का 7वें वेतनमान का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	97-98
प्रदेश में केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र के आवंटन में व्याप्त अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	98-99
जनपद हरदोई के अन्तर्गत कुरसथ-भजेहटा मार्ग के सम्पर्क मार्ग के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99
आवास विकास परिषद उ0प्र0 के वृन्दावन योजनान्तर्गत भूमि अधिग्रहण से विस्थापित किसानों को सस्ते दर से भू-खण्ड आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	99-100
जनपद मुजफ्फरनगर के मोहल्ला एकता विहार कालोनी में पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	100
प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत मानदेय का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	100
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड नगोही में कैमुआ नाला पर बने पुल की मरम्मत व चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	100-101
जनपद बलरामपुर के कतिपय क्षेत्रों में व्याप्त विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	101

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद जालौन के विकास खण्ड रामपुरा के कस्बा जगम्मनपुर में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	101
उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) (पैतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2018 (सदन के पटल पर रखी गई)	101-102
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुसेना द्वारा यात्रा की सुविधा) (पंचम् संशोधन) नियमावली, 2018 (सदन के पटल पर रखी गई) ...	102
उत्तर प्रदेश आरा मिल की स्थापना और विनियमन (षष्टम् संशोधन) नियमावली, 2018 (सदन के पटल पर रखी गई)	102
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिहित विधायन समिति'' वर्ष (2017-2018) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	102
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिहित विधायन समिति'' वर्ष (2017-2018) का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	102
श्री अजय कुमार लल्लू, सदस्य विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित एक याचिका (उपस्थित की गई)	103
श्री वीर विक्रम सिंह ''प्रिन्स'', सदस्य विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित चार याचिकायें (उपस्थित की गई)...	103
डॉ0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 11 याचिकायें (उपस्थित की गई)	103-104
श्री लाल जी वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद अम्बेडकर नगर से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गई)	104-105
डा0 नीरज बोरा, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गई)	105
उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (पुरःस्थापित) ...	105-106
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2018 (पुरःस्थापित)	106
उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2018 (पुरःस्थापित)...	106
उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 (पुरःस्थापित) ...	106-107
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	107-133

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री विनोद कटियार, सदस्य विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गई)	133
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 (पारित)... ...	133-144
उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018 (पारित)	144-159
उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2018 (पारित) ...	159
डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 (पुनः पारित) ...	159-168
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	168-169
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर कस्बा के निवासियों की जमीन पर विद्युत विभाग द्वारा बगैर अधिग्रहण किये जाने का प्रयास किये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	169-170
जनपद आजमगढ़ के चिकित्सालय में विगत 6-7 माह से रेडियोलाजिस्ट न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य ...	170-172
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के ब्लाक भनवापुर स्थित ग्राम गागापुर एवं ब्लाक खुनियाव स्थित ग्राम बड़हरा एवं नवेल में नदी द्वारा हो रहे कटान के दुरुस्तीकरण किये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	172-173
जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत जिला अस्पताल फिरोजाबाद में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य ...	173-175
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के ब्लाक हसनगंज में प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल के भवनों एवं शौंचालयों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	175-176
छात्रवृत्ति आवेदन की अन्तिम तिथि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 नीरज बोरा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	176-177
नत्थियां	178-189

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 30 अगस्त, 2018 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-374

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री — बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
4. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
5. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'' श्री — बस्ती
6. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
7. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8. अजीत पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
9. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
10. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
11. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
12. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
13. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
14. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
15. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
16. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
17. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकरनगर
18. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
19. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
20. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
21. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
22. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
23. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
24. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
25. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
26. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
27. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
28. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
29. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
30. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
31. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
32. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
33. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
34. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
35. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
36. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
37. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
38. असलम अली, श्री — हापुड़
39. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
40. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
41. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
42. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
43. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़

44. आलमबदी, श्री आजमगढ़
45. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री हरदोई
46. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
47. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री लखनऊ
48. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
49. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री फैजाबाद
50. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
51. उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
52. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
53. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
54. उपेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी
55. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
56. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
57. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
58. ओमकुमार, श्री बिजनौर
59. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
60. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
61. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
62. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
63. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
64. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
65. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
66. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
67. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
68. काली प्रसाद, श्री देवरिया
69. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
70. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
71. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
72. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
73. केसर सिंह, श्री बरेली
74. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
75. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
76. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
77. गंगा, श्री कुशीनगर
78. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
79. गिरिश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
80. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
81. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
82. गौरी शंकर, श्री जालौन
83. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
84. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
85. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
86. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
87. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
88. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
89. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
90. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
91. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
92. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
93. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
94. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
95. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
96. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
97. जयमंगल, श्री महाराजगंज
98. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
99. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
100. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
101. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
102. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज

103. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
104. डेनजिल जे0 गोडिन, डॉ0 नाम-निर्देशित
105. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
106. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
107. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
108. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
109. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
110. दल बहादुर, श्री रायबरेली
111. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
112. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीरनगर
113. दिनेश खटीक, श्री मेरठ
114. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
115. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
116. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
117. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
118. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
119. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
120. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
121. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
122. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
123. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
124. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
125. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
126. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
127. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
128. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
129. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
130. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
131. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
132. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
133. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
134. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
135. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
136. नसीर अहमद खाँ, श्री रामपुर
137. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
138. नाहिद हसन, श्री शामली
139. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
140. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
141. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
142. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
143. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
144. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
145. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
146. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
147. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
148. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
149. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
150. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
151. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
152. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
153. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
154. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
155. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
156. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
157. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
158. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
159. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
160. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा

161. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
162. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
163. फागू चौहान, श्री मऊ
164. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
165. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
166. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
167. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
168. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
169. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
170. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
171. बावन सिंह, श्री गोण्डा
172. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
173. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
174. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
175. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
176. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
177. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
178. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
179. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
180. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
181. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
182. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
183. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
184. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
185. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
186. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
187. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
188. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
189. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
190. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
191. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
192. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
193. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
194. महबूब अली, श्री अमरोहा
195. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
196. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
197. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
198. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
199. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
200. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
201. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
202. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
203. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
204. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
205. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
206. मो0 आजम खां, श्री रामपुर
207. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
208. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
209. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
210. मौ0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
211. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
212. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
213. योगेश धामा, श्री बागपत
214. योगेश वर्मा, श्री खीरी
215. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
216. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
217. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
218. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
219. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
220. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
221. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा

222. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
223. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
224. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
225. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
226. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
227. रवि शर्मा, श्री झांसी
228. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
229. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
230. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
231. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
232. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
233. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीरनगर
234. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
235. राज करन कबीर, श्री बांदा
236. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
237. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
238. राजबाला, श्रीमती रामपुर
239. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
240. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
241. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
242. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
243. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
244. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
245. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
246. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
247. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
248. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
249. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
250. रामकुमार वर्मा, पटेल, श्री खीरी
251. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
252. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
253. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
254. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
255. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
256. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
257. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
258. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
259. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
260. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
261. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
262. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
263. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
264. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
265. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
266. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
267. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
268. लाखन सिंह, श्री औरैया
269. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
270. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
271. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
272. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
273. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
274. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
275. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
276. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
277. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
278. विजय पाल (आढती), श्री हापुड़
279. विजय मिश्र, श्री भदोही
280. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर

281. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
282. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
283. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
284. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
285. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
286. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
287. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
288. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
289. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
290. वीरेन्द्र, श्री एटा
291. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
292. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
293. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
294. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
295. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
296. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
297. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
298. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
299. शीतला प्रसाद, श्री कौशाम्बी
300. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
301. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
302. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
303. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
304. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
305. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
306. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
307. श्री राम चौहान, श्री सन्तकबीरनगर
308. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
309. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
310. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
311. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
312. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
313. संजय, श्री बुलन्दशहर
314. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
315. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
316. संजय यादव, श्री बलिया
317. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
318. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
319. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
320. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
321. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
322. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
323. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
324. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
325. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
326. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
327. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
328. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
329. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
330. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
331. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
332. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
333. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
334. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
335. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
336. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
337. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
338. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
339. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
340. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
341. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद

342. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
343. सुभाष त्रिपाठी ऐडवोकेट, श्री बहराइच
344. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
345. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
346. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
347. सुरेश कुमार, श्री शामली
348. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
349. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
350. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
351. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
352. सुरेश राही, श्री सीतापुर
353. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
354. सुशान्त कुमार सिंह, कुँ0 बिजनौर
355. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
356. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
357. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
358. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
359. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
360. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
361. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
362. सौरभ सिंह, श्री खीरी
363. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
364. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
365. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
366. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
367. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
368. हरीराम, श्री सोनभद्र
369. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
370. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
371. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
372. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
373. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

विपक्ष द्वारा मुख्य मंत्री के बजट भाषण से कतिपय शब्दों को कार्यवाही से निकाले जाने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक आग्रह सुन लीजिए। कल सदन में हम लोग उपस्थित नहीं थे। मा0 मुख्यमंत्री जी का भाषण हुआ, वह आज अखबारों में भी छपा है। मेरे हिसाब से उस भाषण के कुछ अंश न तो नेता सदन की गरिमा के अनुरूप थे और न ही उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विधानसभा की गरिमा के अनुरूप थे। हम और सत्तापक्ष एक भाई हैं। हम आपस में नीतियों और कार्यक्रमों का विरोध करते हैं और एक दूसरे से सीखते भी हैं, यह ठीक है, लेकिन गाली गलौज की भाषा प्रयोग नहीं करते हैं। अभी हाल ही में राज्यसभा में मा0 प्रधानमंत्री जी के मुँह से कुछ शब्द निकल गया था तो विपक्ष के नेताओं के आग्रह पर मा0 सभापति जी ने उस अंश को निकाल दिया था। उन्होंने मा0 पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विषय में कुछ कह दिया था तो उस शब्द को भी विपक्ष के नेताओं के आग्रह पर उस अंश को निकाल दिया गया था। मेरी आपस प्रार्थना है कि सांप और नेवला जैसे जो शब्द हैं यह सब छात्र पढ़ेंगे तो इस सदन की छवि क्या बनेगी? कृपया उस अंश को कल की कार्यवाही से निकालने की कृपा करें।

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, आप नियमों से चलते हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि सदन भी नियम से ही चले। नियम 195 आपने देखा है, अनुपूरक अनुदानों पर जो वाद-विवाद की व्यवस्था है उसमें ही है। अनुपूरक अनुदानों पर वाद-विवाद केवल उसकी मदों तक ही सीमित रहेगा, जब तक चर्चाहीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने की आवश्यकता न हो। मूल अनुदानों पर या उनमें अन्तर्निहित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी। यह हमारी नियमावली कहती है। लेकिन कल जैसा भाषण हुआ जैसे मूल बजट हो उस तरह का हुआ, और दूसरे उसमें असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया। मान्यवर, किसी भी पार्टी को इस तरह के अपशब्दों का उल्लेख करना, किसी जानवर से उसकी तुलना करना निश्चित रूप से असंसदीय है और जैसे मा0 नेता प्रतिपक्ष ने कहा, उदाहरण दिया लोकसभा का भी और राज्य सभा का कि जहां से अपशब्द जैसे शब्दों को निकाला भी जा चुका है। इसलिए इसमें हम आपसे चाहेंगे कि निश्चित रूप से इस सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए और निश्चित रूप से विधान सभा अध्यक्ष का पद भी बहुत बड़ा पद होता है। उस पद को भी ध्यान में रखकर हम आपसे आग्रह करेंगे कि उस असंसदीय शब्द को कार्यवाही से निकालने की कृपा करें।

***श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत ही दुख का विषय है, कि देश में जो उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बड़े प्रदेश के रूप में माना जाता है और उसकी तमाम ख्यातियाँ हैं। यहां गंगा-जमुना की तहजीब है। मान्यवर, जिस तरह की असंसदीय भाषा का प्रयोग कल मा0 मुख्यमंत्री जी ने सदन में किया वह निश्चित रूप से उनकी गरिमा को शोभा नहीं देता। इस सदन के आदरणीय स्व0 श्री गोविन्द बल्लभ पंत जी, स्व0 श्री वी0पी0 सिंह जी, श्री नारायण दत्त तिवारी जी ऐसे तमाम विद्वान सरीखे लोगों ने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस सदन की शोभा को बढ़ाया है। मा0 अध्यक्ष जी, यह अपने आप में कितना दुखद विषय है कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की तुलना किसी जानवर से की जा रही है। हम यह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि जो भाषा सड़कों पर हो वह भाषा सदन में नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने भी सदैव सर्वदलीय बैठकों में इस तरह की बातों को कहा है। महोदय मैं आपसे आग्रह करूंगा कि संसदीय परिपाटी को ध्यान में रखते हुए उस शब्द को वापस लेने का कष्ट करें।

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी का भाषण कल हमने भी सुना और सत्ता पक्ष के सभी लोगों ने सुना। मैं समझता हूं कि किसी प्रकार का कोई असंसदीय शब्द उसमें प्रयोग नहीं किया गया है। वर्षों से आप लोग भी बहुत से लोग सत्ता में रहे और बहुत से उदाहरण दिये जाते रहे जो उदाहरण बहुत शालीन नहीं हैं। हम उस बात को बढ़ाना नहीं चाहते। माननीय मौर्या जी पर तरह-तरह के आक्षेप किये गये, किन शब्दों से नहीं किया गया। किसी व्यक्ति को लेकर किसी नेता को लेकर किसी प्रकार का कोई ऐसा आक्षेप नहीं था जो असंसदीय हो यह हम दावे के साथ कह सकते हैं, मान्यवर, आप कार्यवाही देख लें।

(पारसनाथ यादव जी एवं अजय कुमार लल्लू जी के खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, कोई असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, आप कार्यवाही देख लें और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम भी नहीं लिया और न किसी असंसदीय शब्द का प्रयोग किया इसलिए मैं इसका पूरी तरीके से विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा नहीं हो रही है, यह प्रश्न काल है इसमें हमने सुन लिया कभी प्रश्न काल में हमने सुना नहीं, शायद पहली बार सुन रहे हैं।

***श्री पारसनाथ यादव-**

आपने जो पहली बार सुन लिया इसके लिए हम आभारी हैं। यह जो विषय है यह विषय मामूली विषय नहीं है। सदन में जो कल चल रही थी, वाद-विवाद और माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, सदन के बाहर लोग कार्यवाही देख रहे थे और सुन भी रहे थे। अखबार की बात पर अलग नोटिस नहीं ले रहे हैं हम लोग लेकिन उन लोगों ने भी यह बात कही और हम लोग भी बाहर से देख रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया? मैं तो यही कहूंगा कि जोगी होकर भी और इतना त्याग, बलिदान करने के बावजूद यह पद मिला लेकिन अनुभवहीनता के चलते जो सदन की हालत हो गयी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(तत्पश्चात सत्ता पक्ष के कई सदस्यगण द्वारा अपनी जगह पर खड़े होकर एक साथ बोलने से शोर/व्यवधान की स्थिति) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पारसनाथ यादव-

उसका एक उदाहरण है कि कल सांप, छछूंदर से विपक्ष की तुलना। माननीय अध्यक्ष जी इसलिए इसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाये यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठें, अध्यक्ष के खड़े होने पर बैठ जाया जाता है। प्रश्न काल के प्रारम्भ होते समय माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राम गोविन्द जी ने एक विषय उठाया है उसी विषय पर माननीय वर्मा जी ने बल दिया है उसी विषय पर माननीय अजय कुमार लल्लू जी ने बल दिया है और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का उस पर स्पष्टीकरण आया है। एक औचित्य प्रश्न की तरह यह विषय यहां आया है, मैं इस विषय पर सभी माननीय प्रतिपक्षी नेताओं से और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से वार्ता कर लूंगा, इस विषय पर मैं अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूं। अब हम आगे के सवाल लेते हैं।

[11:10] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में औद्योगिक विकास बढ़ाने की कार्य-योजना

***1-श्री उमाशंकर सिंह, डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज तथा श्री अमन मणि त्रिपाठी-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में औद्योगिक विकास बढ़ाने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

जी हां।

प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 बनाई गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री सतीश महाना माननीय औद्योगिक विकास मंत्री द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ा गया)

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आपका भी ध्यान इस प्रश्न की ओर जरूर जाये। माननीय मंत्री जी बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं और जब यह विपक्ष में

थे तो हम लोग इन्हीं से सीखा करते थे। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रश्न के मूल अंश में लिखा हुआ है कि सरकार ने औद्योगिक विकास बढ़ाने की क्या कोई योजना बनाई है। उसके नीचे अंश में हमारा प्रश्न है कि यदि हां, तो उसका विवरण क्या है। माननीय अध्यक्ष जी, यह डिफाइन कर दिया जाये कि उसका विवरण क्या है। अधिकारियों ने माननीय मंत्री जी को उत्तर लिखकर दे दिया है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 बनाई गई है और बाकी चीजों को साइलेंट कर दिया गया है। मेरा अनुरोध है कि पहले माननीय मंत्री जी विवरण को डिफाइन कर दें फिर उसके बाद मैं अपना अनुपूरक प्रश्न रखंगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आपने कल देखा होगा कि कई सवालों के उत्तर बहुत लम्बे आये थे, उसी तरह आज के प्रश्न का उत्तर थोड़ा छोटा आया है। माननीय मंत्री जी, आप इस नीति के एक-दो बिन्दुओं को स्पष्ट कर दीजिये।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, श्री उमाशंकर सिंह जी बहुत पुराने सदस्य हैं। यदि आपने औद्योगिक विकास विभाग की वर्ष 2017 की प्रोत्साहन नीति नहीं पढ़ी है तो आपको यह प्रश्न ही नहीं करना चाहिये था। जब कोई पालिसी जारी होती है तो उस पालिसी में सारी की सारी बातें निहित होती हैं। औद्योगिक विकास विभाग की वर्ष 2017 में प्रख्यापित नीति आपको पढ़नी चाहिये थी, अगर आपने वह नीति नहीं पढ़ी है तो उसकी कापी मैं आपको दे दूंगा। इस नीति के कुछ हाई लाईट्स मैं आपको बता देना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जिस समय औद्योगिकीकरण का एक नया दौर शुरू हुआ, विगत लगभग दस- पन्द्रह वर्षों से उद्योगों और सरकार के बीच में डिस्कनेक्ट था और पहले औद्योगिकीकरण होता ही नहीं था। हमारी सरकार में अब एक माहौल बना है उत्तर प्रदेश में उद्योगों को लेकर और पक्ष और प्रतिपक्ष सबने इसका स्वागत किया है। जो वर्ष 2017 की नीति है हमने उसमें एक प्राइवेट इण्डस्ट्रियल पार्क की भी बात की है। पहले सरकारी इण्डस्ट्रियल पार्क बनते थे। अब जो नई अधिग्रहण नीति बनी है और उसका विधेयक पास हुआ है उसके अनुसार जमीन खरीदने के लिए चार गुना से ज्यादा मुआवजा किसान को देना पड़ता है। इसके प्रमोशन में, इसके डेवलपमेण्ट में, इसके लिए जगह छोड़ने में हमने इण्स्ट्रीज को इस बात के लिए छूट दे दी है कि यदि आप अपना प्राइवेट इण्डस्ट्रियल पार्क डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको बहुत सारे इन्सेन्टिव देंगे। हम स्टाम्प ड्यूटी की छूट देंगे, उसके लिए अगर इन्फ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए बैंक से आप कोई लोन लेते हैं तो उसमें हम पांच प्रतिशत की सब्सिडी देंगे, पांच करोड़ रूपया सालाना तक की इसमें लिमिट होगी। हमने उद्योगों और रोजगार को भी एक-दूसरे से जोड़ा है। हमने केवल यह नहीं कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सौ करोड़ रूपये का इन्वेस्टमेण्ट करता है हम तभी उसको लाभ देंगे। हमने उत्तर प्रदेश को पांच क्षेत्रों में बांटा है, पहले प्रदेश में चार क्षेत्र थे। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक ही नीति होती थी। गाजियाबाद और गौतमबुद्व नगर उसमें सम्मिलित होते थे। हमने गाजियाबाद और गौतमबुद्वनगर का एक अलग जोन बना दिया है और बाकी पश्चिमी क्षेत्र के लिए अलग जोन बना दिया है वहां पर जो भी इन्वेस्टमेण्ट करेगा उसको हम अधिक इन्सेन्टिव देंगे। हमने यहां तक किया है कि पूर्वान्चल और बुन्देलखण्ड में जो इण्डस्ट्री लगायेगा उसमें जो स्टेट का एस0जी0एस0टी0 शेयर होगा उसको हमने दस वर्षों तक टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेण्ट की 300 परसेण्ट लिमिट तक वापस करने का

प्राविधान किया है। हमने कहा कि जो व्यक्ति अनुसूचित जाति के लोगो को नौकरी देगा हम उसको 10 परसेण्ट एक्स्ट्रा इन्सेन्टिव देंगे, जो बी0पी0एल0 के लोगो को नौकरी देगा उसको हम 10 परसेण्ट एक्स्ट्रा इन्सेन्टिव देंगे। जो महिलाओं को नौकरी देगा उसको 10 परसेण्ट एक्स्ट्रा इन्सेन्टिव देंगे। यह बहुत सारी नई और महत्वपूर्ण चीजें इस पालिसी के अंतर्गत हैं। यह पालिसी कुल 35-36 पेज की है। यदि माननीय सदस्य चाहते हों तो मैं पूरी पालिसी को पढ़ने के लिए तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपने पालिसी की महत्वपूर्ण बातें बता दी है। अब डा0 जमुना प्रसाद सरोज जी अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, कृपया मुझे एक मिनट बोल लेने दीजिये। माननीय मंत्री जी ने एक आरोप लगाया है उस पर मेरा स्पष्टीकरण आ जाये। मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब आपने वर्ष 2017 की पालिसी नहीं पढ़ी है तो यह प्रश्न आपको लगाना नहीं चाहिये था।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने आप पर आरोप कहां लगाया। जब हमने प्रश्न स्वीकार कर लिया है तो इसका औचित्य नहीं बनता है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी आप अपनी औद्योगिक नीति के प्रचार-प्रसार के लिए जितना सरकारी धन खर्च करते हैं, फिर चाहे आप इसे दुरूपयोग कह लें अथवा उपयोग कह लें। आप अखबारों में विज्ञापन देते हैं, आप जगह-जगह पर अपनी नीति की होर्डिंग लगवाते हैं तो क्या यह उचित नहीं था कि जो हमने विवरण मांगा है उसका उत्तर दो पृष्ठों में इस सम्मानित विधान सभा में बैठे माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाता।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उत्तर प्रदेश में हमने 21-22 फरवरी को इन्वेस्टर्स समिट करके एक नई शुरूआत कर दी थी। इनको भी निमन्त्रण भेजा गया था लेकिन यह लोग आये नहीं। उसके बाद भी जिस समय 4 लाख 28 हजार करोड़ के बाद 6 महीने के अंतर्गत जिस समय 60 हजार करोड़ से ज्यादा का हमने इन्डस्ट्रिलाइजेशन का भूमि पूजन किया तब भी हमने निमत्रंण भेजा था और सारे मा0 सदस्यों को भेजा था। इन्वेस्टर्स समिट के लिए विधान सभा में खड़े होकर सबको निमन्त्रण दिया था।

श्री अध्यक्ष-

आप इनके न आने से नाराज हैं, क्या ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, जिस समय हम प्रदेश के डेवलपमेण्ट की बात करते हैं अगर यह आते तो मुझे अच्छा लगता।

श्री अध्यक्ष- आगे से आयेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, अगर किन्हीं कारणों से नहीं आये। यह अच्छी बात नहीं है। अगर आते तो हम उनका सम्मान करते। जो आया हमने उनका सम्मान भी किया और सम्मान करेंगे भी। अगर उत्तर प्रदेश के डेवलपमेण्ट के लिए सब साथ मिलकर चलें तो अच्छा होगा। लेकिन अगर डेवलपमेण्ट हो रहा है और उसमें [xxx] करके उसको पीछे करने का काम किसी को भी नहीं करना चाहिए। उसमें सबको सहयोग करना चाहिए।

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

मा0 अध्यक्ष महोदय जी, यद्यपि मैं गठबंधन का विधायक हूं।

श्री अध्यक्ष-

किस गठबंधन के विधायक हैं, आप ?

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

मान्यवर, अपना दल का विधायक हूं, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का विधायक हूं। मुझे प्रश्न पूछना तो नहीं चाहिए। लेकिन जिज्ञासावश दो अनुपूरक प्रश्न आपकी अनुमति से पूछना चाहता हूं। मेरी विधान सभा सोरांव में मउआइमा ब्लाक है। वहां पर पहले एक कताई मिल हुआ करती थी। उसके बंद हो जाने से हजारो लोग बेरोजगार हो गये हैं। मा0 विद्वान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह कताई मिल चलाने की कोई योजना है ? दूसरा प्रश्न उद्योगों से संबंधित है। मा0 मंत्री जी ने अभी बताया कि 21-22 फरवरी को इन्वेस्टर्स समिट हुई। ऐसा इतिहास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रचा है जो किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया था। पहले ही चरण में 60 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेण्ट हुआ। मैं भी उसमें मौजूद था। मा0 प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था।

श्री अध्यक्ष-

अब आप प्रश्न पूछ लीजिए।

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

मान्यवर, जिस तरीके से विकास हो रहा है, औद्योगिक विकास हो रहा है, जिस तरीके से इन्वेस्टमेण्ट हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप जानना क्या चाहते हैं ?

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण शराब बंदी कर दिया जाये तो क्या मा0 मंत्री जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेण्ट हो रहा है, जिस तरीके से उद्योगों का विकास हो रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश निरंतर विकास

नोट :--[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

की ओर अग्रसर है। क्या, उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण शराब बंदी कर दिया जाये। उसके राजस्व की क्षतिपूर्ति उद्योगों के विकास से संभव है या संभव नहीं है ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न इनसे बनता है ? क्योंकि यह आबकारी मंत्री नहीं हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जो दो प्रश्न किये हैं। वह दोनों प्रश्न रिलेवेण्ट नहीं हैं। अगर स्पिनिंग मिल्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए अलग से प्रश्न लगाना चाहिए क्योंकि स्पिनिंग मिल्स कई वर्ष पहले ही बंद हो चुकी है। उसके बारे में मेरे पास अभी कोई सूचना नहीं है। शराब बंदी का प्रश्न मेरे से संबंधित नहीं है। उसके लिए अलग से पूछिएगा तो फिर बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

जो आप अपनी बात कहना चाहते थे। उसके लिए आप मंत्री जी से मिल लीजिएगा।

प्रदेश में निष्प्रयोज्य भिक्षुक गृह का विवरण एवं उसका संचालन कर पुनर्वासन कराने की कार्य-योजना

***2-श्रीमती सुषमा पटेल-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने भिक्षुक गृह संचालित हैं और उनमें कुल कितने भिक्षुक निवास कर है ? क्या यह तथ्य सरकार के संज्ञान में है कि उक्त भिक्षुक गृह निष्प्रयोज्य और बदहाल स्थिति में हैं जबकि इनमें राजपत्रित स्तर के अधिकारी व कर्मचारी तैनात होते हैं तथा उन पर लाखों रु0 सैलरी पर सरकार व्यय करती है ? यदि हां, तो क्या सरकार व्यवस्थिति तरीके से इन भिक्षुक गृहों का संचालन सुनिश्चित कर वास्तविक रूप से भिक्षुकों का पुनर्वासन करना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)-

प्रदेश में भिक्षावृति प्रतिषेध अधिनियम-1975 के अन्तर्गत विभाग द्वारा प्रदेश के 07 जनपदों क्रमशः आगरा, मथुरा, कानपुर नगर, इलाहाबाद, वाराणसी एवं लखनऊ में एक-एक तथा जनपद फैजाबाद में दो (महिला/पुरुष) कुल 08 राजकीय प्रमाणित संस्था (भिक्षुक गृह) स्वीकृत हैं। किराये के भवनों में संचालित इन भिक्षुक गृहों के भवनों की स्थिति अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण होने के कारण किसी भी भिक्षुक गृह में कोई भिक्षुक निरुद्ध नहीं है।

जी हां। भिक्षुक गृहों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को इन गृहों की व्यवस्था सुव्यवस्थित होने तक विभाग के अन्य कार्यालयों में सम्बन्ध कर शासकीय कार्यों का निर्वहन कराया जा रहा है।

भिक्षुक गृहों की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा पी0पी0पी0 माडल के आधार पर भिक्षृक गृह संचालित किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती सुषमा पटेल-

धन्यवाद मा0 अध्यक्ष जी कि आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मा0 अध्यक्ष जी, भिक्षावृत्ति एक गंभीर सामाजिक समस्या है और अपराध भी है। ऐसी परिस्थिति में भिक्षुकों का पुनर्वास एक महत्वपूर्ण कदम है और बिना पुनर्वास के भिक्षावृत्ति की समस्या को हल नहीं किया जा सकता है। मा0 मंत्री जी द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है उसके आधार पर मैं मा0 मंत्री जी से तीन प्रश्न पूछना चाहती हूं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि यदि प्रदेश के कुल 08 स्वीकृत भिक्षुक गृहों में एक भी भिक्षुक निरूद्ध नहीं हैं तो क्या इसका मतलब यह समझा जाये कि यह सरकार भिक्षुकों के पुनर्वास के प्रति गंभीर और संकल्पित नहीं है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मा0 मंत्री जी का उत्तर आया है कि किराये के भवनों में संचालित भिक्षुक गृहों के भवनों की स्थिति अत्यंत जीर्ण-शीर्ण होने के कारण इसमें कोई भी भिक्षुक निरूद्ध नहीं है। तो क्या मा0 मंत्री जी यह बतायेंगे कि जीर्ण-शीर्ण भवनों को किराये पर क्यों लिया गया और किन परिस्थितियों में लिया गया। जबकि अच्छी स्थिति में निर्मित भवनों में अन्य बहुत सारी अनुदानित संस्थायें संचालित हैं। इसका अर्थ यह है कि सरकार इन भिक्षुक गृहों के संचालन में रूचि नहीं लेती है। और मा0 मंत्री जी से मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि मा0 मंत्री जी द्वारा इन भिक्षुक गृहों को पी0पी0पी0 माडल के आधार पर संचालित कराने की बात कही गयी है। क्या मा0 मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह इतनी बड़ी लागत की परियोजनाएं हैं कि जिसको पी0पी0पी0 माडल पर चलाये जाने की आवश्यकता है। क्या यह भिक्षुक गृह आपके विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रम की तरह संचालित नहीं किया जा सकता है।

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, भिक्षुक कौन होगा यह समाज कल्याण विभाग नहीं तय करता है। इसमें एक व्यवस्था है कि पुलिस भिक्षुक को पकड़े और न्यायालय से भिक्षुक धोषित कराये और उसके बाद में जब भिक्षुक घोषित हो जायेंगे तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उनकी व्यवस्था करें। और यह जब तक नहीं हो जाता तब तक हम इस व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते। और जैसा आपने पी0पी0पी0 माडल की बात कही। मान्यवर, तमाम ऐसे लोग हैं, एन0जी0ओ0 चलाने वाले लोग हैं हम लोगों के सम्पर्क में रहने वाले हैं अगर यह पी0पी0पी0 माडल के अनुसार भिक्षुक गृह एन0जी0ओ0 के द्वारा चलाना चाहते हैं तो हम भी उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मान्यवर, भिक्षुक जब तक पुलिस के द्वारा पकड़े जाने के बाद न्यायालय से वह भिक्षुक घोषित नहीं हो जाता तब तक हम रखने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

श्रीमती सुषमा पटेल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने अधिकृत की बात नहीं की। मेरे प्रश्नों का जवाब अभी तक नहीं आया। मा0 अध्यक्ष जी, मैंने मा0 मंत्री जी से प्रश्न किया था कि किराये के भवनों में भिक्षुक गृहों के भवनों की स्थिति अत्यंत जीर्ण-शीर्ण होने के कारण इसमें कोई भी भिक्षुक निरुद्ध नहीं है तो क्या मा0 मंत्री जी बतायेंगे कि जीर्ण-शीर्ण भवनों को किराये पर क्यों लिया गया है और किन परिस्थितियों में लिया गया है। मेरा मा0 मंत्री जी से यह प्रश्न है।

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, हम तो अब भी कहते हैं कि भिक्षुक निर्धारित हो जाने के बाद में मा0 न्यायालय द्वारा हमको दे दिया जाएगा तो हम व्यवस्थित रूप से उसको चलाने की कोशिश करेंगे।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, सरकार का आना-जाना एक सतत् प्रक्रिया है। यह कुर्सी मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी की आज इस पर मा0 सुरेश खन्ना जी बैठे हैं कल आजम खां जी बैठे थे कल और कोई अन्य बैठेगा। हम जो सवाल करते हैं वह सरकार से करते हैं और अगर बहुजन समाज पार्टी के समय में यदि वह भिक्षुओं के लिए अगर किराये का भवन लिया ही गया था तो यह आरोप लगाना कि वह बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार में जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था में लिया गया था, तो मा0 मत्री जी यह बता दें कि वह भिक्षुओं के लिए किराए पर भवन कब लिया गया था और उस समय उसकी क्या स्थिति थी ?

श्री रमापति शास्त्री-

आप लिखकर देंगें तो उसकी सूचना एकत्र करके हम आपको भिजवा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है। अब तो इस विषय पर गंभीर जांच होगी। उन्होंने कहा है कि उनके पास सूचना नहीं है। अब तो यह आश्वासन का विषय बन गया है। अब आपको संतुष्ट होना चाहिए। प्रश्न संख्या-5 श्री उज्ज्वल रमण सिंह जी का है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, पहले के प्रश्न छूट गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, उसके पहले के भी प्रश्न छूट गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

उसके पहले मो0 असलम ''राइनी'' जी का प्रश्न स्थगित है। जोकि ग्राम्य विकास 18 मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित है। अब मा0 नरेन्द्र सिंह वर्मा जी का प्रश्न लेते हैं।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी''-

मान्यवर, कल मैंने आपसे प्रार्थना किया था कि तीन नम्बर पर मेरा प्रश्न लग जाना चाहिए। मान्यवर, आपकी कृपा तो लग गई, लेकिन मेरे साथ यह ट्रांसफर वाली भावना जो है इसके माध्यम से

मैं आपसे दो लाइन कह दूं कि ''सितम के हांथ तो बहुत उठ नहीं सकते, अब इम्तिहां की घड़ी है टाल दूं कैसे, होता अगर पांव में कांटा तो निकाल सकते थे, किसी के जहन का कांटा निकाल दूं कैसे ?'' मान्यवर, मैं चाहता हूं कि निकालूं कैसे ?

श्री अध्यक्ष-

वह तो आपके शेर से निकल आया (सदन में हंसी के ठहाके)। बीच में मौका लगेगा तो आप फिर शेर सुना दीजिएगा।

***03-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

[18 मंगलवार के तारां0प्र0सं0-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में संचालित समाजवादी पेंशन योजना के सम्बन्ध में

***4-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त का निराकरण कर पात्र महिलाओं को पेंशन देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

शासनादेश संख्या-475/26-2-2017-100(1)/2013 टी0सी0-1, दिनांक 13-04-2017 द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से संचालित पेंशन योजना (पूर्व नाम समाजवादी पेंशन योजना) का 01 माह के अन्दर विशेष अभियान चलाकर सत्यापन कराए जाने के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, पुनः शासनादेश संख्या-1193/26-2-2017-100(1)/2013 टी0सी0-1, दिनांक 27 जुलाई, 2017 के द्वारा सत्यापन हेतु माह सितम्बर तक का समय निर्धारित किया गया था। योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर कराए गए सत्यापन में कुल 62 जनपदों द्वारा सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कुल सत्यापित 5012680 लाभार्थियों में से 415395 अपात्र एवं 43094 लाभार्थियों को मृतक चिन्हित किया गया है।

योजना के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

श्री नरेंद्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से तीन सवाल करना चाहता हूं। नम्बर एक आपने कहा कि याजेना बंद नहीं है। 5012680 लाभार्थियों का सत्यापन कराया गया उसमें से 415395 अपात्र पाए गये 43094 मृतक पाए गये।

शेष पैंतालीस लाख चौवन्न हजार एक सौ इक्यानवे जो बचे हैं लाभार्थी, पात्र, आपके हिसाब से। क्या उनको जबसे पेंशन बंद की गयी, समाजवादी पेंशन पूर्व में नाम, पूरी पेंशन मिलाकर सरकार देगी? दूसरा प्रश्न है कि 62 जनपदों में जहां सत्यापन पूर्ण हो गया है, शेष जो लोग बचे हैं, उनका सत्यापन कब तक पूरा करा लेंगे ? तीसरा प्रश्न है कि आपने दो बार समय दिया, पहले दो माह का समय दिया फिर सितम्बर 2017 तक का समय दिया। जो सितम्बर के बाद सत्यापित पाए गए हैं, क्या उनको माननीय मंत्री जी पुरानी पेंशन मिलाकर शेष पेंशन जारी करेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, पहली बात तो यह है कि जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक किसी को अलग से लेने का कोई औचित्य नहीं बनता है। दूसरी बात यह है कि सितम्बर के अंत तक हम जो कुछ जिले बच गए हैं, 13 जिले बच गए हैं उनको हम पूरा कर लेंगे और पूरा कराने के बाद इस पर विचार करेंगे कि क्या करना है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

आपकी जांच में पैंतालीस लाख चौवन्न हजार एक सौ इक्यानवे लाभार्थी पात्र पाए गए हैं, और आप कह रहे हैं कि योजना बंद नहीं है। जब योजना बंद नहीं है और लाभार्थी पात्र पाए गए तो पेंशन आप कैसे रोक सकते हैं ?

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, जब तक ये सारा कार्यक्रम पूरा नहीं हो जाता है और जब तक सारी जांचें पूरी नहीं हो जाती हैं, जांच पूरी होने के बाद कितने पात्र हैं, कितने अपात्र है, किसे मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए, इस पर विचार करेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

आपने 62 जनपदों की जांच पूरी कर ली है और मैंने यह पूछा है कि जिस तारीख से पेंशन बंद हुई है उस तारीख से और आज जब पेंशन चालू करेंगे तो क्या बकाया 17 महीनों का भुगतान लाभार्थियों को करेंगे ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, जिस योजना में चार लाख पंद्रह हजार तीन सौ पन्चानवे लोग अपात्र पाए गए हों, शासनादेश के अनुरूप उनको पात्र घोषित करके पेंशन दी गयी। ये क्या धन का दुरूपयोग नहीं है। जिस जांच में चार लाख पंद्रह हजार तीन सौ पन्चानवे लोगों को अपात्र पाया गया है, ये कितना बड़ा धन का दुरूपयोग है। दूसरी बात यह है कि हमने यह कहा कि 'जी नहीं' यानी अधिकृत रूप से किसी शासनादेश के अन्तर्गत इसको रोका नहीं गया लेकिन हमने उसकी जांच करके सत्यापन करना चाहा। अभी जांच चल रही है, पूरी नहीं हुई है। जिन लोगों को अपात्र पाया गया है उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया है लेकिन जांच की प्रक्रिया अभी 13 जनपदों में चल रही है। जांच पूरी हो जाने के बाद ही किसी बात का निर्णय हो सकता है। फिलहाल इसके लिए कोई धन आंवटित नहीं किया गया है ये हम आपसे बताना चाहते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का पूर्ण उत्तर नहीं आ पा रहा है। आप महिलाओं को पेंशन नहीं दे रहे हैं, जिन्हें आपने ही पात्र माना है, अपात्र को आप वहन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी के उत्तर में आश्वासन निहित है, उनका कहना है कि हम पूरे की जांच करा रहे हैं कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। जांच के बाद ही कुछ कह पाएंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि जांचोपरान्त जो महिलाएं पात्र पाई जांएगी उन्हें आप पेंशन देंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी कह तो रहे हैं कि वह सम्यक जांच के बाद विचार करेंगे, विचार करने का मतलब इस आदरणीय सदन के लिए सरकार का आश्वासन है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

अध्यक्ष जी, मंत्री जी का जवाब संतोषजनक नहीं है, इसलिए यह जो 45 लाख 54 हजार 191 प्रदेश की गरीब महिलाओं के हित के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, हम सरकार के इस जवाब पर सदन का बॉयकाट कर रहे हैं।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन से वहिर्गमन कर गए)

प्रदेश के दिव्यांगों को बैटरीचालित ट्राई-साईकिल देने के सम्बन्ध में

***5-श्री उज्जवल रमण सिंह-**

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिव्यांगों को बैटरीचालित ट्राई-साईकिल देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश राजभर)-

जी नहीं।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन को कृत्रित अंग/सहायक उपकरण खरीदने हेतु वित्तीय अनुदान स्वीकृत करने की नियमावली-2016 में किये गये प्राविधान के अनुसार पात्र दिव्यांगजन को अधिकतम रु0 8000/- तक का कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण खरीदने हेतु अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। उक्त नियमावली में दिव्यांगजन को बैटरीचालित ट्राई-साईकिल दिये जाने की व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सबसे पहले तो माननीय श्री उज्जवल रमण सिंह को धन्यवाद देता हूं कि यह बहुत अहम् सवाल आपने पूछा है। जो काम सपा, बसपा, कांग्रेस के रिजीम में नहीं हो पाया है, उस काम को भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबन्धन ने

माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 30 करोड़ रुपया एलॉट किया है, स्वचालित बैट्री रिक्शा देने के लिए, यह पहली बार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आपके हाथ में उत्तर होगा, पढ़ दीजिए।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, इस उत्तर को पढूंगा तो निरुत्तर हो जाऊंगा। (हंसी)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप बैठें। माननीय मंत्री जी का उत्तर पढ़ा हुआ माना जाता है। माननीय उज्जवल रमण सिंह जी सवाल करें।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि सरकार की गंभीरता इसमें दिखलाई नहीं पड़ रही है। सरकार ने जो उत्तर दिया है 'जी, नहीं' और जैसा माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, यह उत्तर गलत है या माननीय मंत्री जी सही हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी के कथन को सही मानते हुए, मेरे 03 सवाल हैं क्योंकि जिस गंभीरता से सरकार को इस विषय को लेना चाहिए। आज जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जो दिव्यांगजन आते हैं, वह पुरानी साइकिल कोई लेने को तैयार नहीं होता, जो मोटराइज्ड न हो, जो बैट्रीचालित न हो और यह पहली बार मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार ने ई-रिक्शा का प्रावधान शहरों में किया था और पहली बार ई-रिक्शा शहरों में बांटा गया था और फ्री में बांटा गया था और ई-रिक्शा जितने भी शहरों में चल रहे हैं, वह माननीय अखिलेश यादव सरकार की देन है। मैं माननीय मंत्री जी से दो सवाल पूँछना चाहता हूं, जो दिव्यांगजन बैट्रीचालित रिक्शा चाहते हैं, क्या इसका कोई सर्वे आपने करवाया है कि इनकी संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है और दूसरा सवाल कि इसमें कितना धन प्रति रिक्शा, प्रति व्यक्ति को देने जा रहे हैं, क्या यह माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे और तीसरा हमारा सवाल है, जैसा माननीय मंत्री जी ने 30 करोड़ रूपये की घोषणा की है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 30 करोड़ रूपये में क्या प्रदेश के सभी दिव्यांगजनों को आप इसकी पूर्ति कर सकते हैं और आप 'नहीं' बोल कर आ रहे हैं, उसका भी जवाब दे दें।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

अध्यक्ष जी, आपने कहा कि पिछली सरकार में ई-रिक्शा बंटा, 15 महीने सरकार को हो गया है, लगभग 75 जिलों में मैं दौरा कर चुका हूं। ट्राई साइकिल, ह्वील चेयर, बैसाखी, कान की मशीन बॅटी हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं, ई-रिक्शा बंटा होगा, मुझे कोई जानकारी नहीं है, साफ-साफ बता रहा हूं। दूसरी चीज ई-रिक्शा, 75 जिलों में घूमने के बाद दिव्यांगों की डिमाण्ड इतनी है कि ट्राई साइकिल चलाते-चलाते वह थक गए, उसकी भरपाई करने के लिए, माननीय उज्जवल रमण सिंह जी को बताना चाहूंगा कि 03 बार मैं दिल्ली गया हूं।

तीन बार दिल्ली जाकर के मैंने पहल किया बड़ी कोशिश किया। माननीय मुख्यमंत्री जी दो बार गए फिर इन्होंने हमसे कहा कि और प्रयास करो। वहां से 8 हजार मोटराईज ट्राई साईकिल देने के लिए माननीय थावर चन्द्र गहलोत जी ने कहा। मैंने वहां आठ लाख डिमाण्ड किया था, लेकिन जो वहां से उपलब्ध होगा वही हम दे सकते हैं और सवा लाख में किया 30 करोड़ आप चले जाओ पोट्टल पर दो दिन हो गया है। ई-रिक्शा मोटराईज ई-रिक्शा बांटने के लिए पोर्टल पर ई-टेण्डरिंग के लिए दो दिन से टेण्डर कराने के लिए खोल दिया गया है। अभी यह जानकारी विभाग को भी बनाया है प्रश्न जो प्रश्न बनाया गलत नहीं। देखिए एक तरफ आप लोगों की तरफ से आरोप लगते हैं कि अधिकारी गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। अधिकारी को पता नहीं है इन लोगों ने जो प्रश्न लगाया है वह आपके प्रश्नों का उत्तर ही है। आपने प्रश्न लिखा क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिव्यांगों को बैटरी साईकिल देने पर सरकार विचार करेगी। अभी तक योजना पर उत्तर है कि नहीं ऐसी कोई योजना भी नहीं। जब तक कोई ई-टेण्डरिंग हो नहीं जाता है तब तक कोई उत्तर नहीं आएगा। ई-टेण्डरिंग हो भी नहीं सकता। मा0 अध्यक्ष जी ई-टेण्डरिंग में है प्रोसीजर आप पोर्टल खोल के देखिए। मैं कह रहा हूं आप उत्तर से संतुष्ट नहीं है मैं कहता हूं कि आप इसे देखिए आपको मालूम हो जाएगा। वह तीन दिन एक हफ्ते टेण्डर आपको मालूम हो जाएगा। मैं ओम प्रकाश राजभर बोल रहा हूं कोई अधिकारी नहीं बोल रहा। हम जो कुछ भी कहते हैं वह ठोक कर कहते हैं।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मेरा बहुत ही छोटा सा सवाल था। हमने दिव्यांगजनों की संख्या मंत्री जी से जाननी चाही अगर मंत्री जी आज तैयार नहीं है तो इसे कल के लिए रख लिया जाए। इस पर कल हम लोग विचार कर लेंगे। क्योंकि हमने बहुत छोटा सा सवाल किया है। दूसरी बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम अपने केंद्र सरकार की ओर से इन्होंने मांग की है मा0 मुख्यमंत्री जी और नेता सदन की भी घोषणा है गोरखपुर में आपका बयान छपा था कि दिव्यांगजनों को बैटरी चालित सरकार देने पर विचार कर रही है। मेरा सिर्फ यह कहना है कि प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से दिव्यांगजनों के बारे में गंभीर नहीं है क्या मा0 मुख्यमंत्री जी के कहने के बावजूद आप केंद्र के सहारे क्यों बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह बता रहे हैं कि कोई टेण्डर हो रहा है।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी अगर संख्या ना बता पाए तो कल के लिए रख लिया जाए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 30 करोड़ रुपया उसके लिए क्वानटीफाई किया गया और उसकी प्रक्रिया चल रही है मान्यवर अगर सरकार संवेदनशील नहीं होती या तो इस रुपये की व्यवस्था नहीं करते मान्यवर और यह भी उन्होंने बताया कि हमने 8 हजार रिक्शा केंद्र सरकार से भी लिया है, जो मा0 थावर चन्द्र गहलोत ने दिए हैं। मान्यवर मा0 सदस्य की जो मंशा थी उनको बैटरी चालित रिक्शा दिया जाए

सरकार उसके बारे में गंभीर है। दिव्यांगों के प्रति पूरी तरीके से गंभीर है। मान्यवर, सरकार इस प्रयास में हैं कि उन लोगों को जो इसके पात्र हैं वो उनको बैटरी चालित रिक्शा मिल जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 हर्ष वर्धन जी हैं औद्योगिक विकास मंत्री जी।

प्रदेश में इन्वेस्टर समिट द्वारा कुल एम0ओ0यू0 एवं किये गये कार्य विषयक

***6-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी तथा डॉ0 संग्राम यादव-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयोजित इन्वेस्टर समिट में कितनी धनराशि के एम0ओ0यू0 सरकार ने किए और इसमें अब तक क्या कार्य हुए हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी हां।

दिनांक 21-22 फरवरी, 2018 को आयोजित उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट 2018 में रु0 4.28 लाख करोड़ अनुमानित पूंजी निवेश के 1045 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हुए हैं। इनमें से 81 एम0ओ0यू0 की ग्राउण्ड ब्रेकिंग सरेमनी दिनांक 29-07-2018 को की जा चुकी है।

जी नहीं।

विवरण की विस्तीर्णता के कारण सदन के पटल पर रखा जाना समीचीन नहीं है।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी बहुत-बहुत धन्यवाद। इस मौके के लिए और सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने का जो मौका दिया है आपने। मैं दो-तीन पार्ट्स में आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहले मैं उस बात पर आऊँगा, जो एक बहुत बड़ा एनाउंसमेण्ट, शायद सबसे बड़ा तोहफा था। जो शेर-ए-हिन्दुस्तान मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार ने एनाउंस किया था। जो उन्होंने दो डिफेंस कॉरिडोर देश को दिए हैं 29 प्रदेशों को, उनमें से एक तमिलनाडु को और एक उत्तर प्रदेश को देने का काम किया। मेरा इसमें क्वेश्चन यह है कि देखिए डिफेंस फोर्सेस तीन हिस्से की होती हैं। इसमें से जो शिपयार्ड हैं जैसे कोचीन शिपयार्ड, मोरमूगांव, मझगांव, गार्डेन रीच, हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापटनम, एल0 ऐण्ड टी0 शिपयार्ड चेन्नई, इनसे हम लोग कम्पीट कर नहीं सकते क्योंकि हमारी जियोग्राफी एलाउ नहीं करती। हमारे पास समुद्र नहीं हैं। यह मैं एक्सेप्ट करता हूं। अब आएँ उन डिफेंस सेक्टर्स पर एयर फोर्स और ग्राउण्ड फोर्सेस जिनमें हम कम्पीट कर सकते हैं। मेरा यह कहना है कि आपकी यह इण्डस्ट्री टोटली साउथ में डॉमिनेटेड है।

श्री अध्यक्ष-

आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं तो मूल प्रश्न करिए।

श्री हर्षवर्धन वाजपेयी-

मैं प्रश्न पर आ रहा हूं, प्रश्न यह है कि यह टोटली साउथ पर डॉमिनेटेड है। हैदराबाद में आपकी मिसाइल बनती हैं, आपके फाइटर प्लेन कण्ट्रोल्स बनते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मूल प्रश्न में ये बातें नहीं हैं।

श्री हर्षवर्धन वाजपेयी-

मान्यवर, साउथ में डिफेंस प्रॉडक्शन के लिए एक एण्ट्रेंच्ड एक्सपर्टीज़ डेवलप हो गई है।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न का साउथ से क्या सम्बन्ध है?

श्री हर्षवर्धन वाजपेयी-

मेरा क्वेश्चन यह है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जहां पर डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी है क्योंकि जो उस तरीके की इण्टेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इण्टेलेक्चुअल स्ट्रेन्थ है, जो आपके वाइट कॉलर वर्कर्स हैं, उनको लाने के लिए आपकी किस तरीके की स्ट्रेटजी है? मेरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि जो बिग फाइव उस कार्यक्रम में आए थे जिन्होंने फुल सपोर्ट दिया। अम्बानी जी, टाटा ग्रुप के चेयरमैन, अदानी जी, आनन्द महिन्द्रा जी और कुमार मंगलम् बिरला जी। ये जो बिग फाइव थे, इन्होंने बड़े-बड़े एनाउन्समेण्ट किए थे लेकिन इसमें ठोस ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेण्ट्स क्या होने वाले हैं? तीसरा मुझको यह पूछना था कि आज नरेन्द्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो छवि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी। वह हम सब जानते हैं कि गुजरात में रेगुलर हर दो वर्ष पर वे जो वाइब्रेण्ट गुजरात का कॉन्क्लेव करते थे, उससे बनी। मैं महाना जी और सरकार को बधाई दूंगा और मैं मा0 जमुना जी के साथ अपने आपको सम्बद्ध करता हूं कि आपने सरकार के फर्स्ट हाफ में ही यह करके दिखा दिया है कि प्रो-इण्डस्ट्री, आप इण्डस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं। मैं बस यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि हम लोग भी हर दो वर्ष में या एक वर्ष में जब भी आप समझें, हम लोग भी इस कॉन्क्लेव को रेगुलर बेसिस पर बार-बार करेंगे। साथ में इसके लिए एक क्विक सेक्रेटेरिएट हो जिसका हेड कम से कम एक आई0ए0एस0 ऑफिसर हो और उसके साथ एक एसोसिएटेड हब हो, जो 365 दिन काम करे ताकि इसमें जो भी एम0ओ0यू0 साइन हुए हैं। जैसे इसमें 60000 करोड़ रुपये का है तो वह सेक्रेटेरिएट लगातार 365 दिन इसमें काम करता रहे। क्या इसका आश्वासन देंगे? बस एक छोटी सी बात मैं और कहूँगा कि इसमें सी0आई0आई0 और फिक्की को एसोसिएटेड पार्टनर बनाया गया था। मैं बस एक ले-मैन की तरह कह रहा हूं, मैं किन्हीं लॉबीज़ से नहीं हूं लेकिन एसोचैम की कमी वहां पर दिख रही थी तो क्या आगे हम लोग एसोचैम को भी इसमें लाएँगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 हर्षवर्धन जी, अब आप बैठें, आपका हो गया।

डा0 संग्राम यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें भी बोलने का अवसर दिया। अभी हमारे साथी विधायक हर्षवर्धन जी ने अपनी बात बड़े विस्तार से कही लेकिन

लगा कि मा0 मंत्री जी से वह क्या जानना चाहते थे, हम लोग खुद ही नहीं समझ पा रहे थे। हमारी सरकार में भी मा0 अखिलेश यादव जी ने इन्वेस्टर्स समिट की थी लेकिन इस इन्वेस्टर्स समिट में इतने धन की बरबादी हुई और क्या-क्या हुआ। यही ग्रुप आया था। सैमसंग हमारे समय में आये, वेदान्ता ग्रुप आया, अंबानी से लेकर जितनी भी कंपनी हैं और डा0 त्रेहान साहब का जो वेदान्ता अवध और एच0सी0एल0 भी आया, वह भी हकीकत में। माननीय मंत्री जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं। हम लोग इनके साथ रहकर इनके ज्ञान से पिछली सदन में लाभान्वित हो चुके हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि यह जो सपनों का संसार ये बसाये हुए हैं, वह कब तक धरातल पर उतरने वाला है ? कब तक जनता के साथ उसका तालमेल बनने वाला है और उससे कितने रोजगार मिलेंगे, कितने गांव, गरीब किसानों के खुशहाली और तरक्की होगी और जो खासकर डिफेन्स कोरीडोर इत्यादि पता नहीं क्या-क्या है। मान्यवर, ऐसे जटिल-जटिल शब्द खोजकर लाते हैं कि डिक्शनरी में तो मिलते ही नहीं।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा न हो तो आप कहेंगे कि असंसदीय बोल रहे हैं।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, हमने आपको भी पढ़ा है। आपके लेख भी हमारे समाजवादी बुलेटिन में छपते थे लेकिन मान्यवर, इनके जो शब्द आते हैं उससे ऐसा लगता है कि देश में सब कुछ पहली बार हो रहा है। जो ऊपर बैठे गांधी जी हैं ये भी इनके सामने कुछ नहीं हैं। इनका कहना है कि सब कुछ पहली बार हो रहा है। पहली बार बताये कि इनके होने से इतनी बड़ी बेरोजगारों की फौज देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार हो रही है। बेरोजगारी ने आज विकराल रूप ले लिया है और शिक्षा महँगी हो गई है। इनकी इस सम्मिट से जो हमारे गांव, गरीब, किसान और बेरोजगार हैं उनके लिए कितने रोजगार सृजन हो रहे हैं।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, 5-7 प्रश्न उधर से, 5-7 इधर से आये हैं। इस तरह से 8-10 प्रश्न हैं। मान्यवर, जैसा कि माननीय संग्राम सिंह जी कह रहे थे, जब ये सरकार में थे उस समय जब बोलते थे तो बहुत अच्छा बोलते थे मैं इनको सुनता था। यह बात सही है। लेकिन आपने कहा कि सपने देखते थे तो सपने को हकीकत में परिवर्तित करने का काम हमारी सरकार कर रही है (मेजों की थपथपाहट)।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा बीच में टोका-टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष-

सुन लीजिए अब वह सपनों पर बोल रहे हैं।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा बीच में टोका-टाकी करने पर)

श्री सतीश महाना-

मेरा निवेदन है कि सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी द्वारा आपको फिर अवसर मिलेगा तो फिर मैं उत्तर दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अभी वह कह रहे हैं कि तुमने न जाने क्या सपने दिखाए..

(सदन में हंसी)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बोला कि पहले भी इन्वेस्टर्स सम्मिट होती थी। मान्यवर, पिछले 15 साल में तीन जगह जिनको ये इन्वेस्टर्स सम्मिट कहते थे उससे बड़े रोड-शो हमने उसी जगह पर किये उसी हांल में किये। पहली बार मान्यवर, इण्डस्ट्रीज को लेकर सरकार सीरियस है। जब मैं कह रहा हूं कि पहली बार तो आई मीन इट पहली बार। यदि इस प्रकार का इन्वेस्टर्स सम्मिट इतिहास में पहले कभी हुआ हो तो खड़े होकर बता दीजिए। आगरा के जे0पी0 होटल में आपने किया था, वह वही किया था जो हम मुम्बई के ट्राईडन में करके आए थे और दिल्ली के ताज में करके आए थे। 15 साल में जो इन्होंने 3 किये थे और हमने भी 6 कर दिये हैं(मेजों की थपथपाहट)। मान्यवर, हमने इसको हर सेक्टरवाइज किया है। हमने 22 सेक्टोरियल सेशन किये थे, जिसमें भारत सरकार के वरिष्ठतम मंत्री आए थे, सारे अधिकारी आए थे। हर सेक्टर मिनिंगफुल और परपजफुल था। कभी ऐसा पहले हुआ हो तो आप बता दें कभी ऐसा नहीं हुआ है।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा बीच में टोका-टाकी करने पर)

अभी आप मुझे सुन लें फिर यदि आपको अवसर मिलेगा तो मैं फिर जवाब दूंगा। जहां तक मा0 सदस्य ने पहले और अब की बात की है मैं उस पर इसलिए कोई चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि ''बीती ताहि बिसार दें, आगे की सुधि लें।'' आगे अच्छा करें पिछला काला कब तक देखते रहेंगे। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था उसके संबंध में बताना है कि डिफेन्स कोरीडोर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 फरवरी को एनाउन्स किया। 21 फरवरी से अभी तक लगभग 6 महीने का समय हुआ है। 6 महीने में हमने बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे पर इसके लिए जमीन चिन्हित् कर ली। कल जो अनुपूरक बजट पास हुआ है उसमें डिफेन्स कोरीडोर के लिए 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था भी की है। उसके लिए यह नहीं कहा कि ये व्यवस्था करेंगे उसके लिए बजट में व्यवस्था कर दी और उसके लिए 3000 हेक्टेयर जमीन हम बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अंतर्गत चिन्हित् करके उसको खरीद रहे हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने बताया कि जिस समय नेवी की बात होती है, शिपिंग यार्ड की बात होती है, शिप से सम्बन्धित बात होती है वह वहां है, स्वाभाविक रूप से जिस समय ग्राउण्डफोर्स और एयरफोर्स की बात होती है तो देश में सबसे बड़े पी0एस0 यूज कानपुर महानगर में हैं। चाहे वह स्मॉल आर्म्ड फैक्ट्री से सम्बन्धित हों, चाहे पैराशूट से सम्बन्धित हों, चाहे डी0आर0डी0ए0 से सम्बन्धित हों, चाहे डी0एम0एस0आर0डी0 से सम्बन्धित हों, चाहे वह ऑर्डिनेन्स इक्यूपमेन्ट फैक्ट्री से सम्बन्धित हों, चाहे वह एच0ए0एल0 से सम्बन्धित हों, यह बहुत बड़ा डिफेन्स का पी0एस0 यूज कानपुर महानगर में है। इस नाते से यहां पर भी पूरे का पूरा इण्डिस्ट्रियल कॉरिडोर आएगा। हमने इतने कम समय में यह सारे कार्य किए और उसके लिए भारत सरकार ने 20 हजार करोड़ रूपये का एलोकेशन भी किया। इसे इतनी गम्भीरता से लिया गया कि इन चार महीनों में तीन बैठकें माननीय रक्षा मंत्री जी ने स्वयं उत्तर प्रदेश में आकर की। हमने तीनों सेनाओं के वरिष्ठतम अधिकारियों से लेकर अलग-अलग इण्डस्ट्रियलिस्ट के साथ मीटिंग की। कानपुर महानगर में बहुत सारी चीजें जो डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में आने वाली है जिसमें पहले डिफेन्स लाइसेंस लगाती थी उसे गर्वनमेण्ट ऑफ इण्डिया ने डिलाइसेंस करने का काम किया है। उससे सम्बन्धित एक विस्तृत प्रदर्शनी हम इण्डस्ट्रियलिस्ट के साथ और डिफेन्स पी0एस0 यूज के साथ लगाने जा रहे हैं जिससे इण्डस्ट्रियलिस्ट को पता चल सके कि कौन-कौन सी चीजें वह मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मान्यवर, अब ग्राउण्ड रियेलिटी पर आते हैं कि

इण्डस्ट्री कैसे लगे? बातचीत करना बहुत आसान है, यहीं हमारे माननीय सदस्य संग्राम सिंह जी बैठे हुए हैं जिस समय मैं वहां बैठकर पूछता था कि इण्डस्ट्रियल पॉलिसी क्या है तो माननीय मुख्य मंत्री जी उपस्थित भी रहते थे वह जिनको उत्तर देने के लिए कहते थे वह कहते थे कि इसको पढ़ लीजिए इसके अलावा हमको नहीं मालूम है। मान्यवर, जिनको पॉलिसी नहीं मालूम होती थी वह इण्डस्ट्री के बारे में क्या बातचीत करेंगे? अब एक इण्डस्ट्रियलाइजेशन का नया दौर, नया युग प्रारम्भ हुआ है। उत्तर प्रदेश में इण्डस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा उसमें मैं आप सब लोगों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं, धन्यवाद।

नेता विराधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी मित्र हैं, पहली बार इन्होंने इतना ढिंढोरा पीटा है और पूरे देश में ढिंढोरा पीटा है। पैसे का भी बहुत बड़ा दुरूपयोग हुआ। आगरा में जो समिट हुआ था उसमें ढिंढोरा नहीं पीटा गया। काम के लिए उनको आमंत्रित किया गया था जिसके कारण यह हुआ कि सैमसंग ने नोएडा में अपना प्लांट लगाया जिसको आप प्रचारित कर रहे हैं। मेदान्ता ने यहां हांस्पिटल बनाया है, महिन्द्रा ने आपकी ही समिट में कहा कि पिछली सरकार के समय से मैं यहां पर काम कर रहा हूं, और कई उद्योगपतियों ने कहा।

(सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों के टोका-टाकी करने पर)

उत्तर आप देंगे कि वह देंगे। आपका भी नम्बर आएगा, और विस्तार होने वाला है। हम लोग भगवान से कामना करते हैं कि हमारे जितने योग्य नए सदस्य आएं हैं उनको भी मौका मिल जाये। मान्यवर, असल सवाल है काम का, ढिंढोरा पीटने का और पैसे का दुरूपयोग करने का। आपने प्रचार में, विज्ञापन में पैसे का दुरूपयोग किया। देश के प्रत्येक बड़े शहर में आपने रोड शो किये, फाइव स्टार होटल में आपके सब अधिकारी रूके, कैसे रूके, कहां रूके। जितना पैसा खर्च हुआ उतना ही जोड़ दिया जाये तो उसी पैसे से यहां चार उद्योग आप यहां लगा सकते थे। कौन-सा बैंक है जो फाइनेंस करेगा? सब बैंक तो घाटे में चले गये। कोई ऐसा बैंक है जो घाटे में नहीं गया है, तो यह सब कहने की बात है। 2019 का चुनाव आ रहा है एक भी उद्योग 2019 से पहले लग जाये तो आप हमसे बताइयेगा क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री जी 2022 तक कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप पूछ क्या रहे हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपको बधाई हो कि आपने उत्तर प्रदेश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा होटल में, प्रचार में और होर्डिंग में इतना खर्च किया जबकि एक भी उद्योग का अभी तक जमीन पर शिलान्यास नहीं हो सका है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपके मंत्री जी खड़े हैं और आप चिल्ला रहे हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं बहुत वेदना के साथ कह रहा हूं कि मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की बात से पूर्ण रूप से असहमत हूं। बात यह है आपने स्वागत किया और आपने कहा कि इन्होंने पैसे वेस्ट किये।

श्री अध्यक्ष-

इनको बुलाये थे कि नहीं आप ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैंने बुलाया था, मैं स्वंय गया था और मैनें स्वंय इनको निमंत्रण दिया, टेलीफोन से भी बात की। सभी से बात की और माननीय पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास भी गया और मैनें सबको बुलाया था और मुझे अच्छा लगता कि ये वहां पर आते लेकिन ये आये नहीं। क्योंकि जो इन्होंने किया वह कभी हकीकत के ऊपर उतरा ही नहीं और मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय आगरा समिट किया था तो पूरे लखनऊ में होर्डिगं लगाये थे कि 80 हजार करोड़ रूपये के एम0ओ0यू0 साइन किये गये हैं। यह मेरे को याद है और उसका सारा जवाब है मेरे पास। यह जो बता रहे हैं तो उसका यह जवाब है कि पिछले 5 सालों में और पिछले 15 साल मिला लें, चूँकि इस समय दोनों आपस में मिले हुये हैं तो इसलिये दोनों को मिलाकर बात करेंगे। तो इनके 15 सालों में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ था उससे ज्यादा इन डेढ़ सालों में हो चुका है। आपने यह भी पूछा कि कौन-कौन सी इंडस्ट्री आई है और कौन-कौन सी इंडस्ट्री का भूमि पूजन हुआ है। तो शायद यह गलती हमारे से जरूर हुयी कि हमने भूमि पूजन को ग्राउन्ड ब्रेकिंग सेरेमनी कह दिया। मुझे मालूम नहीं था कि नेता प्रतिपक्ष ग्राउन्ड ब्रेंकिग को भूमि पूजन नहीं समझते होंगे नहीं तो मैं भूमि पूजन भी उसमें लिखवा देता कि ग्राउन्ड ब्रेकिंग को हिन्दी में भूमि पूजन कहा जायेगा या उसको शिलान्यास कहा जायेगा। मान्यवर, जिस समय हमने 81 यूनिट्स की बात कही तो इनका भूमि पूजन करके जमीन पर हकीकत में इंडस्ट्री शुरू हो गयी। मेरे पास 81 की लिस्ट है आप बोलो तो मैं एक तरफ से पढ़ दूं। अगर आप वहां आते तो आपको किताब दे देता। अभी भी आप कहो तो मैं आपको किताब भिजवा दूं। मान्यवर, मैं यह किताब सभी को भिजवा दूंगा। मान्यवर, यह जो 81 यूनिट्स हैं, उनका भूमि पूजन करके कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। दूसरी बात, सैमसंग को लेकर यहां पर बहुत सारी चर्चा की गयी। यहां भी की गयी और बाहर भी की गयी। मान्यवर, 19 मार्च को जिस समय सरकार बनी थी 22 तारीख को मान्यवर, हम लोगों को विभाग आवंटित हुये। 23 तारीख को मेरे पास सैमसंग के वाइस प्रेसीडेंट का मैसेज आया कि हमारे कुछ कन्सर्न्स हैं आप इंडस्ट्री मिनिस्टर बने हो तो हम उनसे बातचीत करें। मैनें 23 तारीख को उनका मैसेज देखा नहीं था और 24 तारीख को उनको टेलीफोन करके पूछा कि क्या कन्सर्न्स हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 06 महीने से हम इतना परेशान हो गये हैं कि हम उत्तर प्रदेश छोड़कर जाना चाहते हैं। मैनें कहा कि आपको उत्तर प्रदेश छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि हमारी स्टैम्प ड्यूटी का काम नहीं हुआ, हमारे यह काम नहीं हुये। मैनें कहा कि आप परेशान नहीं हो हम आपको उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ने देंगे। मान्यवर, 07 दिन के अंदर

मैनें माननीय मुख्य मंत्री जी से समय लेकर इनकी मीटिंग करा दी और 15 दिन में उनके सारे कन्सर्न पूरे कर दिये। 1890 करोड़ का एम0ओ0यू0 जिन्होंने पहले साइन किया था, उन्होंने मान्यवर, हमारे इस काम की तेजी को देखकर डेढ़ महीने के अंदर 4915 करोड़ रूपये का एक्स्टेंशन प्लान दे दिया। मान्यवर, जब उन्होंने एक्स्टेंशन प्लान दिया तो हमने मान्यवर, उसको एक महीने के अन्तर्गत इम्पावर कमेटी से पास कराके कैबिनेट में पास कर दिया। उसके बाद 07 जून 2017 को मैं मान्यवर, स्वंय वहां पर उपस्थित था, हमारे राज्यमंत्री माननीय राणा जी थे, भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी थे, योजना आयोग के चेयरमैन थे। हमने मान्यवर, वहां पर भूमि पूजन किया खाली जमीन पर, जिस पर विवाद था उस विवाद को खत्म करके। 07 जून, 2017 को जो भूमि पूजन किया था वहीं इस साल जुलाई में देश की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्टरी का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और वहां पर काम हो रहा है तो मान्यवर, यह था इनका काम। यह मान्यवर सिर्फ फोटो खिचाते थे और फोटो खिंचाने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। हम ग्राउन्ड रियलिटी पर इंडस्ट्रीज को उतारेंगे और इंडस्ट्रलाइजेशन का नया दौर, नया युग उत्तर प्रदेश में शुरू होगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जिस सैमसंग की बात कर रहे हैं उसका उद्घाटन हो चुका था। काम भी शुरू हो गया था। मेदान्ता का हास्पिटल तैयार है। बहुत सारे उद्योग यहां पर लग चुके थे। उसी का तो सब जगह घूम-घम करके यह फीता काट रहे हैं। मेट्रो को और हमारे आगरा से लखनऊ तक के एक्सप्रेस-वे को सबसे बढ़िया दिखाया कि देखो मैंने कितना बढ़िया काम किया है, उद्योगपति आओ। एक्सप्रेस-वे का और मेट्रो का कि देखो मैंने कितना बढ़िया मेट्रो चला दिया है और एक्सप्रेस-वे बना दिया है। इसलिये तुम हमारे यहां उद्योग लगाओ। माननीय अध्यक्ष जी, जनता अब चालाक हो गई है, मंत्री जी, 17 के चुनाव के पहले एक नेशनल हाईवे के लिए एक माननीय केन्द्रीय मंत्री जी ने चार जिलों में भूमि पूजन किया, एक खांची मिट्टी भी उस पर आज तक नहीं गिरी। हम जवाब, सवाल में नहीं जाते हैं, हम देख रहे हैं और आपको जान भी रहे हैं, आपकी नीतियों को भी जान रहे हैं। भगवान करे, आप जैसे मित्र आदमी हों, कुछ उद्योग लग जाये। हम आपको तो बदनाम कर नहीं रहे हैं, आपकी नीतियों को बदनाम कर रहे हैं। (हॅसी) आप तो मित्र हैं ही, सारा तो उद्घाटन किया, अरे, अभी तो किया आलमबाग बस स्टेशन का आप ही ने किया, वह भी आप ही बनाये थे। (हंसी) वह तो हम भी बनाये थे, जो स्टेडियम बन कर तैयार है, जानबूझकर उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, वह आप ही बनाये हैं। वेदान्ता हांस्पिटल बन कर तैयार है, उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, वह आप ही बनाये हैं? बनाया अखिलेश जी ने और काटिए आप, यह भी एक उद्योग आ गया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष की, उन्होंने एक बात जो कही है, मैं केवल उसका उत्तर देकर बैठ जाऊंगा, इन्होंने कहा कि जनता अब चालाक हो गई है, समझदार हो गई है, यही कहा न? मान्यवर, अगर जनता समझदार हो गई है, तभी तो यह यहां पर आये हैं। (हंसी)

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय अजय जी, बैठिये।

प्रदेश में मझवार, केवट, मल्लाह आदि जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने हेतु

***7-श्री विजय मिश्र तथा डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने भारत की अनुसूची में मझवार, केवट, मल्लाह आदि जातियों को अनुसूचित जातियों में सम्मिलित किया था एवं उसी आधार पर प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त सूचना के सम्बन्ध में दिया गया स्थगनादेश उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या-2129/2017 के अन्तर्गत वापस ले लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त आदेश वापस लेने से मल्लाह सहित अन्य जातियों को न तो अनुसूचित जातियों का लाभ मिल रहा है और न ही अन्य पिछड़ा वर्ग का लाभ मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जातियों को अनुसूचित जातियों में सम्मिलित करने का कोई शासनादेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

भारत सरकार के राजपत्र अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) एक्ट-1976 में उ0प्र0 के लिये जारी अनुसूचित जाति की सूची में क्रमांक-53 पर मझवार जाति को सूचीबद्ध किया गया है।

केवट, मल्लाह प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित हैं। शासनादेश संख्या-234/2016/279सी0एम0/26-3-2016-3(15)/2007, दिनांक 22-12-2016 द्वारा केवट मल्लाह सहित 17 पिछड़ी पिडड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की सुविधायें प्रदान किये जाने हेतु परिभाषित किया गया था, परन्तु जनहित याचिका संख्या-2129/2017 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 24-01-2017 के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 27-01-2017 द्वारा उक्त शासनादेश को स्थगित कर दिया गया है। सम्प्रति प्रश्नगत जनहित याचिका अभी भी मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

जी नहीं।

जो जातियां अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं उन जातियों को अनुसूचित जाति का लाभ तथा जो जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध हैं उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों का लाभ अनुमन्य है।

किसी भी जाति को अनुसूचित जाति/जनजाति में सम्मिलित करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद-341 एवं 342 के तहत भारत सरकार में निहित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

यह तो उत्तर स्पष्ट है, क्या कुछ विजय जी पूंछेंगे ?

श्री विजय मिश्र-

मान्यवर, भारत सरकार ने अनुसूची में मझवार, केवट, मल्लाह आदि जातियों को अनुसूचित जातियों में सम्मिलित किया था, उसी के आधार पर प्रदेश सरकार ने चुनाव के समय इसमें लाभ लेने के लिए जारी किया, उससे मतलब नहीं, जो भारत सरकार सेंसेस ऑफ इण्डिया, 1961 एपेंडीज ऑफ सेंसेस मैनुअल पार्ट वन फॉर उत्तर प्रदेश इश्यूड बाई सुप्रिटेंडेंट सेंसेस ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ सितम्बर, 1960, 1951 में मझवार को अनुसूचित जाति में जारी किया गया था, जैसे भिन्न-भिन्न जातियां हैं, उसकी कापी है, अब शायद आपने कह दिया कि 1976 में उसे रद्द कर दिया गया है। 1961 में भारत सरकार ने जारी किया था 1951 पर मझवार जिसमें हैं माझी डिस्ट्रिक्ट उन्नाव, प्रतापगढ़, मुजादी इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बदायूं, राज, गोंड इन डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर, मल्लाह आगरा एटा उन्नाव लखनऊ, केवट डिस्ट्रिक्ट उन्नाव गोंडा मिर्जापुर। यह सूची गलत है क्या, जो भारत सरकार ने 1961 में जारी किया है, जिसमें मल्लाह केवट के साथ इन जातियों को उन्होंने अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया था। जब चुनाव आता है समय-समय पर।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न क्या है ?

श्री विजय मिश्र-

पूर्व की सरकार ने उनको अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया जिसके कारण न आज वह अनुसूचित जाति में रह गये हैं और न आज वह ओ0बी0सी0 में रह गये हैं त्रिशंकु की तरह बीच में लटके हुए हैं। हमारे जनपद भदोही में उनका सर्टिफिकेट न तो अनुसूचित जाति का जारी हो रहा है और न ओ0बी0सी0 का जारी हो रहा है जबकि दिल्ली में तमाम जो मल्लाह केवट हैं इनको एस0सी0 का सर्टिफिकेट जारी हो रहा है और आपके विधान सभा में कई लोग मंत्री हैं वहां से सर्टिफिकेट जारी करा करके।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न क्या है ?

श्री विजय मिश्र-

प्रश्न यही है कि इनका सर्टिफिकेट अनुसूचित जाति का जारी होगा या नहीं और यदि नहीं होंगे तो इन 17 जातियों, जिनका आपने नाम लिया है, मा0 नेता सदन ने कहा भी है कि अति पिछड़े को सर्टिफिकेट जारी करेंगे। जो अति पिछड़ी 17 जातियां हैं उनको आप 10 परसेंट, 15 परसेंट आरक्षण जारी कर दीजिए इससे न तो अनुसूचित का झगड़ा रह जायेगा और न ओ0बी0सी0 का, यह आरक्षण उसी ओ0बी0सी0 में दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

यह मामला तो मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री रमापति शास्त्री-

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश जारी हो गया है इसलिए जब तक उसका निर्णय नहीं आ जाता तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं।

श्री विजय मिश्र-

मान्यवर, जो आपने अभी याचिका बताई, याचिका सं0-2129/2017 में स्थगन था, यह याचिका वापस ले ली गई है 2017 में, इसे आप फिर से देख लें स्टेटे वैकेट हो गया है, हमारी जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय में कुछ भी नहीं है।

श्री रमापति शास्त्री-

हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है।

श्री विजय मिश्र-

आप मान लीजिए अगर न्यायालय में है तो उसकी पैरवी की जाय, सरकार भी पैरवी करे आप भी करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मा0 मंत्री जी अध्ययन कर लेंगे।

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न भी है।

श्री रमापति शास्त्री-

आप हमारे साथ कभी आ करके बैठ जाइयेगा, हम दिखवा लेंगे।

श्री विजय मिश्र-

दिखवाना क्या है, आप इनको आरक्षण तो जारी कीजिए बेचारे लटके हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें, अब आप क्यों पूछ रहे हैं।

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

मेरे विधान सभा क्षेत्र में अहेरिया समाज के लोग जो कुछ समय पहले प्रमाण-पत्र शिड्यूल कास्ट का लेते थे परन्तु आज उन्हें न तो प्रमाण-पत्र शिड्यूल कास्ट का मिल रहा है और न ओ0बी0सी0 का मिल रहा है तो कुछ न कुछ निश्चय कर दिया जाय कि वह एस0सी0 में हैं या ओ0बी0सी0 में हैं। लगभग चार हजार लोग मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें आपकी बात आ गई है, इस विषय पर मा0 मंत्री जी अध्ययन कर रहे हैं।

(मा0 मंत्री जी के उत्तर पढ़ने के साथ ही श्री मुकेश चन्द्र वर्मा के खड़े होने पर)

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न मिश्रा जी के साथ ही लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

उस पर उत्तर आ तो गया है।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, अब अगला प्रश्न लिया जा चुका है।

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, सेंसर रिपोर्ट 1960 बनती है और इसमें मझवार जाति पूरे प्रदेश में मिलती है और मझवार जाति के सर्टिफिकेट पहले इश्यू होते थे। केवट, कहार, मल्लाह, मझवार ये पूरे प्रदेश में हैं। 51 नम्बर पर यह अंकित है कि मझवार इन डिस्ट्रिक्ट उन्नाव एण्ड प्रतापगढ़ मजहवी इन डिस्ट्रिक्ट बदायूँ राजभर इन डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर, मल्लाह इन डिस्ट्रिक्ट आगरा, एटा, उन्नाव एण्ड लखनऊ, केवट इन डिस्ट्रिक्ट उन्नाव और गौड़ एवं मझवार पूरे प्रदेश में हैं। पूर्व के समय में पूरे प्रदेश में मल्लाहों की आबादी लगभग दो करोड़ है, माझी, मझवार का रोटी-रोजी का सम्बन्ध है। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि अभी तक पूरे प्रदेश में कितने मझवारों के प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं और अगर पूर्ववर्ती सपा की सरकार ने इन जातियों को कैसे ओ0बी0सी0 में लाए और कैसे इनको एस0सी0 में कर दिया, जबकि भारत सरकार के रिपोर्ट के अनुसार ये जातियां आलरेडी पहले से ही एस0सी0 में आती हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आप बैठिये, आपका विषय आ गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मा0 देवेन्द्र जी और मा0 सदस्य फिरोजाबाद ने जो विषय उठाया है, इस संबंध में मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस संबंध में पहले से ही निर्देश हैं कि उनको प्रमाण-पत्र जारी किये जाएं और आगे हम प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए निर्देशित कर देंगे। मा0 विजय मिश्र जी के प्रश्न के संबंध में बताना चाहता हूं कि हम अति पिछड़ा, अति दलितों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील हैं और इस संबंध में जो न्यायालय का फैसला होगा, उसको लागू किया जायेगा और आगे भी हम उनको उनके अधिकार दिलाने के प्रति पूरी संवेदना दिखाएँगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(श्री पूरन प्रकाश के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, कोई चर्चा नहीं हो रही है। मा0 मन्त्री जी उत्तर दे चुके हैं, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं।

श्री पूरन प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए मुझे भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आपका उत्तर आ गया है अब आप बैठ जाइये। आपको जो कुछ कहना है हमको लिखित में दे दीजिए, मैं सरकार से कह दूंगा। इसके बावजूद अगर आप का बोलने का मन है तो बोलिये, आगे का सवाल नहीं हो पायेगा।

श्री पूरन प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में दो व्यवस्था है, एक बघेल समाज है जो पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र लेकर जिला पंचायत का चुनाव लड़ता है।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न करने के लिए आपको अनुमति देता हूं प्रश्न करिये, आप क्या जानना चाहते हैं ?

श्री पूरन प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में धांगर जाति के गलत प्रमाण-पत्र जारी किये गये है।

श्री अध्यक्ष-

यह आप सूचना दे रहे हैं प्रश्न कहां कर रहे हैं ?

श्री पूरन प्रकाश-

अनुसूचित जाति में वह जाति नहीं आती है।

श्री अध्यक्ष-

आप पुनः सूचना दे रहे हैं, प्रश्न नहीं कर रहे हैं, यह प्रश्न काल है।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आपकी पूरी बात कैसे होगी, जब आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं।

श्री रमापति शास्त्री-

अब बैठ जाइये, मैं आप का प्रकरण दिखवा लूँगा।

श्री अध्यक्ष-

आपका पूरा मामला देख लिया जायेगा।

प्रदेश के दिव्यांग युवा बेरोजगारों को कौशल विकास विभाग के तहत प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराने विषयक

***8-सुश्री अदिति सिंह-**

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के दिव्यांग युवा बेरोजगारों को कौशल विकास विभाग के तहत प्रशिक्षित करके उन्हें स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए

सरकार द्वारा कोई योजना बनाकर वर्तमान में लागू की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा ऐसी प्रोत्साहनपरक कोई योजना बनायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल, युवा कल्याण तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री (श्री चेतन चौहान)-

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित निम्नलिखित कौशल विकास प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत 3 प्रतिशत लक्ष्य दिव्यांग युवाओं के लिए मात्राकृत किये गये हैं जिसका उद्देश्य दिव्यांग युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना है :--

1-दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल-योजना,

2-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना,

3-स्टेट स्किल डेवलपमेंट फन्ड,

4-बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम,

5-मल्टी सेक्टोरल डेवलमेंट प्रोग्राम,

6-बिल्डिंग एण्ड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स प्रशिक्षण योजना,

7-स्पेशल सेन्ट्रल एसिस्टेंस टू शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान।

उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के पत्रांक-573/कौ0वि0मि0/2017-18/एस0/उ0प्र0शासन/93, दिनांक 13-06-2017 द्वारा दिव्यांग युवाओं के लिये निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समस्त प्रशिक्षण प्रदाताओं को निर्देश भी निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कौशल विकास प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्त योजनाओं में पूर्व से ही दिव्यांग युवाओं के लिये 03 प्रतिशत लक्ष्य मात्राकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

सुश्री अदिति सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 मन्त्री जी से पूछना चाहती हूं कि एक केन्द्रीय योजना है दीन दयाल डिसएबल रिहेबिलिटेशन, जिसमें प्रत्येक वर्ष जो फण्ड आता है अंडर यूटिलाइज्ड आता है, इसका क्या कारण है और क्या सरकार इस पूरे फण्ड को यूटिलाइज्ड करने का प्रयास करेगी? मेरा दूसरा प्रश्न है कि आर0सी0आई0 के मुताबिक हर दस दिव्यांग बच्चों पर एक स्पेशल एजुकेटेज्ड होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में इस समय कितने स्पेशल एजुकेटेज्ड हैं। मेरा तीसरा सवाल है इस समय कितनी योजनाएं हैं जिसमें चार फीसदी आरक्षण दिव्यांग जनों के लिए सरकारी नौकरी में

तय है और इसमें कितने पद रिक्त हैं। मेरा चौथा सवाल है कि जो कौशल विकास केन्द्र आपने अपने जवाब में लिस्ट किये हैं, उनमें से कितनों के पास फैसिलिटीज हैं जो दिव्यांग जन हैं उनमें से कितनों के पास फैसिल्टीज हैं, जो दिव्यांग जन डिसेबिल जन हैं उनको फैसिलटेट करने के लिए आपके पास किस रूप में फैसिल्टीज हैं? मेरा पांचवा प्रश्न है कि क्या सरकार हर जिले में स्पैशलाइज्ड प्रशिक्षण केन्द्र दिव्यांग और डिसेबिल जनों के लिए खोलने पर विचार करेगी ?

श्री चेतन चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीया सदस्य को बताना चाहूंगा कि कौशल विकास में जो कार्यक्रम चलते हैं वह प्राईवेट ट्रेनिंग पार्टनर के माध्यम से चलते हैं। हमारी शकुन्तला मिश्रा यूनिवर्सिटी से बातचीत चल रही है, उनके साथ हम लोगों ने एक एग्रीमेण्ट किया है और हमारी कोशिश यह हो रही है कि जो हमारे ट्रेण्ड टीचर्स हैं उनको हम वहां पर भेजें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह कार्यक्रम 2014 से चल रहा है। 2014-2015 में दो दिव्यांग इनरोल्ड किये थे और दो को ट्रेनिंग दी गयी, 2015-2016 में 22 दिव्यांग इनरोल्ड हुये, 17 को ट्रेनिंग दी गयी है। 2016-17 में 27 दिव्यांग इनरोल्ड हुये थे 27 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। 2017-18 की बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जबसे यह सरकार आयी है तब से हमने दिव्यांगों के लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाये हैं और यहां पर 275 दिव्यांग इनरोल्ड हुये हैं और 247 को ट्रेनिंग दी है और 102 बच्चों का हम लोगों ने प्लेसमेंट भी कराया है। कौशल विकास का लगातार प्रोग्राम चल रहा है। सारे जिलाधिकारियों को हमने पत्र लिखा है कि जो हमारे 75 जिलों में लगभग 1700 सेण्टर्स चल रहे हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा दिव्यांगों को भेजा जाये जिनको हम लोग ट्रेनिंग दे सकें और उनका प्लेसमेंट भी करा सकें।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।[†]

प्रदेश में प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015 से 2018 तक युवाओं को प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार प्रदान करने का विवरण

***9-श्री संजय गर्ग-**

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 में उद्योग लगाने के लिये कुल कितने प्रस्ताव हुये हैं, उसमें से कितने स्वीकृत हुये तथा कितने युवाओं को प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार प्रदान किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] नोट :--नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न संख्या-08 के उपरान्त प्रश्नो का समय समाप्त हुआ।

खादी ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री (श्री सत्य देव पचौरी)-

प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत उद्योग लगाने के लिये वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 में प्राप्त/बैंको को संस्तुत/स्वीकृत एवं प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार सृजन का विवरण निम्नवत् है-

वर्ष	प्राप्त प्रस्ताव	बैंको को संस्तुति	स्वीकृत	रोजगार सृजन
2015-16	38887	15767	4339	42369
2016-17	46235	11565	3766	38433
2017-18	73405	33268	5448	43584
योग-	158527	60600	13553	124386

जी हां। विवरण उपर्युक्तानुसार अंकित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राकृतिक आधार पर जल को एकत्र/संकलित करने की योजना

***10-चौ0 उदयभान सिंह-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि योग्य भूमि जो ढलान पर है में प्राकृतिक आधार पर जल को एकत्र/संकलित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

जी हां।

वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर डॉप मोर क्रॉप-अदर इन्टरवेन्शन घटक) के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षा जलसंचयन हेतु खेत तालाब योजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 5000 खेत तालाब का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत प्रदेश के अन्य 18 जनपदों के अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में भी 161 खेत तालाबों का निर्माण प्रस्तावित है। इस प्रकार वर्ष 2018-19 हेतु प्रदेश में कुल 5161 खेत तालाब के निर्माण की योजना संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नये विश्वविद्यालय की स्थापना करने विषयक

***11-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

क्या कृषि शिक्षा एवं अनुसन्धान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नये कृषि विश्वविद्यालय खोलने की सरकार की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय क्षेत्र में 04 कृषि विश्वविद्यालय, (कृषि एवं प्रौद्यागिक विश्वविद्यलय, कानपुर/फैजाबाद/मेरठ/बांदा) स्थापित हैं। जनपद आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस), जनपद गोण्डा में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) तथा जनपद लखीमपुर खीरी में कृषि महाविद्यालय निर्माणाधीन है, जिनमें निर्धारित मानकों की पूर्ति की कार्रवाई की जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में अन्य कृषि विश्वविद्यालय खोलने का औचित्य नहीं पाया गया है।

***12-श्री रितेश पाण्डेय-**

[6 शुक्रवार के ता0प्र0सं0-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

***13-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में पात्र वृद्ध नागरिकों को आनलाइन वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन में आधार कार्ड की बाद्धता को शिथिल करने हेतु

***14-श्री मनीष असीजा-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे गरीब अशक्त एवं वृद्ध नागरिक हैं, जिनके हाथों/अंगूठों की रेखायें घिस जाने के कारण आधार कार्ड बनवाने से वंचित रह जाने के कारण इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त समस्या से ग्रस्त पात्र वृद्ध नागरिकों के आनलाइन वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन में आधार कार्ड की बाध्यता को शिथिल करने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मा0 मुख्य मंत्री, समाज कल्याण मंत्री एवं प्रमुख सचिव, समाज कल्याण को प्रेषित पत्र संख्या क्रमशः क-6 नं0 037543, क-6 नं0 037544 एवं क-6 नं0 037545, दिनांक 07-04-2018 को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

जी हां।

प्रदेश में ऐसे गरीब अशक्त एवं वृद्ध नागरिकों जिनके हाथों/अंगूठों की रेखायें घिस जाने के कारण उनके आधार कार्ड नहीं बन पर रहे हैं एवं वे वृद्धजन आनलाइन आवेदन करने में आधार कार्ड की अनिवार्यता के परिणाम स्वरूप वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ से वंचित हो रहे है, को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश सं0-290/26-2-2018-100(2)/2007, दिनांक 15 फरवरी, 2018 में आधार कार्ड की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए उसे ऐच्छिक कर दिया गया है, ताकि पात्र वृद्धजनों को योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में तैनात कर्मचारियों को आवास आवांटित किये जाने की प्रक्रिया विषयक

***15-श्री पारसनाथ यादव-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तैनात कर्मचारियों को राज्य सम्पति विभाग द्वारा आवास आवंटन हेतु आवेदन करने तथा आवास आवंटित किये जाने की प्रक्रिया क्या है ? क्या सरकार उक्त आवंटन का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

राज्य सम्पति विभाग द्वारा लखनऊ में तैनात कर्मचारियों को उनके द्वारा नियमानुसार आवेदन किए जाने पर राज्य सम्पिति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम, 2016 एवं राज्य सम्पति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन नियमावली, 2016 के अन्तर्गत आवास आवंटित किए जाते हैं। जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् है :--

नियम-3(1) 'ऐसा कोई कर्मचारी/अधिकारी, जिसे किसी भवन की आवश्यकता हो, लखनऊ में अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 30 दिन के भीतर राज्य सम्पति अधिकारी को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा।

नियम-3(2) उपनियम (1) के अधीन प्राप्त अधिकारियों के आवेदन पत्रों की संवीक्षा राज्य सम्पति अधिकारी द्वारा किया जाएगा और प्रत्येक प्रकार के भवन के सम्बन्ध में अलग-अलग सूची आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तैयार की जाएगी।

नियम-3(9) किसी कैलेन्डर मास के बीसवें दिन तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर उत्तरवर्ती मास में विचार किया जाएगा।

नियम-4(1) नियम-3 के उपनियम (6) से भिन्न सरकारी सेवकों की स्थिति में भवनों की उपलब्धता के अनुसार नियम-4 के अधीन एक सूची तैयार करने के पश्चात् निम्नलिखित शर्तों के अधीन भवन आवंटन पर विचार किया जाएगा :--

नियम-4(1)(एक) राज्य सम्पति अधिकारी किसी आवेदक को उस प्रकार के भवन से जिसका वह पात्र है, उच्चतर प्रकार का भवन आवंटित नहीं करेगा।

नियम-4(1)(दो) राज्य सम्पति अधिकारी किसी आवेदक के अनुरोध पर उस प्रकार के भवन जिसके लिए वह पात्र हो, से निम्नतर प्रकार का भवन आपवादिक परिस्थितियों में आवंटित कर सकता है।

नियम-4(2) आकस्मिक परिस्थियों में जो लिखित रूप से अभिलिखित की जाएगी, राज्य सम्पति अधिकारी किसी आवंटित का विद्यमान आवंटन रद्द कर सकता है और उसे उसी प्रकार का या आवंटिती के अध्यासन में जिस प्रकार का भवन है ठीक उसके नीचे का वैकल्पिक भवन आवंटित करेगा, यदि आवंटिती के अध्यासन से भवन को रिक्त कराना अपेक्षित हो।

राज्य सम्पति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों के आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने तथा कार्य निस्तारण में गति लाए जाने के उद्देश्य से प्रथम चरण में राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के आवास आवंटन हेतु दिनांक 16 जुलाई, 2018 से ई-आवंटन प्रणाली प्रारम्भ कर दी गई है।

जी हां। राज्य सम्पति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम, 2016 एवं राज्य सम्पति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन नियमावली, 2016 एवं अन्य सुसंगत आदेशों की प्रतियां संलग्न[†] हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] छापा नहीं गया।

प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं के लिये स्वीकृत आवासीय स्कूल एवं धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में

***16-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं के लिए आवासीय स्कूल योजना बनाई है ? यदि हां, तो इसका प्रारूप क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के किन-किन जनपदों को उक्त योजना हेतु चिन्हित किया गया है तथा कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ? क्या सरकार उक्त का ब्योरा उपलब्ध कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान में कुल 28 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बालिकाओं हेतु स्वीकृत हैं।

शासनादेश संख्या-114/2015/आर-110 वी0आई0पी0/26-3-2015-246सी0एम0/2015, दिनांक 06-10-2015 की व्यवस्थानुसार राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का कक्षा-6 से 12 तक नवोदय विद्यालय पैटर्न पर संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में जनपद-बिजनौर, लखनऊ, रायबरेली, लखीमपुर-खीरी, सीतापुर (02 विद्यालय), बाराबंकी, अम्बेडकरनगर, अमेठी, बदायूं, संतकबीरनगर, कौशाम्बी (02 विद्यालय), चित्रकूट, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, सहारनपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, गाजियाबाद, जौनपुर, बरेली एवं गाजीपुर में राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय संचालित हैं इन विद्यालयों के संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 1848.112 लाख की धनराशि सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारियों के निवर्तन पर व्यय हेतु रखी गयी है।

कुल 94 संचालित विद्यालयों में 30 प्रतिशत विद्यालय बालिकाओं हेतु चिन्हित है, जिनका विवरण उपरोक्तानुसार है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के प्रत्येक ब्लाक में खेल का मैदान विकसित करने के सम्बन्ध में

***17-श्री नफीस अहमद-**

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के हर ब्लाक में खेल का मैदान विकसित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के हर ब्लाक में खेल का मैदान विकसित करने की प्रदेश सरकार की कोई योजना नहीं है।

प्रदेश के किसानों के विभिन्न उत्पादों यथा- फल-सब्जी आदि का मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में

***18-श्री नाहिद हसन-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कृषकों को उनकी विभिन्न फसलों व बाय प्रोडक्ट का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए तथा बढ़ती हुई मंहगाई के सापेक्ष उनकी उपज का रेट निर्धारण करने हेतु सरकार के पास क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

खरीफ तथा रबी मौसम की प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा की जाती है। प्रदेश के किसानों को उनकी कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा गठित मूल्य परामर्शदात्री परिषद् द्वारा भारत सरकार को फसलों के सहायक मूल्य संस्तुत किए जाते है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में इण्डस्ट्रीयल एरिया खोले जाने विषयक

1-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद जो कि लखनऊ से 54 कि0मी0 दूर है, में इण्डस्ट्रियल एरिया खोले जाने/स्थापना किए जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी नहीं।

तहसील महमूदाबाद जनपद सीतापुर के समीप औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु ग्रामीण क्षेत्र से लगी भूमि औसतन दर रु0 30,00,000/- प्रति हैक्टेयर तथा उसके पीछे की भूमि का औसतन दर रु0 17,00,000/- प्रति हैक्टेयर है, जो कि जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा निर्धारित दर है। यदि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो सड़क के किनारे की भूमि औसतन दर रु0 1.20 करोड़ सर्किल दर का चार गुना प्रति हेक्टेयर तथा पीछे की भूमि का औसतन दर रु0 68.00 लाख सर्किल दर का चार गुना प्रति हेक्टेयर उपलब्ध हो सकेगी, जिससे विकसित होने के पश्चात् विपणन की दर रु0 3500/- प्रति वर्गमीटर के आसपास होगी, महमूदाबाद क्षेत्र मुख्य राज्य मार्ग पर स्थित नहीं है। समीपस्थ यूपीएसआईडीसी का इण्डस्ट्रियल एरिया कुर्सी रोड पर स्थित है। जहां औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध हैं। उक्त के आलोक में महमूदाबाद में विपणन की सम्भावनाएं उपरोक्त विपणन दर पर अच्छी नहीं हैं।

जनपद हाथरस के वि0स0 क्षेत्र सिकन्द्राराऊ के ब्लाक सिकन्द्रराऊ के ग्राम लिहा आलमपुर में क्रीड़ास्थल के नाम पर अंकित जमीन के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में

2-श्री वीरेन्द्र सिंह राणा-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के सिकन्द्राराऊ विधान सभा के अन्तर्गत ब्लाक सिकन्द्राराऊ के ग्राम लिहा आलमपुर के समीप क्रीड़ास्थल के नाम पर अंकित 16 बीघा जमीन का जीर्णोद्धार सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी नहीं।

चूंकि जनपद हाथरस के सिकन्द्राराऊ विधान सभा के अन्तर्गत ब्लाक सिकन्द्राराऊ के ग्राम-लिहा आलमपुर के समीप क्रीड़ा स्थल के नाम पर अंकित 16 बीघा जमीन राजस्व अभिलेखों में युवा कल्याण विभाग के नाम दर्ज नहीं है, अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई किया जाना सम्भव नहीं है।

तदैव।

3-श्री मो0 फईम इरफान-

[1 शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-69 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हाथरस के वि0स0क्षे0 सिकन्द्राराऊ में मूंगा मोती के व्यापार को पुनर्स्थापित करने के सम्बन्ध में

4-श्री वीरेन्द्र सिंह राणा-

क्या सूक्ष्म, लघु माध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के सिकन्द्राराऊ विधान सभा क्षेत्र में मूंगा मोती के मृत हो रहे व्यापार को पुर्नस्थापित करने हेतु सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यदेव पचौरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनाओं के माध्यम से उद्यमियों को नवीन उद्यम स्थापित करने एवं उद्योगों की पुनर्जीवित करने हेतु ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। जनपद हाथरस के सिकन्द्राराऊ विधान सभा क्षेत्र में मूंगा मोती के मृत हो रहे व्यापार को पुनर्स्थापित करने हेतु व्यवसायी/उद्यमी उक्त योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

जनपद लखनऊ के अलीगंज में राज्य सम्पति कालोनी टाइप 3 सेक्टर डी के ग्राउन्ड फ्लोर पर अवैध कब्जों को हटाने के सम्बन्ध में

5-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पति कालोनी टाइप-III सेक्टर डी अलीगंज लखनऊ में ग्राउन्ड फ्लोर पर रहने वाले अध्यासियों द्वारा नीचे भू-खण्ड पर अवैध रूप से गैराज तथा फेसिंग लगा कर कब्जा कर रखा है, जिससे ऊपर के तलों पर रहने वालों को अपने वाहन

व अन्य सामान लाने ले जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध कब्जे को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जी हां। नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0स0 क्षेत्र रूधौली के वि0ख0 राम नगर के ग्राम पंचायत भानपुर के जोगिया ग्राम में प्रस्तावित स्टेडियम का निर्माण कार्य हेतु

6-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 11-07-2017 को विधान सभा क्षेत्र रूधौली जनपद बस्ती के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम पंचायत भानपुर के जोगिया ग्राम में सरकार द्वारा प्रस्तावित स्टेडियम के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 को नामित किये जाने विषयक पत्र आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी हां। विधान सभा क्षेत्र रूधौली, जनपद बस्ती के विकास खण्ड-रामनगर के ग्राम पंचायत-भानपुर के जोगिया ग्राम में सरकार द्वारा प्रस्तावित स्टेडियम के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड को नामित किये जाने विषयक आपका दिनांक रहित पत्र प्राप्त हुआ है।

खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के पश्चात् वित विभाग के शासनादेश संख्या-1/2018-बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दी गई व्यवस्थानुसार कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश कि तहसीलों में कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना का विवरण

7-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की प्रत्येक तहसील में आई0टी0, वी0पी0ओ0 हास्पिटैलिटी जैसे स्किल केन्द्रित कौशल विकास केन्द्र के स्थापना को योजना क्रियान्वित है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी वित्तीय वर्ष 2017-18 में कितने कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की गयी है तथा उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के साथ अनुबन्धित प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से प्रत्येक तहसील में कौशल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कराये गये है जिनमें मांग के आधार पर विभिन्न व्यवसायों में

कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रश्नगत कोर्सेस भी इनमें सम्मिलित है। इन केन्द्रों में विभिन्न रोजगारपरक व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण हेतु इच्छुक युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2917-18 में प्रदेश में कुल 1,077 कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये, जिनका विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित करने विषयक

8-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद जौनपुर में कितने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित की गयी तथा इसमें से विकास खण्ड-मुंगराबादशाहपुर तथा विकास खण्ड सुजानगंज के कितने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल प्रदान की गई ? क्या सरकार दिव्यांगों का सर्वे कराकर जनपद के सभी पात्रों को ट्राईसाइकिल उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद जौनपुर में कुल 224 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित की गयी, जिसमें विकास खण्ड-मुंगराबादशाहपुर के 02 एवं विकास खण्ड सुजानपुर के 01 पात्र दिव्यांगन सम्मिलित हैं।

वर्तमान मे उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण खरीदने हेतु वित्तीय अनुदान स्वीकृत करने की नियमावली, 2016 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार एवं उपलब्ध सीमित बजट संसाधनों से अधिक पात्र दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल/सहायक उपकरण मुहैया कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में किसानों की आय को दो गुनी करने की कार्य-योजना विषयक

9-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों की आय दो गुनी करने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

उत्तर प्रदेश के कृषकों की आय वर्ष 2022 तक दो गुना किये जाने हेतु आठ बिन्दुओं पर कार्य-योजना तैयार की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है :--

1-खेती के साथ उद्यान, पशुपालन, मत्स्य आदि की ''समन्वित व्यवसायिक खेती'' पर बल दिया जाना।

---

† छापा नहीं गया।

2-मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर संतुलित उर्वरकों का प्रयोग।

3-प्रदेश के रेन-फेड क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा का विस्तार।

4-पोस्ट हार्वेस्ट क्षतियों पर प्रभावी नियंत्रण से उत्पादन वृद्धि।

5-खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) हेतु आधारीय अवस्थापनाओं में निजी उद्यमियों की सहभागिता।

6-किसानों के उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हेतु विपणन की व्यवस्था सुलभ कराना।

7-फसल बीमा के अन्तर्गत अधिक से अधिक कृषकों को आच्छादित करना एवं उन्हें बीमा का लाभ उपलब्ध कराना।

8-कृषि विविधीकरण द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन एवं आय वृद्धि करना।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के वि0स0 क्षेत्र रूधौली के ग्राम पंचायत भानपुर मौजा जोगिया में स्टेडियम निर्माण कराने के सम्बन्ध में

10-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या युवा कल्याण मंत्री बतने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली की तहसील भानपुर के ग्राम पंचायत भानपुर मौजा जोगिया में स्टेडियम निर्माण हेतु भूमि तथा सरकार के द्वारा स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्टेडियम का निर्माण प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली की तहसील-भानपुर के ग्राम पंचायत भानपुर मौजा जोगिया में भारत सरकार की खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत मल्टीपरपज हांल के निर्माण हेतु जिलाधिकारी, बस्ती के स्तर से रु0 295.00 लाख का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसे खेलो इण्डिया की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति से पारित कराकर शासन के पत्र संख्या-1599/पचास-यु0क0-2017-18 (विविध)/2016, दिनांक 22 सितम्बर, 2017 द्वारा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया जा चुका है।

उपरोक्त से विदित है कि खेलो इण्डिया योजना, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की योजना है। अतः इस योजनान्तर्गत प्रस्तावों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। चूंकि भारत सरकार से उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, अतः इस सम्बन्ध में सम्प्रति कोई कार्रवाई किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्त से विदित है कि खेलो इण्डिया योजना, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की योजना है। अतः इस योजनान्तर्गत प्रस्तावों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। चूंकि भारत सरकार से उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध मे कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, अतः इस सम्बन्ध में सम्प्रति कोई कार्रवाई किया जाना सम्भव नहीं है।

चूंकि भारत सरकार से उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, अतः इस सम्बन्ध में सम्प्रति कोई कार्रवाई किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में संचालित छात्रावास के सम्बन्ध में

11-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत छात्रावास का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो वर्तमान में छात्रावास का संचालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो वर्तमान समय में छात्रावास में कितने छात्र निवास कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पद सृजन एवं साज-सज्जा सम्बन्धी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

वि0स0 क्षेत्र खड्डा में युवाओं को स्वावलम्बी बनाने एवं उनको रोजगार प्रदान करने ''कौशल विकास केन्द्र की स्थापना'' करने हेतु

12-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

क्या व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के कौशल विकास के लिए क्या-क्या योजना बनाई गयी हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र के कितने स्थानों पर उक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 14-35 आयु वर्ग के नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के अर्ह युवाओं के लिए निम्नलिखित कौशल प्रशिक्षण योजनाएं संचालित की जा रही हैं :--

1-दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना,

2-स्पेशल सेन्ट्रल एसिस्टेंस टू शेड्यूज कास्ट सब प्लान,

3-बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम,

4-बिल्डिंग एण्ड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स,

5-मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम,

6-स्टेट स्किल डेवलपमेंट फन्ड,

7-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (राज्यघटक)।

उक्त योजनाओं में से क्रमांक-1 पर अंकित योजना मात्र ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनता की रेखा के नीचे रहने वाले युवाओं हेतु है जबकि शेष अन्य योजनाओं में नगरीय एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्र के युवाओं को आच्छादित किया गया है।

जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र में आईसेक्ट प्रशिक्षण प्रदाता का प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है। इसके अतिरिक्त खड्डा विधान सभा क्षेत्र से लगभग 1.50 कि0मी0 की दूरी पर राजकीय आई0टी0आई0 नौरंगिया है जिसके द्वारा भी कौशल विकास योजनान्तर्गत युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सम्पति विभाग की सचिवालय कालोनी में अनाधिकृत लोगों को हटाने के सम्बन्ध में

13-श्री वीरेन्द्र-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पति विभाग की सचिवालय कालोनी जो कि सचिवालय के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए है, में सम्पादक, मुख्य सम्पादक, पुलिस कर्मी, अधिवक्ता अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आवासों को खाली कराकर सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को आवंटित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राज्य सम्पति विभाग के नियन्त्राधीन राजकीय कालोनियों में सचिवालय के अधिकारी/कर्मचारीगण के अतिरिक्त राज्य सम्पति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत विधान परिषद् के सभापति/उप सभापति, विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, न्यायमूर्तिगण, मंत्रियों, विधान सभा के सदस्यों, अखिल भारतीय सेवा/न्यायिक सेवा के अधिकारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों, कर्मचारी संघों, राजनैतिक दलों, पत्रकारों और न्यासों को आवास आवंटित किए जाने की व्यवस्था है। इन कालोनियों में अवैध रूप से अध्यासित सम्पादक, मुख्य सम्पादक, पुलिस कर्मी व अधिवक्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

अनधिकृत रूप से रह रहे अध्यासियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर रिक्त आवासों को नियमानुसार पात्र आवेदकों को आवंटित किया जाएगा।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2017-18 में कौशल विकास प्रशिक्षण से प्राप्त रोजगारों के सम्बन्ध में

14-श्री उज्जवल रमण सिंह-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 में कौशल विकास प्रशिक्षणोपरान्त कितनों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में क्या रोजगार उपलब्ध कराने हेतु लक्ष्य रखा गया है ? यदि हां, तो कितना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में 67003 युवाओं को प्रशिक्षणोपरात रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2018-19 में

उक्त लक्ष्य में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 74000 युवाओं को प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार उपलब्ध कराया जाना लक्षित है।

वर्ष 2018-2019 में 74000 युवाओं को प्रशिक्षणोपरान्त स्वतः रोजगार/सवेतन रोजगार में सेवायोजित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में वर्ष 2016-17 में शादी अनुदान आवेदकों को अनुदान नहीं मिलने के सम्बन्ध में

15-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में वर्ष 2016-17 में शादी अनुदान आवेदकों में वर्ष 2018 के मार्च माह में कुछ आवेदकों को अनुदान प्राप्त हो गया है परन्तु कुछ आवेदकों को अनुदान नहीं मिल पाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवशेष आवेदकों को अनुदान दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या-115/2016/1873/26-3-2016, दिनांक 10-06-2016 द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु शादी अनुदान योजना के बिन्दु-4 के उपबिन्दु-16 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विगत वित्तीय वर्ष की कोई मांग अगले वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के ग्राम कोहड़ी में निर्मित आई0टी0आई0 को संचालित करने विषयक

16-श्री विनय शंकर तिवारी-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की गोला तहसील के ग्राम कोहड़ी में आई0टी0आई0 का भवन निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या उसकी गुणवत्ता ठीक न होने के कारण उसको संचालित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार गुणवत्तायुक्त निर्माण कराकर उक्त आई0टी0आई0 को चलाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी हां। जनपद गोरखपुर की गोला तहसील के ग्राम कोहड़ी में स्पेशल कम्पोनेंट सब प्लान के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बड़हलगंज, गोरखपुर के भवन का निर्माण स्वीकृत किया गया है।

जी हां। प्रश्नगत भवन निर्माण कार्य की गुणवत्ता टी0ए0सी0 जांच में अधोमानक पाई गई, जिसके कारण निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगा दी गई है। इस कारण से भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ और वह अपने भवन में संचालित भी नहीं हो पाया है।

प्रश्नगत संस्थान के भवन का गुणवत्तायुक्त निर्माण करने के क्रम में विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था को लैकपैड से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् किया गया है।

विभाग द्वारा नवीन कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् से पुनरीक्षित आगणन तैयार कराया गया है जिसके स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नवमिर्मित विद्यालयों को संचालित करने के सम्बन्ध में

17-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं, संचालित विद्यालयों के क्या शिक्षक मानकानुसार तैनात हैं ? क्या सरकार जनपद सीतापुर के मुर्तिया नगर में निर्मित विद्यालय को इसी सत्र में संचालित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान में 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। प्रत्येक विद्यालय में 10 प्रवक्ता एवं 10 सहायक अध्यापक एल0टी0 ग्रेड के पद स्वीकृत हैं, स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियमित एवं संविदा के आधार पर शिक्षक तैनात हैं। रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से अध्यापकों की तैनाती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

जी हां।

माह जुलाई, 2018 से विद्यालय का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड में पलायन रोकने के लिये जनपद बांदा में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना विषयक

18-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड में पलायन को रोकने के लिये जनपद बांदा में औद्योगिक इकाइयों की स्वीकृति एवं स्थापना हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 प्रख्यापित की गयी है। उक्त नीति के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आद्योगिक निवेश हेतु विशेष सुविधायें प्राविधानित हैं।

प्रदेश में ई-नेम योजना के अन्तर्गत चयनति मंडियों का विवरण

19-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ई-नेम योजना (इलेक्ट्रानिक आनलाइन ऑक्शन) के अन्तर्गत मंडियों को हाई टेक बनाने हेतु कितनी मण्डियों

का चयन कर कम्प्यूटर और इन्टरनेट की व्यवस्था कब-कब की गयी है ? क्या सरकार उक्त योजना की समीक्षा करके इसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाढ़ नियन्त्रण, कृषि निर्यात, कृषि विपणन, कृषि, विदेश व्यापार, महिला कल्याण, परिवार कल्याण, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती स्वाती सिंह)-

ई-नाम योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में कुल 66 मण्डी समितियों को पोर्टल से जोड़ते हुए कम्प्यूटर व इंटरनेट आदि की सुविधाएं सितम्बर, 2016 में उपलब्ध कराई गयी।

द्वितीय चरण में कुल 34 मण्डियों में जून-जुलाई, 2017 में इंटरनेट व कम्प्यूटर की सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी।

उक्त योजना भारत सरकार के द्वारा देश भर में प्रारम्भ की गयी है। यह योजना अभी प्रारम्भिक स्तर पर है। इसका विस्तार हो जाने एवं इसके स्थिर रूप से कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात् ही योजना की समीक्षा का औचित्य बनेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा में लाभार्थियों को वृद्धा पेंशन दिये जाने विषयक

20-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को आनलाइन आवेदन के बाद भी पेंशन नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार छपिया-बभनजोत व मनकापुर विकास खण्ड के पात्र आवेदकों के आवेदन का निस्तारण कर नियमित समयावधि में पेंशन स्वीकृति सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं। जनपद गोण्डा में वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता में आने वाले लाभार्थियों को आनलाइन आवेदन करने के पश्चात् पेंशन की सुविधा अनुमन्य कराई जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

विकास खण्ड छपिया, बभनजोत व मनकापुर के प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदकों के आवेदन पत्रों का निस्तारण निर्धारित प्रक्रियानुसार करते हुए उनकी पेंशन की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। विकास खण्ड छपिया में 209 बभनजोत में 75 व मनकापुर में 180 कुल 464 आवदकों की ऑनलाइन नवीन पेंशन स्वीकृति सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुए पेंशन भुगतान हेतु डाटा फ्रीज किया जा चुका है।

उपरोकतानुसार।

प्रदेश में जैविक कीटनाशक दवाइयों व खादों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में

21-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों की फसलों का उत्तम उत्पादन करने हेतु पैस्टीसाइट, कीटनाशक दवाइयों को पूरी तरह प्रतिबन्धित कर केवल जैविक कीटनाशक

दवाइयों व खादों का प्रयोग करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

फसल सुरक्षा के दृष्टिगत कीटनाशी रसायनों को पूर्णतया प्रतिबन्धित करना उचित नहीं है क्योंकि इससे कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में कमी आयेगी। जैविक कीटनाशकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि विभाग द्वारा संचालित ''विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीटरोग नियंत्रण की योजना के अन्तर्गत जैविक कीटनाशकों पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है तथा इस हेतु प्रदेश की 09 विभिन्न आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं में जैविक कीटनाशक/जैविक एजेन्ट्स का उत्पादन किया जा रहा है। रसायनिक कीटनाशकों को संस्तुति से अधिक भाषा में प्रयोग करने से नुकसान होता है। अपेक्षाकृत कम जहरीले पीले, नीले एवं हरे चिन्ह वाले कीटनाशी रसायनों पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है जबकि लाल चिन्ह वाले कीटनाशी रसायनों के प्रयोग को हतोत्साहित करने हेतु ऐसे कीटनाशकों पर कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, कुशीनगर के द्वारा निदेशक समाज कल्याण पत्र संख्या-1933-34 दिनांक 4 नवम्बर, 2014 पर कार्रवाई विषयक

22-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुशीनगर जनपद में उत्तर प्रदेश माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का नियमावली, 2014 प्रस्तर-4 के क्रम में सुलह अधिकारी के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी कार्यालय-पत्र संख्या-1933-34, दिनांक 4 नवम्बर, 2016 जिला समाज कल्याण अधिकारी, कुशीनगर के द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश को भेजे गये प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जिलाधिकारी, कुशीनगर के पत्र सं0-1933-34/स0क0/माता-पिता भरण पोषण/2016-17, दिनांक 04 नवम्बर, 2016 द्वारा उ0प्र0 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 के प्रस्तर-4 के अनुसार सुलह अधिकारी के तैनाती हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था, जिसे निदेशालय पत्र संख्या-74/स0क0/अनुदान-वृद्धाश्रम/सुलह अधिकारी-3/2016-17, दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 द्वारा सुलह अधिकरियों की तैनाती/नियुक्ति के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के औद्योगिक क्षेत्र नैनी में बन्द उद्योगों को पुनः संचालित कराने के सम्बन्ध में

23-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में औद्योगिक क्षेत्र नैनी में लगाये गये सरकारी उद्योग बन्द हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बन्द उद्योगों को पुनः चलाने हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जनपद इलाहाबाद के औद्योगिक क्षेत्र नैनी में उ0प्र0 राज्य औद्यागिक विकास निगम लि0 द्वारा विकसित किए गए कोई भी सरकारी उद्योग वर्तमान में बन्द नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त जनपद इलाहाबाद, नैनी के औद्योगिक क्षेत्र में बन्द पड़ी एवं कार्यरत सरकारी औद्योगिक इकाई के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :--

1-मेसर्स त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड (टीएसएल)-

भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई मेसर्स त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड की स्थापना 70 के दशक में हुई थी। लोहे के स्ट्रक्चर निर्माण के क्षेत्र में उक्त इकाई भारत की महत्वपूर्ण इकाई थी। बाद के वर्षों में इकाई की स्थिति लगातार खराब होती चली गयी। वर्तमान में इकाई का वर्कशाप पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। इकाई का वर्कशाप परिसर लगभग 300 एकड़ भूमि पर आच्छादित है। वर्तमान में उक्त इकाई से सम्बन्धित वाद मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है।

2-मेसर्स स्वदेशी काटन मिल-

नैनी औद्योगिक क्षेत्र में स्वदेशी काटन मिल की स्थापना वर्ष 1957 में जयपुरिया घराने के द्वारा की गयी थी। वर्ष 1978 में भारत सरकार द्वारा इकाई का अधीनीकरण (टेकओवर) कर लिया गया था। स्पिनिंग मिल के रूप में स्वदेशी काटन मिल औद्योगिक क्षेत्र, नैनी की महत्वपूर्ण इकाई थी। वर्ष 2005 में उत्पादन बन्द होने के कारण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 06-01-2009 के द्वारा उक्त मिल पूर्णतया बन्द कर दी गयी। वर्तमान में नई दिल्ली स्थित होल्डिंग कम्पनी (स्कोप काम्प्लेक्स कोर-4, लोधी रोड, नई दिल्ली) द्वारा समस्त कार्य संचालित किया जा रहा है।

3-मे0 भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड (बीपीसीएल)-

भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई मे0 भारत पत्प्स एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड (बीपीसीएल) की स्थापना वर्ष 1970 में हुई थी। इकाई द्वारा अत्यधिक टिकाऊ पम्प्स एवं कम्प्रेशर का निर्माण किया जाता है, जिसका उपयोग तेल एवं गैस की खोज एवं दोहन तथा न्यूक्लियर इनर्जी इत्यादि में किया जाता है। वर्ष 2011 तक इकाई अपनी पूर्ण क्षमता के अनुरूप कार्यरत रही, तदोपरान्त इकाई के परफार्मेन्स में गिरावट आने लगी। पूर्ण अवधि हेतु सी0एम0डी0 की नियुक्ति एवं कार्यशील पूंजी के अभाव के कारण इकाई को पर्याप्त मात्रा में आर्डर प्राप्त हुए, किन्तु इकाई द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत क्रियान्वयन नहीं किया जा सका, जिसके कारण बिक्री में गिरावट आ गयी। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा उक्त इकाई का रणनीतिक विनिवेश करने का निर्णय लिया गया है।

4-मेसर्स इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज (आटीआई)-

भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई मेसर्स इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज की स्थापना सत्तर के दशक में हुई थी। टेलीकाम ट्रान्समिशन इक्यूपमेण्ट के क्षेत्र में उक्त इकाई औद्योगिक क्षेत्र, नैनी की महत्वपूर्ण इकाई थी। वर्ष 1991 के उदारीकरण के उपरान्त इकाई के वर्कआर्डर में लगातार गिरावट आती गयी। वर्ष 2010 तक इकाई लगभग मृतप्राय हो गयी। वर्ष 2014 में भारत

सरकार द्वारा इकाई के लिए रिवाइवल प्लान अनुमोदित किया गया है। रिवाइवल प्लान के अन्तर्गत इकाई द्वारा विविध परियोजनाएं चिन्हित की गयी हैं, जिसके अन्तर्गत सोलर (रिन्यूएबुल एनर्जी) डाटा सेण्टर ज्ञानसेतु प्रोजेक्ट कैरियर अथरनेट मुख्य रूप से हैं। महाप्रबन्धक, आई0टी0आई0, नैनी द्वारा बताया गया है कि अनुमोदित प्लाण्ट का कार्य किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गैस आधारित उद्योगों के प्रकरण के सम्बन्ध में पत्र सं0-क-6 नं0-037532, दिनांक 02-05-2018 पर कार्रवाई हेतु

24-श्री मनीष असीजा-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद स्थित यू0पी0एस0आई0डी0सी0 औद्योगिक आस्थान में आवंटित भू-खण्ड में अधिकांशतः गैस आधारित इकाइयों को टी0टी0 जेड पर्यावरण एवं वन मंत्रालय आदि की अस्थाई रोक के कारण उद्योग स्थापित करने में हो रही समस्या के चलते गैस आधारित उद्योगों के प्रकरण में समयवृद्धि शुल्क नहीं लिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का औद्योगिक विकास मंत्री को प्रेषित पत्र संख्या क-6 नं0-037532 दिनांक 02-05-2018 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण राजयस्तरीय उद्योग बन्धु की लखनऊ में दिनांक 01-08-2018 को सम्पन्न हुई बैठक में प्रस्तुत हुआ था, जिस पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 की बोर्ड की बैठक में प्रकरण को निस्तारित करा लिया जाए। तद्नुसार बोर्ड की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर में स्टेडियम की स्थाना कराने विषयक

25-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर के अन्तर्गत युवाओं को खेल सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में ग्राम भानपुर के मौजा जोगिया में भूमि उपलब्ध करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी हां। जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर के ग्राम भानपुर के मौजा जोगिया में खेल अवस्थापना सृजन हेतु 4.047 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध करायी गयी है। ग्राम पंचायत-जोगिया टप्पा छपिया, विकास खण्ड-रामनगर, तहसील-भानपुर, जनपद-बस्ती में भारत सरकार की खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत मल्टीपरपज हांल के निर्माण हेतु रु0 295.00 लाख का प्रस्ताव शासन के पत्र

संख्या-1599/पचास- यु0क0-2017-18(विविध)/2016, दिनांक 22 सितम्बर, 2017 द्वारा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को पेषित किया जा चुका है।

उपरोक्त से विदित है कि खेलो इण्डिया योजना, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की योजना है। अतः इस योजनान्तर्गत प्रस्तावों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। चूंकि भारत सरकार से उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, अतः इस सम्बन्ध में सम्प्रति कोई कार्रवाई किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के वि0ख0 रामनगर के ग्राम पंचायत भानपुर के जोगिया ग्राम में प्रस्तावित स्टेडियम निर्माण के सम्बन्ध में दिये गये पत्र दिनांक 11-07-2017 पर कार्रवाई विषयक

26-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम पंचायत भानपुर के जोगिया ग्राम में सरकार द्वारा प्रस्तावित स्टेडियम के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 को नामित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-07-2017 आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी हां। विधान सभा क्षेत्र रुधौली, जनपद बस्ती के विकास खण्ड-रामनगर के ग्राम पंचाचत-भानपुर के जोगिया ग्राम में सरकार द्वारा प्रस्तावित स्टेडियम के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड को नामित किए जाने विषयक आपके दिनांक रहित पत्र प्राप्त हुआ है।

खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के पश्चात् वित विभाग के शासनादेश संख्या-1/2018-बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दी गयी व्यवस्थानुसार कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सिंचाई हेतु ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की व्यवस्था किये जाने की मांग

27-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को अच्छी पैदावार तथा भू-गर्भीय जल के दोहन को कम करने के लिये ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई की व्यवस्था सरकार द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिलावार कितने किसानों को इस योजना से लाभान्वित किया गया तथा आगामी वर्ष में इसका कितना लक्ष्य निर्धारित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

- वित्तीय वर्ष 2017-18 में कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के अतिदोहित, क्रिटिकल एवं सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण की योजना में एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने की योजना अन्तर्गत कुल 10284 कृषकों को लाभान्वित किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है :--

क्र0सं0	जनपद	कुल लाभार्थी		क्र0सं0	जनपद	कुल लाभार्थी
1	2	3		1	2	3
1	आगरा	99		29	मुरादाबाद	59
2	अलीगढ़	19		30	मुजफ्फरनगर	34
3	इलाहाबाद	111		31	प्रतापगढ़	57
4	अम्बेडकरनगर	15		32	रायबरेली	31
5	बागपत	54		33	रामपुर	41
6	बरेली	11		34	सहारनपुर	100
7	बिजनौर	42		35	सन्तरविदास नगर	51
8	बदायूं	58		36	सोनभद्र	36
9	बुलन्दशहर	38		37	सुल्तानपुर	26
10	एटा	40		38	वाराणसी	39
11	फैजाबाद	15		39	आजमगढ़	65
12	फतेहपुर	87		40	अमेठी	44
13	फिरोजाबाद	6		41	बलिया	4
14	जी0बी0 नगर	3		42	हापुड़	33
15	गाजियाबाद	4		43	हरदोई	30
16	गाजीपुर	80		44	मऊ	18
17	हाथरस	23		45	सम्भल	52
18	जौनपुर	90		46	शामली	0
19	जे0पी0 नगर	56		47	सीतापुर	8
20	कन्नौज	47		48	उन्नाव	29
21	कानपुर नगर	64		49	झांसी	1617
22	काशीराम नगर	19		50	जालौन	1436
23	कौशाम्बी	48		51	ललितपुर	1384
24	लखनऊ	18		52	बांदा	685
25	मैनपुरी	14		53	चित्रकूट	925
26	मथुरा	18		54	हमीरपुर	1472
27	मेरठ	16		55	महोबा	861
28	मिर्जापुर	52				
					कुल योग-	**10284**

- वर्ष 2018-19 में कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत 5000 स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षा जल संचयन एवं सिंचाई की योजनान्तर्गत 2771 स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली, प्रदेश के अतिदोहित, क्रिटिकल एवं सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों में 9135 सिंचाई प्रणाली, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयल पॉम योजान्तर्गत 1000 स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत 700 स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अर्थात कुल 18606 स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत पात्र आवेनकर्ताओं, लाभार्थियों के भुगतान के सम्बन्ध में

28-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत पात्र आवेदनकर्ताओं का पी0एफ0एम0एस0 रिस्पांस विलम्ब से मिलने के कारण लाभार्थियों को समय से भुगतान प्राप्त नहीं हो पाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी फिरोजाबाद का निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित पत्रांक संख्या स0/क0/एन0एस0ए0पी0/रा0पा0ला0लो0/2018-19 दिनांक 19-05-2018 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक 22 मई, 2018 तक जनपद फिरोजाबाद में कितने आवेदकों का पी0एफ0एम0एस0 रिस्पांस प्राप्त न हो पाने के कारण समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

यू0पी0 डेस्को के नियंत्रणाधीन स्टेट डाटा सेन्टर द्वारा पूर्व में प्रचलित व्यवस्था में कतिपय बदलाव किये जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई तकनीकी कठिनाइयों के कारण योजना के संचालन में उत्पन्न हो रहे गतिरोध का निराकरण करा लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 22 मई, 2018 तक जनपद फिरोजाबाद में तकनीकी कठिनाई के कारण किसी भी आवेदक का पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से रिस्पॉन्स प्राप्त न होने के कारण भुगतान नहीं हो सका।

29-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[02 मंगलवार के अता0 प्र0 सं0-185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फिरोजाबाद में पात्र दिव्यांग नागरिकों की पेंशन खाते में भेजने विषयक

30-श्री मनीष असीजा-

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में जनवरी, 2017 से पात्र दिव्यांग नागरिकों की पेंशन के कुल कितने प्रस्ताव निदेशालय में स्वीकृति के पश्चात्

धनावंटन हेतु लम्बित हैं ? क्या सरकार उक्त पात्र लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जनपद फिरोजाबाद में जनवरी, 2017 से पात्र दिव्यांग नागरिकों की पेंशन का प्रस्ताव स्वीकृति के पश्चात् धनावंटन हेतु निदेशालय में लम्बित नहीं है।

दिव्यांग पेंशन वर्तमान में ऑनलाइन संचालित है। ऑनलाइन पेंशन की प्रक्रिया में पात्र दिव्यांगजन का डाटा पेंशन हेतु समयबद्ध रूप से स्वतः पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर भुगतान हेतु प्रस्तुत हो जाता है और लाभार्थी ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से लाभान्वित होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र खड्डा में बीमा कम्पनियों द्वारा किसानों का बीमा करने की कार्य योजना

31-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2017-18 में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर की खड्डा विधान सभा क्षेत्र में कितने किसानों का बीमा हुआ है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बाढ़ की आपदा से किसानों की फसल क्षतिग्रस्त हो जाने को ध्यान में रखते हुये वर्ष 2018-19 में फसल बीमा योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिले इसके लिये क्या कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

वर्ष 2017-18 में जनपद कुशीनगर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ 2017 मौसम में 0.39 लाख कृषकों एवं रबी 2017-18 मौसम में 0.34 लाख कृषकों की फसलों का बीमा कराया गया। वर्ष 2017-18 मौसम में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में 639 कृषकों द्वारा फसल का बीमा कराया गया।

योजना में जनपदवार सूचना तैयार की जाती है।

फसल बीमा योजना में अधिक से अधिक कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना व समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों में योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन, गैर ऋणी कृषकों को कवर किए जाने हेतु लक्ष्य का निर्धारण, जनपद स्तर पर नियमित अनुश्रवण आदि की कार्य-योजना पर कार्यवाही के निर्देश बीमा कम्पनी व जनपदीय अधिकारियो को दिये गये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में बन्द पड़ी सूत मिल चालू कराने की मांग

32-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में बन्द पड़ी सूत मिल चालू कराने/अन्य कोई दूसरा उद्योग लगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम/स्पिनिंग/यार्न/सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर की बन्द पड़ी मिलों की परिसम्पतियों का मूल्यांकन व मशीनों की क्रियाशीलता तथा क्षमता का आंकलन एवं भूति आदि के सदुपयोग किए जाने की सम्भावनाओं के परीक्षण हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा एक कन्सलटेन्ट नियुक्त कर वर्तमान सम्भावनाओं का आंकलन करके अपनी रिपोर्ट गठित समति से परीक्षणोपरान्त लिक्विडेशन/मा0 एन0सी0एल0टी0, इलाहाबाद से पूर्वानुमति प्राप्त कर अपने स्रोतों अथवा बैंकों से ऋण प्राप्त कर कम्पनी की वर्तमान देयताओं का अन्तिम रूप से भुगतान कर भूमि का उचित उपयोग प्रदेश में औद्योगिकीकरण के बढ़ावा हेतु किया जा सकेगा, जिसमें उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर की महमूदाबाद (सीतापुर) इकाई भी सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के मुर्तजानगर में निर्मित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने विषयक

33-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के मुर्तजानगर में निर्मित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण पूर्ण होने तथा विभाग को हस्तान्तरण करने के उपरान्त निर्माण कार्य कराने वाली कार्यदायी संस्था का अन्तिम भुगतान कर दिया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मुर्तजानगर, सीतापुर के भवन निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रु0 1264.92 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि निर्गत कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0स0 क्षेत्र राठ में स्टेडियम के निर्माण की मांग

34-श्रीमती मनीषा अनुरागी-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के राठ तहसील में युवाओं की प्रतिभा को दृष्टिगत रखते हुये क्या सरकार उक्त तहसील में स्टेडियम का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश शासन, राज्य योजना आयोग-1, योजना भवन, लखनऊ के अर्द्ध0शा0प0 संख्या-10 (4)/35-आ-1/2011-97, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 द्वारा ग्रामीण स्टेडियम की योजना

ड्राप कर दी गयी है, जिसके फलस्वरूप वर्तमान में नये ग्रामीण स्टेडियमों का निर्माण नहीं कराया जा रहा है तथा विभाग के पास इस मद में कोई बजट उपलब्ध नहीं है।

बुन्देलखण्ड के श्रमिकों एवं युवाओं के पलायन को रोकने हेतु कार्य-योजना

35-श्रीमती मनीषा अनुरागी-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के श्रमिकों एवं युवाओं के पलायन को रोकने के लिये लघु उद्योग स्थापित करने के लिये सरकार की कोई योजनायें हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यदेव पचौरी-

जी हां।

वर्तमान में प्रदेश के श्रमिकों एवं युवाओं के पलायन को रोकने के लिये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना संचालित हैं। प्रदेश में शिक्षित/प्रशिक्षित एवं तकनीकी (कुशल/अकुशल) व्यक्तियों को अपना उद्यम स्थापित करने हेतु उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हैं। प्रदेश में नये उद्यमों एवं नये निवेश प्रस्तावों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निवेश मित्र पोर्टल प्रारम्भ किया गया है। इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उ0प्र0 लघु एवं मध्यम उद्योग ब्याज उपादान योजनान्तर्गत लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित किये जाने हेतु 7 प्रतिशत ब्याज उपादान तथा 20 प्रतिशत महिला उद्यमियों हेतु आरक्षण की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में फर्मों द्वारा संचालित मेन्टीनेन्स कार्य एवं आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में

36-श्री पारसनाथ यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सचिवालय में कितनी फर्में समस्त मेन्टीनेन्स के कार्यों का संचालन कर रही हैं तथा उनके क्या-क्या कार्य वर्तमान समय में संचालित हो रहा हैं तथा उक्त कार्यों हेतु कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ? क्या सरकार इसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सचिवालय में लोक निर्माण विभाग के सिविल/विद्युत अनुरक्षण खण्डों में पंजीकृत 22 फर्मों से समस्त मेन्टीनेन्स के कार्यों का संचालन कराया जा रहा है। इन फर्मों द्वारा प्लास्टर, फर्श, दरवाजे, पल्ले, सीलिंग, जल-मल कार्यों की टूट-फूट की मरम्मत एवं आंतरिक रंगाई-पुताई आदि सिविल कार्यों तथा लिफ्ट बदलना, कक्षों का आधुनिकरण, वातानुकूलन प्लान्ट, फायर फाइटिंग, ए0सी0 एवं सी0सी0टी0वी0 आदि उपकरण के संचालन एवं वार्षिक अनुरक्षण आदि विद्युत कार्यों का संचालन किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में सिविल कार्यों हेतु रु0 368.92 लाख तथा विद्युत कार्यों हेतु रु0 912.63 लाख धनराशि लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण खण्डों को आवंटित की गई है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश एवं जनपद सीतापुर के मुर्तजानगर महमूदाबाद में निर्मित आश्रम पद्धति विद्यालयों को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में

37-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पूर्ण निर्मित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय जो संचालित नहीं हैं की संख्या कितनी है ? क्या सरकार शैक्षणिक-सत्र 2018-19 में मुर्तजानगर, महमूदाबाद तथा सीतापुर सहित प्रदेश के सभी ऐसे विद्यालयों का संचालन शुरू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

असंचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की संख्या शून्य है।

शैक्षिक-सत्र 2018-19 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बालिका विद्यालय मुर्तजानगर, सीतापुर का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के औद्योगिक क्षेत्र की जर्जर एवं टूटी-फूटी सड़कों का निर्माण हेतु दिये गये प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने हेतु

38-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में स्थित औद्योगिक आस्थान, नगला भाऊ में अवशेष सड़कों, नाली, पुलिया आदि के निर्माण हेतु रुपये सात करोड़ अट्ठाइस हजार नौ सौ पैंसठ दशमलव शून्य दो (रु0 70028965.02) का आगणन प्रस्ताव उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार कांच उद्योग के लिये प्रसिद्ध इस औद्योगिक आस्थान की जर्जर सड़कों व नालियों के निर्माण हेतु उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत कर निर्माण कार्य कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जनपद, फिरोजाबाद में स्थित औद्योगिक आस्थान नगला भाऊ में आर0सी0सी0 सड़क निर्माण, नाली/पुलिया मरम्मत/उच्चीकरण, फुटपाथों पर इन्टरलॉकिंग टाइल्स/ट्रीगार्डस/हाईमास्ट लाइट/सोलर लाइट/सोडियम लाइट व साइन बोर्ड लगाने के कार्य हेतु रु0 700.29 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-5/2018/299/83-अव0-18-25(अव0)/2018, दिनांक 31-07-2018 द्वारा निर्गत कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजागाद विधान सभा क्षेत्र में एडिप योजनान्तर्गत दिव्यांगजनों की निःशुल्क उपकरण वितरित करने विषयक

39-श्री मनीष असीजा-

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र फिरोजाबाद में भारत सरकार की ''एडिप योजना (विशेष)'' के अन्तर्गत दिव्यांगजनों हेतु निःशुल्क सहायक उपकरण (ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, बैशाखी, मानसिक दिव्यांगों हेतु किट, नेत्रहीन बच्चों के लिये किट, छड़ी एवं कृत्रिम अंग आदि) के वितरण एवं परीक्षण हेतु शिविर

आयोजन करने के सम्बन्ध में उप महाप्रबंधक (विपणन), भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) द्वारा जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्र संख्या-एम0एस01 डी-33/फिरोजाबाद/एवी, दिनांक 15-01-2018, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के आय तथा विकास कार्य का विवरण

40-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की आय क्या है तथा प्राधिकरण पर कितना ऋण है एवं ऋण पर कितना प्रतिमाह ब्याज भुगतान किया जा रहा है ? क्या सरकार बतायेगी कि ऋण के मूलधन एवं ब्याज की अदायगी के पश्चात् प्राधिकरण अपने अनिवार्य दायित्व को पूर्ण करने में सक्षम है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति जर्जर होने की दशा में आवश्यक विकाय कार्य तथा नागरिक सुविधायें (मार्ग प्रकाश व्यवस्था आदि) उपलब्ध कराने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूंजीगत एवं राजस्व प्राप्ति मद में प्राधिकरण को रु0 2532.38 करोड़ की प्राप्ति हुई। वित्तीय वर्ष 2018-19 माह जुलाई, 2018 तक पूंजीगत एवं राजस्व आय मद में रु0 954.74 करोड़ की प्राप्ति हुई है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण पर दिनांक 21-08-2017 तक रु0 5819.69 करोड़ का ऋण अवशेष है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण पर अवशेष ऋण पर प्रतिमाह ब्याज लगभग रु0 42.34 करोड़ का भुगतान किया जाता है।

जी हां। मूलधन एवं ब्याज की अदायगी के पश्चात् प्राधिकरण अपने अनिवार्य दायित्व को पूर्ण करने में सक्षम है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2018-19 में अनुमोदित आय-व्ययक में कुल रु0 3639.40 के कुल व्यय का प्राविधान किया गया है, जिसमें आवश्यक विकास कार्य एवं निर्माण कार्य हेतु रु0 1050.40 करोड़ के बजट की व्यवस्था की गई एवं नागरिक सुविधायें (मार्ग प्रकाश व्यवस्था आदि) हेतु रु0 267.70 करोड़ के व्यय का बजट रखा गया है।

बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के तहसील रुधौली तथा भानपुर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने विषयक

41-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्तर्गत तहसील भानपुर तथा रुधौली में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण

संस्थान न होने के कारण कौशल विकास को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार युवाओं की कौशल क्षमता वृद्धि के लिये उक्त दोनों तहसीलों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में जनपद बस्ती में कुल 04 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा बस्ती नोडल, हरैया, रुधौली तथा चिलवनिया वर्तमान में संचालित हैं, जिनमें जनपद के अभ्यार्थियों के प्रवेश हेतु 2050 प्रशिक्षण सीटें उपलब्ध हैं। साथ ही साथ जनपद में कुल 24 निजी औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जिनमें अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु 3000 से अधिक प्रशिक्षण सीटें उपलब्ध हैं, अर्थात सम्पूर्ण बस्ती जनपद में कुल 28 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जिनमें 5000 से अधिक सीटें उपलब्ध हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण जनपद में युवाओं की कौशल क्षमता वृद्धि के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रशिक्षण सीटें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं।

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने विषयक

42-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं होने के कारण क्षेत्र का युवा वर्ग व्यावसायिक शिक्षा से वंचित है व गिने चुने युवा ही व्यावसायिक शिक्षा हेतु निजी संस्थानों में प्रवेश ले पाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में ब्लाक स्तर पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में जनपद झांसी में कुल 05 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यथा-झांसी नोडल, महिला विश्व बैंक, उल्दन, गरौठा तथा मऊरानीपुर वर्तमान में संचालित है, जिनमें जनपद के अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु 2405 प्रशिक्षण सीटें उपलब्ध हैं। साथ ही साथ जनपद में कुल 46 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जिनमें अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु 5800 से अधिक प्रशिक्षण सीटें उपलब्ध हैं। अर्थात् सम्पूर्ण झांसी जनपद में कुल 51 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जिनमें 8200 से अधिक सीटें उपलब्ध हैं। अतः बबीना क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रशिक्षण सीटें उपलब्ध हैं तथा युवा वर्ग व्यावसायिक शिक्षा से वंचित नहीं है।

बबीना, जनपद-झांसी की तहसील सदर में आच्छादित है, जो कि प्रदेश के असेवित क्षेत्रों में नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु शासन द्वारा जारी नीति के अन्तर्गत सेवित है। विकास खण्ड बबीना वर्तमान में असेवित है।

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र में राजकीय स्टेडियम खोलने विषयक

43-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में खेलकूद हेतु राजकीय स्टेडियम न होने के कारण क्षेत्र की प्रतिभायें निकलकर नहीं आ पाती व युवाओं का खेल के प्रति रुझान समाप्त होता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में ब्लाक स्तर पर राजकीय स्टेडियम बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी नहीं। जनपद झांसी में ध्यानचन्द स्पोर्टस स्टेडियम (राजकीय स्टेडियम) शहर के मध्य स्थित है जिसमें सम्पूर्ण जनपद झांसी की विभिन्न विधाओं यथा-फुटबाल, हाकी, कबड्डी, कुश्ती, तैराकी, जिम्नास्टिक, बैडमिन्टन, बाक्सिंग, क्रिकेट आदि के खिलाड़ी प्रतिदिन अभ्यास करने आते हैं। ध्यानचन्द स्पोर्टस स्टेडियम (राजकीय स्टेडियम) में जनपद/मण्डल/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है एवं उपरोक्त विधाओं में प्रतिभावन खिलाड़ियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराया जाता है। इसके अतिरिक्त स्टेडियम में शहरी एवं ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगितायें विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा समय-समय पर आयोजित करायी जाती है। स्टेडियम में आवासीय छात्रावास भी उपलब्ध है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश शासन, राज्य योजना आयोग-1, योजना भवन, लखनऊ के अर्द्ध शा0 प0 संख्या-10(4)/35-आ-1/2011-97, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 द्वारा ग्रामीण स्टेडियम की योजना ड्राप कर दी गयी है।

प्रदेश में वर्ष 2017 व 2018 में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों की छात्रवृति के लिए बजट बढ़ाने के सम्बन्ध में

44-श्री पारसनाथ यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को वर्ष 2017 व 2018 में छात्रवृत्ति नहीं दी गई है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ? क्या सरकार बजट बढ़ाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र व छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत एवं आनलाइन आवेदन करने वाले पात्र छात्रों को वर्ष 2017-18 में उपलब्ध

बजट की सीमा तक छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है :--

1-अनुसूचित जाति **(धनराशि करोड़ में)**

योजना का नाम	लाभान्वित छात्र	भुगतानित धनराशि	अवशेष छात्र संख्या	अवशेष छात्रों के लिये वांछित धनराशि
1	2	3	4	5
पूर्वदशम (कक्षा-9 व 10)	416680	88.49	शून्य	शून्य
दशमोत्तर छात्रवृति	1221653	1778.06	58093	177.43

2-सामान्य वर्ग **(धनराशि करोड़ में)**

योजना का नाम	प्राविधानित बजट धनराशि	लाभान्वित छात्र	भुगतानित धनराशि
1	2	3	4
पूर्वदशम (कक्षा-9 व 10)	16.64	77777	16.64
दशमोत्तर छात्रवृति	666.30	565637	659.86

अनुसूचित जाति दशमोत्तर के अवशेष छात्रों को राज्य सरकार से धनराशि अभी तक प्राप्त न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है। सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति योजना फण्ड एण्डेड योजना है। प्राविधानित/आवंटित बजट के अनुरूप सम्पूर्ण धनराशि का वितरण करते हुये पूर्वदशम के 77777 छात्रों एवं दशमोत्तर कक्षाओं के 565637 छात्रों को लाभान्वित किया गया है। सामान्य वर्ग योजनान्तर्गत रु0 6.11 करोड़ की धनराशि ट्रांजेक्शन फेल होने के कारण छात्रों के बैंक खाते में अंतरित नहीं हो सकी।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति से वंचित 58093 छात्रों के सापेक्ष आवश्यक धनराशि रु0 177.43 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से करायी जा रही है।

सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति योजना फण्ड एण्डेड योजना होने के कारण देयता अग्रेनीत नहीं की जाती है। उक्त देयता उसी वित्तीय वर्ष में समाप्त मानी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

45-श्री रमा शंकर सिंह-

[1 शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में आयोजित इनवेस्टर समिट-2018 में आये हुये निवेशकों एवं भेजे गये आमंत्रण के सम्बन्ध में

46-श्री सुखेदव राजभर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयोजित इनवेस्टर समिट, 2018 में निवेशकों को भेजे गये आमंत्रण तथा उक्त समिट में भाग लेने हेतु उपस्थित निवेशकों की सूची सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी हां।

सूची उद्योग बन्धु की बेवसाइट www.udyogbandhu.com पर उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के अन्तर्गत मल्लावां में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना विषयक

47-श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू''-

क्या कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों को प्रशिक्षित करने एवं कृषि को उन्नतशील बनाने हेतु जनपद हरदोई अन्तर्गत मल्लावां में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं। कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना तथा शत प्रतिशत वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा आई0सी0ए0आर0 के माध्यम से किया जाता है। जनपद हरदोई में कृषि विज्ञान केन्द्र तत्योरा पूर्व से स्थापित है तथा आई0सी0ए0आर0-आई0आई0आई0 पी0आर0, कानपुर के अन्तर्गत राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, जैतपुर, हरदोई में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद महाराजगंज के प्रश्नकर्ता द्वारा 29-05-2018 निदेशक, कृषि प्रसार को दिये गये पत्र के सम्बन्ध पर कार्यवाही कराने विषयक

48-श्री प्रेमसागर पटेल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-5-2018 जो कि उप निदेशक कृषि प्रसार, जनपद महाराजगंज के द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां, किन्तु पत्र दिनांक 29-05-2018 का न होकर 26-05-2018 का है।

शिकायतों की जांच हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1603/12-1-18-916/2018, दिनांक 09-07-2018 द्वारा श्री शिवराम त्रिपाठी, विशेष सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी थी, जिसमें श्री एस0आर0 कौशल, कृषि निदेशक स्तर एवं वित्त नियंत्रक के प्रतिनिधि वरिष्ठ लेखाधिकारी, सदस्य थे। समिति की जांच आख्या प्राप्त हो गयी है। जांच आख्या में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के भानपुर में मण्डी समिति मुख्यालय स्थापित विषयक पत्र दिनांक 21-3-2018 क्र0स0 क-6 नं0 180003 पर कार्यवाही विषयक

49-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के भानपुर तहसील मुख्यालय के अन्तर्गत भानपुर में मण्डी समिति मुख्यालय स्थापित करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क्र0सं0 क-6 नं0 180003, दिनांक 21-03-2018 अपर निदेशक (प्रशासन) मण्डी परिषद्, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

जी हां।

संदर्भित पत्र दिनांक 21-03-2018 में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में उप निदेशक (प्रशा0/विप0), मण्डी परिषद्, बस्ती से परीक्षण कराकर आख्या प्राप्त की गयी। उप निदेशक (प्रशा0/विप0), मण्डी परिषद्, बस्ती की आख्या दिनांक 20-03-2018 के अनुसार तहसील भानपुर क्षेत्रान्तर्गत 10 कि0मी0 की परिधि में 05 नग ए0एम0एच0 निर्मित होने तथा संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित मानक पूरे न होने के कारण भानपुर को मण्डी/उपमण्डी घोषित/निर्माण कराये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में मण्डी परिषद् के कराये गये कार्यों के भुगतान से सम्बन्धित पत्र दिनांक 21-3-2018 क्र0स0 148520 पर कार्यवाही विषयक

50-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि मण्डी परिषद् के कराये गये कार्यों के भुगतान से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र क्र0सं0 148520 दिनांक 21-03-2018 निदेशक मण्डी परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-148520, दिनांक 21-03-2018 के बजाय पत्र संख्या-180041, दिनांक 21-03-2018 प्राप्त हुआ है।

मण्डी परिषद्, बस्ती द्वारा जनपद-बस्ती में कराये गये प्रथम चरण के सम्पर्क मार्गों के गड्ढामुक्त/मरम्मत कार्यों के भुगतान हेतु परिषद् मुख्यालय द्वारा अवमुक्त धनराशि रु0 355.98 लाख (लेबर सेस एवं कंटीजेन्सी सहित) के सापेक्ष रु0 310.47 लाख का भुगतान कर दिया गया है। द्वितीय चरण के सम्पर्क मार्गों के गड्ढामुक्त/मरम्मत कार्यों के भुगतान हेतु अवमुक्त धनराशि रु0 13.02 लाख (लेबर सेस एवं कंटीजेन्सी सहित) के सापेक्ष रु0 12.60 लाख का भुगतान किया

गया है। प्रथम एवं द्वितीय चरण में कराये गये कार्यों हेतु उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद्, बस्ती द्वारा मांगी गई धनराशि रु0 323.62 लाख, दिनांक 25-07-2018 को आवंटित कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत केन्द्र पर कृषि उत्पाद भण्डारण केन्द्र स्थापित करने की मांग

51-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि उत्पादों के खाद्यान के भण्डारण करने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत केन्द्र पर कृषि उत्पाद भण्डारण केन्द्र स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में उप-मण्डी गभाना को पूर्ण मण्डी का दर्जा दिये जाने विषयक

52-श्री दलवीर सिंह-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद अलीगढ़ में उप मण्डी गभाना को पूर्ण मण्डी का दर्जा दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

जी नहीं। गभाना में वर्तमान में हाटपैठ संचालित है, न कि उपमण्डी। संचालक मण्डल की 155वीं बैठक दिनांक 24-07-2018 को निर्धारित किये गये मानकों के अनुसार गभाना को उप मण्डी स्थल घोषित नहीं किया जा सकता है। अतः पूर्ण मण्डी का दर्जा दिये जाने का औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊंचाहार में उप मण्डी का निर्माण कराने की मांग

53-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊंचाहार में वर्ष 2016-17 में ऊंचाहार उप मण्डी निर्माण के लिये दी गयी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त भी अभी तक उप मण्डी का निर्माण न हो पाने के लिये जांच कराकर उप मण्डी का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड, ऊंचाहार में वर्ष 2016-17 में ऊंचाहार उप मण्डी के निर्माण के लिए भूमि क्रय करने हेतु मण्डी समिति वित्तीय रूप से सक्षम न होने के कारण कोई प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में अनुसूचित जाति के बच्चों को फीस प्रतिपूर्ति व छात्रवृति दिलाये जाने की मांग

54-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति के बच्चों को सरकार फीस प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति दिलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

अनुसूचित जाति के माता-पिता/अभिभावक जिनकी वार्षिक आय सीमा रु0 2.50 लाख तक है को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा माह अप्रैल, 2018 में प्राख्यापित गाइडलाइन के अनुक्रम में राज्य सरकार से प्रख्यापित उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमवाली, 2012 व तद्विषयक संशोधनों के अन्तर्गत विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों/पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों विभिन्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

वर्ष 2017-18 में 1221653 अनुसूचित जाति छात्रों के बैंक खातों में रु0 177806.00 लाख की धनराशि अन्तरित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय में संचालित स्टेट रेफरल सेंटर के कर्मचारियों का वेतन समय पर भुगतान कराने विषयक

55-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय में संचालित स्टेट रेफरल सेंटर के कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय में संचालित स्टेट रेफरल सेंटर भारत सरकार की एन0पी0आर0पी0डी0 योजना से आच्छादित है और इसमें कार्यरत स्टाफ को संविदा के आधार पर मानदेय का भुगतान भारत सरकार से प्राप्त धनराशि से किया जाता है। स्टेट रेफरल सेंटर के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये चिकित्सालय द्वारा रु0 10,44,936/- की धनराशि की मांग की गई थी, जिसका भुगतान चेक संख्या-017454, दिनांक 20 अगस्त, 2018 द्वारा कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सामूहिक विवाहों में दी जाने वाली धनराशि एवं उपहारों के सम्बन्ध में

56-श्री सुखदेव राजभर-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामूहिक विवाहों में शादी के जोड़ों को उपहार एवं नकद धनराशि दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो उपहार तथा नकद धनराशि कितनी-कितनी है ? क्या सरकर को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ में नगद धनराशि विवाहित जोड़ों को नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त जनपद को आवंटित धनराशि के अनुरूप सामूहिक विवाहों का आयोजन न हो पाने के कारण आवंटित धनराशि को वापस कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत शादी हेतु प्रति जोड़ा रु0 20,000/- नकद कन्या के खातें में अन्तरित किये जाने तथा रु0 10,000/- की सामग्री/उपहार दिये जाने की व्यवस्था है, किन्तु विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामलें में नकद धनराशि रु0 25,000/- तथा वैवाहिक सामग्री/उपहार हेतु धनराशि रु0 5,000/- दिये जाने की व्यवस्था है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत अपर मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत तथा एन0जी0ओ0 के माध्यम से सामूहिक विवाह कराये जाने का प्राविधान है, जिसके अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी/तहसील मुख्यालयों पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से तथा सम्बन्धित अधिकारियों की जिलाधिकारियों के अध्यक्षता में बैठकों का आयोजन कर व्यापक प्रचार-प्रसार कराया गया। काफी प्रयास के बाद भी आवंटित लक्ष्य की पूर्ति नहीं की जा सकी। जनपद में मात्र एन0जी0ओ0 के माध्यम से ही 31 जोड़ों की शादी सम्पन्न करायी गयी जिसमें निदेशालय द्वारा आवंटित कुल धनराशि रु0 557.90 लाख के सापेक्ष रु0 10.85 लाख की धनराशि व्यय हुई तथा अवशेष रु0 547.05 लाख की धनराशि समर्पित की गयी।

जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र के विकास खण्ड गोसाईगंज में नवनिर्मित मण्डी के संचालन के सम्बन्ध में

57-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड गोसाईगंज के ग्राम मोहारी कला में कृषि विभाग द्वारा निर्मित नवीन मण्डी को अभी तक किसानों के लिये चालू/संचालित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नवीन किसान मण्डी को चालू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

विकास खण्ड गोसाईगंज के ग्राम मोहारी कलां में मण्डी का निर्माण कृषि विभाग द्वारा नहीं कराया गया है, बल्कि उप मण्डी स्थल का निर्माण मण्डी परिषद् द्वारा कराया गया है जिसमें 5 नग 'स' श्रेणी की दुकानें एक छायादार नीलामी नीलामी चबूतरा, एक 5000 मी0टन क्षमता का गोदाम, एक नग आवासीय भवन, एक नग कार्यालय भवन, एक नग चेकपोस्ट तथा पुलिस चौकी निर्मित है। पांच नग दुकानों में से तीन नग दुकानों का आवंटन हो चुका है। शेष दो दुकानें अनुसूचित जाति वर्ग हेतु आरक्षित हैं। आरक्षित श्रेणी से लाइसेन्सी आवेदकों के अभाव में इनका आवंटन नहीं हो सका है। उप मण्डी स्थल में निर्मित कार्यालय भवन संचालित है। रबी विपणन वर्ष 2018-19 में किसानों को सरकार द्वारा गेंहू क्रय केन्द्र खोला गया था जिसमें किसानों से 3527 कुन्तल गेंहू की खरीद की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवंटित आवासों के निरस्तीकरण की सूचना

58-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में कितने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवंटित राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासों का नवीनीकरण निरस्त किया गया है और निरस्तीकरण के क्या कारण है ? क्या आवास निरस्तीकरण से पूर्व ऐसे पत्रकारों (सम्पादकों) को कोई सूचना दी गयी थी ? यदि हां, तो कब-कब दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्तमान वर्ष में 17 पत्रकारों को आवंटित आवासों का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

राज्य सम्पति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन नियमावली, 2016 के नियम-3(4) में पत्रकारों/वरिष्ठ पत्रकारों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार-विमर्श कर संस्तुति करने का अधिकार एतदर्थ गठित समिति में निहित है। उक्त समिति द्वारा पत्रकारों/वरिष्ठ पत्रकारों को आवंटित आवासों का नवीनीकरण की संस्तुति न किए जाने के कारण उनकों आवंटित आवासों का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पत्रकार/वरिष्ठ पत्रकार को आवंटित आवास का नवीनीकरण एतदर्थ गठित समिति की संस्तुति के दृष्टिगत किया जाता है। यदि समिति द्वारा नवीनीकरण किए जाने का औचित्य नहीं पाया जाता है, तो उसकी सूचना पत्र के माध्यम से सम्बन्धित को दी जाती है। उपर्युक्त प्रकरणों में नवीनीकरण न किए जाने की सूचना सम्बन्धित को भेज दी गई है।

जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र औरैया में प्रस्तावित प्लास्टिक पार्क के कार्य को प्रारम्भ करने की मांग

59-श्री रमेश चन्द्र दिवाकर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र औरैया में स्वीकृत प्लास्टिक पार्क के कार्य को सरकार प्रारम्भ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी नहीं, जनपद औरैया में प्लास्टिक पार्क की स्थापना हेतु प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट दिनांक 27-01-2016 को भारत सरकार के केमिकल एवं फर्टिलाजर मंत्रालय, नई दिल्ली को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित की गयी थी, जिसे भारत सरकार द्वारा यह परियोजना ग्रीन फील्ड (अविकसित) न होकर ब्राउन फील्ड विकसित होने के आधार पर दिनांक 26-02-2016 को निरस्त कर दी गयी।

दिनांक 11-05-2016 को विचारार्थ पत्र पुनः प्रेषित किया गया जिस पर भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 23-6-2016 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि इस प्रस्ताव पर इस समय विचार किया जाना सम्भव नहीं है तथा अगले चरण में नये प्लास्टिक पार्कों की स्वीकृति पर विचार करते समय पुनः विचार किया जायेगा।

प्रश्नगत प्रकरण पर पुनः विचार करने हेतु निगम द्वारा दिनांक 27-10-2017 को पत्र प्रेषित किया गया परन्तु भारत सरकार के केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स मन्त्रालय के पत्र दिनांक 05-01-2018 द्वारा पुनः परियोजना पर विचार करने पर असमर्थता व्यक्त की गयी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र औरैया में स्टेडियम स्थापित कराने विषयक

60-श्री रमेश चन्द्र दिवाकर-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र औरैया में स्टेडियम नहीं होने से खिलाड़ियों को होने वाली समस्या के निराकरण हेतु मिनी स्टेडियम का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश शासन, राज्य योजना आयोग-1, योजना भवन, लखनऊ के अर्द्ध0 शा0 प0 संख्या-10(4)/35-आ-1/2011-97, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 द्वारा ग्रामीण स्टेडियम की योजना

ड्राप कर दी गयी है, जिसके फलस्वरूप वर्तमान में नये ग्रामीण स्टेडियमों का निर्माण नहीं कराया जा रहा है तथा विभाग के पास इस मद में कोई बजट उपलब्ध नहीं है।

जनपद झांसी के अन्तर्गत गरौठा विधान सभा में चावल मिल की स्थापना के सम्बन्ध में

61-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद के अन्तर्गत आने वाले गरौठा विधान सभा क्षेत्र के धान उत्पादक किसानों के हित में क्या चावल मिल की स्थापना की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी नहीं। चावल मिल की स्थापना व्यक्तिगत उद्यमियों द्वारा उत्पादन हेतु समस्त कारक तत्व यथा कच्चेमाल (धान) की उपलब्धता, कुशल/अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता बिजली, पानी की उपलब्धता आदि के विश्लेषणोंपरान्त स्वविवेक से किया जाता है और इस हेतु सरकार की भूमिका प्रोत्साहन प्रदान करने की होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

62-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

[विषय राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में बने गांधी आश्रम की मरम्मत कराने विषयक

63-श्री सुभाष पासी-

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सैदपुर 374 में सैदपुर गांधी आश्रम का भवन जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवन का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यदेव पचौरी-

सैदपुर गांधी आश्रम का भवन क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, सैदपुर, गाजीपुर द्वारा संचालित है, जो स्वयंसेवी संस्था होने के साथ ही भारत सरकार के अधीनस्थ खादी और ग्रामोद्योग आयोग से पंजीकृत/वित्त पोषित एवं नियंत्रणाधीन है। सम्पत्तियों के रख-रखाव तथा प्रशासनिक नियंत्रण का कार्य संस्था द्वारा स्वयं किया जाता है। अतः उक्त संस्था के जर्जर भवन का पुनर्निर्माण खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश भवन दिल्ली के अतिथि गृह में साफ सफाई एवं चद्दर, कम्बल आदि के साफ सफाई पर ध्यान देने विषयक

64-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश भवन दिल्ली के अतिथि गृह में गन्दे कम्बल, चद्दर एवं फटे पिलोकवर के कारण अतिथियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ?

यदि हां, तो क्या सरकार दिल्ली स्थित यू0पी0 भवन अतिथि गृह में साफ-सफाई एवं गन्दे एवं फटे चद्दर, पिलोकवर, कम्बल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली के सभी कक्षों की प्रतिदिन साफ सफाई की जाती है। धुली हुई चद्दर, पिलोकवर, तौलिया, कम्बल माननीय अध्यासित महानुभावों के आने के पूर्व ही लगा दिया जाता है। अध्यासित महानुभावों के कक्षों में हाउसकीपर द्वारा प्रतिदिन पूछताछ कर साफ सफाई कराई जाती है, तत्पश्चात चद्दर, पिलोकवर, तौलिया, कम्बल बदला जाता है। माननीय अध्यासित महानुभावों द्वारा अतिरिक्त रूप से चद्दर, पिलोकवर, तौलिया, कम्बल मांगने पर तत्समय ही उपलब्ध करा दिया जाता है। माननीय विधायकों/अध्यासित महानुभावों को सदैव अच्छी से अच्छी सेवा दिए जाने का प्रयास किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

65-श्री मो0 फईम इरफान-

[01 शुक्रवार के अता0प्र0सं0-193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मिर्जापुर राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् निर्माण शाखा में अवर अभियन्ता के स्थानान्तरण की अनियमितता एवं कार्यकाल की जांच कराने के सम्बन्ध में

66-श्री देवमणि द्विवेदी-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद मिर्जापुर में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् निर्माण शाखा में कतिपय अवर अभियन्ता स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध लगभग बीस वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बीस वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर तैनात अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

निर्माण खण्ड, मिर्जापुर में 02 अवर अभियन्ता (समूह-'ग') लगभग 22 वर्षों से तैनात हैं किन्तु स्थानान्तरण नीति में समूह-'ग' के कार्मिकों के लिए जनपद/मण्डल में तैनाती अवधि की कोई सीमा निर्धारित न होने के कारण इनकी तैनाती उक्त नीति के विरुद्ध नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि इनमें से एक अवर अभियन्ता लगभग 06 वर्ष पूर्व एवं दूसरे लगभग 03 वर्ष पूर्व विनियमित हुए हैं और इसके पूर्व यह गैर नियमित डिप्लोमाधारक कर्मी के रूप में कार्यरत रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा में राज्य कृषि मण्डी परिषद् में कार्यरत सहायक अभियन्ता के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

67-श्री देवमणि द्विवेदी-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि गोण्डा में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् निर्माण शाखा में कार्यरत सहायक अभियन्ता स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध पच्चीस वर्षों से फैजाबाद एवं गोण्डा में अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पच्चीस वर्षों से फैजाबाद एवं गोण्डा में कार्यरत उक्त सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वाती सिंह-

निर्माण खण्ड गोण्डा में श्री राजेश कुमार दिनांक 16-07-2016 से अवर अभियन्ता के पद पर तथा प्रोन्नति के फलस्वरूप दिनांक 04-02-2017 से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत हैं। इस प्रकार श्री राजेश कुमार, अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता (सिविल) के रूप में निर्माण खण्ड गोण्डा में 02 वर्ष 01 माह कार्य करते हुआ है। श्री राजेश कुमार जनपद फैजाबाद में अवर अभियन्ता के रूप में दिनांक 28-09-1994 से 31-10-1997 तक तथा 17-06-1999 से 17-05-2016 तक फैजाबाद में कार्यरत रहे। परिषद् के पत्र दिनांक 06-08-2016 द्वारा मण्डी परिषद् फैजाबाद के अवर अभियन्ता (सिविल) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। परिषद् के आदेश दिनांक 14-08-2018 द्वारा निर्माण खण्ड मण्डी परिषद् फैजाबाद का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है।

श्री राजेश कुमार वर्तमान में फैजाबाद में न तैनात है, न तो उनके पास अतिरिक्त प्रभार है।

जनपद गोण्डा में अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता (सिविल) के रूप में निर्माण खण्ड गोण्डा में 02 वर्ष 01 माह कार्य करते हुआ है। इसलिए स्थानान्तरण नीति से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद में टेलीफोन एक्सचेन्ज के आस-पास गन्दे पानी की नालियों की सफाई के सम्बन्ध में

68-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद में टेलीफोन एक्सचेन्ज के पास गन्दे पानी की निकासी हेतु बनी नालियां गंदगी से भरी होने के कारण जल निकासी नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी सफाई कराकर दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी नहीं, इस प्रयोजनार्थ सरकार नहीं अपितु उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, जो प्रदेश सरकार का एक उपक्रम है, जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद में टेलीफोन एक्सजेन्ज के पास गन्दे पानी की निकासी हेतु बनी नालियों की सफाई की व्यवस्था करेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

69-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

[दिनांक 27-08-2018 को अता0 प्र0 सं0-149 द्वारा उत्तरित]

70-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

[दिनांक 29-08-2018 को अता0 प्र0 सं0-196 द्वारा उत्तरित]

71-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

[दिनांक 28-08-2018 को अता0 प्र0 सं0-192 द्वारा उत्तरित]

72-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

[दिनांक 27-08-2018 को अता0 प्र0 सं0-150 द्वारा उत्तरित]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में लघु उद्योग के अन्तर्गत हैण्डिक्राफ्ट के प्रोत्साहन हेतु कार्य योजना विषयक

73-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के नगीना में लघु उद्योग के अन्तर्गत हैण्डिक्राफ्ट कारोबार को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार कोई नीति बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यदेव पचौरी-

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

शासनादेश संख्या-1473/18-4-2014-21(विविध)/14, दिनांक 22-12-2014 द्वारा प्रदेश में 'उ0प्र0 हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति-2014' लागू की गयी है, जिसका मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर में सुधार एवं व्यक्तिगत विकास सुनिश्चित करना, हस्तशिल्प उत्पादों की विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार तथा कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। 'एक जनपद एक उत्पाद' योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-3/2018/121/18-4-2018-18(विविध)/17टी0सी0, दिनांक 7-3-2018 द्वारा जनपद बिजनौर के लिए काष्ठ शिल्प (वुडेन क्राफ्ट) उत्पाद चयनित किया गया है। जनपद के क्षेत्र विशेष नगीना से उत्पाद के हैण्डीक्राफ्ट के कारोबारियों द्वारा भारत सरकार की क्लस्टर योजना एम0एस0ई0-सी0डी0पी0 में आवेदन किया जा सकता है।

जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद में गंदे पानी की निकासी सड़कों की सफाई व रोशनी आदि की व्यवस्था कराने हेतु

74-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद में क्या यू0पी0एस0आई0डी0सी0 गंदे पानी की निकासी सड़कों की सफाई व रोशनी तथा पार्कों के विकास हेतु सरकार कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी नहीं, इस प्रयोजनार्थ सरकार नहीं, अपितु उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, जो प्रदेश सरकार का एक उपक्रम है, जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद में गंदे पानी की निकासी, सड़कों की सफाई व रोशनी तथा पार्कों के विकास हेतु व्यवस्था करेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत फसलों पर अनुदानों का विवरण

75-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुदान संख्या-011 (2018-2019) से नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत किन-किन फसलों पर अनुदान देय है तथा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत सरकार प्रति किसान कितनी धनराशि सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराती है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि किन-किन फसलों के लिए देय है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत-धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, सावां अरहर, उड़द, मूंग, गेहूं, जौ, चना, मटर एवं मसूर फसलों में अनुदान देय है।

नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम जैसे-बीज वितरण, फसल प्रदर्शन, कृषि यंत्र, कृषि निवेश एवं सिंचाई उपकरणों आदि पर निर्धारित अनुदान देय है। प्रत्येक किसान को अधिकतम 2 हे0 क्षेत्र सीमा तक अनुदान अनुमन्य है। विस्तृत विवरण अनुलग्नक-1 पर संलग्नक† है।

जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र के लिये वर्ष 2018-2019 में गेहूं फसल के अन्तर्गत रु0 1290000 एवं दलहनी फसलों (अरहर, उड़द, मूंग, मटर एवं मसूर) के लिये रु0 249150 अनुदान देय है, जिसका विवरण अनुलग्नक-2 पर संलग्न†† है।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषकों के निजी नलकूपों की विद्युत आपूर्ति हेतु उ0प्र0 विद्युत निगम को अनुदान के सम्बन्ध में

76-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुदान संख्या-011 (2018-2019) कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों की विद्युत आपूर्ति हेतु उ0प्र0 विद्युत निगम का अनुदान (सब्सिडी) की धनराशि उपलब्ध है ? यदि हां, तो उक्त में खड्डा

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या-178-188 पर।)

†† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या-189 पर।)

विधान सभा क्षेत्र के किसानों के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध है तथा इसे प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से किसान पात्र हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-011 के मानक मद-27 सब्सिडी में रुपये 600.00 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है। शासनादेश संख्या : 22/2018/1370/12-2-2018-बजट-3/2010, दिनांक 23 मई, 2018 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रुपये 300.00 करोड़ की धनराशि निर्गत की गयी है।

कृषि विभाग द्वारा विधान सभावार/जनपदवार/विकास खण्डवार अथवा कृषकवार धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है।

निजी नलकूप, जो विद्युत विभाग द्वारा ऊर्जीकृत हैं, उनके समस्त उपभोक्ता उक्त अनुदान के पात्र होते हैं। कृषि विभाग के द्वारा इस प्रयोजन हेतु धनराशि ऊर्जा विभाग को उपलब्ध करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन के रूप में प्रमाणित बीजों व संकर बीजों पर अनुदान के सम्बन्ध में

77-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुदान संख्या-011 (2018-2019) कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के तहत संकर बीजों के उपयोग से किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रमाणित बीजों व संकर बीजों पर अनुदान देने के लिए सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध है ? यदि हां, तो उक्त में खड्डा विधान सभा क्षेत्र के कितने किसानों को खरीफ की फसल पर कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गयी है व रबी की फसल के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

खड्डा विधान सभा के 543 किसानों को खरीफ की विभिन्न फसलों के वितरित बीजों पर रुपये 2.70 लाख अनुदान की धनराशि कृषकों के बैंक खातों में डी0बी0टी0 प्रक्रिया द्वारा हस्तान्तरित की गयी है।

रबी फसलों के लिए विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य सेक्टर की योजनाओं के अन्तर्गत वितरित प्रमाणित एवं संकर बीजों हेतु पंजीकृत कृषकों को निर्धारित अनुमन्य अनुदान की सीमा के अन्तर्गत धनराशि डी0बी0टी0 प्रक्रिया के द्वारा कृषकों को सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

सोलर फोटो वैलेटिक इरीगेशन पम्प की स्थापना पर अनुदान की योजना

78-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुदान संख्या-011 (2018-2019) कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के तहत सोलर फोटो वैलेटिक इरीगेशन पम्प की स्थापना पर अनुदान की योजना है ? यदि हां, तो उक्त के खड्डा विधान सभा क्षेत्र में अब तक इस योजना से कितने किसान लाभान्वित हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

वर्ष 2017-18 व अनुदान संख्या-011 (2018-19) में खड्डा विधान सभा के अन्तर्गत सोलर फोटो वैलेटिक इरीगेशन पम्प योजनान्तर्गत क्रमशः 11 एवं 09 कृषकों का चयन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड सोहावल में आई0टी0आई0 भवन का अधूरा निर्माण पूर्ण कराये जाने विषयक

79-श्रीमती शोभा सिंह चौहान-

क्या व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के सोहावल विकास खण्ड में हाजीपुर वरसेंडी में आई0टी0आई0 भवन का निर्माण कार्य अधूरा है ? क्या यह सही है कि उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था बदल दी गयी है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त आई0टी0आई0 का निर्माण कार्य पूरा कराकर आगामी वर्ष में यहां कक्षाएं संचालित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में गुणवत्ता से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त होने के उपरान्त सिंचाई विभाग की टी0ए0सी0 सेल से जांच करायी गयी, जिसके फलस्वरूप जांच आख्या में वर्णित कमियों तथा अधोमानक कार्य के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था लैकफेड को बदलकर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् को किया गया।

प्रश्नगत निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए नवीन कार्यदायी संस्था द्वारा पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराया गया है। जिसके सापेक्ष स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही उक्त भवन में कक्षाओं का संचालन सम्भव हो सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधायक निवास-2 बी, दारूलसफा में पार्क सं0-2 में लगे पिलर के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में

80-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में विधायक निवास-2 दारूलसफा में आवास सं0-2 बी, 99 के सामने पार्क सं0-2 की बाउन्ड्रीवाल में पिलर टूट कर हिल रहे हैं ? यदि

हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क के बाउन्ड्रीवाल के पिलरों का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जी हां, मरम्मत का कार्य किया जा रहा है।

कार्य प्रगति पर है, जिसे यथाशीघ्र पूर्ण करा लिया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017-2018 में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कंपनियों द्वारा प्राप्त प्रीमियम धनराशि तथा मुआवजा के सम्बन्ध में

81-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनियों ने कुल कितनी प्रीमियम धनराशि प्राप्त की है तथा बीमा कम्पनियों द्वारा कृषकों को उक्त मद में कितना मुआवजा दिया गया है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

वर्ष 2017-18 के खरीफ व रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनियों ने कुल रुपये 1393.46 करोड़ का प्रीमियम प्राप्त किया तथा बीमा कम्पनियों द्वारा कृषकों को रुपये 321.51 करोड़ की धनराशि की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है।

प्रदेश में किसान फसल बीमा योजना के अन्तर्गत दिनांक 01-04-2017 से 30-03-2018 में किसानों को फसल के नुकसान के मुआवजें के सम्बन्ध में

82-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसान फसल बीमा योजना लागू है ? यदि हां, तो दिनांक 01-04-2017 से 30-03-2018 तक प्रदेश में किसान फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कुल कितने किसानों ने इस योजना के अन्तर्गत फसल के नुकसान के मुआवजे के दावे किये तथा कुल कितने किसानों को दावों का भुगतान किया गया है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश में किसान फसल बीमा योजना संचालित नहीं है, अपितु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के प्राविधानों के अनुरूप क्षतिपूर्ति देय होने पर क्षतिपूर्ति की धनराशि की बीमा कम्पनी द्वारा बैंक के माध्यम से सम्बन्धित कृषक के बैंक खाते में जमा कराया जाता है। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु कृषक का व्यक्तिगत दावा आवश्यक नहीं है।

दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 30 मार्च, 2018 तक वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 65.71 लाख बीमित कृषकों में से 10.31 लाख कृषकों को योजना के प्राविधानों के अनुरूप क्षतिपूर्ति देय होने पर बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान किया गया है।

प्रदेश में उद्योगों को बढ़वा देने के लिए घोषित एक जिला एक उत्पाद योजना के सम्बन्ध में

83-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा घोषित एक जिला एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर का घोषित उत्पाद क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यदेव पचौरी-

'एक जनपद एक उत्पाद' योजनान्तर्गत जनपद बुलन्दशहर का 'चीनी मिट्टी के बर्तन' उत्पाद को चयनित किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानवे के देवहट में छात्रों के लिए आई0टी0आई0 विद्यालय की स्थापना कराने विषयक

84-श्री राहुल प्रकाश-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे में देवहट (हलिया) में छात्रों के लिए आई0टी0आई0 विद्यालय की स्थापना हेतु स्थल चयनित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त स्थल पर सरकार आई0टी0आई0 विद्यालय कब तक स्थापित करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में जनपद मिर्जापुर में कुल 03 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यथा-मिर्जापुर, छानवे तथा चुनार (विकास खण्ड-जमालपुर) संचालित हैं। इसके अतिरिक्त जनपद मिर्जापुर में वर्तमान में लगभग 58 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है। इस प्रकार जनपद मिर्जापुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की पर्याप्त उपलब्धता है।

किश्तों का भुगतान कर चुके व्यक्तियों को यूनिटेक नोएडा कम्पनी द्वारा फ्लैट आवंटन न कराने के सम्बन्ध में

85-श्री संजय गर्ग-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यूनिहोम-3, सेक्टर-113, नोएडा में यूनिटेक कम्पनी नोएडा से वर्ष 2012 में फ्लैट आवंटन हेतु रजिस्ट्रेशन कराकर उसके सापेक्ष निर्धारित धनराशि ऋण लेकर कम्पनी के खाते में जमा कराये जाने के बावजूद भी लोगों को उक्त कम्पनी द्वारा

उन्हें फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आवंटियों को उनका कब्जा अथवा जमा धनराशि ब्याज सहित वापस दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बायर्स/फ्लैट क्रेताओं की समस्या के दृष्टिगत गठित माननीय मंत्री समूह द्वारा जनपद नोएडा बायर्स/फ्लैट क्रेताओं, बिल्डर्स तथा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बायर्स की समस्या के समाधान हेतु की गयी बैठकों में यूनिटेक कम्पनी नोएडा से वर्ष 2012 में फ्लैट आवंटन हेतु रजिस्ट्रशन कराने तथा निर्धारित किश्तों का भुगतान कर चुके व्यक्तियों के संदर्भ में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी हां।

इस सम्बन्ध में रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 18-08-2018 को बिल्डर्स के साथ बैठक की गई जिसमें मै0 यूनिटेक लि0 के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। बैठक में अध्यक्ष रेरा द्वारा विभिन्न बिल्डर्स के साथ-साथ मै0 यूनिटेक लि0 को भी अपनी परियोजनाएं शीघ्र पूर्ण करते हुए फ्लैट्स का कब्जा बायर्स को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा सोरांव अनाथलय, वृद्धाआश्रम स्थापित कराने विषयक

86-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में एक भी अनाथालय, वृद्धाश्रम नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार ब्लाक सोरांव व ब्लाक बहरियां में एक-एक अनाथालय, वृद्धाश्रम की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

उ0प्र0 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2014 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में एक वृद्धाश्रम संचालित किये जाने की व्यवस्था है, जिसके अनुक्रम में जनपद इलाहाबाद में 5/12 ई-चकदोदी बाबा गार्डेन के सामने अरैल मोड नैनी, इलाहाबाद में एक वृद्धाश्रम संचालित है, जिसमें स्वीकृत क्षमता 150 के सापेक्ष 55 वृद्ध संवासी निवासरत हैं। जनपद इलाहाबाद में अन्य किसी वृद्धाश्रम की स्थापना किया जाना विचाराधीन नहीं है। अनाथालय से सम्बन्धित योजना महिला कल्याण विभाग से व्यवहरित की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

किसानों के मध्य स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण योजना के द्वारा किसानों को अनुदान के सन्दर्भ में

87-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुदान संख्या-011 (2018-2019) कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (कृषि) के तहत किसानों के मध्य स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण योजना के द्वारा किसानों को अनुदान देने की योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र में 2017-2018 में इस योजना का लाभ कितने किसानों को दिया गया तथा वित्तीय वर्ष 2018-2019 में इस योजना के तहत उक्त क्षेत्र हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध है और इस योजना के लिये कौन से किसान पात्र होंगे तथा इसे प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने की योजना तथा प्रदेश के अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमीक्रिटिकल विकास खण्डों में स्प्रिंकलर सेट वितरण की योजना के अन्तर्गत कृषकों को अनुदान दिया जा रहा है। जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र उक्त दोनों योजनाओं से आच्छादित नहीं है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2017-18 में नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पॉम तथा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन योजना के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र में किसी भी कृषक द्वारा अनुदान पर स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली नहीं ली गयी है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पॉम तथा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन योजना के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली हेतु रु0 20,000.00 (रु0 बीस हजार) की अनुदान धनराशि उपलब्ध है।

योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु समस्त श्रेणी के कृषकों को अनुदान अनुमन्य है।

स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर अनुदान प्राप्त करने हेतु कृषक विभाग के विभागीय पोर्टल पर स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली हेतु ऑनलाइन पंजीकरण कराकर प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

पं0 दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के तहत अनुदान के सन्दर्भ में

88-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुदान संख्या-011 (2018-2019) कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के तहत किसानों को पं0 दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के तहत अनुदान देने की योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस योजना में सम्मिलित होने के लिए कौन-कौन से किसान पात्र होंगे तथा जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र के किसानों के लिए इस योजना में वित्तीय वर्ष 2018-2019 में कितनी धनराशि उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

अनुदान संख्या-011 में वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों यथा-झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर एवं चित्रकूट को छोड़कर उत्तर प्रदेश के शेष 68 जनपदों में शत प्रतिशत अनुदान पर बीहड़/बंजर तथा जलभराव क्षेत्र के उपचार हेतु पं0 दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना संचालित है।

पं0 दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं का चयन जलसमेट क्षेत्र के आधार पर किया जाता है तथा परियोजना क्षेत्र में मुख्य रूप से लघु/सीमान्त कृषक तथा अपरिहार्य परिस्थिति में जलसमेट क्षेत्र मे आने वाले सामान्य कृषक का चयन भी किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र के लिए रु0 63.917 लाख की धनराशि उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मनरेगा से भी रु0 4.50 लाख की धनराशि उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

89-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

[दिनांक 28-08-2018 को अता0 प्र0 सं0-191 द्वारा उत्तरित]

90-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

[दिनांक 28-08-2018 को अता0 प्र0 सं0-190 द्वारा उत्तरित]

जनपद बस्ती के तहसील मुख्यालय रुधौली व भानपुर में स्टेडियम बनवाये जाने के सम्बन्ध में

91-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मुख्यालय रुधौली व भानपुर जनपद बस्ती में स्टेडियम बनवाये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्रांक सं0 क-6 नं0- 014073 दिनांक 12-6-2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान-

जी नहीं। तहसील मुख्यालय रुधौली व भानपुर, जिला-बस्ती में स्टेडियम बनवाये जाने से सम्बन्धित आपका पत्रांक संख्या-सं0 क-6 नं0 014073 दिनांक 29 मई, 2017 प्राप्त हुआ है।

जिला युवा कल्याण एवं प्रादेषिक विकास दल अधिकारी, बस्ती की रिपोर्ट के अनुसार तहसील रुधौली में स्टेडियम के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है।

तहसील-भानपुर, जनपद-बस्ती में भारत सरकार की खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत मल्टीपरपज हॉल के निर्माण हेतु शासन के पत्र संख्या-1599/पचास-यु0क0-2017-18 (विविध)/2016 दिनांक 22 सितम्बर, 2017 द्वारा रु0 295.00 लाख का प्रस्ताव युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया जा चुका है।

खेलो इण्डिया योजना, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की योजना है। अतः इस योजनान्तर्गत प्रस्तावों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। चूंकि भारत सरकार से उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, अतः इस सम्बन्ध में सम्प्रति कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 में यू0पी0 स्टेट एग्रो में कार्यरत केन्द्र अधिकारी एवम क्षेत्रीय प्रबन्धक के पदों पर तैनात अधिकारियों की योग्यताा विषयक

92-श्री उज्जवल रमण सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 में यू0पी0 स्टेट एग्रो में कितने केन्द्र अधिकारी एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक के पदों के सापेक्ष कितने इंटरमीडिएट अर्हताधारी अधिकारी तैनात हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 में 49 केन्द्र प्रभारी इण्टरमीडिएट अर्हताधारी के हैं एवं क्षेत्रीय प्रबंधक के पदों के सापेक्ष इण्टरमीडिएट अर्हताधारकों की संख्या शून्य है।

उ0प्र0 में यू0पी0 स्टेट एग्रो में कार्यरत चपरासी के प्रोन्नति के विषयक

93-श्री उज्जवल रमण सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में यू0पी0 स्टेट एग्रो में मात्र इण्टरमीडिएट अर्हताधारी चपरासी से कितने विक्रय अधिकारी पद पर प्रोन्नत किये गए हैं ? क्या यह भी सत्य है कि इण्टरमीडिएट अर्हताधारी केन्द्र अधिकारी को प्रभारी क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद पर तैनात किया गया है और उनके अधीन कृषि स्नातक कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 के कार्यालय आदेश संख्याः 414/23-3/अ0सू0/89 दिनांक 23 अगस्त, 1989 द्वारा इण्टरमीडिएट अर्हता वाले चपरासी पद से विक्रय अधिकारी के पद पर 09 पदोन्नतियां की गयी थीं जिसमें से वर्तमान में 05 कार्मिक कार्यरत हैं।

किसी भी इण्टरमीडिएट अर्हताधारी केन्द्र प्रभारी को प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर तैनात नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 में यू0पी0 स्टेट एग्रो में क्षेत्रीय प्रबन्धक के कुल सृजित पदों में आरक्षित श्रेणी की अनियमितता के सम्बन्ध में

94-श्री उज्जवल रमण सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 में यू0पी0 स्टेट एग्रो में क्षेत्रीय प्रबन्धक के कुल सृजित पदों के सापेक्ष मात्र दो सामान्य श्रेणी के तथा शेष आरक्षित श्रेणी में तैनाती कर अनियमितता की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 में सामान्य वर्ग की नियुक्तियां एवं पदोन्नतियों पर प्रतिबंध होने के कारण क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद का कार्य आरक्षण के आधार पर नहीं लिया जा रहा है बल्कि कार्मिकों की उपलब्धता एवं उपयुक्तता के आधार पर कार्य लिया जा रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्थापित उद्योगों एवं पूंजी निवेश के विवरण की मांग

95-श्री नितिन अग्रवाल-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान सरकार ने उद्योग लगाने के लिए कितने एम0ओ0यू0 साइन कराते हुए कितने उद्योग स्थापित कराये तथा कितने उद्यमियों ने पूंजी निवेश किया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी हां।

उत्तर प्रदेश इनवेस्टर्स समिट 2018 में कुल 1045 एम0ओ0यू0 साइन किये गये थे, जिसमें से 81 एम0ओ0यू0 की ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी दिनांक 29-07-2018 को की जा चुकी है।

उद्योगों की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है और उद्यमियों द्वारा पूंजी निवेश किया जाना भी एक सतत प्रक्रिया है, जिसके सम्बन्ध में सांख्यकीय विवरण सरकार द्वारा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

उक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी उपक्रम/निकाय विकास प्राधिकरण औद्योगिक विकास प्राधिकरण में सुरक्षा कर्मियों के रूप में होमगार्ड के जवानों की नियुक्ति के सम्बन्ध में

96-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी उपक्रम/निकाय/विकास प्राधिकरण/औद्योगिक विकास प्राधिकरण में सुरक्षा कर्मियों के रूप में होमगार्ड विभाग के जवानों की नियुक्ति करने के शासनादेश का पालन नोएडा/ग्रेटर नोएडा एवं यमुना प्राधिकरण में हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

होमगार्ड विभाग के शासनादेश संख्या-2224/छः नासु-9-39 दिनांक 23-06-2009 में यह दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अपने अधीनस्थ विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों/स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं शासकीय तथा अर्द्धशासकीय संस्थाओं में सुरक्षा गार्डस की आवश्यकता होने पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डस के स्थान पर अनिवार्य रूप से होमगार्डस स्वयं सेवकों/निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास/उ0प्र0/पूर्व सैनिक कल्याण निगम से सम्बद्ध पूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जाएं।

नोएडा में उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 तथा मै0 आयरन मैन सिक्योरिटी सर्विसेज प्रा0लि0 के माध्यम से सुरक्षा कर्मी तैनात किये गये हैं।

ग्रेटर नोएडा में निविदा के माध्यम से विभिन्न एजेन्सियों के द्वारा सुरक्षाकर्मी वर्तमान में तैनात हैं। प्राधिकरण के पत्र दिनांक 14-08-2018 द्वारा जिला कमाण्डेड होमगार्ड, गौतमबुद्धनगर से 381 होमगार्ड/सुरक्षाकर्मी को तैनात किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

यमुना एक्सप्रेस-वे में सुरक्षा हेतु भूतपूर्व सैनिक तैनात हैं। इस प्रकार होमगार्डस विभाग के शासनादेश का अनुपालन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में सुरक्षा के लिए प्रतिमाह व्यय धनराशि का विवरण

97-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में कुल कितने सुरक्षा कर्मी हैं एवं उनके लिए प्रतिमाह कितनी धनराशि व्यय की जा रही है।

श्री सतीश महाना-

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विभिन्न वर्क सर्किलों, विभिन्न परिसम्पत्तियों, उद्यान खण्डों, जल एवं सीवर संस्थानों, विद्युत अभियांत्रिकी खण्डों, विभिन्न कार्यालयों, अस्पतालों, पार्कों व अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा एवं नोएडा यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु कुल 626 सुरक्षा कर्मी (गार्ड/गनमैन/सुपरवाईजर/ए0एस0ओ0) तैनात किये गये हैं, जिन पर माह अप्रैल, 2018 में कुल रु0 1,58,57,343/- का भुगतान किया गया है।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कुल 551 नग सुरक्षा कर्मी लगाये गये हैं, जिन पर प्रतिमाह लगभग रु0 92.43 लाख की धनराशि व्यय की जा रही है।

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन को निराश्रित महिला पेंशन की भांति स्वतः स्वीकृति प्रदान कराये जाने सम्बन्धी

98-श्री संजय गर्ग-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निराश्रित महिला पेंशन में आवेदन के 45 दिन के अन्दर आवेदन स्वतः स्वीकृत मान लिये जाने की नीति की भांति वृद्धावस्था पेंशन के ऑनलाइन आवेदन की भी स्वतः स्वीकृति के लिए सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-3/2016/579/26-02-2016-100(02)/2007 दिनांक 29 फरवरी, 2016 में वर्णित व्यवस्थानुसार वृद्धावस्था पेंशन योजना में आनलाइन आवेदन किये जाने की व्यवस्था की गयी है। योजनान्तर्गत वृद्ध जनों को समय से पेंशन प्राप्त होने में उत्पन्न हो रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश सं0-09/2018/794/26-2-2018-100(02)2007 दिनांक 16 मई,

2018 द्वारा योजना में आवेदक को त्वरित लाभ प्रदान किये जाने हेतु कतिपय संशोधन किये गये हैं, जिसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को योजना में जल्द से जल्द लाभान्वित कराये जाने का है। इसमें प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए निर्धारित समयावधि में लाभार्थी का सत्यापन कराये जाने के निर्देश हैं।

प्रदेश में स्नातक एवं परास्नातक छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति बढ़ाने विषयक

99-डॉ0 जमना प्रसाद सरोज-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अध्ययनरत स्नातक एवं परास्नातक छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का क्या प्राविधान है ? क्या सरकार अध्ययनरत गरीब छात्राओं की छात्रवृत्ति बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय रु0-2.50 लाख तथा सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं जिनके माता-पिता की वार्षिक आय रु0-2.00 लाख है को विभिन्न शर्तों/प्रतिबन्धों/नियमों के तहत छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्रदान किये जाने की योजना संचालित है। योजनान्तर्गत अन्य समस्त पाठ्यक्रमों के साथ स्नातक एवं परास्नातक छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति कम्पोनेंट के अन्तर्गत अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती है। अनुसूचित जाति/जनजाति छात्राओं को अनुरक्षण भत्ते की प्रतिमाह दर भारत सरकार द्वारा तथा सामान्य वर्ग छात्राओं को अनुरक्षण भत्ते की प्रतिमाह दर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। छात्राओं को पाठ्यक्रमों में सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति भी विभिन्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। अनुरक्षण भत्ते की प्रतिमाह निर्धारित दरें निम्नवत हैं :-

समूह	अनावासीय	अवासीय
1-मेडिकल, इंजीनियरिंग स्नातक/परास्नातक आदि पाठयक्रम	550/-	1200/-
2-टेक्निकल/प्रोफेशनल स्नातक/परास्नातक तथा एम0ए0, एम0एस0सी0 आदि पाठ्यक्रम	530/-	820/-
3-बी0ए0, बी0एस0सी0 आदि पाठ्यक्रम	300/-	570/-
4-पालीटेक्निक, आई0टी0आई0, कक्षा-11 व 12 आदि पाठ्यक्रम	230/-	380/-

छात्रवृत्ति कम्पोनेंट में अनुरक्षण भत्ते की दरें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु भारत सरकार द्वारा व सामान्य वर्ग हेतु दरों में वृद्धि अनुसूचित जाति की दरों में वृद्धि होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा वृद्धि की जाती है। वर्तमान में दरों में वृद्धि किये जाने का कोई भी प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाऐं

श्री अध्यक्ष-

मेरे पास नियम-300 के अंतर्गत एक सूचना माननीय श्री उमाशंकर सिंह की आयी है। नियम-300 के अंतर्गत एक सुस्पष्ट व्यवस्था है जिसमें इस प्रक्रिया नियमावली के नियम अथवा संविधान के ऐसे अनुच्छेद जो कार्यवाही के संचालन से जुड़े हुए हैं अनुच्छेद 188, 189, 196 और अनुच्छेद 212 यह हमारी विधान सभा की कार्यवाही से सम्बन्धित है। इनसे अंतर्ग्रस्त कोई विषय अथवा सीधे नियम-300 से हो तो उसे उठाया जा सकता है। फिर भी हम माननीय उमा शंकर जी को कहते हैं कि वह संक्षेप में अपनी बात कह लें।

लोक सभा की भांति विधान भवन में भी स्मोकिंग जोन बनाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

***श्री उमा शंकर सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि नियम-300 के अंतर्गत आपने मुझे औचित्य का प्रश्न उठाने का अवसर दिया है। मान्यवर, यह जो मेरा प्रश्न है यह नियम-300 के अंतर्गत इसलिए आता है कि जो सदन की कार्यवाही संचालित होती है उससे सम्बन्ध रखता है। माननीय अध्यक्ष जी, हो सकता है कि हमारे कुछ माननीय सदस्यों को इससे ठेस पहुंचेगी लेकिन उसी में कुछ सदस्यों को बहुत खुशी भी होगी। हम जो प्रश्न लाये हैं हम समय-समय पर लोक सभा का भी अनुसरण करते है, लोक सभा के पद-चिन्हों पर भी चलते हैं। आज स्थिति यह बनी हुई है कि हमारे कुछ मित्र ''हां'' लॉबी और ''ना'' लॉबी में बैठ करके धूमपान करते हैं अर्थात सिगरेट पीते हैं। इस बात का जिक्र हमारी कई महिला विधायकों ने हमसे किया और जो धूमपान नहीं करते हैं वे माननीय सदस्य भी इस तरह की बात संज्ञान में लाये हैं। हम किसी को स्मोकिंग करने से नहीं रोक सकते हैं।.....

तो यह सदन में हम उठायेंगें। यह सदन की व्यवस्था का ही एक अंग है। लोक सभा में या प्रतिषिद्ध स्थानों में, एयर पोर्ट पर, रोडवेज बस अड्डों पर जिस तरह से स्मोकिंग का एक जोन बनाया गया है कि जिससे हम उन्हें स्मोकिंग करने से भी नहीं रोक सकते हैं उनके लिये स्मोकिंग जोन अलग से बना दिया जाय ताकि हमारे अन्य किसी सम्मानित सदस्य को इस स्मोक से कोई दिक्कत न हो। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह प्रश्न है इसलिये मैं इसको लाया हूं। (मेजों की थपथपाहट) इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं आपका आदेश चाहता हूं कि यह एक नया पहल जायेगा प्रदेश में एक अच्छा मैसेज जायेगा कि हम स्मोक करने वालों को रोक नहीं सकते हैं तो उनके लिये अलग एक व्यवस्था कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस पर आपका एक निर्देश प्राप्त हो।

श्री अध्यक्ष-

नेता कांग्रेस की क्या राय है ? कुछ कहना चाहते हैं ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय तो ठीक है मान्यवर, लेकिन माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय नेता कांग्रेस जो दलीय नेता हैं, नेताओं की बैठक में आपके कक्ष में बात हो जाय। जिन लोगों को धुंआ सूट नहीं करता किसी न किसी रूप में धुंए से एलर्जी है उनके लिये यह समस्या है। कई बार लोगों ने इंगित किया और आज उनकी भावनाओं को प्रदर्शित किया है माननीय उमाशंकर जी ने। तो यह समस्या दलीय नेताओं की बैठक में जब आप कभी बुला लेंगे तो मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में बातचीत हो जायेगी। सभी सदस्यों से संबंधित बात है, सभी सदस्य लॉबी इस्तेमाल करते हैं। और यह इनका सुझाव ठीक है कि अलग से एक स्मोक जोन, जो लोग चाहते हैं उनकी सुविधा का भी ध्यान रख लिया जाय लेकिन यह समस्या है मान्यवर। यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है मान्यवर, इसलिये इसको अग्राह्य किया जाय लेकिन इसका संज्ञान लेकर अलग से मीटिंग बुला लें मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी की क्या इच्छा है।

***श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, यह लॉबी तो विधान सभा का अंग है और निश्चित रूप से यहां तो प्रतिबंधित होना चाहिए। यहां तो स्मोकिंग होनी ही नहीं चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) इसके बाहर कोई जोन बने वह तो हो सकता है मान्यवर, लेकिन इस लॉबी में मेरा सुनिश्चित विचार है कि यह सदन की लॉबी है यहां स्मोकिंग होनी ही नहीं चाहिए। यह पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए।

***श्री पारस नाथ यादव-**

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 300 के अन्तर्गत आदरणीय उमाशंकर जी ने जिस सवाल को उठाया है यह सवाल नियम 300 के अन्तर्गत आता है और संसदीय कार्य मंत्री ने इसको स्वीकार भी किया लेकिन इस प्रदेश और देश और जिस सभ्यता में हम नशाबंदी की भी बात करते हैं तो नशाबंदी करने वाला यह सदन अगर इस तरीके के जोन बनाने पर विचार करेगा तो इसका संदेश अच्छा नहीं जायेगा। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि सदन में इस तरीके के कहीं भी जोन बनाने की कोई बात नहीं आनी चाहिए। यह लॉबी जो कनेक्टेड है यह सदन का भाग है, उसमें स्मोकिंग बंद किया जाय और इस तरह से स्मोकिंग करने वालों को रोका जाय। ऐसा तो हो सकता है लेकिन कोई जोन बनाने की बात नहीं है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री मनोज कुमार पारस-

माननीय अध्यक्ष जी, स्मोकिंग बंद होनी चाहिए यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग गुटका और खैनी खा करके यदा कदा सारे में पिच-पिच करते रहते हैं। (मेजों की थपथपाहट) और इतनी गंदगी आपको सदन में देखने को मिल जायेगी। विधान सभा में कई कोनों में देखने को मिल जायेगी। इस पर तो आपको पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है। अब इस पर बोलना क्या। विचार सबके आ गये। हम लोग आज ही बैठक करेंगें जब कार्य-मंत्रणा की तो इस पर आपस में विचार-विमर्श कर लेंगें। आप लोगों की भावनाएं आ गई हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-301 की सूचनाएं लेते हैं।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

आज दिनांक 30-08-2018 को कुल नियम-301 के अन्तर्गत कुल 44 सूचनायें प्राप्त हुईं। जिसमें 23 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं

पहली सूचना श्रीमती साधना सिंह की जनपद चन्दौली में सम्पूर्ण नहरों की सफाई एवं कुलाबे की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री सीताराम वर्मा की जनपद सुल्तानपुर के कूड़ेभार के सा0स्वा0 केन्द्र के आवासीय भवनों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया की जनपद बदायूं के ग्राम डहरपुरकला में राजकीय कन्या इण्टर कालेज का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री पल्टूराम की जनपद बलरामपुर में नवनिर्मित संयुक्त चिकित्सालय में आपातकालीन सेवा प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री रमाशंकर सिंह की जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत हिनौता-करमा मार्ग से रामपुर-वरहो सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री राज कुमार यादव उर्फ राजू यादव की जनपद गौतमबुद्धनगर के दादरी कोतवाली दिनांक 19-07-2018 को मुकदमा सं0 537/18 के सम्बन्ध में कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर के सैदपुर में शारदा सहायक नहर में पानी दिये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री पारस नाथ यादव की प्रदेश में उपभोक्ता एवं बाट माप विभाग द्वारा जारी अधिसूचना का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री अबरार अहमद की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र इसौली के कतिपय ग्रामों में तैनात टयूबवेल आपरेटर द्वारा अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री अविनाश त्रिवेदी की प्रदेश में आवारा पशुओं से हो रहे फसलों के नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री शैलेश कुमार सिंह 'शैलू' की जनपद हरदोई के अन्तर्गत तहसील संडीला के मुख्य सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ स्थित सई नदी में बढ़ते जल प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री हाकिम लाल बिन्द की जनपद बाराबंकी में कृषि यंत्रों की खरीद में किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री बहोरन लाल मौर्य की जनपद बरेली के अन्तर्गत बरेली हाइ-वे की मुख्य सड़क की मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्रीमती जयदेवी की उ0प्र0 राज्य सेतु निगम के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की प्रदेश में केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र के आवंटन में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्रीमती शोभा सिंह

चौहान की जनपद हरदोई के अन्तर्गत कुरसथ-भजेहटा मार्ग के सम्पर्क मार्ग के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री अजय सिंह की आवास विकास परिषद्, उ0प्र0 के वृन्दावन योजनान्तर्गत भूमि अधिग्रहण से विस्थापित किसानों को सस्ते दर पर भूखण्ड आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री प्रमोद उटवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के मोहल्ला एकता बिहार कालोनी में पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से स्थिति के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री राज कुमार अग्रवाल की प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत मानदेय का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड नगोही में कैमुआ नाला पर बने पुल का मरम्मत व चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री कैलाश नाथ शुक्ल की जनपद बलरामपुर के कतिपय क्षेत्रों में व्याप्त विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा तेइसवीं सूचना श्री मूलचन्द्र सिंह की जनपद जालौन के विकास खण्ड रामपुरा के कस्बा जगम्मनपुर में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं। 1-डॉ0 श्याम बिहारी लाल, 2-श्री रवीन्द्र जायवाल, 3-श्री प्रभात कुमार वर्मा एडवोकेट, 4-श्रीमती सावित्री कठेरिया, 5-श्री जन्मेजय सिंह, 6-श्री संजय सिंह गंगवार, 7-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, 8-श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, 9-श्री रफीक अंसारी, 10-श्री शशांक त्रिवेदी, 11-श्री राम अचल राजभर, 12-श्री आजाद अरिमर्दन, 13-श्री मनोज कुमार पारस, 14-श्री बाबूराम पासवान, 15-श्री मसूद अख्तर, 16-सुश्री अदिति सिंह, 17-श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, 18-श्री संजीव कुमार गौड़, 19-श्री उमेश मलिक, 20-श्री विजय कुमार कश्यप तथा 21-श्री अनिल सिंह।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद चन्दौली में सम्पूर्ण नहरों की सफाई एवं कुलाबे की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती साधना सिंह-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र 380-दीनदयाल नगर (मुगलसराय), जिला चन्दौली के अन्तर्गत जनपद की सम्पूर्ण नहरें जो विभिन्न डिविजनों (चन्दप्रभा डी0, बंधी डी0 एवं मूसा खाड़) से सम्बन्धित है, की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। सभी डिविजनों से सम्बन्धित नहरें सिल्ट एवं घास-फूस से पूर्णतः पट चुकी हैं और उसके कारण जगह-जगह नहरें क्षतिग्रस्त भी हो चुकी है। परिणामतः जनपद की कृषि सिंचाई व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है। उन्हें चिन्हित करते हुए उनके सम्पूर्ण सफाई के साथ लाईनिंग किया जाना अति आवश्यक है। जिससे सिंचाई का पानी हेड से टेल तक अवश्य रूप से पहुंचाया जा सके। नहरों के जितने कुलाबे हैं वो या तो क्षतिग्रस्त हैं या अनुपयोगी हो चुके हैं। जिन्हें आवश्यकतानुसार बदला एवं मरम्मत किया जाना बहुत जरूरी है। जनहित में जनपद की नहरों की मरम्मत किया जाना अति आवश्यक है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूं।]

जनपद सुल्तानपुर के कुड़ेभार के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के आवासीय भवनों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सीताराम वर्मा-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र 189-सदर सुल्तानपुर के अन्तर्गत कुड़ेभार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का आवासीय भवन का निर्माण कार्य अपूर्ण है जिसके कारण वहां पर कोई चिकित्साधिकारी नहीं रहता है। चिकित्साधिकारी के न रहने के कारण वहां पर मरीजों को काफी कठिनाई होती है। रात में आकस्मिक चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं। आये दिन मरीजों को इमरजेन्सी चिकित्सा सेवाओं के लिये सुल्तानपुर या फैजाबाद आना पड़ता है तथा कभी-कभी मरीजों की रास्ते में मृत्यु हो जाती है। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के आवासीय भवन कई वर्षों से अपूर्ण हैं। जनहित में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के आवासीय भवनों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बदायूं के ग्राम डहरपुर कला में राजकीय कन्या इण्टर कालेज का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र दातागंज, जनपद बदायूं के ग्राम डहरपुर कला में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा स्वीकृत राजकीय कन्या इण्टर कालेज जिसका निर्माण कार्य काफी समय से बन्द पड़ा है। निर्माण एजेन्सी राजकीय निर्माण निगम, बदायूं धनाभाव के कारण कन्या इं0का0 का निर्माण कार्य कराने में असमर्थता जाहिर कर दी है। जनहित में अविलम्ब धन उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य पूर्ण कराकर शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए धन उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य पूर्ण कराकर शिक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बलरामपुर में नवनिर्मित संयुक्त चिकित्सालय में आपातकालीन सेवा प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पल्टूराम-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि जनपद बलरामपुर के जिला संयुक्त चिकित्सालय में आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं तथा समस्त स्टाफ भी कार्यरत है, परन्तु उक्त चिकित्सालय में आपातकालीन सेवा न होने के कारण मरीजों व उनके तीमारदारों को काफी परेशानी का सामना करना

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पड़ता है। जनपद बलरामपुर अति पिछड़ा जनपद है। जहां पर दूर-दूर से मरीज आते हैं। जनहित में आपातकालीन सेवा प्रारम्भ किया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर अन्तर्गत हिनौता-करमा मार्ग से रामपुर-वरहो सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमाशंकर सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत हिनौता-करमा मार्ग से रामपुर-वरहो सम्पर्क मार्ग कच्चा मार्ग है। यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र का प्रमुख सम्पर्क मार्ग है। कच्चा मार्ग होने के कारण जगह-जगह मार्ग में गड्ढे होने से आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग के निर्माण हेतु क्षेत्रवासियों द्वारा काफी समय से जिला स्तर पर प्रयास किये गये। परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई न होने से क्षेत्रवासियों में निराशा एवं आक्रोश है। जनहित में इस सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये हिनौता-करमा मार्ग से रामपुर-वरहो सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद गौतमबुद्धनगर के दादरी कोतवाली दिनांक 19-07-2018 को मुकदमा सं0-537/18 के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव-

[मान्यवर, जनपद गौतमबुद्धनगर के थाना क्षेत्र दादरी कोतवाली में 19 जुलाई, 18 को श्रीमती मंजू यादव पत्नी श्री प्रमोद यादव, कृष्णकान्त पुत्र प्रमोद यादव एवं प्रियंका पुत्री प्रमोद यादव की हत्या कर दी गयी है, जिसका मु0 सं0-537/18 के तहत थाना दादरी कोतवाली में दर्ज है तथा अभियुक्त भी पकड़े गये लेकिन आज तक प्रियंका यादव का शव बरामद नहीं हुआ। पुलिस ने भी प्रियंका को खोजने की कोई मजबूत कोशिश नहीं की शेष बचे परिवारीजनों को आशंका है कि प्रियंका यादव कहीं अभियुक्तों के चंगुल में तो नहीं है।

अतः इस लोक महत्व एवं अविलम्बनीय सूचना पर आपकी तरफ से ध्यान आकर्षित कराते हुए तत्काल कार्रवाई किये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गाजीपुर के सैदपुर में शारदा सहायक नहर में पानी दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय पर दिलाना चाहता हूं। जनपद-गाजीपुर, विधान सभा क्षेत्र-374, सैदपुर अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-36 नहर निकलती

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। लेकिन लगभग 15 वर्षों से इस नहर में पानी नहीं आया। जिससे क्षेत्रीय जनता, किसान न तो सुचारु रूप से अपनी खेती कर पाते हैं न गर्मियों के महीने में जानवरों को पानी पीने के लिए मिल पाता है कहीं लोगों द्वारा कहीं न कहीं नहर को पाटना भी शुरू कर दिये है। ऐसे में नहरों में पानी न आने के कारण लगभग 30 से 40 गांव प्रभावित हो रहे हैं।

वर्तमान सरकार से पुरजोर मांग करता हूं नहर में तत्काल पानी चलाने हेतु और सी0सी0 लाइनिंग कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को आदेशित करने की कृपा करें।]

प्रदेश में उपभोक्ता एवं बांट माप विभाग द्वारा जारी अधिसूचना का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पारस नाथ यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप, अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के संख्या-24/2016/सी0पी0-713/84-2-2016 सी0पी0-7/2016, लखनऊ, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 की अधिसूचना जारी हुई थी जिसमें जिला फोरम में नियुक्ति किये जाने विषयक था, निबंधक, उ0प्र0 राज्य विवाद प्रतिशोध आयोग, लखनऊ द्वारा चरित्र सत्यापन कराने के भी निर्देश थे परन्तु अभी तक उक्त जारी अधिसूचना पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी जिससे फोरम में नियुक्त व्यक्तियों में असन्तोष की भावना पैदा हो रही है। लम्बा समय व्यतीत होने के बाद भी प्रकरण लम्बित है, उसका निराकरण बार-बार पत्राचार के बाद भी नहीं किया जा रहा है।

अतः जनहित के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण का निस्तारण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र इसौली के कतिपय ग्रामों में तैनात ट्यूबवेल आपरेटर द्वारा अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अबरार अहमद-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र इसौली, जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत ग्राम अजुई, सुरजीपुर, कमालपुर, रनकेडीह और प्रतापपुर आदि गांवों के बीच एक सरकारी ट्यूबवेल लगा हुआ है। उसमें ट्यूबवेल आपरेटर तैनात हैं वह कभी-कभी ट्यूबवेल को चलाता है कभी-कभी बन्द करके चला जाता है। खासकर फसल की सिंचाई के समय पर ट्यूबवेल आपरेटर रहता ही नहीं है। जिससे उपरोक्त गांवों के किसानों की फसल सिंचाई से वंचित रह जाती है और किसान परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में किसी अन्य ट्यूबवेल आपरेटर को तैनात किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में आवारा पशुओं से हो रहे फसलों के नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अविनाश त्रिवेदी-

[मान्यवर, कृपया लोक महत्व के इस प्रकरण को नियम 301 के अन्तर्गत आज विधान सभा में माननीय सदन व सरकार का तुरन्त कार्रवाई हेतु ध्यान आकर्षित करने हेतु कृपया अनुमति देने का कष्ट करें।

मैं, सरकार का ध्यान प्रदेश के किसानों की गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित करते हुए इस पर तुरन्त कार्रवाई करने की अपेक्षा करता हूं।

गांवों में सांड़ और दूध न देने वाली गायें एवं अन्य पशु तथा नीलगाय खेती नहीं होने दे रहे हैं, बोई हुई फसल अंकुर निकलते ही चर जाते हैं, जिसके कारण किसान की जुताई-बुआई, परिश्रम, बीज, सिंचाई सब बेकार जा रहा है। किसानों के खाने और परिवार चलाने के लाले पड़े हुए हैं। पहले जानवरों को बन्द करने के लिए किसान और खेती के हित के लिये जिला परिषद् (जिला पंचायत) का पॉण्ड अब नहीं है।

खेती और किसान के हित में इस पर अविलम्ब निर्णय लेना अति आवश्यक है, जो भविष्य के लिये अच्छा रहेगा। इस सम्बन्ध में मेरा विनम्र सुझाव है -

1-शासन द्वारा अविलम्ब न्याय पंचायत स्तर पर या ब्लाक स्तर पर पशु रक्षा गृह स्थापित कराये जायें, जिनमें पशुओं की सेवा व देखभाल के लिए 2-3 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाय।

2-पशुओं के चारा-दाना के लिए परिसर में ही बड़े शेड व पशुओं को धूप, ठंढ व बरसात से बचाने के लिए बड़े शेड बनवाये जायं।

3-पशुओं के पानी की सुविधा के लिए परिसर में बोरिंग कराकर नलकूप का निर्माण कराया जाय।

4-नीलगाय और उनके बच्चों को पकड़वा कर जंगलों में (दुधवा आदि) में छुड़वा दिया जाय।]

जनपद हरदोई के अन्तर्गत तहसील सण्डीला के मुख्य सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शैलेश कुमार सिंह शैलू-

[मान्यवर, जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला अन्तर्गत जामू-लामामऊ से मोहम्मदपुर रजबहा नहर पटरी लोहरई-प्रतापुर होते हुए महरोनिया निर्मित मुख्य मार्ग अत्यंत ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है। जिसके कारण आये दिन दुर्घटना भी होती रहती है। क्षेत्रीय किसानों को भी अनाज लाने-ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनकी बैलगाड़ी एवं ट्रैक्टर प्रायः फंसते एवं गिरते रहते हैं, जिससे किसान व पशु चोटिल भी हो जाते हैं।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः जनहित के इस अविलम्बनीय, लोक महत्व पर उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ स्थित सई नदी में बढ़ते जल प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

[मान्यवर, सई नदी, उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है, जो रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं जौनपुर आदि जनपदों से होकर प्रवाहित होती है। इस सई नदी का पानी जनपद रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं जौनपुर में लाखों लोगों द्वारा पेयजल के लिये उपयोग किया जाता है। कई उद्योगों/मिलों आदि का गंदा कचड़ा सई नदी में गिराया जाता है जिसके कारण सई नदी का पानी प्रदूषित होने की वजह से जहरीला एवं लाल हो गया है जो मनुष्यों तो क्या पशु-पक्षियों के लिये भी उपयोग के लायक नहीं रह गया है।

जनपद प्रतापगढ़ में सई नदी के तट पर केन्द्र एवं प्रदेश सरकार से पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त प्रसिद्ध पर्यटन स्थल एवं धार्मिक केन्द्र **घुइसरनाथ धाम** तथा **बेल्हा देवी** एवं **बेलखरनाथ धाम** सहित कई पवित्र मंदिर एवं धार्मिक स्थल स्थित है, जहां पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग दर्शन हेतु आते रहते हैं। सई नदी के दोनों तरफ जल स्तर (अण्डर ग्राउण्ड वॉटर लेबल) काफी नीचे चले जाने के कारण उसके किनारे बसे हुये लोग मजबूर होकर सई नदी का दूषित पानी पीने के लिये विवश है। चूंकि कई उद्योगों एवं मिलों का गंदा कचड़ा सई नदी में गिराने से प्रदूषित हो गये सई नदी का जहरीला पानी पीने के कारण लोगों की असामयिक मौत भी हो जाया करती है। विवशता के कारण सई नदी का जहरीला पानी पीने वाले लोग या तो भयंकर बीमारी का शिकार हो रहे हैं या फिर शुद्ध पेयजल के अभाव में प्यास से तड़प रहे हैं। सई नदी का प्रदूषित पानी पीने के कारण बहुत से जानवर रोगों के शिकार हो जाते हैं तथा बहुत से जानवरों एवं पशु-पक्षियों तथा बंदरों आदि की मौत मात्र सई नदी का प्रदूषित पानी पीने के कारण होती है तथा नदी का प्रदूषित जल होने के कारण नदी में रहने वाली मछलियां प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर मर जाती हैं। इसके साथ ही साथ सई नदी के तट पर स्थित केन्द्र एवं प्रदेश सरकार से पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त पवित्र मंदिर घुइसरनाथ धाम एवं बेल्हा देवी तथा बेलखरनाथ धाम के मंदिरों में आने वाले लोगों की आस्था को भी चोट पहुंच रही है। इससे लोगों में रोष तथा कुण्ठा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अवलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्रवाई की मांग करती हूं।]

जनपद बाराबंकी में कृषि यंत्रों की खरीद में किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हाकिम लाल बिन्द-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान कृषि विभाग के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में कृषि यंत्रों की खरीद पर दिये गये अनुदान में किये गये व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद बराबंकी

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में यह कार्य कृषि उप निदेशक कार्यालय में विभाग द्वारा बर्खास्त कर्मचारी द्वारा लिया जा रहा है जो कि मा0 उच्च न्यायालय से स्टे प्राप्त कर विभागीय अधिकारियों की कृपा से कार्यालय में बना हुआ है। उक्त व्यक्ति द्वारा किसानों को प्रताड़ित करके मनचाहे ढंग से अनुदान देकर धन उगाही की जाती है। जिसके हिस्सेदार वहां के बड़े अधिकारी भी रहे हैं।

इस व्यक्ति ने 37 में से 30 ऐसे फार्म मशीनरी बैंक के लाभार्थियों को 08 लाख रुपये का अनुदान कृषि यंत्रों को क्रय हेतु दिया जिनका 09 लाख का ऋण बैंक द्वारा स्वीकृत ही नहीं किया गया था तथा लगभग 90 प्रतिशत कृषि यंत्र केवल ओम इंटर प्राइजेज से ही खरीदे गये हैं। पूर्व कृषि उप निदेशक, बाराबंकी ने विकास खण्ड मसौली के ग्राम करपिया में सुन्दर किसान स्वयं सहायता समूह एवं देवता स्वयं सहायता समूह के नाम 16 लाख रुपये का अनुदान एक ही घर में पति-पत्नी के नाम दिया। लिपिक श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव एवं अन्य अधिकारियों ने ओम इण्टर प्राइजेज, फतेहपुर से विगत वर्ष 2014 से अब तक सांठगांठ करके बिना कृषि यंत्र खरीदे ही अनुदान का लाभ उन कृषकों को दिया जो अनुदान की राशि का बड़ा हिस्सा इन अधिकारियों को दे सकें। यदि इन प्रपत्रों की जांच की जाय तो कुछ में बिल जारी होने की तिथि वर्ष 2018 है और बिल 2017 में ही सत्यापित किये गये हैं।

जानकारी मिलने पर इन बिलों को लेकर जिले के किसान नेताओं ने जिलाधिकारी, बाराबंकी से लेकर कृषि विभाग के सभी बड़े अधिकारियों के पास शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई करना तो दूर आरोपी लिपिक श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव को उप कृषि निदेशक के अधिष्ठान से स्थानान्तरित तक नहीं किया गया है। अतः मैं किसानों के हित में 2014 से लेकर अब तक प्रत्येक योजना में वितरित कराये गये कृषि यंत्रों की जांच शासन स्तर से कराये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली के अन्तर्गत बरेली हाइ-वे की मुख्य सड़क की मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बहोरन लाल मौर्य-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 120, भोजीपुरा, जनपद बरेली के अनतर्गत रिठौरा से भरसर, मल्लपुर होते हुये बरेली हाइ-वे तक सड़क की मरम्मत एवं चौड़ीकरण किया जाना जनहित में अत्यंत ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जयदेवी-

[मान्यवर, सदन के माध्यम से अवगत कराना है कि राज्य सेतु निगम में लगभग पांच हजार कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें राज्य सेतु निगम में 970 कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया गया

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है, जिनका मासिक वेतन 60 हजार से 1,20,000 रुपये के मध्य है, लेकिन 3500-4000 की संख्या में कर्मचारी ऐसे हैं जोकि 15 हजार से 20 हजार रुपये तक वेतन पाते हैं जिनको 7वें वेतनमान के लाभ से वंचित रखा गया है। यह कर्मचारी अल्प वेतनभोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जिसके कारण इनमें घोर निराशा है।

सदन के माध्यम से अनुरोध करना है कि इन कर्मचारियों को भी 7वें वेतनमान का लाभ देकर सामाजिक, आर्थिक न्याय दिलाने का कष्ट करें।]

प्रदेश में केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र के आवंटन में व्याप्त अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[मान्यवर, केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मकसद लोगों को उपचार हेतु सस्ती जेनरिक दवायें उपलब्ध कराना है यह योजना केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। जो पढ़े-लिखे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार प्रारम्भ करने का एक अवसर प्रदान करती है। जन औषधि केन्द्र खोलने के लिए सरकार की तरफ से 2.50 लाख रुपये का अनुदान तथा केन्द्र से बिकने वाली दवाओं पर 20 प्रतिशत कमीशन दिये जाने का प्राविधान योजना में किया गया है। प्रत्येक जन औषधि केन्द्र के लिए एक फार्मासिस्ट की नियुक्ति किये जाने का प्राविधान भी योजना में किया गया है। प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र जैसे महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में खोले जाने का आदेश भी निर्गत किया गया है।

प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसे महत्वाकांक्षी एवं रोजगार परक योजना को प्रदेश में महज 7-8 प्राइवेट संस्थाओं को आवंटित कर दिया गया है जो पहले से ही बड़े-बड़े थोक दवा के लाइसेन्सी हैं। उक्त आवंटन अवैधानिक एवं नियम विरुद्ध है। देश में अभी भी हजारों की संख्या में फर्मासिस्ट बेरोजगार घूम रहे हैं। जिनके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार द्वारा जिन प्राइवेट संस्थाओं को जन औषधि केन्द्र के आवंटन का अधिकार दिया गया है। उनमें से कुछ संस्थाएं एन0आर0एच0एम0 की दवा सप्लाई के भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं तथा उनके ऊपर सी0बी0आई0 की जांच भी चल रही है।

मेरे संज्ञान में आया है कि आवंटन अधिकार प्राप्त प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा प्रत्येक दुकान के लिए 3-5 लाख रुपये लेकर दुकानें आवंटित की जा रही हैं तथा सरकार द्वारा अनुदान सहयोग एवं दवा बिक्री पर कमीशन से मिलने वाले 1 हजार रुपया प्रतिमाह के भी दुरुपयोग की आशंका है। केन्द्र सरकार के द्वारा संचालित की गई जन औषधि केन्द्र योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन हो सके इसके लिए पूर्व में किया गया आवंटन निरस्त किया जाना अति आवश्यक है तथा केन्द्र आवंटन हेतु सरकार अपने स्तर से आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से बेरोजगार फार्मासिस्टों तथा पढ़े-लिखे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप जन औषधि केन्द्र योजना के प्राविधानों के अनुसार आवंटन की प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित कराया जाना अति आवश्यक है। प्रकरण अति लोक महत्व का है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद हरदोई के अन्तर्गत कुरसथ-भजेहटा मार्ग के सम्पर्क मार्ग के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती शोभा सिंह चौहान-

[मान्यवर, जनपद-हरदोई के अन्तर्गत कुरसथ-भजेहटा मार्ग से निकले सम्पर्क मार्ग जो नटपुरवा (नेवादा सरदार नगर)-समुखा तक लम्बाई 2.00 कि0मी0 जिला पंचायत, हरदोई द्वारा विगत 15 वर्ष पूर्व निर्मित कराया गया था तथा पंचायती राज विभाग के स्वामित्व में है, जिसकी 1.500 कि0मी0 लम्बाई अत्यन्त जर्जर अवस्था में है बड़े-बड़े गड्ढे हो जाने के कारण मार्ग पर यातायात बाधित है। उक्त बड़े-बड़े गड्ढा युक्त मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह, स0वि0प0 ने अपने पत्र दिनांक 17 जुलाई, 2017 तक अनुस्मारक पत्र दि0 15 दिसम्बर, 2017 एवं दि0 19 जनवरी, 2018 जो मा0 मुख्य मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन को भेज कर निर्माण कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया तथा श्रीमती शोभा सिंह चौहान, विधायक का पत्र दिनांक 06 मार्च, 2018 जो मुख्य मंत्री जी को भेजकर विगत 20 वर्ष पूर्व निर्मित कराये गये गड्ढा युक्त मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने का अनुरोध किया था परन्तु अभी तक अनदेखी के चलते कोई कार्रवाई नहीं की गयी। संज्ञान में आया है कि प्रश्नगत मार्ग स्वीकृत है परन्तु तत्कालीन जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा मार्ग के निर्माण पर रोक लगाये जाने के कारण मार्ग का निर्माण पंचायती राज विभाग द्वारा नहीं कराया जा रहा है। जिससे जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विगत कई वर्षों से गड्ढा युक्त मार्ग का निर्माण न कराये जाने से क्षेत्रीय जनता में काफी रोष एवं आक्रोष व्याप्त हो गया है।

अतः उपरोक्त जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराकर जनहित में प्राथमिकता पर जनपद-हरदोई के अन्तर्गत कुरसथ-भजेहटा मार्ग से निकले सम्पर्क मार्ग जो नटपुरवा (नेवादा सरदार नगर)-समुखा तक गड्ढा युक्त मार्ग जो जिला पंचायत, हरदोई द्वारा विगत 20 वर्ष पूर्व निर्मित कराया गया था, गड्ढा युक्त अत्यन्त जर्जर मार्ग का पुनर्निर्माण प्राथमिकता पर कराये जाने की मांग करता हूं।]

आवास विकास परिषद्, उ0प्र0 के वृन्दावन योजनान्तर्गत भूमि अधिग्रहण से विस्थापित किसानों को सस्ते दर से भू-खण्ड आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह''-

[मान्यवर, निवेदन है कि वर्ष 1996 कथित योजना हेतु अधिग्रहीत भूमि से विस्थापित किसानों को सस्ते दर पर भूखण्ड आवंटन का प्रकरण लम्बे अर्से से शासन के आवास विभाग व आवास विकास परिषद्, उ0प्र0 के बीच लम्बित है। कृषकों के प्रार्थना-पत्र जन प्रतिनिधियों की संस्तुति व मुख्य मंत्री सचिवालय के आदेश/निर्देश निरर्थक, निष्प्रयोजन, निष्प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। क्षेत्रीय

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किसानों में परिषद् व शासन के आवास विभाग की उपेक्षापूर्ण नीति को लेकर घोर क्षोभ एवं असंतोष व्यापत है जो सार्वजनिक स्थानों पर आम लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आप की अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लेते हुए योजना हेतु भूमि अधिग्रहण से विस्थापित किसानों को सस्ते दर पर भूखण्ड आवंटन की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर के मौहल्ला एकता विहार कालोनी में पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने की स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद उटवाल-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव शहाबुद्दीनपुर के मोहल्ला एकता विहार उत्तरी रामपुरी की कालोनी अत्यन्त निचाई (गहराई) में होने के कारण पूरी कालोनी की गलियों में पानी भरा रहता है। नालियों का पानी मेन रोड के नाले में नहीं जाता है। जिससे कालोनीवासियों को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बीमारी फैलने का भय बना रहता है।

जनहित में उक्त कालोनी की सड़क व नालियों को ऊपर उठाकर उठाया जाय जिससे नालियों का पानी नाले में जा सके।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत मानदेय का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज कुमार अग्रवाल-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत रुपये 17,000 प्रतिमाह मानदेय मार्च, 2017 से देना था, जो आज तक नहीं दिया जा रहा है। जबकि प्राप्त जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार से हिस्सेदारी का 60 प्रतिशत बजट प्राप्त हो चुका है। जनहित में मार्च, 2017 से एरियर सहित मानदेय का भुगतान किया जाना जनहित में अत्यंत ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में कैमुआ नाला पर बने पुल की मरम्मत व चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर के 133-तिलहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड निगोही में शाहजहांपुर, पीलीभीत स्टेट हाइवे पर निगोही में कैमुआ नाला पर बना पुल बहुत ही पुराना जर्जर एवं सकरा होने के कारण आये दिन जाम लगी रहती है तथा एक्सीडेंट

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

होते रहते हैं। यह पुल कभी भी टूट सकता है। इसी प्रकार ग्राम बरैंचा एवं ग्राम रतूली के मध्य कैमुआ नाला पर पुल न होने के कारण कृषकों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं तहसील मुख्यालय जाने में 30 कि0मी0 का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। मेरे द्वारा कई बार लिखित एवं मौखिक शासन प्रशासन से शिकायत की गयी लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी। उपरोक्त दोनों पुलों का जनहित में बनवाया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अंतर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद बलरामपुर के कतिपय क्षेत्रों में व्याप्त विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाशनाथ शुक्ल-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर में विकास खण्ड हरैया सतघरवा के मथुरा बाजार एवं कोड़री क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति में लो-वोल्टेज की गंभीर समस्या है। चूंकि उक्त क्षेत्र में हरैया उपकेन्द्र जो मथुरा बाजार एवं कोड़री से लगभग 100 किमी0 की दूरी से विद्युत आपूर्ति की जाती है। इस कारण लाइन हानि (लाइन लास) के कारण लो वोल्टेज की समस्या उत्पन्न होती है। यदि उक्त क्षेत्र के बगल मात्र 15 किमी की दूरी पर स्थित हरिहरगंज उपकेन्द्र से उक्त क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति कर दी जाये तो इस गंभीर समस्या से मुक्ति मिल सकती है।

अतः नियम-301 के अंतर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद जालौन के विकास खण्ड रामपुरा के कस्बा जगम्मनपुर में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मूलचन्द्र सिंह -

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 219-माधौगढ़, जनपद जालौन के रामपुरा विकास खण्ड के जगम्मनपुर कस्बा के अन्दर की रोड लगभग 01 कि0मी0 पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा बनवाई जानी है। किन्तु विभाग की लापरवाही से उक्त सड़क का निर्माण नहीं कराया जा सका है जिससे क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः नियम-301 के अंतर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) (पैंतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2018†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग की अधिसूचना संख्या 641/86-2018-153-(सा0)-2017, दिनांक 27 मार्च, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उप

---

† छापी नहीं गयी।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खनिज (परिहार) (पैतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2018 को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1997 की धारा-28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) पंचम संशोधन नियमावली, 2018†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संसदीय कार्य अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 600/90 सं0-1-2018-52-सं-2013, दिनांक 13 अगस्त, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा)(पंचम् संशोधन) नियमावली, 2018 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23 क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आरा मिल की स्थापना और विनियमन (षष्टम् संशोधन) नियमावली, 2018†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-621/14-2-2018-165जी/2017, दिनांक 14 मार्च, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश आरा मिल की स्थापना और विनियमन (षष्टम् संशोधन) नियमावली, 2018 को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-78 की उपधारा (2) [भारतीय वन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 1965 द्वारा यथा संशोधित] की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-5 में कुछ नहीं है, मद संख्या-6

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति वर्ष (2017-2018) का द्वितीय प्रतिवेदन†

डा0 जी0एस0 धर्मेश-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिहित विधायन समिति'' वर्ष (2017-2018) का तृतीय प्रतिवेदन जो संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन विभाग से सम्बन्धित है प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति वर्ष (2017-2018) तृतीय प्रतिवेदन†

डा0 जी0एस0 धर्मेश-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिहित विधायन समिति'' वर्ष (2017-2018) का तृतीय प्रतिवेदन जो संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री अजय कुमार लल्लू, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित एक याचिका††

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र-331 तमकुहीराज के अन्तर्गत अमवा दीगर एवं जवही दयाल चैन पट्टी के सामने स्थित नारायणी नदी पर पान्टून का पुल बनाने के सम्बन्ध में श्री बृज किशोर साहनी व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित चार याचिकायें††

श्री वीर विक्रम सिंह ''प्रिन्स''-

(1) जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र- 131 कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड कटरा खुदागंज में झाल को तत्काल प्रभाव से ऊँचा करवाए जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र- 131 कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड खुदागंज में चरखौला से हरिहरपुर सिमरा जाने वाले मार्ग पर नहर पार करने के लिए जो पुलिया बनी है वह अति क्षतिग्रस्त होने के कारण जनहानि को देखते हुए पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131 कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड कलान में ग्राम पचदेवरिया व ग्राम वैगनीखेड़ा के मध्य रपटुआ नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री रामवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131 कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड मिर्जापुर में ग्राम हरद्वारा से ग्राम कौमी जाने के लिए रोड व रपटुआ पुलिया के निर्माण के संबंध में श्री रामवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

डा0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 11 याचिकाएं††

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम बसई व ग्राम धर्मपुरा गौटिया के बीच कुल्ली नाले पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री पाती राम लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम जगदीशपुर व ग्राम गोकिलपुर के बीच कुल्ली नाले पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री वेद प्रकाश गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम जौनेर व ग्राम नरखेड़ा के बीच भाखड़ा नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री अतुल त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

†† छापी नहीं गयी।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम अजमतगंज व सलामतगंज मजरा द्विरिया अंब्दुलागंज के बीच नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री चेतराम लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम चिटौली में कस्तूरबा विद्यालय के पास नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री नरेश दिवाकर व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम गौतारा व ग्राम माधोपुर के बीच शंखा नाले पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री पंकज गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम ठिरिया ठकुरान व ग्राम नवोदय विद्यालय के बीच शंखा नाले पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री जयपाल कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(8) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम मोहम्मदगंज, श्यामपुर हरदोई का दिजोड़ा नदी द्वारा हो रहे कटान की रोकथाम का कार्य कराये जाने के संबंध में श्री अखिलेश शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(9) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम बलेही पहाड़पुर का भाखड़ा नदी द्वारा हो रहे कटान की रोकथाम का कार्य कराये जाने के संबंध में श्री नरायण दास वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(10) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम खमरिया व ग्राम लभेड़ा दुर्गा प्रसाद के बीच नाले पर पुलिया व रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री निहाल सिंह लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(11) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में पंचायत विक्रमपुर में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री वेदपाल सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री लाल जी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से संबंधित 2 याचिकायें[†]

श्री लाल जी वर्मा-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के अन्तर्गत ऐनवा से कामनापुर जैनपुर अशरफपुर बरवा होते हुए कटेहरी तक की जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का चौड़ीकरण-सुदृढ़ीकरण एवं हाट मिक्स से निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री वंशराज वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी याचिका में गलती हो गयी है अगर आप अनुमति दें तो मैं इसको सही करके प्रस्तावित कर दूं।

[†] छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष-

कर दीजिए।

श्री लाल जी वर्मा-

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के राजस्व ग्राम शरीफपुर, परगना व तहसील टांडा की आबादी भूमि को एनटीपीसी के द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही यथाशीघ्र कराये जाने के संबंध में श्री सभाजीत वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित दो याचिकाएं †

डा0 नीरज बोरा-

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से मैं :-

(1) जनपद लखनऊ के पक्का पुल से पुरनिया तिराहे तक गोमती नदी के बाएं तट स्थित तटबन्ध का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विवेक सिंह तोमर व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, तथा

(2) जनपद लखनऊ के ग्राम खदरा से सीतापुर हरदोई बाईवास रोड तक गोमती के बायें तटबन्ध व सड़क बनवाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद चतुर्वेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(श्री विनोद कटियार का नाम पुकारे जाने एवं उनकी अनुपस्थिति होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-14, 15, 16 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-17।

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

† छापी नहीं गई।

†† दिनांक 24 सितम्बर, 2018 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करता हूं।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2018†

प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री आशुतोष टंडन 'गोपाल जी')-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री आशुतोष टंडन 'गोपाल जी'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2018††

विधायी एवं न्याय अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत राजनैतिक पेन्शन मंत्री (श्री बृजेश पाठक)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बृजेश पाठक-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

† दिनांक 24 सितम्बर, 2018 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

†† दिनांक 30 अगस्त, 2018 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब हम नियम-56 की सूचनाएं लेते हैं।

[12:45] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 30-08-2018 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें हम तीन सूचनाओं को सुनेंगे।

पहली सूचना मा0 श्री अजय कुमार लल्लू जी, श्री नरेश सैनी जी, श्री मसूद अख्तर जी, श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी, सुश्री अदिति सिंह जी की प्रदेश में सरकार एवं चीनी मिल मालिकों की मिलीभगत से गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

दूसरी सूचना मा0 श्री राम गोविन्द चौधरी जी, श्री संग्राम यादव जी, श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव जी, श्री सोबरन सिंह यादव जी, श्री हरिओउम यादव जी, श्री लालजी वर्मा जी, श्री सुखदेव राजभर जी, श्री राम अचल राजभर जी की प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग में संवैधानिक आरक्षण विरोधी रोस्टर लागू किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

तीसरी सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी, श्री प्रभुनारायण सिंह यादव जी, श्री हरिओउम यादव जी, श्री अखिलेश सिंह जी की प्रदेश में मच्छरों की बढ़ती हुई संख्या एवं डेंगू के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम हेतु समुचित कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

चौथी सूचना श्री उमाशंकर जी की जनपद बलिया के नगर पालिका परिषद रसड़ा के अन्तर्गत शहर के बीचों बीच बहने वाली रसड़ा ड्रेन को अवैध कब्जे से मुक्त न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस पर हम सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

पाँचवीं सूचना श्री प्रभुनारायण सिंह यादव जी की जनपद चन्दौली के थाना धीना के अन्तर्गत ग्राम पिपरी में दिनांक 21-08-2018 को घटी घटना के उपरान्त पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस पर हम सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

छठी सूचना श्री पारसनाथ यादव जी, श्री जगदीश सोनकर जी की प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम न किये जाने एवं दिनांक 23-08-2018 को जनपद जौनपुर के थाना

मड़ियाहूं के ग्राम गहलाई में बी0एस0सी0 की छात्रा कोमल तिवारी के साथ दुष्कर्म के उपरान्त हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस पर हम सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

सातवीं सूचना श्री हरिओउम यादव जी की जनपद फैजाबाद के थाना सिरसागंज के ग्राम सैनावली में दिनांक 20-5-2018 को खेतों में जानवर चरा रहे श्री श्यामवीर सिंह का पुलिस द्वारा फर्जी उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस पर भी हम सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं।

आठवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस जी, श्री उज्जवल रमण सिंह जी, श्री नईमउल हसन जी की जनपद बिजनौर के ग्राम शिवाला कला में जिला प्रशासन द्वारा हठधर्मिता एवं गुण्डागर्दी दिखाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस पर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं :-

श्री रामअचल राजभर,

श्री सुखदेव राजभर,

श्री सुभाष पासी एवं

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा।

***श्री अजय कुमार लल्लू**-

मा0 अध्यक्ष जी, पहले मा0 नेता प्रतिपक्ष की सूचना पर सुन लीजिये, उसके बाद मेरी सूचना ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सुखदेव राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी, हमनें एक सूचना दी थी। सुल्तानपुर जिले में एक कादीपुर तहसील है। वहां पर बहुत अधिक संख्या में राजभर रहते हैं। पहले उनको जाति प्रमाण-पत्र मिलता था, लेकिन तहसीलदार ने इस हफ्ते में उसको रोक दिया। वह किसी को जाति प्रमाण-पत्र दे ही नहीं रहे हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि हमारी सूचना पर आप ध्यानाकर्षण कर दें।

श्री अध्यक्ष-

हमनें आपकी सूचना पर ध्यानाकर्षण कर दिया।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, जिस विषय पर मैंने कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, अविलम्बनीय है, लोक महत्व का है और इसके कारण पूरे पिछड़ा वर्ग, एस0सी0 वर्ग और एस0टी0 वर्ग में क्षोभ व्याप्त हो गया है। मैं आपका ध्यान बेहद जरूरी विषय की ओर ले जाना चाहता हूं जो उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती से संबंधित है। उच्च शिक्षा में शिक्षक नियुक्ति के लिये पदों के वितरण प्रणाली को 'रोस्टर' कहते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशात्मक आदेश को आधार मानकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पत्र (1-7/2017/सी0वी0, 6 सितम्बर 2017) लिखकर यूजीसी को निर्देश दिया, जिसके परिणामस्वरूप यूजीसी ने एक सर्कुलर [पत्र संख्या-एफ0 1-5/2006(एससीटी),

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

5 मार्च, 2018] जारी करके देशभर के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को निर्देश दिया कि एक महीने के भीतर सभी शैक्षणिक संस्थाओं में विभागवार रोस्टर बनाया जायेगा। विभागवार रोस्टर के लागू होने से आरक्षित पदों की सीटें 50 फीसदी से घटकर लगभग 5 फीसदी मात्र रह गयी हैं। यद्यपि भारी विरोध के चलते विगत 19 जुलाई 2018 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक पत्र और जारी करके सभी प्रकार की नियुक्तियों की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया, लेकिन यह मामला अब बेहद पेचीदा व गंभीर रूप ले चुका है। महोदय, मैं सदन में इस मसले को लेकर कुछ गम्भीर सवाल उठाना चाहता हूं, जैसे इस सर्कुलर का परिणाम यह है कि विभागवार पदों के विज्ञापन से वंचित-शोषित तबके के लिये विश्वविद्यालयों व कालेजों में शिक्षक बनने की संभावनाएं हमेशा के लिये कमोबेश खत्म हो गयी हैं, क्योंकि विभागवार रोस्टर बनाए जाने से किसी भी विभाग में आरक्षण नहीं बचा। विभागवार रोस्टर लागू होने से विभागों से लेकर उच्च शिक्षा तक में संवैधानिक प्रावधान प्रभावित हो गया है और आरक्षित वर्गों की संख्या नगण्य हो गयी है। आरक्षण विरोधी विभागवार रोस्टर की यह नीति 'इंदिरा साहनी केस' से लेकर 'आर0 के0 सब्बरवाल बनाम पंजाब राज्य व अन्य' और सबसे महत्वपूर्ण 'एम0 नागराज बनाम भारत सरकार (19 अक्टूबर 2006) की संविधान पीठ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक आरक्षण व हिस्सेदारी के प्राविधानों का उल्लंघन करती है और संवैधानिक प्राविधान के विरूद्ध है, तो किस आधार पर ये नियुक्तियाँ की गयीं? क्या ये संविधान की मूल भावना का उल्लंघन और सामाजिक न्याय की हत्या नहीं है, तो क्या है? डी0ओ0पी0टी0 ने रोस्टर को 200 प्वाइंट का निर्धारित किया। अतः 200 प्वाइंट रोस्टर में सीटो का निर्धारण उक्त पद निर्धारण में किया जाता रहा है लेकिन विभागवार रोस्टर में पदों की संख्या आमतौर पर बहुत कम होने से आरक्षित पदों का नम्बर ही नहीं आएगा और अधिकांश पद सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित हो जाते हैं।

विश्वविद्यालय को एक इकाई मानकर 200 प्वाइंट रोस्टर बनाने पर लगभग 50 फीसदी आरक्षण मिलता है जबकि विभागवार रोस्टर में यह आरक्षण लगभग 5 प्रतिशत मात्र रह गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में विभाग छोटे होते हैं जिससे पदों की संख्या अमूमन दर्जन से भी कम होती है। ऐसे में सबसे भयावह है कि एस0टी0 संवर्ग के लिए सभी विज्ञापन में पदों की संख्या ही समाप्त हो गयी है। प्रदेश के जिन भी विश्वविद्यालयों में इस आधार पर नियुक्तियाँ हो गयी है, उन सभी को तत्काल रद्द किया जाये। मान्यवर, बहुत दिनों से इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को समाप्त करने की प्रक्रिया पर धीरे-धीरे चल रही है, और वह बात आज सामने आकर बिल्कुल सही साबित हुई है। हम यह सब नियुक्तियों में विश्वविद्यालयों को या महाविद्यालयों को यूनिट माना गया है, जिसमें 10, 15, 20 पद होते थे और उसमें ओ0बी0सी0, एस0टी0 और एस0सी0 को आरक्षण भी मिल जाता था। एक षडयंत्र के तहत इसको विभाग ने मान लिया कि विभाग में दो या चार पद होते हैं उसमें तो आरक्षण लागू ही नहीं होगा और न कोई आरक्षित समूह का व्यक्ति उसमें आ सकता है। इसलिए आरक्षण के लिए ओ0बी0सी0, एस0सी0 और एस0टी0 को जो संविधान में भी अधिकारी मिला है। उस पर यह कुठाराघात है। इसलिए बार-बार हम लोग यह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ संविधान विरोधी धीरे-धीरे होती जा रही हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मांग है कि जो भी नियुक्तियाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय, बलिया विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय में हुईं हो उनको रद्द किया जाये। चूँकि नियुक्तियाँ रोकने के लिए दूसरा पत्र जारी हो गया था लेकिन ऑनन-फानन में नियुक्तियाँ

हो गयी है। उन नियुक्तियों को तत्काल रद्द किया जाये। पिछड़े वर्ग, एस0टी0 और एस0सी0 के अधिकारों को वंचित न किया जाये, उनके अधिकारों का हनन न किया जाये। इसलिए जो नियुक्तियाँ हो गयी है उनको रद्द करके पुनः पहले जैसी जो व्यवस्था थी उसी तरह से नियुक्ति करायी जाये। इसलिए मैं आपसे सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, आरक्षण कोई रोजगार नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने समाज की विभिन्न जातियों को प्रशासनिक पदों पर सरकारी नौकरियों में और राजनीतिक पदों पर संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की बात कही थी और संघर्ष करने का काम किया था। उनके संघर्षों के कारण सन् 1928 में लार्ड लुटियन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसकी सिफारिश से कोलनियल राज्य के माध्यम से आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिला। संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत पिछ़डे वर्ग के लिए आयोग बना और उस आयोग की सिफारिश से शैक्षणिक और पिछड़े आधार पर इन वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू करने का काम किया गया। मान्यवर, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज में एक कन्फ्यूजन है इस तरह का प्रचार है कि आरक्षण एक रोजगार है। आरक्षण हिस्सेदारी है और निश्चित रूप से देश के सभी समूहों की प्रशासनिक पदों पर हिस्सेदारी होनी चाहिए। जिस तरह से एक परिवार में 4 भाई हैं चारों भाईयों की हिस्सेदारी खेत में होती है, सम्पत्ति में होती है उसी तरह की आरक्षण की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और उस हिस्सेदारी की लड़ाई बड़े सघर्षों के बाद मिली है। मान्यवर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उस रिजर्वेशन को रद्दी की टोकरी में डालने का अथक प्रयास किया जा रहा है और निश्चित रूप से कई ऐसे बिन्दु आयें हैं जैसे पिछड़े वर्गों का आरक्षण संख्या के अनुपात में नहीं है संख्या 52 फीसदी है और आरक्षण 27 फीसदी है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता इसके कारण 50 प्रतिशत आरक्षण गैर आरक्षित वर्ग के लिए हो जाता है तो मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि विश्वविद्यालय एक इकाई है, अगर उसमें विभाग वार उसका रोस्टर बनायेंगे और पद वार जैसे प्रोफेसर के पद पर अलग से एसोसिएट के पद पर अलग से असिस्टेन्ट के पद पर अलग से तो यह रिजर्वेशन का कोई समानुपातिक प्रतिनिधित्व उनको मिल ही नहीं सकता इसलिए मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने जो तत्कालीन राज्यपाल थे, नाम मैं भूल रहा हूं उन्होंने विश्वविद्यालयों के लिए एक रोस्टर बनाया था और उन्होंने कहा कि पूरे विश्वविद्यालय के सारे पदों को एक साथ करके और उसके आधार पर रोस्टर बनाया।

अगर उस रोस्टर के आधार पर हमें आरक्षण का रिजर्वेशन हिस्सेदारी मिलती तो निश्चित रूप से हमारा अनुपात के अनुसार रिजर्वेशन मिलता लेकिन आज उसको रोका जा रहा है इसी तरह से किसी ने एक आदेश कर दिया और उसमें वो रोस्टर जो पहले का बना हुआ था वह निष्प्रभावी हो गया और जब वह निष्प्रभावी हो गया तो जो विभाग वार पद निकल रहे हैं उसमें कोई आरक्षण के आधार पर प्रतिनिधि मिल ही नहीं रहे हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अभी मैंने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अखबार में पढ़ा कि परिवहन विभाग के कन्डक्टर का एक पद विज्ञापित हुआ 400 या कुछ पद हुआ। उसमें ओ0बी0सी0 का एक भी रिजर्वेशन नहीं। 400 पद पर एक भी नहीं। मैंने किसी अधिकारी से पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि पहले से वहां कार्यरत हैं उनको संगणना करके और इसलिए नहीं निकाला गया जो बिना रिजर्वेशन के बिना आरक्षित वर्ग के बिना आरक्षण के आयें हैं सामान्य मेरिट पर आयें हैं उनको भी केल्कुलेट करके और उन्होंनें कहा कि इसलिए इसमें ओ0बी0सी0 का रिजर्वेशन नहीं दिया गया। इस तरीके को अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जिसके कारण प्रदेश और विभिन्न वर्गों में विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों में बहुत ही आक्रोश व्याप्त है, बहुत ही गुस्सा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इस प्रदेश के लगभग 85 फीसदी जनता के हितों के संरक्षण देने वाला उनको प्रतिनिधित्व देने वाला यह विषय है इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस विषय पर यह कार्य स्थगन में नही आता ऐसा न निर्णय लें। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इसकी ग्राह्यता को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर कम से कम एक दिन की पूरी चर्चा करा दें जिससे इसमें सारे तत्व आ जायें और इन वर्गों का जो प्रतिनिधित्व है वह पूरा किया जा सके। यह मेरा आपसे आग्रह है, इसलिए इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

***डा0 संग्राम यादव-**

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का आपने अवसर दिया। मान्यवर, मैं नेता प्रतिपक्ष और नेता बहुजन समाज पार्टी की बातों से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, बड़े ही संघर्ष के बाद हमें यह व्यवस्था मिली है। मान्यवर, उस संघर्ष में कहीं न कहीं आपका भी योगदान रहा। आप भी गरीब, पिछड़े, दलित, उपेक्षित समाज के लोग जिन्हें आजादी के बाद विश्वास दिलाया गया था कि उनके हितों की रक्षा की जायेगी लेकिन मान्यवर, बड़े संघर्षों के बाद हमें उच्च शिक्षा में जो संरक्षण मिला हम उसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। हमें 1997 में उच्च शिक्षा में एस0सी0/एस0टी0 के आरक्षण, ओ0बी0सी0 में आरक्षण 2007 में लागू हुआ उसके बाद से यह स्थायी नियुक्तियां कमोवेश बन्द रही, जैसे ही आरक्षण विरोधी रोस्टर लागू किया गया। तत्काल साजिश के तहत भर्तियां स्टार्ट कर दी गयी। जिसका परिणाम यह हुआ कि कानपुर विश्वविद्यालय में 15 पद सृजित किये गये जिसमें ओ0बी0सी0/एस0सी0/एस0टी0 को एक भी पद नहीं मिला। वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर 163 पद सृजित किए गए जिसके तहत ओ0बी0सी0, एस0सी0, एस0टी0 वर्ग को मात्र 37 पद में समायोजित करने का काम किया गया। सम्पूर्णानन्द काशी विश्वविद्यालय में 52 पदो में ओ0बी0सी0, एस0सी0, एस0टी0 वर्ग को मात्र 08 पद देने का काम हुआ। वहीं वाराणसी हिन्दू यूनिवर्सिटी में आरक्षण व्यवस्था का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए 99 में 20 पद इन जातियों को देने का काम हुआ है। हम आपसे कहना चाहते हैं बार-बार मुख्य मंत्री और बार-बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार विश्वास दिलाती है कि हम पिछड़े वर्गों के साथ न्याय करेंगे, दलितों के साथ न्याय करेंगे, अनुसूचित जनजाति के लोगो के साथ न्याय करेंगे। मेरे पास सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय की पूरी लिस्ट है, मेरे पास वाराणसी विश्वविद्यालय की लिस्ट है, मेरे पास गोरखपुर विश्वविद्यालय की लिस्ट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इनमें व्यापक धांधली करके पूरी की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूरी आरक्षण व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए एक जाति विशेष के लोगो को रखने का काम हुआ है। गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्वार्थ विश्वविद्यालय के अंदर यह काम हुआ है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जैसे ही इन वर्गो को आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हुआ तत्काल यू0जी0सी0 से षड़यन्त्र कराकर उन्हें रोकने का काम किया गया है। वंचितों और शोषितों की पीढ़ी आना भी शुरू नहीं हो पाई थी तब तक रोस्टर के साथ अटोनामी और निजीकरण जैसी नीतियां बनाकर इनके लिए उच्च शिक्षा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने का काम कर दिया गया, यह बेहद अमानवीय है और असंवैधानिक भी है।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि तत्काल जरूरी पहल करके आरक्षण विरोधी रोस्टर के आधार पर की गई सभी नियुक्तियों को नल एण्ड व्हाइड करते हुए तत्काल रद्द किया जाये और संवैधानिक न्याय की सामाजिक व्यवस्था का पालन करते हुए विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय को इकाई मानने वाला रोस्टर बनाकर तत्काल सभी नियुक्तियां की जायें। बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं और आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियां की जा रही हैं। अभी नियुक्तियां रोडवेज के अंदर हुईं, पी0जी0आई0 के अंदर हुईं, मेडिकल कालेजों में हुईं, इन आऊटसोर्सिंग की भर्तियों में जो संवैधानिक अधिकार हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' का खोखला नारा लगाती है, यह सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के साथ घोर अन्याय कर रही है और उनके अधिकारों पर डाका डालने का काम कर रही है। आरक्षण विरोधी इन नीतियों को रद्द किया जाये क्योंकि आज इन वर्गो के अंदर जबर्दस्त आक्रोश व्याप्त है। हम आपसे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने का अनुरोध करते हैं।

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)**-

माननीय अध्यक्ष जी, एक पुरानी कहावत है कि 'कौवा कान ले गया' तो कान तो देखेंगे नहीं, कौवे को देख रहे हैं। यह शासनादेश दिनांक 19 फरवरी, 2016 को जारी किया गया था। वर्ष 2016 में किसकी सरकार थी इसका जूडीशल नोटिस लिया जाना चाहिये। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कम से कम इन्हें याद दिला दें कि 19 फरवरी, 2016 को किसकी सरकार थी। किसी पर आरोप लगा देना तो बहुत आसान है। उसमें कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसमें आरक्षण के किसी भी प्रकार के परसेण्टेज को कम किया गया हो। शासनादेश में पूरी तरह से इस बात को दोहराया गया है कि 50 परसेण्ट आरक्षण लागू रहेगा। यह भी कहा गया है कि अगर पद एकल होगा तो उस पर सामान्य वाली व्यवस्था लागू नहीं होगी। मैं इसको पढ़ देता हूं। प्रोफेसर के पद पर आरक्षण प्रत्येक विषय को एक यूनिट मानते हुए लागू किए जाने तथा जिन विभागों में प्रोफेसर का एकल पद है उसमें आरक्षण लागू न होने के संबंध में शासनादेश दिनांक 26 मई, 2003 निर्गत किया गया है। मान्यवर, सवाल यह है कि यह किसी भी प्रकार से हम कोई आरक्षण को कम करने नहीं जा रहे हैं। हमने ऐसी कोई व्यवस्था लागू भी नहीं की है। कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है जिसकी वजह से यह 'काम रोको' प्रस्ताव आ गया। आज की तारीख में 19 फरवरी, 2016 का शासनादेश लागू है और उसमें यह हमारी उससे लागू नहीं है। यह व्यवस्था सुप्रीमकोर्ट के एक आदेश के तहत लागू हुई थी और उन्होंने पूरा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ट्रेस-आउट करके जिस विचार के तहत यह 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई थी, उसी को इसमें दोहराया गया है। यह मैं आपको भेज देता हूं। यह आपका शासनादेश है। यही लागू है। आपसे कह दिया गया कि आरक्षण व्यवस्था कर दीजिए।

जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। उस दिन से आरक्षण को खत्म होने की बातें की जा रही हैं। किसने आरक्षण खत्म करने की बात कही है, कौन कहता है? मा0 मोदी जी ने, मा0 योगी जी ने किसी बयान में किसी विधान सभा में, कहीं लोक सभा में, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह नहीं कहा है। यह गलत प्रचार क्यों करते हैं। आप बहुत जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों को असत्य नहीं बोलना चाहिए। हर चीज का मूल्यांकन होता है। इलेक्ट्रानिक मीडिया, समाचार-पत्र इस बात का मूल्यांकन जरूर करते हैं और हमने यह कोशिश की है कि किसी भी प्रकार से जो गरीब हैं, जो असेवित हैं, जो किसी-न-किसी रूप से वंचित हैं। जो किसी वजह से वंचित रह गये हैं। उन लोगों को उनका अधिकार जरूर मिलना चाहिए। हम पूरी तरीके से, बल से, वचन से, कर्म से और पूरी शिद्दत के साथ इस बात को कहते हैं। जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं। उसमें 1700 वोट मेरी बिरादरी के हैं और उन लोगों ने मुझे 8 बार चुनकर भेजा है। केवल उन्हीं दबे-कुचले लोगों की वजह से जिन लोगो के न्याय के लिए हम लड़ते रहें। लेकिन यह कहते हैं कि आरक्षण खत्म होने जा रहा है। कुछ भी कह दो। किसी विचार को कहने से पहले उसका कोई आधार तो होना चाहिए। कोई आधार भी नहीं है। यह न्यायालय का आदेश किस व्यवस्था के तहत लागू हुआ। न्यायालय का आदेश हमारा और आपका आदेश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अर्टिकल-141 के अंतर्गत 'इट इज सपोज टू बी आ लैण्ड लॉ' है। यह एक लैण्ड लॉ की तरीके से पूरे भारत में लागू किया जाता है। अर्टिकल-141 कहता है हिन्दुस्तान के संविधान में। उसी के तहत 2015 का जजमेण्ट यह उत्तर प्रदेश शासनादेश आपने 19 फरवरी, 2016 को आपने लागू किया। मैं आपकों भेज देता हूं। आप इसे देख लीजिए। आज की तरीख में यह लागू है। अब दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि हमने 5 मार्च, 2018 को जो केन्द्रीय राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी तथा अंतर विश्वविद्यालयों के केन्द्रों में विभागवार आरक्षण रोस्टर लागू किये जाने के संबंध में निर्गत किया जिसके विषय में आपने और आपने जिक्र किया है। यह 5 मार्च, 2018 का है। यह शासनादेश अभी लागू नहीं है। इनकी सरकार द्वारा ही जो आरक्षण लागू किया गया था वही आज की तारीख में भी लागू है। आपने और आपने अपनी ही सरकार के द्वारा लागू की गई व्यवस्था के ऊपर इतना लंबा-चौड़ा भाषण दे डाला।

मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे अधिकार के साथ और एक बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। मैं आपको शासनादेश भेज दूंगा। आज की तारीख में 19 फरवरी, 2016 का शासनादेश लागू है और वह व्यवस्था आपकी बनाई हुई है। हमने उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है। आपने 8 मार्च के परिपत्र का जिक्र किया है वह लागू नहीं है। जो चीज लागू नहीं है उस पर बोलने का कोई सवाल ही नहीं है। वह लागू नहीं है। आप कृपा करके इसकी दरियाफत कर लें। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।

डा0 संग्राम यादव-

मैं कह रहा हूं कि शासनादेश को एक निर्देशात्मक आदेश मानकर आपने आनन-फानन में एक महीने के भीतर आदेश पारित किया और नियुक्तियां कर दीं और जब पार्लियामेंट में बात उठी तो

आपने, वी0सी0 ने, भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने यू0जी0सी0 को कहकर उस पर रोक भी लगवायी। आप सही थे तो रोक क्यों लगी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं समझता हूं कि जो विषय संज्ञान में नही है उस पर बोलना उचित नहीं है। आज की तारीख में 19 फरवरी, 2016 का शासनादेश लागू है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

दखिये, यह पत्र कब आया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का 01-07-2017 का पत्र है और यह 2016 कह रहे हैं। और फिर सी0बी0 06 सितम्बर 2017 यू0जी0सी0 ने निर्देश दिया है 2017 में। चाहे 2015 का हो, 2016 का हो, 2013 का हो या 2011 का हो, हुआ तो नहीं। यह खत्म तो आपके राज में हुआ है। अभी एक महीना पहले नियुक्तियां हुयी हैं। आपके राज में हुयी हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में हुयी हैं, बलिया विश्वविद्यालय में हुयी हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय में हुयी हैं। नियुक्तियां तो आपके राज में हुयी हैं। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों पत्रों को मैंने पढ़ा है। जब लोक सभा में राज्य सभा में इसका विरोध हुआ तो फिर 19 जुलाई, 2018 को एच0आर0डी0 ने एक पत्र जारी करके सभी प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित कर दिया। यह सब तो आप ही के राज में हुआ है। अब मा0 अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को हर बात को झुठलाने का अधिकार तो है। यह तो हम भी कहते हैं कि अखबार में इन लोगों के भाषण में चैनलों में अगर लोग देख लें तो सब स्वर्ग में पहुंच गये हैं। एस0सी0 भी आपका, आप उनके घर-घर में जाकर खाना भी खाये। ओ0बी0सी0 भी आपका, वर्ष 2017 में ओ0बी0सी0 के नाम पर वोट मांगा गया। वह आपको वोट भी दिये। फिर आप चाहते हैं कि 2019 में वह आपको वोट दे लेकिन उसके अधिकारों के हनन करने का अधिकार किसी को नहीं दिया है। यह दोनों पत्र हैं। या तो आपका मानव संसाधन मंत्रालय गलत है या तो हम गलत हैं या तो लोक सभा गलत है जिसमें यह चर्चा उठी है या राज्य सभा गलत है या फिर जो दूसरा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पत्र भेजा है वह गलत है। इसीलिए मा0 अध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूँ कि इस पर विस्तृत चर्चा करायी जाये। पहले तो सरकार निर्देश दे क्योंकि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी खुद कहा कि इसको हम लागू नहीं होने देंगे। तो जो अभी एक महीने के अंदर नियुक्तियां हुयी हैं पहले उसको निरस्त किया जाये।

मैंने पहले भी इस हाउस में कहा है कि अगर हम मंत्री हों या आप मंत्री हों। अगर मा0 सदस्यों के प्रश्नों से मंत्री आनाकानी करते हैं तो अगर वह सदस्य कह देता है कि मा0 अध्यक्ष जी मेरी बात को विश्वास मानकर क्या मा0 मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे। तो मा0 अध्यक्ष जी और मा0 मंत्री जी के सामने कोई चारा नहीं रह जाता है। विधायक इस सदन में असत्य नहीं बोल सकता है। मैं मानता हूँ कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी की बात असत्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण लागू है तो लागू है। तो जो वी0सी0 आरक्षण के नियमों का उल्लंघन करके नियुक्ति कर लिया है जिन भी विश्वविद्यालयों में तत्काल उसको निरस्त कराकर आरक्षण के अनुसार पदों पर नियुक्ति करायें। आरक्षण तो हर जगह है। चाहे रोडवेज में नियुक्ति हुयी हो, चाहे अस्पताल में नियुक्ति हुयी हो। आप और हम सब जानते हैं कि दिन-प्रतिदिन नौकरियां धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं। चाहे जिन कारणों से हो। एक दिन तो हमने मोबाइल में पढ़ा कि धीरे-धीरे ऐसा हो जायेगा कि मानव का सारा काम

मशीन करेगी। यह थोड़े दिन में आने वाला है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से प्रार्थना निवेदन जो भी कहिए कि पिछड़ों का, दलितों का हक मत छीनिए। आज वह छीना गया है तो उसको दण्डित करिए क्योंकि आपने कहा है कि आपने आर्डर दिया है आरक्षण लागू रहेगा अगर आपकी मंशा के खिलाफ किसी ने नियुक्ति कर दी तो उसको दण्डित करिए और नियुक्तियों को रद्द करिए तथा पुनः आरक्षण के हिसाब से विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में या किसी भी विभाग में जो नियुक्तियां निकलें उसमें पूरी तरह से आरक्षण की व्यवस्था कराइए। इस पर चर्चा की मांग हम लोग इसीलिए कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धीरे-धीरे आरक्षण खत्म करने जा रही है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

नियुक्तियां तो आप ही के राज में हुई हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने इनकी बात का खण्डन किया कि यह एक मिथ्या प्रचार है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संविधान पर विश्वास करती है और संविधान ने आरक्षण की जो व्यवस्था दी हम पूरी तरह से उसको लागू करने के लिए वचनबद्ध हैं। उसमें अगर किसी ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया या गलत काम किया और यदि किसी शासनादेश से हटकर कोई काम किया तो हम उसका परीक्षण जरूर करवाएंगे। मान्यवर, न्याय होगा और न्याय दिखाई पड़ेगा, लेकिन आज की तारीख में मैं फिर कह रहा हूं कि 19 फरवरी, 2016 का ही शासनादेश आज की तारीख में लागू है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है यह हो गया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, यह तारीख बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पत्र कब जारी किया है?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें दो बातें हैं एक तो बीच में जिस समय यह लागू नहीं था, स्थगित नहीं था उसी समय अचानक, जैसा कि संग्राम सिंह यादव जी ने कहा कई स्थितियों में उन्होंने नियुक्तियां कर लीं और उसके बाद स्टे हुआ तो बीच की जो नियुक्तियां हैं उसको स्थगित करें। उसको रद्द करके फिर से नियुक्तियां हों। मान्यवर, दूसरा जो राजकोष पर भार आता है चाहे वह संविदा की नौकरी हो, चाहे वह स्थाई नौकरी हो उसमें अगर राजकोष पर भार आ रहा है यदि उनको उससे वेतन मिल रहा है तो उन सारे पदों पर जो खत्म किया जा रहा है उस पर भी यह लागू किया जाए। मान्यवर, अभी एस0जी0पी0जी0आई0 ने 100 लोगों को संविदा पर ट्रामा सेंटर में रखा है। उस 100 में आरक्षित वर्ग के अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति का एक भी व्यक्ति नहीं है। इसी तरह से कंडेक्टर का मैंने उदाहरण दिया वह नियमित नियुक्ति है उसमें पुरानी नियुक्तियों को संज्ञान में लेकर पुराने लोग कार्यरत

हैं, इसलिए ओ0बी0सी0 का एक भी पद नहीं भरा गया। मान्यवर, इस आधार पर यह जानबूझकर उस आरक्षण की हमारी जो हिस्सेदारी है उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए इस पर चर्चा होना जरूरी है। मान्यवर, इस पर कई मा0 सदस्य अपनी बात रखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह तो कह दिया है कि बीच में यदि कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो हम जांच कराएंगे और उस पर कोई बोलना नहीं चाहता है। मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में इस बात को कह दिया है। मैं दोबारा भी कह दूंगा कि यदि कहीं भी शासनादेश का उल्लंघन हुआ है तो हम उसका परीक्षण जरूर करवांएगे। आपका यह प्रचार, ये केवल बीजेपी के खिलाफ प्रचार है। मान्यवर, हम फिर इस बात को दोहराते हैं कि हम पूरी तरह से आरक्षण के पक्षधर है और हर प्रकार से वंचितों को, शोषितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए यह सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और पहले भी किया है, आगे भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

इस पर किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नियम-56 के तहत मैं इसे अग्राह्य करता हूं और अगला विषय लेता हूं।

श्री राम गोविंद चौधरी-

मान्यवर, इनकी मंशा ठीक नहीं है, कह रहे हैं और एक महीने के अंदर ही सारी नियुक्तियां हो गयीं, इसलिए पिछड़े वर्ग के प्रति भारतीय जनता पार्टी के विरोधी रवैये के कारण मैं और मेरा दल सदन से बहिष्कार करता है।

(नेता विरोधी दल ने अपने दल सहित सदन से बहिष्कार किया।)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के इस रवैया पर हमारा दल भी सदन से बर्हिगमन करता है।

(श्री लालजी वर्मा ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन किया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम उसका परीक्षण कराएंगे और गलत भी होगा तो सही कराएंगे।

श्री अध्यक्ष-

हम अगला विषय ले रहे हैं मा0 श्री अजय कुमार 'लल्लू' जी।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने मैनीफैस्टो में यह वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो गन्ना मूल्य का संपूर्ण भुगतान करेंगे और यदि किसानों का बकाया होगा चौदह दिन से अधिक तो उसे ब्याज सहित भुगतान करने का काम करेंगे। महोदय, आज प्रदेश का किसान चिंतित है और रोज कहीं-न-कहीं छोटी-बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रदेश के किसानों

का हाल यह है कि 'किसानों से अब वो कहां मुलाकात करते हैं, बस रोज नए-नए ख्वाबों की बात करते हैं।' मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो मोदीनगर चीनी मिल पर रू0 19012.70 लाख बकाया है, चीनी मिल बृजनाथपुर पर रू0 10443.35 लाख, मलकपुर पर रू0 41904.38 लाख, कुशीनगर की सेवरही चीनी मिल पर रू0 6673.85 लाख, मेरठ मण्डल में रू0 3518.76 लाख, बरेली मण्डल में रू0 4976.62 लाख और कुल देखा जाए तो वर्तमान में रू0 10,622.15 करोड़ रूपए बकाये की राशि अब तक सरकार ने चीनी मिलों से दिलवाने का काम नहीं किया है।

मा0 अध्यक्ष जी, यह मैं मानता हूं कि पिछली साल से अधिक इस साल पेराई का सत्र रहा। गन्ना भी बहुत हुआ है, पैदावार हुई है लेकिन अगर देखा जाए तो रिकवरी भी पिछले साल की अपेक्षा चीनी मिलों को अधिक प्राप्त हुई है, पिछले साल 9.18 प्रतिशत रही और इस बार 10.86 प्रतिशत रिकवरी रही। महोदय, अभी केंद्र सरकार की एक घोषणा आई और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को अनुदान के रूप में चीनी मिल को देने का एक सब्सिडी का प्रावधान किया। लेकिन महाराष्ट्र में 6.5 फीसदी बकाया है और आंवटन हुआ है 37.7 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 65 फीसदी बकाया है तो आंवटित हुआ है मात्र 32 प्रतिशत। यानी महाराष्ट्र के सापेक्ष काफी कम पैसा आवंटित करने का काम हुआ है।

अध्यक्ष जी, इस सरकार ने रोज-रोज, नए-नए सपने दिखाये और आज हालात यह है कि किसान आत्महत्या करने पर विवश है। अध्यक्ष जी, पीलीभीत की 24 तारीख की घटना है, किसान कुलवन्त सिंह ने कर्ज लिया था और कर्ज लेकर खेती किया था, मात्र उसने 01 लाख रूपया कर्ज लिया था, लेकिन वहां के कुछ दलालों ने, चूँकि वह अनपढ़ था, 08 लाख का कर्जा दिखाकर बैंक से रिकवरी करा दिया, तहसील प्रशासन जब गया तो उस आदमी की स्थिति बिल्कुल घबराहट की आ गयी और जब वह तहसील में गया, तहसील में जाने के बाद उस किसान ने जहर पी लिया, तहसील के सामने, एस0डी0एम0 के सामने। आनन-फानन में डी0एम0, एस0पी0 मौके पर पहुँचे और उसे अस्पताल पहुँचाये। पहले तो उस फ्राड के खिलाफ मुकदमा हुआ और बाद में उस किसान के खिलाफ मुकदमा कर दिया कि उसने बकाये का पैसा नहीं चुकाया और आत्महत्या करने की कोशिश की। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और पश्चिम में गन्ना का सम्बन्ध रोटी और बेटी का होता है। अध्यक्ष जी, रोटी वह उस गन्ना के पैसे से प्राप्त करता है तो उसके घर का चूल्हा जलता है और वह गन्ने के पैसे से ही अपनी बेटी की शादी करता है। इतना ही नहीं, अगर कहीं कोई बीमारी हो जाए तो उसी मुख्य नकदी फसल से वह अपने परिवार के इलाज की व्यवस्था और अगर बच्चे कहीं बाहर पढ़ते हैं, छोटे-बड़े, उनकी पढ़ाई की भी व्यवस्था उसी पैसे से होती है। लेकिन इस सरकार की मंशा साफ नहीं है। बड़े-बड़े भाषण दिए जाते रहे, मुझे याद है, 2017 में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरी सरकार और यही नहीं पूरे प्रदेश में घूम-घूम कर कहा कि मेरी सरकार आयेगी तो 14 दिन के अन्दर गन्ना किसानों का भुगतान होगा, नहीं तो ब्याज सहित पैसा देने का काम करूँगा। 'क्या हुआ तेरा वादा, वह कसम, वह इरादा', केवल हवाबाजी और केवल झूठ की बुनियाद पर इमारत खड़ी करने के अलावा कुछ नहीं। अध्यक्ष जी, हालात यह है, 'राजा ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संत्री ने कहा रात है, यह सुबह-सुबह की बात है', यह हाल है इस सरकार का, दिन में सपना दिखाती है और यह सरकार,

जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है, अध्यक्ष जी, किसानों के साथ अन्याय, अत्याचार हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

गन्ने पर आप बोलिए, आप विषयान्तर कर रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मुझे याद है, अध्यक्ष जी, 1992 में इनकी सरकार ने किसानों पर गोली चलवाई थी और किसान मरे थे। यह वही सरकार है, जिस सरकार ने पडरौना चीनी मिल के बकाये के भुगतान के लिए किसानों ने आन्दोलन किया था तो ट्रेड के आन्दोलन में भुल्लन नाम का लड़का मरा था और वहां के आन्दोलन में, मैं छात्र का अध्यक्ष था, 17 दिन गोरखपुर जेल में मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

श्री अध्यक्ष-

आपको तात्कालिक विषय पर बोलना है, छात्र संघ के बारे में नहीं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, यह सरकार किसान विरोधी है, इस सरकार ने अब तक बकाये गन्ने का भुगतान नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिए, मैं उत्तर के लिए बुला रहा हूं। अब आप बैठें, आपके पास सामग्री नहीं है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, बस 02 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। अध्यक्ष जी, अभी मैंने सुना, आज के पेपर में 5313 करोड़ रूपया दे रहे हैं, 10622 करोड़ के सापेक्ष, और पैसे कैसे देंगे? अध्यक्ष जी, अक्टूबर में फिर चीनी मिल चलेंगी और बकाये गन्ने का भुगतान अब तक सरकार ने किया नहीं। चीनी मिल मालिक हड़ताल पर हैं, सरकार के आदेश को चीनी मिल मालिकों ने मानने से इन्कार कर दिया। अध्यक्ष जी, चीनी का दाम गिराने का काम किया, इनकी केन्द्र में भी सरकार थी और उत्तर प्रदेश में भी सरकार थी। शीरा को इन लोगों ने सड़कों पर फेंकवाया।

श्री अध्यक्ष-

पुरानी बात न बताइये, नियम-56 में पुरानी बात नहीं आती।

(श्री बल्देव सिंह औलख के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिए।

अल्पसंख्यक कल्याण, सिंचाई, सिंचाई (यांत्रिक) राज्य मंत्री (श्री बल्देव सिंह औलख)-

आपकी सरकार ने तो बन्द करने का काम किया।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

इतिहास गवाह है, अगर उत्तर प्रदेश में जितनी चीनी मिलें हैं, कांग्रेस की सरकार में लगी। अध्यक्ष जी, इसी सदन में हमने सवाल किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी पडरौना में आये और उन्होंने 100 दिन के अन्दर चीनी मिल की घोषणा की थी।

श्री अध्यक्ष-

मूल विषय है आपका चीनी मिलों पर जो बकाया जारी है, इसमें आप विषयान्तर कर रहे हैं तमाम इधर-उधर की बात करके। अब आप सरकार का उत्तर आने दीजिए।

***गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सुरेश राणा)**-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे अपना विषय रखने का मौका दिया। मैं उम्मीद करता था और मुझे इस बात का खेद है कि लल्लू जी से मैं उम्मीद करता था कि वह सरकार के बेहतरीन कामों की तारीफ करें, लेकिन इनकी गलती नहीं है यह पार्टी के संस्कार हैं। उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं यह जरूर कहूंगा कि उन्होंने गन्ना किसानों की चिंता की है इसके लिए मैं इतना मैं जरूर कहूंगा कि आज उन्होंने काम देखा है इस प्रकार मात्र 15 महीने में योगी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए काम किया है। मा0 अध्यक्ष जी, इस सत्र की बात करूं मैं वर्ष 2017-18 की तो वर्ष 2017-18 में कुल जो भुगतान है वह 35 हजार 4 सौ 55 करोड़ रूपये का गन्ना हम लोगों ने खरीदा है और मुझे सदन को सूचना देते हुए इस बात की खुशी भी है और मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूं कि उनके बड़े निर्देश का परिणाम है कि इतिहास में सबसे ज्यादा इस सत्र में अब तक हम 25 हजार 1 सौ 87 करोड़ रूपये का गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया है। हमारे मित्र ने कई सारी शुगर मिलों की चर्चा की मैं उन शुगर मिलों के साथ-साथ कुछ इनका ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा कि इन्होंने कुछ आंकड़े गलत रखे हैं। कभी-कभी गलत चीज स्लीप हो जाती है कोई फक्र नहीं पड़ता, लेकिन हां मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं मैं पहले मेरठ मण्डल की चर्चा करूंगा मेरठ मण्डल में वर्ष 2015-16 तक के आकड़े मैं दे रहा हूं मेरठ मण्डल में वर्ष 2015-16 में गन्ना किसानों का भुगतान होना था कल की तारीख तक 14 सौ 62 करोड़ और अब कल की तारीख में हुआ है वर्ष 2017-18 में हुआ है 25 सौ 94 करोड़। और इन्होंने बरेली मण्डल की चर्चा की तो बरेली मण्डल में वर्ष 2015-16 में भुगतान हुआ था कल की तारीख तक 12 सौ 26 करोड़ और योगी की सरकार में और बी0जे0पी0 की सरकार में कल तक हुआ है 25 सौ 35 करोड़। एक और इन्होंने मण्डल की चर्चा की थी वह थी गोरखपुर मण्डल की। गोरखपुर मण्डल में 4 सौ 17 करोड़ का हुआ था और कल तक हमने किया 5 सौ 41 करोड़ का भुगतान।

मैं कोई राजनीतिक पार्टी के विवाद में नहीं जाना चाहता पर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि यह किसी सरकार के लिए नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है, पूरे प्रदेश के लिए स्वाभिमान का विषय है कि हम लोगों ने इस बार पूरे भारत का कुल चीनी के प्रोडक्शन का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

38 प्रतिशत प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश ने किया है। यह बहुत गौरव की बात है। यह किसी एक पार्टी का विषय नहीं यह पूरे प्रदेश के गौरव का विषय है और यशस्वी मुख्य मंत्री मा0 योगी आदित्यनाथ जी के नेताओं का सम्मान है। 19 मार्च में हमारी सरकार आई और आते ही जिस प्रकार उन्होंने कहा वह सराहनीय है। मैं गन्ने के विषय को लगातार सदन में उठाता रहा हूं लगातार 3-3, 4-4 साल का बकाया भुगतान देखा। 4-4 साल तक किसान का बकाया था। मेरा क्षेत्र थाना भवन है मैं वर्ष 2015-16 में वहां एक शुगर मिल है वहां पर गया किसानों का धरना चल रहा था। मैंने पूछा कि धरना किस बात का है तो किसानों ने कहा कि तीन साल से गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ। मैं बधाई देना चाहता हूं मा0 मुख्यमंत्री जी को कि जैसे वर्ष 2017 में हमारी सरकार आई तो उन्होंने तेजी से कहा कि तुरंत भुगतान कराईये और मैं यह भी आंकड़ा सदन के सामने रखना चाहता हूं और इसलिए क्योंकि मैंने पहले कहा कि लल्लू जी हमारे मित्र भी हैं तो यह कोई वाद-विवाद का विषय नहीं, लेंकिन इन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा और कोटे की राजनीतिक की तरफ यह भी बढ़ेंगें, मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कहा था कि सदन में कोई भी विचार कटुता का नहीं करते थे। जब स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी जी को हम श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे थे। तो आपने कहा था कि पॉजिटिव विचारों के साथ हम सब लोग आगे बढ़ें। उसी तरफ बढ़ते हुए मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं क्योंकि इन्होंने भुगतान की बात कही है। वर्ष 2014-15 में आज की तारीख तक पूरे प्रदेश का भुगतान हुआ था 13333 करोड़ रुपये, तब किसकी सरकार थी मैं उस पर नहीं जाना चाहता। वर्ष 2015-16 में इस समय तक पूरे प्रदेश का भुगतान था 16101 करोड़ रुपये और जब वर्ष 2016-17 में बी0जे0पी0 की सरकार आई, मा0 योगी जी की सरकार आई तो भुगतान हुआ 23517 करोड़ रुपये।

अब आप अन्तर देख लीजिए। वर्ष 2017-18 में कल तक भुगतान हुआ है 25125 करोड़ रुपये। यह इस बात के अन्तर को स्पष्ट करता है कि हम लोग केवल कहने में विश्वास नहीं करते बल्कि हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जिस प्रकार हम लगातार तेजी के साथ आगे बढ़े और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी हमारे मित्र ने पिछले समय के भुगतान वर्ष 2014-15 का सवाल किया था। मैं इस ओर भी इशारा करना चाहता हूँ कि इस सरकार ने अपने कार्यकाल में, हमने सरकार आने के बाद वर्ष 2014-15 के 21 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान कराया। इनके समय के वर्ष 2015-16 के बकाया 234 करोड़ रुपये का भुगतान कराया और वर्ष 2016-17 के उनके कार्यकाल के बकाये 4175 करोड़ रुपये का भुगतान भी हमने कराया। आदरणीय लल्लू जी, यदि मैं पिछली सरकार की बात करूँ तो पिछली सरकार का, पिछले कार्यकाल का, 4443 करोड़ रुपये का गन्ना किसानों का बकाया भुगतान इस सरकार ने कराया। विषय केवल यह है कि हमारे एजेण्डे में केवल किसान है। जो हमने कहा है उसे हम करने में विश्वास करते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि किसान की आय दोगुनी करनी है और मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि बहुत से लोगों ने भाषण दिए, तमाम नारे लिखे, तमाम बड़ी-बड़ी बातें कीं लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य को डेढ़ गुना करने का काम यदि किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। हमारे साथी ने और भी तमाम विषय, बहुत सारे विषय उठाए। इनकी सूचना में एक वाकया आया था कि पूर्वांचल चीनी का कटोरा कहा जाता था। मैं आपको

धन्यवाद देना चाहता हूं। सच में बहुत सम्भावनाएँ हैं पूर्वांचल में। सच में पूर्वांचल चीनी का कटोरा था और पूर्वांचल में बहुत सारी सम्भावनाएँ हैं। लेकिन मैं दुःख के साथ कहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों का जो व्यवहार रहा, कितना कष्टकारी व्यवहार रहा।

पूर्वांचल के विधायक यहां बैठे हैं। जब बस्ती के अन्दर वहां शुगर मिल को चलाने की बात चल रही थी तो किसानों पर गोलियां चलाई जा रही थीं। मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को कि उन्होंने कहा पूर्वांचल चीनी का कटोरा था और हम ऐसी नीतियां लाएँगे कि पूर्वांचल चीनी का कटोरा हो जाएगा और उन्हीं नीतियों का परिणाम है कि पूर्वांचल के पिपराइच-गोरखपुर में एक नई मिल जो कब से बननी थी उस मिल को लेकर हम आए हैं और 400 करोड़ रुपये की लागत से उस मिल को हम अगले साल में, इसी पेराई सत्र में चलाने वाले हैं। उसका शिलान्यास हो गया है और बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। मैं आदरणीय लल्लू जी को एक दिन वहां लेकर के जाऊंगा। ये हमारे साथी हैं, इनको वह पूरा क्षेत्र दिखा करके लाऊंगा। वहां बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी की सोच को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा यह केवल चीनी मिल नहीं है। ऐसी व्यवस्था करो गन्ना मंत्री जी कि किसान को किसी भी प्रकार से गन्ना भुगतान के लिए परेशान न होना पड़े। इसलिए मिल के साथ वहां 60 किलो लीटर क्षमता की डिस्टलरी भी लगाई जा रही है। जिससे पूर्वांचल के हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा, लाखों किसानों को इसका फायदा होगा। साथ ही मैं चर्चा करना चाहता हूं मुण्डरेवा चीनी मिल बस्ती की। जो आपके ही पड़ोस का जिला है। बस्ती के मुण्डरेवा में किसानों की क्या खता थी, केवल एक खता किसानों की थी कि उन्होंने कहा था शुगर मिल चला दो। लेकिन क्या कहूं, किस प्रकार की सरकारें थीं, मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। किसानों ने कहा मिल चला दो, उन्होंने मिल चलाने की बात की तो लोगों ने गोलियां चलवाईं और उसका परिणाम यह रहा कि वहां तीन किसान शहीद हो गए। मैं फिर बधाई देना चाहता हूं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को कि वह वहां गए, मैं स्वयं उनके साथ था और वहां जाकर के उन्होंने उन किसानों को समर्पित करते हुए, उन शहीदों को समर्पित करते हुए सबसे पहले जाकर के उनका माल्यार्पण किया। फिर जाकर वहां नई शुगर मिल का शिलान्यास किया। यह योगी सरकार है और मैं यह सूचना भी सदन को देना चाहता हूं कि हम इसी सत्र में उस शुगर मिल को चलाने वाले हैं।

शुगर मिल चलाने के साथ-साथ हमने कहा कि शुगर मिल चला देंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई नीति न हो, उसके भविष्य की चिंता न हो। हमने भविष्य की भी चिंता की है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, बस्ती में उस शुगर मिल को कोई घाटा न हो निर्णय लिया गया कि वहां पर हम 27 मेगावाट का बेहतरीन कोजेन प्लाण्ट लगाएंगे। हमारे यशस्वी ऊर्जा मंत्री यहां बैठे हैं। लगातार बिजली के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और हम लोगों ने भी कहा कि 27 मेगावाट का कोजेन प्लाण्ट लगाएंगे जिससे बिजली की सुचारु आपूर्ति होगी, आस-पास के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति होगी, किसानों को लाभ होगा, नौजवानों को लाभ होगा। इस प्रकार की योजनाएँ हम लोगों ने बनाई हैं। ये चीनी मिलों को बंद करते थे। हम चीनी मिलों को चलाना जानते हैं। हमने वो चीनी मिलें चलाईं जिन्हें चलाने का इरादा लोगों ने खो दिया था। मैं सदन में कहना चाहता हूं कि बुलन्दशहर के अंदर वह शुगर मिल जो पिछले पांच साल से बंद थी। सबने हाथ खड़े कर दिये थे कि यह मिल नहीं

चलेगी। किसान लगातार धरने पर थे। हम लोग वहां गये और हम लोगों ने प्रबन्ध तंत्र से बातचीत की और बातचीत का परिणाम यह आया कि पिछले सत्र में ही योगी सरकार ने उस मिल को चला दिया और 50000 से ज्यादा किसानों को उसका लाभ हुआ। आदरणीय लल्लू जी, हमारे कई मित्र और सहारनपुर के विधायक यहां बैठे हैं। दया शुगर सहारनपुर जो पिछले 9 साल से बंद थी। लोग सोचते थे कि मिल नहीं चलेगी, ऊंची-ऊंची घास वहां पर खड़ी थी, वह मिल पूरी तरह से जर्जर हो गई थी। मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सोच को भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्य मंत्री को कि ये जो 9-10 साल से बंद शुगर मिल थी उस दया शुगर मिल को चलाने का काम भी हम लोगों ने किया और 25000 से ज्यादा किसानों को उस मिल से लाभ हुआ।

हमारी बहन गुलाबो देवी बैठी हैं, वर्षों से चन्दौसी की शुगर मिल की लड़ाई लड़ रही थीं। चन्दौसी की शुगर मिल को हम लोगों ने चलाने का काम किया। मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहता हूं चूँकि बातें तो मैं बहुत कह सकता हूं लेकिन केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि एक विषय जो कल सदन में आया वह ऐतिहासिक विषय आया। जब मैं कल बजट को पढ़ रहा था तो एक विषय ऐसा आया कि मुझे लगा कि सच में सरकार किसानों की कितनी चिंता करती है। पूरे प्रदेश में ये मैसेज गया। पूरे प्रदेश के किसानों में इस मैसेज से आज उत्साह है। लगातार अखबारों में समाचार छप रहे हैं। लगातार किसान कह रहा है कि मोदी-योगी की जो विचारधारा है वह किसानों को पुष्ट करने वाली है। जब कल मैं बजट पढ़ रहा था इसके लिए मैं लाख-लाख बधाई अपने मुख्य मंत्री को देना चाहता हूं कि उन्होंने 5535 करोड़ रूपये का प्राविधान केवल गन्ना किसानों के भुगतान के लिए बजट में किया है। मैं केवल यह कहते हुए बात खत्म करना चाहता हूं कि हम सबका उद्देश्य है कि हम एक शानदार उत्तर प्रदेश का निर्माण करें। जहां का किसान खुशहाल हो, जहां किसान के चेहरे पर लाली हो, जहां किसान मुस्कराये, केवल वादों से काम चलने वाला नहीं है और मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा कि यू0पी0ए0 ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, सपा ने क्या किया, मैं इस पर एक शब्द नहीं बोलूंगा कि किसने क्या किया। मैं गांव का बिल्कुल एक साधारण आंकड़ा देना चाहता हूं कि किसी भी सरकार के बेहतर काम का यदि पैमाना देखना हो तो इससे अन्दाजा हो जाएगा कि वह फसल घट रही है या वह फसल बढ़ रही है। यदि वह फसल घटती है तो मान लें कि सरकार का उस फसल के प्रति रुझान नहीं है और मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को कि जब से बी0जे0पी0 की सरकार आई है हमने 2 लाख से ज्यादा हेक्टेयर क्षेत्रफल गन्ने का उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा दिया है। यह सरकार के काम का परिणाम है। मैं माननीय सदस्य को इस बात के लिए निश्चित रूप से धन्यवाद दूंगा। चूंकि हमारे मित्र हैं लगातार अपने विषय को उठाते हैं मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेण्डे में किसान हैं और लगातार क्रियाशील रूप से हम गन्ना किसानों के भुगतान को लगातार करते रहेंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का दोष नहीं है। इनकी पार्टी में अच्छी-अच्छी बातों को रखने की एक परम्परा है। इसीलिए इस नाम से जाने जाते हैं कि जुमलेबाजों की सरकार है। ये पूरे देश में पूछियेगा कि जुमलेबाजों की कौन-सी सरकार है, कोई भी बता देगा। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मात्र इतना माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शेष धनराशि जो गन्ना किसानों का

बकाया है क्या वह चीनी मिल चलने से पूर्व माननीय मंत्री जी करा देंगे ? दूसरा, ऐसे 20 वर्ष किसानों ने बहुत अधिक मात्रा में गन्ना बोया है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप पूछ लीजिए, स्पष्टीकरण तो यह है कि भुगतान कब तक हो जायेगा।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, सुन तो लीजिए, यह जनता से जुड़ा मामला है, यह किसानों से जुड़ा मामला है। किसानों ने इस बार गन्ना ज्यादा बोया है। गन्ना बोने का कारण यह है कि पूर्वांचल और पश्चिम में गन्ना मुख्य नगदी फसल है। इस वर्ष जो गन्ने का कलैण्डर बना है वह सारी समितियों के अध्यक्षों को पूरी तरह निर्धारित कर दिया गया है। पिछले समय में संयुक्त जगह-जगह से गांवों से सर्वे होते थे और दोनों जगह से रिपोर्ट बनती थी। इस वर्ष गन्ना फैक्ट्री से सर्वे को बिल्कुल रोक दिया गया है। अध्यक्ष जी, मेरी बात तो सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

हम सुन रहे हैं लेकिन आप कोई बात तो करिए तुक की।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, कोई एक खाता किसी का बना है और उसके पास मान लीजिए अगर 5 टायर का गन्ने का खाता है और उसके द्वारा इस वर्ष 20 टायर का गन्ना बोया गया है उसके पास परेशानी है, तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी भी व्यवस्था करेंगे कि जितना भी गन्ना बोया गया है उतनी पर्ची का एलॉटमेण्ट करेंगे? मेरे इन दो प्रश्नों के उत्तर मंत्री जी बता दें।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात को अवगत कराते हुए कि पिछली बार उधर से एक सवाल उठा था, जब सत्र चल रहा था तो लोगों ने कहा था कि गन्ने में आग लगेगी, इतना गन्ना कैसे पिराई हो जायेगा? इतना गन्ना पिराई नहीं हो सकता? लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी का एक बयान आया था वह बयान मुझे अब तक याद है उन्होंने कहा था कि जब तक किसान का आखिरी गन्ना खेत में है तब तक शुगर मिलें चलेंगी। इन्हें चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तैयारी में है एक-एक गन्ना किसान का लिया जायेगा और मैं कहना चाहता हूं कि यह आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं। मैं आंकड़ों के आधार पर बात करने वाला व्यक्ति हूं इस बार जब वर्ष 2015-16 में पूरे उत्तर प्रदेश में 64 करोड़ कुंतल गन्ने की पिराई हुई थी, वर्ष 2016-17 में बढ़कर 82 करोड़ कुन्तल गन्ने की पिराई हुई और वर्ष 2017-18 में 111 करोड़ कुन्तल गन्ने की पिराई हुई। इसलिए जो कहा मुख्य मंत्री जी ने वह करके दिखाया। आप चिन्ता मत करें किसान के एक-एक गन्ने की पिराई की गारण्टी मुख्य मंत्री जी ने पहले ली थी और पिराई करके दिखा दी। निश्चित रूप से सारी कार्य योजना बनाने में हम लोग लगे हुए हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब उत्तर पूरा आ गया है, हम नियम-56 की सूचना को अग्राह्य करते हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, गन्ना किसानों के प्रति यह सरकार गंभीर नहीं है, किसानों की बकाया राशि को डकारना चाहती है, किसानों की पढ़ाई-लिखाई, शिक्षा सारी व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है इसलिए कांग्रेस पार्टी सदन से बर्हिगमन करती है।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' ने अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन किया)

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना माननीय मनोज कुमार पाण्डेय, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री हरिओउम यादव, श्री अखिलेश सिंह की डेंगू के सम्बन्ध में है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे उत्तर प्रदेश के इस महत्वपूर्ण एक ऐसे विषय से जो जीवन और स्वास्थ्य दोनों से जुड़ा है उस पर नियम-56 के अंतर्गत बोलने की अनुमति दी है। माननीय अध्यक्ष जी, आज यह हम सब अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में डेंगू बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। यदि हम देखें तो लगातार प्रत्येक वर्ष डेंगू की बीमारी का प्रतिशत प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में लगातार बढ़ रहा है। यदि हम पीछे के रिकार्ड्स देखें तो

(इस समय 01 बजकर 48 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुए)

डेंगू के कारण बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में लोगों की मृत्यु भी हुई है। जहां तक एक बड़ा प्रश्न इस पर यह भी आता है कि जब डेंगू से बड़ी संख्या में मौत हो रही है, लोग प्रभावित हो रहे हैं तो सरकार की तरफ से यह जवाब लगातार आया है कि डेंगू का परीक्षण या डेंगू के इलाज की व्यवस्था की गयी है लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, कुछ रिपोर्टें ऐसी हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं और इससे जुड़े लोगों के लिए सचेत करने की भी हैं और चौंका देने वाली भी हैं। यदि हम देखें टाइम्स ऑफ इण्डिया की एक रिपोर्ट जिसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि द नम्बर ऑफ द डेंगू केसेस रिकार्डेड इन द लास्ट थ्री इयर्स हेज गॉन अपटू 37 फ्रॉम द 51 केसेस इन मई डेंगू केसेस अपटू 81 जून 402 केसेस इन अगस्त। अगर इन आकंड़ों को हम देखें जो डब्लू0एच0ओ0 के आकंड़ों को टाइम्स आफ इण्डिया ने प्रकाशित किया है तो कहीं न कहीं यह प्रदेश के लिये बहुत गंभीर विषय है कि डेंगू में लगातार वृद्वि हो रही है और उससे भी ज्यादा एक संकट का विषय है कि सरकार कहती है कि डेंगू की जॉच, डेंगू का इलाज और डेंगू से प्रभावित लोगों के लिये प्लेटलेट्स चढ़ाने के लिये जिलों में भी व्यवस्था की गयी है। गवर्नमेन्ट की जो सूची है उसके अनुसार 75 जिलों में 18 जनपद दिये हैं जो डेंगू का इलाज कर रहे हैं।

सच्चाई यह है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, कि हम सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 की बात तो दरकिनार करते हैं, कुछ महानगरों को छोड़कर अधिकांश ऐसे जनपद हैं जहां पर न डेंगू की कोई जॉच हो पा रही है, न प्लेटलेट्स चढ़ाने की वहां कोई व्यवस्था है और गरीब कमजोर लोग जो गांव में रहते हैं आज वह प्राइवेट हास्पिटलों में एडमिट होने के लिये मजबूर हैं। एक केस के हम खुद उदाहरण हैं कि किस तरह से गरीब और कमजोर व्यक्ति का डेंगू के उपचार के नाम पर शोषण हो रहा है। एक गरीब व्यक्ति को लाया गया, सहारा हास्पिटल में एडमिट किया गया उसकी प्लेटलेट्स

30 हजार थी और जब प्लेटलेट्स चढ़ाने की बात आई, वह जीवन मृत्यु से जूझ रहा था, वह मरीज और उसके परिवारजन जूझ रहे थे तो वहां हास्पिटल के इंचार्ज द्वारा कहा गया कि एक लाख रूपया जमा करो, नहीं तो इसी हालत में मरीज को बाहर ले जाओ। वह गरीब व्यक्ति पैसा नहीं दे सकता था। अंततः यह हुआ कि उस मरीज को बाहर निकालना पड़ा और उस मरीज के बाहर निकलते ही उसकी मृत्यु हो गयी। आज कहीं न कहीं यह हम सबके लिये एक लोकतांत्रिक देश में जहां हम सब 400 से ज्यादा सदस्य, जो उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह हम सबके लिये कहीं न कहीं सोचने की बात है कि एक आजाद भारत में बिना इलाज के तड़प-तड़पकर मरने के लिये लोग मजबूर हैं। डेंगू में भी तीन तरह के बुखार आते हैं और तीन तरीके के इसके लक्षण पाये जाते हैं। एक क्लासकल डेंगू बुखार, जो साधारण श्रेणी में आता है। दूसरा पी0एच0एफ0 और तीसरा एक डी0एस0एस0, यह दोनों बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं, यह जानलेवा है। इसी डब्लू0एच0ओ0 की रिपोर्ट में दिया है कि वर्तमान समय, जिस समय हम बात कर रहे हैं, उसके दो दिन पहले की रिपोर्ट है कि 148 लोग पी0एच0एफ0 से प्रभावित हैं और डी0एस0एस0 से 178 लोग प्रभावित हैं। यह जो आकंड़े हैं यह केवल गर्वन्मेंट हास्पिटलों के हैं, जहां से जांच होकर आये हैं। लेकिन इससे बहुत बड़े आकंड़े होंगे, जिन लोगों ने प्राइवेट हास्पिटल में अपनी जॉच या इलाज कराया है और उससे भी बहुत बड़ी संख्या उनकी होगी जो बेचारे गांव में अज्ञानतावश आर्थिक कमजोरी के कारण वह जॉच ही नहीं करा पाये कि उन्हें डेंगू है या उन्हें किस तरह का बुखार है। इसलिये एक लोक महत्व का, उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ यह प्रकरण है।

मैं सरकार से यह मांग भी करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में डेंगू से प्रभावित लोगों को प्लेटलेट्स चढ़ाने की व्यवस्था की जाय और इस चीज का भी सर्वे कराया जाय कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में यह व्यवस्था है कि जहां डेंगू से प्रभावित लोगों को प्लेटलेट्स चढ़ाई जा रही है। सच्चाई तो यह है कि आज सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 में कोई जॉच ही नहीं है। स्थिति यह है कि जिला अस्पताल में भी डेंगू का परीक्षण नहीं हो पा रहा है अब प्लेटलेट्स चढ़ाने की व्यवस्था केवल कुछ शहरों में हैं जैसे आगरा है, मेरठ है, गोरखपुर है, वाराणसी है, आजमगढ़ है और फैजाबाद है। इनके अतिरिक्त किन्हीं भी जनपदों में सरकारी अस्पतालों में प्लेटलेट्स चढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कुछ जनपद ऐसे भी है जो इस समय अत्यधिक इससे प्रभावित हैं, जैसे जनपद रायबरेली, प्रतापगढ़, हरदोई, मथुरा और वाराणसी। वाराणसी माननीय प्रधानमंत्री जी की कांस्टीटुएन्सी है। सबसे ज्यादा डेंगू के लक्षण जांच के बाद वाराणसी में पाये गये। रायबरेली भी इसमें कहीं न कहीं बहुत प्रभावित है। मथुरा भी इससे प्रभावित है, तो इस सदन के माध्यम से और नियम-56 के अंतर्गत हम यह मांग भी करते हैं कि जहां चिकित्सकों की कमी है, प्लेटलेट्स चढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, सरकार उसकी उपलब्धता कराये, यह गंभीर विषय है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग डेंगू से प्रभावित हैं। अतः हम यह अनुरोध भी करेंगे कि इस सदन की कार्यवाही रोक करके मानव जीवन से जुड़े स्वास्थ्य के इस अहम् प्रकरण में कार्यवाही और चर्चा कराने की मैं मांग भी करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब माननीय प्रभुनारायण सिंह यादव जी।

श्री प्रभुनारायण सिंह यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इतने गंभीर सवाल पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। डेंगू का प्रकोप आज पूरे गांव, देहात में रहने वाले गरीब, मजदूर, काम करने वाले लोगों के ऊपर भी बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। यह गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान के घर के हैं। देहात में जब अस्पताल पर जाते हैं, पी0एच0सी0, सी0एच0सी0, जहां इसके इलाज की कोई सम्भावना ही नहीं है, न तो कोई व्यवस्था है। जब वहां से जिला अस्पताल जाते हैं, तो वहां भी कोई न तो जांच की व्यवस्था है और जब प्लेटलेट्स कम होती हैं तो उसको चढ़ाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे गम्भीर सवाल पर अभी सरकार ने कुछ जिलों में इंतजाम किया है। हम लोगों का जनपद चन्दौली, बनारस से सटा जिला है, जो बिहार का भी बार्डर है, कई प्रान्तों का बार्डर है, नक्सली जनपद भी है, आदिवासी लोगों की संख्या भी है, गरीब लोग आते हैं। ऐसी गम्भीर बीमारी से जहां गरीब रोज मर रहे हैं। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे गम्भीर विषय पर, गरीबों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की जाये और जो जिला अस्पताल हैं, यदि उनका इलाज जिले के अस्पताल पर कराया जाये तो इससे बहुत बेहतर होगा कि गांव का किसान, गरीब, जो प्राइवेट अस्पतालों में दवा नहीं करा पाता है, धन के अभाव में उनकी मौत हो जाती है। ऐसे गम्भीर सवाल पर मैं अधिष्ठाता महोदय आपसे निवेदन करूंगा कि यह आम लोगों से जुड़ा विषय है और गम्भीर है। मैं सदन की कार्यवाही रोक करके चर्चा करने की आप से मांग करता हूं और जनपद स्तर पर इनके इलाज का इंतजाम करने की सरकार से मांग करता हूं, धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, श्री हरिओउम यादव जी बोलें।

***श्री हरिओउम यादव-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, डेंगू बहुत गम्भीर बीमारी है। हमारे माननीय सदस्य, मनोज पाण्डेय जी ने और प्रभुनारायण जी ने इस मुद्दे को उठाया है। बीमारी के साथ-साथ ऐसी पी0एच0सी0 हैं, सी0एच0सी0 हैं, देहात में जहां गरीब लोग रहते हैं, वहां डॉक्टरों की बहुत कमी है, वहां डॉक्टर ही नहीं है तो वहां जांच किस चीज की होगी। इसलिये मैं अपने को मनोज पाण्डेय जी से और प्रभुनारायण जी से सम्बद्ध करते हुये सरकार से मांग करता हूं कि सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 पर डॉक्टरों की पोस्टिंग सुनिश्चित की जाय। कोई सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 ऐसी न रहे जो डॉक्टर विहीन हो जाये। गरीब लोगों को देहात में ज्यादातर बीमारी मलेरिया और डेंगू की होती हैं तो वहां जांच की व्यवस्था कराई जाये। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाये, क्योंकि यह लोक महत्व का विषय है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह)-

अध्यक्ष जी, डेंगू का विषय अभी सभी की तरफ से आया है। यह एक महत्वपूर्ण विषय भी है और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब से आदरणीय योगी जी की सरकार आई है, जो हमारा नजरिया है स्वास्थ्य के प्रति उसमें इंग्लिश में कहूं तो पैराडाइम शिफ्ट है। एक आमूलचूल परिवर्तन हम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोग लेकर आये हैं। अभी तक देखा गया है कि जब वेक्टरबॉड डिजीजेज के बारे में चर्चा होती है या उपचार की बात होती है तो प्रिवेन्शन या रोकथाम के प्रति कोई फोकस नहीं होता और उस पर बल नहीं दिया जाता इसलिए हमारी जो हेल्थ पॉलिसी है उसके अन्दर हम लोगों ने निर्णय किया है कि प्रिवेन्शन, क्योर, डिटेक्शन, डिलीशन की तरफ हम लोग जायेंगे। रोकथाम, उपचार, जांच और समाप्ति की तरफ हम लोग जायेंगे इस प्रकार से पूरी व्यवस्था संचालित करनी चाहिए और यही कारण है कि अनेक विभाग हमारे हैं जिसके अन्दर नोडल विभाग स्वास्थ्य विभाग बना, इसके साथ-साथ इसमें नगर विकास विभाग, पंचायतीराज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत स्कूलों को भी हमने उसमें जोड़ा। इस प्रकार से अनेक विभागों को जोड़ते हुए हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाई जिसको दिसम्बर, 2017 में पारित भी किया और उसके तहत् अनेक कार्य भी किये हैं, जिसका उल्लेख मैं बाद में करूँगा लेकिन जो विषय अभी उठाये गये हैं उस पर मैं जरूर अपनी टिप्पणी करना चाहूंगा।

अभी हमारे मित्र मा0 मनोज जी के माध्यम से कहा गया कि डेंगू के केसेज बढ़ रहे हैं। मैं पीछे के आंकड़ों में न जाते हुए अपने ही कार्यकाल के अन्दर बोलते हुए आगे बढ़ता हूं क्योंकि फिर वह वाद-विवाद का विषय बनता है इसलिए यह उचित भी नहीं रहेगा। मैं वर्ष 2017 की बात करता हूं 01 जनवरी, 2017 से 14 अगस्त, 2017 की अवधि का आंकड़ा दूंगा, जो हमारे सरकारी अस्पतालों में आते हैं वही आंकड़ा दूंगा। इस अवधि में डेंगू से ग्रसित केसेज 197 आये थे उसमें मृतक 15 हो गये और 01 जनवरी, 2018 से 14 अगस्त, 2018 तक जो केसेज हमारे पास रिपोर्ट हुए वह 186 थे, मृतक जो पिछले साल 15 थे वह संख्या इस साल 0 है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उपचार अच्छा हुआ है, व्यवस्था अच्छी हुई है। अभी कहा गया कि प्लेटलेट्स की कमी होती है, हमारे यहां जो विशिष्ट जांच है वह 18 जगह नहीं है, मैंने आपको लिस्ट भी दी है जिसको हम लोग सिम्प्ट्रनल सर्विस प्रयोगशाला कहते हैं वह संख्या 37 है। साथ ही साथ जो आपने रायबरेली के बारे में कहा तो वहां सी0एम0एस0, डिस्ट्रिक्ट हांस्पिटल, रायबरेली में चल रही है, आपने बरेली का कहा तो डिस्ट्रिक्ट हांस्पिटल, बरेली में चल रही है, आपने हरदोई का कहा तो डिस्ट्रिक्ट हांस्पिटल, हरदोई में चल रही है। विशेष रूप से जब आपने वाराणसी जो कि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है वह कहा तो पंडित दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल वाराणसी में भी चल रही है और वाराणसी में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बी0एच0यू0 में भी चल रही है। तो आपने जहां से जानकारी ली वह ठीक नहीं हैं मैं इसे फिर से आपको उपलब्ध करा दूंगा, यह सही जानकारियां हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मैंने यह नहीं कहा कि जांच नहीं हो रही है मैंने कहा कि मरीज पाये गये।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

चलिये ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए और कह देता हूं कि जो 37 जगह सिम्प्ट्रनल सर्विसेज प्रयोगशालाएं हैं उसमें हम लोग बढ़ोत्तरी कर रहे हैं, 13 और नई इस प्रकार की प्रयोगशालाएं हम लोग स्थापित कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि जो सी0एच0सी0 और डिस्ट्रिक्ट हांस्पिटल्स के अन्दर कोई प्राथमिक जांच नहीं होती है मैं खेद के साथ कहना चाहता हूं कि यह सही नहीं है। हमारे हर सी0एच0सी0 में और हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में प्राथमिक जांच डेंगू

की होती है और यदि डेंगू की बीमारी प्राथमिक जांच में आती है, यह सच है कि यह बहुत गम्भीर बीमारी होती है और जैसा कि आपने भी अभी जिक्र किया है कि यह तीन प्रकार की होती है, जिस पर प्लेटलेट चढ़ने की बात होती है जिसको हम लोग हीमोरेजिक फीवर कहते हैं उस समय इसकी जांच के लिए जो सैम्पल होता है उसको हम लोग इनसेन्टिनल लैबूस के अंदर जांच के लिए भेजते हैं। ऐसी व्यवस्था की गयी है। जहां पर लैब जिला चिकित्सालय के अंदर नहीं है, वहां पर हमारा जी0ओ0 है कि जो प्राइवेट लैब हैं उसको सम्बद्ध करते हुए वहां पर भी इलाज करा सकते हैं यह भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। यही कारण है कि सभी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने अनेक प्रकार के जो छः या सात विभाग हैं, उनके साथ हम लोगों ने कार्य-योजना बनायी है।

डेंगू के मृतक केसेस कम होते जा रहे हैं। मैं 14 अगस्त तक के आंकड़े दे रहा हूं वह जीरो है और साथ ही साथ जो हम लोगों ने कार्य-योजना बनायी है उसमें प्रचार-प्रसार को ज्यादा महत्व दिया है, क्योंकि उसकी आवश्यकता है प्रिवेंशन की तरफ चला जाता है। हम लोगों के जो जिला अस्पताल हैं वहां पर 10 आइसोलेशन वार्ड बना रहे हैं जिससे कि डेंगू के कोई केसेज़ आएं तो वहां पर उनकी निगरानी रखी जा सके। हमारे जो सी0एच0सीज0 पर पांच आइसोलेशन वॉर्ड रखे गये हैं, साथ ही साथ हम लोगों ने 02-07-2018 से 31-07-2018 तक की विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह भी चलाया है। जिसके अंदर जागरूकता अभियान था। स्कूलों के अंदर जाकर एक अध्यापक को नोडल ऑफिसर बनाया, वह वहां पर प्रचार-प्रसार करे, इस प्रकार की योजना की है। साथ ही साथ कहीं से अगर कोई केस आता है तो हर जिले में हमारी एक टीम है जिसको रैपिड रिस्पॉन्स टीम कहते हैं, वह वहां पर जाती है। वहां पर जो लोग हैं उनको आइसोलेट किया जाता है। वहां पर कई केसेज है। हम लोग डिडक्शन करते हुए

(इस समय 01 बजकर 59 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

वहां पर फॉगिंग और लार्वा का स्प्रे हमेशा चलता रहता है वहां पर और विशेष बल दिया जाता है, अगर मास्क की आवश्यकता होती है तो मास्क उपलब्ध कराया जाता है और वहां पर डॉक्टरों का कैम्प लगाकर लोगों को देखकर पोजिशनिंग भी करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों के जो जिला चिकित्सालय हैं वहां पर जाएँगे तो देखेंगे कि 'फीवर हेल्प डेस्क' भी आपको मिलेगा। इन केसेज़ को जो वेक्टर बॉर्न केसेज़ हैं, इस तरह के जो मरीज होते हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जो ब्लड कॉम्पोनेन्ट सेपरेटर्स की बात कर रहे थे जिससे प्लेटलेट्स आती हैं वह हमारे प्रदेश में 39 जगह उपलब्ध हैं और मैंने जैसे बताया कि जहां पर व्यवस्था नहीं है वहां पर प्राइवेट एवेलेबिल हैं उनकी जांच हम लोग फ्री में करते हैं और जहां भी कोई सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आता है उसका निःशुल्क इलाज होता है। हमारा यह मानना है कि जितनी भी कार्य योजना है अबकी बार वेक्टर बॉर्न डिसिजेज के ऊपर चाहें वह डेंगू हो, मलेरिया हो, शायद हम लोग सबके आशीर्वाद और प्रयासों के कारण किसी भी न्यूज पेपर और टेलीविजन चैनल की हेड लाईन नहीं बन पाएं हैं। अगर आपका कोई और प्रश्न होगा तो उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने कहा कि जिन जनपदों में नहीं है हम वहां भी प्रयास करेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बीमारी बहुत ही गम्भीर है, हम सरकारी आंकड़ों पर नहीं जाते, मानव जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा प्रकरण है। मैं मा0 मंत्री जी से कहूंगा कि एक चीज दिखवा लें कि क्या जिलों में वाकई प्लेटलेट्स चढ़ाये जा रहे हैं सच्चाई यह है कि अधिकतर जिलों में अस्पताल ही उनको रेफर कर दे रहा है कि आप सहारा अस्पताल में, चरक अस्पताल में चले जाईये, सूची में हमारे यहां का नाम तो है लेकिन हम प्लेटलेट्स नहीं चढ़ा पायेंगे। इस हकीकत से माननीय मंत्री जी से कहेंगे कि इसे कर लें। माननीय मंत्री जी जिस रिपोर्ट के लिए आपने कहा, टाइम्स ऑफ इण्डिया ने यह रिपोर्ट लिखी है उसने इसको डब्ल्यू0एच0ओ0 के हवाले से लिखा है और यह देश का बहुत ही प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, उसने डब्ल्यू0एच0ओ0 की रिपोर्ट पर लिखा है और उसने कहा है कि इस महीने के अंत में जो केसेज आये हैं वह 401 हैं। मैंने उसी के हवाले से कहा है डब्ल्यू0एच0ओ0 की रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ इण्डिया की रिपोर्ट गलत है तो मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष-

जो मैं समझ पाया हूं मंत्री जी गलत नहीं कह रहे हैं, वह कह रहे हैं कि मैं जांच कराऊंगा।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

अध्यक्ष जी, जो हमारे पास सरकारी आंकड़े हैं उसके आधार पर मैंने पूरी बातचीत रखी है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं। डब्ल्यू0एच0ओ0, यूनिसेफ और मिलिन्दा गेट्स फाउण्डेशन ये जितनी भी संस्थायें हैं ये हम लोगों की सहयोगी हैं। इन लोगों के माध्यम से हम लोग वेक्टर बॉर्न डिजीज पर काम कर रहे हैं। कल डब्ल्यू0एच0ओ0 की एक बैठक थी उसमें भी मैं था, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं आयी है, जबकि आप कह रहे हैं तो मैं उसको देख लूँगा। मगर जहां तक आप कह रहे हैं कि उसको रेफर करते हैं। हम लोग एक सख्त रेफरल पॉलिसी भी लाये हैं। पहले होता था कि नीचे से ऊपर या कहीं भी रेफर कर देते थे। लेकिन अब रेफरल पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी रेफर करता है और एक्सेप्ट करता है तो कारण लिखा जा रहा है। तो उसमें भी मैंने सख्ती की है। लेकिन मनोज जी आपके पास कोई भी ऐसा केस आये जहां पर आपको लगता है कि किसी को प्लेटलेट्स नहीं चढ़ाया गया है, मैं इसको क्रिमिनल ऑफेन्स मानूंगा। आप मुझे सूचित करेंगें तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि एफ0आई0आर0 दर्ज करके सीधे कार्रवाई करूंगा, इसको हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैं नियम-56 की इस सूचना को निरस्त करता हूं।

माननीय उमाशंकर सिंह जी की सूचना को पढ़ देता हूं जनपद बलिया के नगर पालिका परिषद् रसड़ा के अंतर्गत शहर के बीचों-बीच बहने वाले रसड़ा ड्रेन को अवैध कब्जे से मुक्त न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। मैं इसे सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित करता हूं।

अगली सूचना श्री प्रभुनारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली के थाना धीना के अंतर्गत ग्राम पिपरी में दिनांक 21-08-2018 को घटी घटना के उपरान्त पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। मैं इस सूचना को भी सरकार के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज रहा हूं।

इसी प्रकार अगली सूचना श्री पारसनाथ यादव व श्री जगदीश सोनकर की प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम न किये जाने एवं दिनांक 23-08-2018 को जनपद जौनपुर के थाना मड़ियाहूं के ग्राम गहलाई में बी0एस0सी0 की छात्रा कोमल तिवारी के साथ दुष्कर्म के उपरान्त हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। मैं इसे सरकार के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज रहा हूं।

इसी प्रकार श्री हरिओम यादव जी की सूचना- जनपद फैजाबाद के थाना सिरसागंज के ग्राम सैनावली में दिनांक 20-05-2018 को खेतों में जानवर चरा रहे श्री श्यामवीर सिंह का पुलिस द्वारा फर्जी उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। मैं इसे भी सरकार के पास आवश्यक कार्यवाई के लिए भेज रहा हूं।

श्री हरिओउम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे दो मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

चूँकि इस सूचना को हमने सरकार के पास उत्तर के लिए नहीं भेजा है इसलिए इसमें सरकार उत्तर नहीं दे पायेगी।

श्री हरिओम यादव-

हम उत्तर नहीं चाह रहे हैं, सरकार हमारी बात सुन ले क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष-

हम प्रातःकाल जब किसी सूचना को चयनित करते हैं तो चयनित सूचना को सरकार के पास भेजते हैं और उस नियम-56 की सूचना पर सरकार उत्तर देती है। अभी अब आप जो बोलेंगे तो उस पर सरकार के पास कोई उत्तर नहीं होगा।

श्री हरिओउम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस ने वहां क्या किया है कि आज तक वहां एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गयी। ऐसा पहली बार हुआ कि मैजिस्ट्रेट की जांच में सी0ओ0 और इंस्पेक्टर को दोषी माना गया। षड़यंत्र के तहत फर्जी एफ0आई0आर0 हुई है और अभी तक सी0ओ0 और इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हम चाहते हैं कि दो मिनट में हम पूरी बात सदन के समक्ष रख दें।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी। आपने जो बात कही है वह लिखा जा रहा है और अभी जो बातें कही गईं हैं उनको समेकित करते हुए सरकार के पास भेजता हूं। अगली सूचना श्री मनोज कुमार पारस की है।

श्री हरिओउम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, दो मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

आप कह तो दिये हैं। आप दो मिनट ले चुके हैं।

श्री हरिओउम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मृतक की एफ0आई0आर0 12 बजे लिखी जा रही है और मृतक के खिलाफ एफ0आई0आर0 हो रही है 8 बजे और हत्या हो रही है 11 बजे।

श्री अध्यक्ष-

इन सारी विसंगतियों को।

श्री हरिओउम यादव-

अध्यक्ष जी मैं मृतक के घर जाता हूं संवेदना प्रकट करने और मुझे जेल भेज दिया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बोल तो लिये। जितना बोले हैं वह पर्याप्त नहीं है क्या ?

श्री हरिओउम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, दो मिनट का समय दे दीजिये, मैं दो मिनट में पूरी बात कह लूंगा। बिन्दुवार बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आप तो तीन मिनट से बोल रहे हैं।

श्री हरिओउम यादव-

अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र का मामला है। मैं झेल गया हूं। मेरा दोष क्या है। यह सी0ओ0 इंस्पेक्टर और मजिस्ट्रेट की जांच है मेरे पास। इसमें साफ लिखा है मैं पढ़कर सुना देता हूं। यह मान्यवर मजिस्ट्रेट की जांच है। तत्कालीन थाना अध्यक्ष द्वारा वादी धर्मवीर द्वारा दिनांक 21-5-2018 को दी गई मूल तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत न कर षडयंत्र के तहत तहरीर टाइप कराकर वादी के फर्जी हस्ताक्षर कर दो व्यक्तियों को बचाते हुए उन आरोपियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि तत्कालीन थानाध्यक्ष क्षेत्राधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यो और दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया गया इसके लिये दोषी हैं। जिसमें भाजपा के एक नेता को बचाने के लिये।

श्री अध्यक्ष-

फिर उल्टा होने लगा। इसीलिये मैं कह रहा था कि वह उत्तर देना चाहते हैं। इसका भाजपा से क्या सम्बन्ध है।

श्री हरिओउम यादव-

दोषी लोगों के खिलाफ असली एफ0आई0आर0 नहीं। ऐसा आज तक नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

अभी आप कह रहे हैं फिर इधर से कोई कहेगा कि नहीं वह सपा के लोग गड़बड़ कर रहे थे।

श्री हरिओउम यादव-

अध्यक्ष जी, आज तक ऐसा नहीं हुआ फर्जी हस्ताक्षरों पर एफ0आई0आर0 हुई हो।

श्री अध्यक्ष-

आपका विषय आ गया अब आप बैठिये। मैं आपका पूरा विषय सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं। अब आप कृपया बैठिये। मेरा सादर अनुरोध है कि कृपया बैठिये।

श्री मनोज कुमार पारस-

अध्यक्ष जी, मैं एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना चाहता हूं आजाद हिन्दुस्तान में माननीय अध्यक्ष जी, सभी धर्मों को अपने-अपने तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए अपने-अपने त्यौहार मनाने का हक है लेकिन बड़े दुःख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद बिजनौर में एक गांव शिवाला कला पड़ता है उसके आस पास के 15 गांवों में इस बार जो अभी ईदुज्जुहा का जो त्यौहार होता है वह नहीं मनाया गया जबकि हर साल 2008 से लेकर 2017 तक वहां पर हमेशा शिवाला कला (थाना शिवाला कला) में बकरीद के मौके पर।

श्री अध्यक्ष-

हमने आपको पूरा विषय रखने के लिये नहीं कहा। नियम-56 में कैसे आता है यह बतायें।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, दो मिनट में अपनी बात रख लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आप घड़ी देखते रहिये दो मिनट बोल लीजिये।

श्री मनोज कुमार पारस-

मैं पढ़ देता हूं। हमारे जनपद बिजनौर के शिवाला कला (थाना शिवाला कला) के आस-पास के 15 गांवों में मुस्लिम समाज के व्यक्तियों को प्रशासन की हठधर्मिता के कारण ईदुज्जुहा बकरीद न मनाने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि दिनांक 22 अगस्त को ईदुज्जुहा का त्यौहार था। 21 अगस्त को शाम को लगभग 4.00 बजे जनपद बिजनौर के प्रशासन ने गांव शिवाला कला के लोगों को हड़काते हुए और डराते हुए कहा कि कल ग्राम शिवाला कला में कोई भैंस, भैंसा, कटरा की कुर्बानी नहीं करेगा जबकि थाने के त्यौहार के रजिस्टर के मुताबिक हर वर्ष वहां पर पूरे उत्तर प्रदेश की तरह प्रतिबंधित पशुओं को छोड़कर भैंस, भैंसा, कटरा, बकरे की कुर्बानी होती रही है। जिला प्रशासन से ग्राम शिवाला कला के लोगों ने जन सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगी और उस सूचना के आधार पर पूर्व थानाध्यक्षों कर्मचारियों के अनुसार दी गई सूचना कि किस वर्ष मे कितने बड़े जानवर भैंस, भैंसा कटरा आदि की कुर्बानी होती आ रही है। उसका विवरण निम्न है।

श्री अध्यक्ष-

अब उसकी पुरानी वाली की जरूरत नहीं है। आपका विषय आ गया है।

श्री मनोज कुमार पारस-

कागजात को भी जिला प्रशासन को दिखाया गया लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन की हठधर्मिता वैसे ही रही और इन लोगों से कहा कि हम कागजात को देखना नहीं चाहते। वहां कुर्बानी नहीं होगी तो नहीं होगी। इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह अगर अपने-अपने त्यौहारों को मनाने की आजादी यहां पर नहीं होगी जबकि सरकार भी यह चाहती है नियमों के तहत अपने-अपने त्यौहार मनाये जायं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये। आपकी पूरी बात आ गई है। आप हमारी बात सुनेंगें तो प्रसन्न हो जायेंगे। आपके द्वारा जो नोटिस दिया गया और जो यहां पर कहा गया उस पूरे विषय को मैं सरकार को जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये संदर्भित करता हूं। माननीय श्री सुखदेव राजभर जी की सूचना मैं सरकार के पास आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजता हूं। श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी की सूचना भी मैं सरकार के पास आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजता हूं। सुभाष पासी जी की सूचना भी सरकार के पास भेजता हूं अब मैं मद संख्या 24 लेता हूं।

श्री विनोद कटियार-

मान्यवर, मेरी सूचना रह गई थी।

श्री विनोद कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित याचिकायें[†]

श्री विनोद कटियार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात के विधान क्षेत्र भोगनीपुर निम्न सड़कों का निर्माण/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा-

(2) जनपद कानपुर देहात के विधान क्षेत्र भोगनीपुर के अन्तर्गत विभिन्न धार्मिक एवं पौराणिक महत्व रखने वाले स्थलों के समुचित विकास कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कठेरिया व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

[2:21] दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह बिल एन्टिसिपेट्री बेल को उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से लाया गया है। 1976 में जिस समय आपातकालीन स्थिति थी उस समय इसको एक स्टेट अमेन्डमेंट के तहत

[†] छापी नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसको विधेल्ट कर दिया गया था और 1976 के बाद से उत्तर प्रदेश में कई अवसर आए जब इस पर विचार तो हुआ लेकिन इस एन्टीसिपेट्री बेल का प्रॉवीजन लागू नहीं हो पाया। मान्यवर, अदालतों का भी इस बात पर बहुत जोर था, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय में भी इस बात का कई बार प्रकरण आया तो यही कहा गया कि उत्तर प्रदेश को एन्टीसिपेट्री बेल का प्रॉवीजन लागू करना चाहिए। आज देश के लगभग सभी प्रान्तों में, उत्तराखंड को छोड़कर इस एन्टीसिपेट्री बेल का प्रॉवीजन एग्जिस्ट कर रहा है और आज हम आपकी अनुज्ञा से इस बिल को सदन में लेकर आए हैं। इसके साइलेन्ट फीचर्स के बारे में हम बता देगें उसके बाद जिन माननीय सदस्यों की कोई जिज्ञासा होगी या कोई संशोधन होगा उसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे।

मान्यवर, सी0आर0पी0सी0 की धारा 437 में यह व्यवस्था जोड़ने की बात है। 438 (1) जिस प्रकार से हमने इसको इन्ट्रोड्यूज़ किया है गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत स्वीकृत करने के संबंध में कुछ शर्तों के साथ हम इसको लाए हैं। मान्यवर यह एन्टीसिपेट्री बेल उस व्यक्ति को जो बिना वारंट के किसी वक्त किसी अपराध के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है उसके लिए यह सुविधा होगी कि वह न्यायालय में जाकर तत्काल रेमिडी इसकी कर सकते हैं और सात दिन के अन्दर सरकार को इसकी सूचना दी जानी चाहिए और तीस दिन के अन्दर उस एन्टीसिपेट्री बेल को कन्फर्म करने का आदेश यदि होगा तभी यह आगे प्रोलांग कर सकेगी। अन्यथा जैसा न्यायालय का आदेश होगा उसी के अनुरूप कार्रवाई की जा सकती है। मान्यवर, यह व्यवस्था एन्टीसिपेट्री बेल की, उन अपराधों में लागू नहीं हो सकेगी जिसमें मृत्युदंड की व्यवस्था है, उन अपराधों में भी नहीं लागू हो सकेगी जो गैंगस्टर ऐक्ट से संबंधित हैं उन अपराधों में भी लागू नहीं हो सकेगी जो अनलॉ फुल एक्टीविटीज प्रिवेन्शन ऐक्ट, यह केन्द्रीय कानून है इसके अन्तर्गत भी यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकती है। मान्यवर, इसमें आफिशियल सीक्रेट ऐक्ट में भी यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकेगी। इसके अन्तर्गत टेररिस्ट एक्टीविटीज के प्रकरण आते हैं जिसमें यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकती है।

माननीय अध्यक्ष जी, कुल मिलाकर एण्टीसिपेट्री बेल ऐसी सुविधा है, जो किसी भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कभी कोई माइनर ऑफेंसेज की रिपोर्ट लिख जाए, उसके विरूद्ध किसी प्रकार का आरोप यदि कहीं पंजीकृत हो तो उस व्यक्ति को यह सुविधा होगी कि वह व्यक्ति न्यायालय में जाकर इस एण्टीसिपेट्री बेल को सीक करे और उसके तहत अपनी बात प्रस्तुत करे। उसके बाद न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है कि न्यायालय उसको किस प्रकार से लेता है, लेकिन हमने कुछ प्रतिबंधों के साथ इसको लागू किया। इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता करने जा रहे हैं। चूंकि मा0 उच्च न्यायालय का और मा0 उच्चतम न्यायालय का इस संबंध में कई बार निर्देश हुआ, कई जजमेंट्स में इस बात को कहा भी गया और भारत के लगभग सभी प्रांतों में यह व्यवस्था लागू है। पहले उत्तर प्रदेश में भी लागू थी, इसी आधार के ऊपर हम इसको लेकर आये हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसी प्रकार से ऐसे मामलों में जो इसमें प्रतिबंधित किये गये हैं या तीस दिन के बाद अगर न्यायालय उचित समझता है कि अगर कन्फर्म नहीं होता है तो जिस प्रकार से एक आरोपी व्यक्ति के विरूद्ध व्यवहार किया जाता है, उसी प्रकार से व्यवहार उसके प्रति भी किया जायेगा। हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको कहीं न कहीं किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी इनोसेंट व्यक्ति को या जो किसी न किसी रूप में गलत

आरोपित किया गया है, उन लोगों को न्याय मिले, जल्दी न्याय मिले। उन लोगों को परेशानी न हो। इस आधार पर हम इसको लाये हैं और चाहते हैं कि इस पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संजय गर्ग जी ने और मा0 उज्ज्वल रमण सिंह जी ने एक संशोधन दिया है आप उसको रखें।

***श्री उज्जवल रमण सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, एक बार पहले भी मैंने इस पर चिन्ता व्यक्त की थी कि जो भी विधेयक हम लोग सदन में लाते हैं पहले प्रवर समिति में यह व्यवस्था संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में पहले से विद्यमान है, अगर हम लोग इस पर विचार करें कि प्रवर समिति के बाद ही, क्योंकि यह विधेयक अधिकारियों द्वारा बिना किसी चर्चा के बनाये जाते हैं। यहां हम लोगों को तुरन्त संशोधन दिया और पास हो गया, लेकिन अगर हम सुसंगत विचार-विमर्श कर लें, क्योंकि इसके दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। विधेयक अगर आपने बना दिया और अगर उसने कानून की शक्ल ले ली उसी को हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नीचे की अदालतें तय करती हैं, इसलिए हम चाहेंगे यदि पूरे सदन की व्यवस्था इसमें हो कि कोई भी विधेयक अगर आए तो पहले समिति के पास आए और फिर समिति के बाद सदन में आए तो हमारी समझ से एक बेहतर विधेयक हम लोग बना सकेंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह आप सभी विधेयकों के बारे में कह रहे हैं या इस विधेयक पर बोल रहे हैं?

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक पर भी हमारा सुझाव है और सभी विधेयकों के लिए भी मेरी राय है और आपसे आग्रह है, विशेष तौर से इस पर है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने एक बार इस विधेयक को पास किया था और राष्ट्रपति महोदय के पास यह विधेयक गया, किन कारणों से वहां पर दस्तखत नहीं हुए और यह लौटकर आ गया। यह अभी तक हम लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए मैं सरकार से चाहूंगा कि सरकार यह बतलाने का काम करे, क्योंकि जो आपने उद्देश्य और कारण दिये हैं कहीं पर भी यह बात पता नहीं चलती है जरूर 438 में जो आपने नई व्यवस्था की है, उसमें बिना किसी आदमी के प्रस्तुत हुए आप उसको बेल देने का प्राविधान करने जा रहे हैं। मेरा आपसे बस यही कहना है जहां उत्तर प्रदेश में अपराध की इतनी बाढ़ आयी हुई है, 22 करोड़ का प्रदेश है। एक ऐसा प्राविधान जो कि नहीं था, उसको लाने का क्या औचित्य है ? आपने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के बराबर निर्देश मिलते रहे हैं कि यह व्यवस्था लागू की जाए लेकिन वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति है माननीय अध्यक्ष जी मैं यह नहीं समझता मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार से चाहूंगा कि इस विधेयक पर पुनर्विचार करे कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है अगर प्रवर समिति में हम इसको ले गए अगर इस विधेयक को हम और बेहतर बना सकें 438 के प्राविधान को और बेहतर यह बात आपकी सही है कि पूरे भारतवर्ष में यह व्यवस्था लागू है मैं आपकी बात से सहमत हूं। सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड में यह लागू नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे देश से बेहतर उत्तर प्रदेश की विधान सभा काम करे हमारी प्रवर समिति बेहतर विधेयक लाए इसलिए हमारा सरकार से भी आग्रह है कि इसको आज आप वापस ले लें और प्रवर समिति में जाने दें और प्रवर समिति के बाद इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे और किसी भी व्यक्ति को बिना पेश हुए आप इजाजत देंगे तो जो किसी भी अपराधी के लिए आप कहते हैं कि जेल में या प्रदेश के बाहर उस व्यवस्था में कहीं न कहीं संदेह पैदा होगा और प्रभावशाली तरीका नहीं रहेगा अपराधियों को मौका मिलेगा कि वह अग्रिम जमानत लेकर कानून से बचने का काम करेंगे तो जनहित में यह विधेयक नहीं है मैं सरकार से चाहूंगा कि इस विधेयक पर जो भी संशोधन लाने का आप काम कर रहे हैं इसको वापस लेने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर मैं भी इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपने नोटिस दिया है।

***श्री लाल जी वर्मा**-

मान्यवर, नोटिस देना जरूरी नहीं है। किसी भी विधेयक पर बोलने के लिए संशोधन देना जरूरी नहीं है। मान्यवर, निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण विधेयक है जैसा माननीय उज्ज्वल रमण सिंह जी ने बताया कि इससे कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होगी। मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुसार कि सात साल से कम की सजा जिन धाराओं में है उसमें तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी जब वह धारा पहले से है सात साल से ऊपर की जिनको सजा है जिन धाराओं में उसके लिए यह व्यवस्था लाने का काम किया जा रहा है तो निश्चित रूप से अपराधियों को बचाने का या हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए लाया जा रहा हो मुझे यह जानकारी नहीं है इसलिए मेरा यह मानना है अभी सुबह ही एक प्रश्न के माध्यम से सवाल आया था जिसमें उद्योग को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे उद्योग कैसे बढ़ेगा जब अपराधी उनको डराने धमकाने का काम करेंगे तो उद्योगपति क्यों आना चाहेगा इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय उज्ज्वल रमण सिंह की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि लोक सभा में जो परम्परा है कि कोई भी विधेयक आता है वह पहले प्रवर समिति के पास जाता है उसके बाद फिर आकर वह पास होता है तो निश्चित रूप से उसमें जब जाएगा अगर हम इस तरह की व्यवस्था करें तो विस्तृत रूप से उस पर विचार विमर्श होगा उसकी एक-एक धाराओं पर विचार-विमर्श होगा अन्यथा इसी तरह से बहुत से विधेयक अचानक तैयार हो जाते हैं हम लाकर उसको पास कर लेते हैं बाद में हमें ही महसूस होता है कि गलतियां हुईं और संशोधन भी लाने का प्रयास करते हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था स्वतः ही अच्छी नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपराधी निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर अपराध में संलग्न हैं ऐसी स्थिति में अगर हम यह अधिकार और दे देंगे जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था प्रभावित होगी जहां तक अन्य प्रदेशों का सवाल है उत्तर प्रदेश आबादी की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग बोली हैं अलग-अलग तरह की परिस्थितियां हैं इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए यह आवश्यक है कि इस विधेयक में यह जो प्रावीजन दिया जा रहा है उसको लागू न किया जाय इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर इस पर विचार-विमर्श भी करना है तो मैं माननीय उज्ज्वल रमण सिंह के उस प्रस्ताव पर कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और उसमें विस्तृत विचार के बाद फिर इसे लाने का काम करें एक महीने बाद आप प्रवर समिति के विचार के बाद आप इसे दुबारा ले आएं कुछ कमियां रह गई हों कुछ धाराएं और निकालनी हों जिसको आपने कहा कि लागू नहीं होगा उसी तरह से कुछ ऐसी भी धाराएं हो सकती हैं जो इसमें न लागू हों उनको भी जोड़ लें। इस तरह की बात भी इसमें हो सकती है, इसलिये मैं मा0 उज्जवल रमण सिंह जी के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

श्री रितेश पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें मेरा भी नाम है।

श्री अध्यक्ष-

आपका नाम तो है, लेकिन इसमें कोई चर्चा तो हो नहीं रही है। विषय आ गया है।

***श्री हाजी इरफान सोलंकी**-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें मेरा भी नाम है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो मा0 सदस्य बोलना चाहते हैं, उनको बोल लेने दीजिये। सत्ता पक्ष के भी कई मा0 सदस्य बोलना चाहते हैं। विधेयक पर चर्चा तो होनी ही चाहिये। क्या बिना चर्चा के ही विधेयक पास होगा ? आप स्वतः अपने विवेक से या तो विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दें।

श्री अध्यक्ष-

प्रवर समिति को विधेयक तो सदन सौंपेगा, हम कैसे सौंपेंगे। मा0 रितेश पाण्डेय जी, आप दो मिनट में अपनी बात कह लीजिये।

***श्री रितेश पाण्डेय**-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। इसमें मेरे दो छोटे-छोटे प्रश्न हैं, क्वेरीज हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसमें सब क्लाज-1 के अन्तर्गत प्वाइंट-4 में पैराग्राफ-3 में लिखा गया है परन्तु यह कि जहां यथास्थिति उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय ने इस उप धारा के अधीन कोई अंतरिम आदेश पारित न किया हो या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिये आवेदन अस्वीकृत कर दिया हो, यह प्वाइंट मार्क करने की चीज है, वहां किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के लिये यह विकल्प रहेगा कि वह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आवेदक को ऐसे आवेदन में आशंकित अभियोग के आधार पर बिना वारण्ट के गिरफ्तार करे। मा0 अध्यक्ष जी, वहां पर अधिकारी के विवेक पर छोड़ा गया है कि वह वारंट के बिना गिरफ्तार कर ले तो अधिकारी इसका कहीं न कहीं दुरुपयोग करेंगे और जो लोग इसके अंतर्गत आयेंगे उनसे भारी वसूली करने का काम करेंगे ताकि वह गिरफ्तार न हो पाएं। इसलिये प्रवर समिति के सामने एक प्वाइंट यह देख लिया जाए। दूसरा, जो एक-दो चीजें जिसमें यह एक्ट लागू नहीं हो रहा है, जिसमें अनलॉफुल एक्टीविटीज प्रिवेंशन ऐक्ट, 1967 तथा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रॉपिक सब्सटेन्सेज ऐक्ट, 1985, इन दोनों में भी इसको लागू होना चाहिये। जैसाकि अभी हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अन्तर्गत किस तरह से सरकार ने कुछ एक्टिविस्ट लोगों को इसके अन्दर फर्जी फंसाकर, जिस कारण आज उनकी बेल नहीं हो रही है। इन चीजों का कहीं न कहीं दुरूपयोग हो रहा है। इसलिये मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको भी इन्क्लूड किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

आप तो इसका समर्थन कर रहे हैं।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शांत रहें।

श्री रितेश पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा मत यह है कि इसको सदन की एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। इन दो प्वाइंट्स के ऊपर विचार किया जाए और इसके अन्दर यह संशोधन लाया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। आपकी बात आ गयी है।

(इस मध्य सदस्य श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह के अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपको केवल अधिनियम पर बोलना हो तो बोल सकते हैं। आप इधर-उधर की बात तो नहीं करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह-

मान्यवर, हम अधिनियम पर ही बोलेंगे। आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि आपने हमें अधिनियम पर दो मिनट बोलने का अवसर प्रदान किया। जैसाकि हमारे मा0 विधायक जी ने कहा कि गलत चिन्तन के कारण बहुत से लोग प्रताड़ित हो जाते हैं, ऐसे लोगों को इससे रिलीफ मिलेगी।

(इस मध्य सदस्य श्री हाजी इरफान सोलंकी के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान/शोर बना रहा।)

श्री अध्यक्ष-

अब आप विधेयक पर नहीं बोल रहे हैं। आप बैठिये।

श्री हाजी इरफान सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरी बात भी तो आ जाए। इसमें मेरा नाम भी है। आप हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपके साथ अन्याय कैसे कर सकता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारा अनुरोध यह है कि...

(इस मध्य सदस्य श्री हाजी इरफान सोलंकी के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पहले मा0 सदस्य बोल लें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आपने हमें बहुत डांटा, इसलिये आप अपनी बात रख लीजिये।

श्री हाजी इरफान सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने हमे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, बगैर सबूत के कैसे पता चलेगा कि वह आदमी अपराधी है, वह आदमी शर्मिंदा होगा कि मेरी गलती है या नहीं है, हमें जेल जाना पड़ेगा, 10 आदमी देख रहे हैं। जो आदमी इज्जतदार होगा जो शर्म वाला होगा वह ऐसे ही जेल जाने पर मर जाता है, कचेहरी जाने पर उसको शर्म भी आयेगी। अगर आप लोग खुद यह कानून ला रहे हैं कि बिना अपराधी के मौजूद हुए जमानत मिल जायेगी तो इसका मतलब है कि आप लोग खुद चाहते हैं कि व्यक्ति अपराधी बने। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जमानत बिना वारंट इश्यू हुए हो जाती है, अगर अधिकारियों के पास अधिकार होगा तो बिना जमानत गिरफ्तार भी कर लेंगे और सब डराया करेंगे कि कल तुम्हारा वारंट ले लेंगे हम वरना हमारा काम करो। मान्यवर, आप सबसे ऊपर है और आप इस कानून को लेकर प्रवर समिति में चर्चा करिये ताकि इस पर अच्छे काम हों, पूरे प्रदेश के लोगों का फायदा हो न कि प्रदेश के लोगों का उत्पीड़न हो।

श्री मो0 फईम इरफान-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ऐक्ट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, नाबालिग और मासूमों से बलात्कार करने वाले, हत्या और जघन्य अपराध, लूट, डकैती, होल्डअप और साम्प्रदायिक दंगों के दोषियों को किसी भी कीमत पर अंतरिम जमानत नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जो भी ऐक्ट है, जिस तरीके से लाया जा रहा है यह आपको मालूम है। मान्यवर, इस तरह की आपराधिक घटनायें उत्तर प्रदेश के अन्दर सबसे ज्यादा नाबालिग बच्चियों के साथ हो रही हैं इसके कारण पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर जो भय का माहौल है, डर का माहौल है, खौफ का माहौल है वह उसी बलात्कार की घटनाओं को लेकर है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर मा0 सदस्यों ने पूरा बिल पढ़ा होता तो शायद यह स्थिति नहीं आती। मा0 अध्यक्ष जी, देख लें कि इस बिल के पेज नंबर-3 और पेज नंबर-3 के ऊपर स्पष्टीकरण के नीचे क्रम संख्या-3 लिखा हुआ है। जहां न्यायालय उपधारा-1 के अधीन कोई अंतरिम आदेश प्रदान करे वहां पर तत्काल अन्यून 7 दिन की नोटिस के साथ ऐसे आदेश की एक प्रति लोक अभियोजक और पुलिस अधीक्षक को न्यायालय द्वारा आवेदन की अंतिम रूप से सुनवाई किए जाने के समय लोक अभियोजक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने की उपस्थित से तामील कराया जाये। जैसे

ही मान्यवर, एन्टीसिपेटरी बेल ग्रान्ट होगी उसके 7 दिन के अन्दर पब्लिक प्रासीक्यूटर को और पुलिस अधीक्षक को इसकी सूचना दे दी जायेगी ताकि वह अपना पक्ष 30 दिन के अन्दर न्यायालय के समक्ष रखे। अर्थात् इसका मतलब यह था कि इस एन्टीसिपेटरी बेल के माध्यम से केवल 30 दिन उसको यह लिबर्टी मिल सकती है और उसके बाद मेरिट के ऊपर यह डिसाइड होगा, बेल कन्फर्म होने के लिए सरकार का पक्ष सुना जायेगा और प्रासीक्यूसन का पक्ष सुना जायेगा और प्रासिक्यूसन का पक्ष सुनने के बाद ही न्यायालय कोई निर्णय ले सकेगा। यह केवल इसी वजह से ताकि उसको बहुत ज्यादा लिबर्टी न मिले यह चेक लगाया गया।

मैंने पहले ही कहा चूंकि माननीय न्यायालयों पर काम का बोझ ज्यादा है इसलिए न्यायलय का विशेष रूप से इस बात का दबाव रहता था कि यहां उत्तर प्रदेश में भी इसको लागू किया जाये। किसी अपराधी को बचाने की कोई नियत नहीं है उसको केवल 30 दिन के लिए यह सुविधा मिल रही है कि वह 30 दिन तक मेरिट के ऊपर सुनवाई से पहले यह सुविधा अवेल कर ले और उसमें न्यायालयों को इस बात से बहुत राहत मिलेगी और जितने भी आपने सवाल किये हैं कि उसको प्रेजेन्ट होने की बात। जो पहले वहां रूक गया था जाकर मैंने पेपर को नहीं देखा लेकिन चर्चा में यह बात आई थी इसलिए कोट करना ठीक नहीं है जो चर्चा में बात आई थी लेकिन इन्हीं कारणों की वजह से कि जब अभियुक्त को स्वयं प्रेजेन्ट होना हो तो फिर इसकी आवश्यकता क्या है? इसलिए केवल 30 दिन की उसको यह छूट मिली है, जैसे ही अदालत के सामने यह जायेगी, एन्टीसिपेटरी बिल ग्रान्ट होगी अदालत यह सूचना पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पुलिस अधीक्षक को देगी कि आप अपना पक्ष प्रस्तुत करें और मेरिट के ऊपर उसके बाद केस डिसाइड होगा कि मेरिट के ऊपर बेल बनती होगी तो दी जायेगी नहीं बनती होगी तो रिजेक्ट कर दी जायेगी। तीसरी बात इसमें मैंने शुरू में कहा जब मैंने प्रेजेन्ट किया था कि एन्टीसिपेटरी बिल चेक्स के साथ हमने लागू करने की व्यवस्था की है। अभी आपने माइनर एक लड़की के रेप की बात कही। अभी-अभी पार्लियामेन्ट में यह पास हुआ है कि 12 साल तक की बच्ची के साथ अगर इस प्रकार का दुर्व्यहार होता है तो उसमें डेथ पैनालटी इम्पोज की जा रही है तो जब डेथ पैनालटी इम्पोज की जा रही है तो उसके अन्तर्गत यह भी आ जायेगा और उसमें हमने साफ-साफ लिखा है मान्यवर, यह देख लें इस बिल में 6-ख पर लिखा है कि ऐसे अपराधों जिसमें मृत्यु दण्ड आदेश अधिनिर्मित किया जा सकता है पर लागू नहीं होंगे। यह प्राविधान जिसमें डेथ पैनालटी इम्पोज की जा सकती है, उसमें यह प्राविधान एन्टीसिपेटरी बिल का लागू नहीं होगा।

मैं समझता हूं कि यह शंकायें आपकी बहुत ज्यादा वेट नहीं रखती अगर रखती होती तो हम तो खुले मन से यह सोच लेते हैं कि अगर कहीं आवश्यकता होगी लेकिन वर्मा जी एक बात हम जरूर पूछेंगे एक बात के लिए आपको धन्यवाद दे दें कि जब आप सत्ता में थे, इधर बैठते थे जहां हम बैठते हैं तब आपने एक दर्जन बिल प्रवर समिति को सुपुर्द किये थे, आपको याद है। वर्मा जी भूल गये, इन्हें याद दिला रहे हैं। मान्यवर, अगर इसको फ्रेश आउट करने की जरा भी कहीं आवश्यकता होती तो निश्चित रूप से हम इसको भेज देते लेकिन आवश्यकता नहीं है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि विचार तो हो गया है इसको पारित किया जाये।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि मैं वहां बैठता था तो प्रवर समिति को सुपुर्द किया। मान्यवर, प्रवर समिति को मैंने नहीं सौंपा था उस समय अगर नहीं गया था तो अब कर

लीजिए, उस पर चर्चा हो जाये। आप तो कह रहे हैं कि सब पारदर्शी ढंग से काम कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा उस पर अगर लोक सभा और राज्य सभा में है तो उसी तरह से हो जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-7 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए-

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-(1) यह अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित अधिनियम संख्या 2 सन् 1974 में धारा-438 का बढ़ाया जाना

2-उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में, धारा 437-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत स्वीकृत करने के लिए निदेश

''438 (1) जहां किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि उसको किसी अजमानतीय अपराध किये जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, वहां वह इस धारा के अधीन निदेश के लिये उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाय; और यह कि न्यायालय, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों पर विचार करने के पश्चात् अर्थात् :--

(i) अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता;

(ii) आवेदक का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है;

(iii) न्याय से भागने की आवेदक की सम्भाव्यता; और

(iv) जहां आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो;

या तो आवेदन तत्काल अस्वीकृत कर सकता है या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए अंतरिम आदेश जारी कर सकता है;

परन्तु यह कि जहां यथास्थिति उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय ने इस उपधारा के अधीन कोई अन्तिरिम आदेश पारित न किया हो या अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए आवेदन अस्वीकृत कर दिया हो, वहां किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के लिए यह विकल्प रहेगा कि वह आवेदन को ऐसे आवेदन में आशंकित अभियोग के आधार पर बिना वारण्ट के गिरफ्तार करे।

(2) जहां यथास्थिति उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय, उपधारा (1) के अधीन अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिये अंतरिम आदेश जारी करना समीचीन समझे, वहां उक्त न्यायालय को उसमें ऐसा दिनांक उपदर्शित करना होगा जिस दिनांक को अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए आवेदन पर आदेश पारित करने हेतु अन्तिम सुनवाई की जायेगी, जैसा कि न्यायालय उचित समझे और यदि न्यायालय अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए कोई आदेश पारित करता है, तो ऐसे आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तें सम्मिलित होंगी अर्थात् :-

(i) यह कि आवेदक किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, पूछताछ किये जाने हेतु स्वयं उपलब्ध होगा ;

(ii) यह कि आवेदक, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके;

(iii) यह कि आवेदक, न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा; तथा

(iv) ऐसी अन्य शर्तें जिन्हें धारा 437 की उपधारा (3) के अधीन अधिरोपित किया जाय, मानो जमानत उस धारा के अधीन मंजूर की गयी हो।

स्पष्टीकरणः--उपधारा (1) के अधीन निदेश के लिए किसी आवेदन पर किया गया अंतिम आदेश, इस संहिता के प्रयोजनार्थ किसी अन्तर्वर्ती आदेश के रूप में नहीं माना जायेगा।

(3) जहां न्यायालय उपधारा (1) के अधीन कोई अंतरिम आदेश प्रदान करे, वहां वह तत्काल अन्यून सात दिन की नोटिस के साथ ऐसे आदेश की एक प्रति लोग अभियोजक और पुलिस अधीक्षक को, न्यायालय द्वारा आवेदन की अन्तिम रूप से सुनवाई किये जाने के समय लोक अभियोजक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने की दृष्टि से तामील करायेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन अंतरिम आदेश के उपदर्शित दिनांक को न्यायालय लोक अभियोजक और आवेदक की सुनवाई करेगा और उनके प्रतिवादों पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् वह अन्तरिम आदेश की या तो पुष्टि कर सकता है, उसमें उपान्तरण कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है।

(5) उपधारा (1) के अधीन यथास्थिति उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय, अग्रिम जमानत मंजूर किये जाने के किसी आवेदन का अन्तिम निस्तारण, ऐसा आवेदन किये जाने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर करेगा;

(6) इसधारा के उपबन्ध--

(क) (i) विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण अधिनियम, 1967;

(ii) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985;

(iii) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923;

(iv) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण अधिनियम, 1986;

से उद्भुत होने वाले अपराधों

(ख) ऐसे अपराधों, जिसमें मृत्युदण्डादेश अधिनिर्णित किया जा सकता है ;

पर लागू नहीं होंगे।

(7) यदि इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय में कोई आवेदन किया गया हो तो उसी व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन सेशन न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-7 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[2:51] उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018

बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संदीप कुमार सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, यह विधेयक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् (सी0बी0एस0ई0), भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, (आई0सी0एस0ई0), इण्टरनेशनल बेक्कलॉरेट (आई0बी0) और इण्टरनेशनल जनरल सर्टीफिकेट ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (आई0जी0सी0एस0ई0) या सरकार द्वारा समय-समय पर परिभाषित किन्हीं अन्य परिषदों द्वारा मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त ऐसे समस्त स्ववित्तपोषित पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट कालेजों पर लागू होगा जिनमें किसी छात्र के लिए कुल सम्भावित संदेय शुल्क बीस हजार से अधिक हो, लागू होगा। यह उक्त परिषदों में से किसी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त/सम्बद्ध अल्पसंख्यक संस्थाओं पर भी लागू होगा। यह स्वतन्त्र पूर्व प्राथमिक विद्यालयों पर लागू नहीं होगा।

शुल्क निर्धारण-विद्यमान छात्रों के लिए अनुज्ञात शुल्क वृद्धि-कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय, अपने विद्यमान छात्रों के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के अध्यापन कर्मचारी वर्ग के मासिक वेतन में प्रतिवर्ष वृद्धि के औसत के बराबर विद्यालय के प्रत्येक वर्ग/कक्षा/स्तर के लिए स्वयं अपने वार्षिक शुल्क में पुनरीक्षण कर सकता है, परन्तु शुल्क वृद्धि, नवीनतम उपलब्ध वार्षिक प्रकाशित बढ़ी हुई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक+छात्र से वसूल किए गए शुल्क के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। नये छात्रों के लिए अनुज्ञात शुल्क निर्धारण-विद्यालय, सरकार द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों यदि कोई हों, के अध्यधीन किसी विशिष्ट शैक्षणिक वर्ष में किसी कक्षा/वर्ग/स्तर में नया प्रवेश चाहने वाले नये छात्रों के लिए अपना शुल्क अवधारित करेगा। इन छात्रों के लिए अनुवर्ती वर्षों में शुल्क वृद्धि उप धारा (1) के अनुसार की जायेगी।

विकास निधि-वित्तीय वर्ष में विद्यालय की कुल आय की अनधिक पन्द्रह प्रतिशत धनराशि पात्र शैक्षिक इकाई को विकास निधि के रूप में अन्तरित की जा सकती है। तथापि जिस वर्ष विद्यालय द्वारा धारा-4 की उप धारा-1 के अधीन मण्डलीय शुल्क नियामक समिति की अनुज्ञा से अनुज्ञात शुल्क से अधिक शुल्क वृद्धि की जाये, उस वर्ष ऐसा अन्तरण अनुमन्य नहीं होगा। मान्यवर, फीस को मनमाने तौर पर न बढ़ाया जा सके जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर और मध्यम वर्ग के बच्चों के पूरे परिवार पर पड़ता है। इसके लिए यह अधिनियम सरकार द्वारा विचार हेतु सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं।

***श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों के नाम बाद में लिये जायेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वह सी0बी0एस0सी0 बोर्ड हो, चाहे वह आई0सी0एस0सी0 बोर्ड हों, चाहे बोर्डिंग स्कूल हों उसमें फीस की मनमानी चरम पर है। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी बना उसमें ढेर सारे प्राविधान तो किये गये लेकिन अनुपालन के संदर्भ में कभी-भी गंभीरता नहीं दिखाई गई है। इसमें गरीब, मजलूम और मजदूर के बच्चे जिनको अच्छी शिक्षा मिलें। शिक्षा प्राप्त करके रोजगार प्राप्त कर सकें। जीवन की मुख्यधारा में जी सकें यह सब व्यवस्था दें। इन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कैसे सुनिश्चित हो, यह हमारे लिए चिंता का विषय है। जो बड़े धनाढ्य परिवार के लड़के होते हैं जिनके घर में अधिकारी के लड़के होते हैं वह तो अपने बच्चों का दाखिला बड़े स्कूलों में करवा लेते हैं। लेकिन गरीब का बेटा, किसान का बेटा और मजदूर का बेटा उन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर पाने में कहीं-न-कहीं वह पीछे छूट जाता है। इसमें एक प्राविधान किया गया जिला शुल्क नियामक समिति का। जिला नियामक समिति बननी चाहिए और इसका निर्धारण किया जाना चाहिए और इसमें अन्य सदस्यों के नाम के प्राविधान भी किये जाने चाहिए। जनप्रतिनिधियों का भी इसमें सीधा संवाद हो। जो जनपद के विधायक है, सांसद हैं। जो जिला शुल्क नियामक समिति बनती है या तो उनके द्वारा नामित सदस्य या उनको भी बैठक में बैठकर सभी जिलों के जो बच्चों के अभिभावक हैं, संरक्षक हैं जो निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के संरक्षक या अभिभावक एसोसिएशन के सदस्य हों अथवा जिसको जिलाधिकारी नामित करे ऐसे भी समिति के सदस्य होने चाहिए। गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि होने चाहिए। अगर गैर सरकारी संस्था का प्रतिनिधि होगा तो शायद वह निश्चित रूप से गरीब, मजदूर और मजलूम के बच्चों के दर्द को जानेगा और शायद वह नियमित शुल्क का निर्धारण करेगा। जिससे कम-से-कम आम आदमी का बेटा उस विद्यालय में पढ़ सकेगा। प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक सेकेण्डरी, हायर सेकेण्डरी के मासिक शुल्क का निर्धारण इस प्राविधान में उल्लिखित होना चाहिए। आपकी सरकार गुजरात में है। गुजरात में प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार, सेकेण्डरी में 25 हजार और हायर सेकेण्डरी में 27 हजार रूपये का प्राविधान है। यहां भी हमें शुल्क का निर्धारण करना चाहिए और अगर गरीब बच्चें हैं तो मुझे लगता है कि प्राथमिक स्कूलों में कम-से-कम प्राथमिक का मात्र 3 हजार रूपये, सेकेण्डरी का 5 हजार रूपये और हायर सेकेण्डरी का 7 हजार रूपये तक का शुल्क का निर्धारण पहले से ही लागू करके इसमें शामिल करना चाहिए। इसलिए जिस कारण से आप इसको ले आयें हैं, वह लूट का कारण न बनें। इनमें आम आदमी का बेटा पढ़ सके, गरीब का बेटा पढ़ सके। इस प्राविधान में जोड़ा जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आपके सूझाव आ गये ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, बस दो-तीन सुझाव हैं। कानून का उल्लघंन करने वाले जो भी लोग हैं। अगर जिला शुल्क नियामक समिति तय करती है और अगर जो भी कानून का उल्लघंन करते हैं उनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए या उनसे दण्ड का जुर्माना होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अक्सर देखा जाता है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो दो-तीन महीने विद्यालय बंद रहते हैं तो उसका भी फीस विद्यालय वाले वसूल लेते हैं लेकिन उन दो-तीन महीने विद्यालय चलते नहीं हैं। एक प्राविधान यह भी होना चाहिए कि जो विद्यालय दो-तीन महीने नहीं चलते हैं तो फीस निर्धारण में उसकी कमी पहले से ही कर ली जाये। अध्यक्ष महोदय, सत्र 2018-19 के दौरान ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि के लिए

शुल्क अभिभावक और संरक्षण, मान लीजिए जो विद्यालयों ने 2018-19 में शुल्क लिया है इसमें यह भी प्राविधान हो कि अभिभावकों को उन तीन महीनों का पैसा वापस किया जाये। मा0 अध्यक्ष जी, इन्हीं सुझावों के साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस विधेयक को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये ताकि वह अपना विचार प्रस्तुत कर सके। धन्यवाद।

***श्री रितेश पाण्डेय-**

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मुझे मात्र 2-3 बिन्दुओं पर बोलना है। अध्यक्ष जी, सरकारी स्कूल जो होते हैं अगर एक बच्चे पर खर्चा लिया जाये तो मेरा मानना है कि तीन से चार हजार रूपये एक बच्चे पर खर्चा आता है। जो फीस में 10 प्रतिशत यानी कि सी0पी0आई0 कन्ज्यूमर प्राइस इंडेक्स का पांच प्रतिशत और पांच प्रतिशत और जो बढ़ाया जा सकता है जो इस विधेयक में एक प्राविधान दिया गया है। कुल दस प्रतिशत फीस कोई भी विद्यालय बढ़ा सकता है। मा0 अध्यक्ष जी, ज्यादातर जो प्राइवेट विद्यालय हैं वह ज्यादातर तो नुकसान में चलते हैं। दूसरी चीज कि इन विद्यालयों के अंतर्गत जितने भी आई0सी0एस0सी0, सी0बी0एस0सी0 बोर्ड हैं वह कहते हैं कि आप इन विद्यालय में छठवां, सातवां वेतन अपने टीचरों को लागू करें। इसका मतलब यह हुआ कि छठवां, सातवां वेतन लागू करने के लिए आपको कहीं न कहीं से उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर फीस में आप इतना कैपिंग कर देंगे तो कहीं न कहीं जो प्राइवेट टीचरों को जो छठवां, सातवां वेतन लागू करने की बात कर रहे हैं तो वह पैसा कहां से आयेगा।

अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस विधेयक में बहुत सारी चीजें क्लीयर नहीं हैं। एक समिति बनाने की बात कही गयी है जो फीस को डिसाइड करेगी अगर ज्यादा होगा। अगर आप दस प्रतिशत से ज्यादा देना चाहते हैं। तो उसमें भी भ्रष्टाचार होने का प्राविधान कर दिया गया है। तो इस समिति में जैसा कि हमारे लल्लू भाई ने कहा है कि इस समिति में हमारे जनप्रतिनिधियों का भी प्राविधान होना चाहिए और मान्यवर, इसी विधेयक में यह लाना चाहिए कि मान लीजिए कि जो विद्यालय स्वपोषित विद्यालय कुछ फैसिलिटीज जो पढ़ाई के अतिरिक्त देते हैं जैसे हार्स राइडिंग हुयी, चाहे शूटिंग की ट्रेनिंग हुयी जिसमें आज तमाम लड़के ओलंपिक में भी पहुंच रहे हैं। तो अगर कोई विद्यालय इन सब सुविधाओं को दे रहा है तो उसके लिए क्या शुल्क लागू होंगे तो उसके लिए शुल्क बढ़ाने का इस विधेयक में प्राविधान दिया जाये।

श्री संदीप कुमार सिंह-

मान्यवर, विधेयक में हर चीज को मेंशन किया गया है कि किस आधार पर फीस बढ़ाई जाएगी ? जिला नियामक समिति का भी गठन किया गया है जिसमें अभिभावक एसोसिएशन से भी एक सदस्य होंगे और ऐसा प्रावधान भी है कि जिला नियामक समिति के आदेश का जो पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ प्रथम वर्ष में उनके आदेश का अनुपालन न करने के लिए एक लाख रूपये, द्वितीय वर्ष दो लाख रूपये, तृतीय वर्ष में तीन लाख और इसी तरह पांचवे वर्ष तक पांच लाख रूपये इस तरह का नियम बनाया गया है। मान्यवर, शुल्क निर्धारण विधेयक वर्ष 2017 का प्रारूप तैयार है और दिनांक 8-12-2017 तक प्रस्तावित विधेयक के सम्बंध में आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गये। इस सम्बंध में विधेयक पर विभिन्न स्तरों से 134 आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त हुए जिसके निराकरण हेतु सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है। इस समिति द्वारा प्रस्तावित विधेयक के सम्बंध में प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों का अध्ययन किया गया एवं निराकरण करते हुए विभिन्न शिक्षाविदों, विद्यालयों एवं प्रबंध-तंत्रों के साथ विचार-विमर्श के उपरांत विधेयक का आलेख तैयार किया गया है, इसीलिए मा0 सदस्य द्वारा कही गयी सारी शंकाओं का समाधान इसमें है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आपकी सारी बातें आ गयी हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, हम लोगों ने जो सुझाव दिए हैं उसमें सरकार ने एक पर भी विचार करने का आश्वासन नहीं दिया है। मान्यवर, अगर चर्चा इसीलिए हो रही है कि पक्ष और विपक्ष को केवल सुन लिया जाए तो फिर बात खत्म। मान्यवर, यह स्ववित्तपोषित उन गरीब बच्चों का मामला है। मान्यवर, हम लोगों के सुझाव का क्या सम्मान है यह तो बता दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप बैठिए। प्रश्न यह है कि मा0 अजय कुमार 'लल्लू' तथा श्री रितेश पाण्डेय जी ने उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव किया है कि ऐसी समिति एक माह के अंदर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

दूसरा प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-15 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018

उत्तर प्रदेश राज्य में स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालयों में शुल्क विनियमन किये जाने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध किये जाने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू किया जाना और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में है;

(3) यह धारा 2 के खण्ड (घ) के अधीन परिभाषित परिषदों यथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सी0बी0एस0ई0), भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (आई0सी0एस0ई0), इण्टरनेशनल बेक्कलॉरेट (आई0बी0) और इण्टरनेशनल जनरल सर्टीफिकेट ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन (आई0जी0सी0एस0ई0) या सरकार द्वारा समय-समय पर परिभाषित किन्हीं अन्य परिषदों द्वारा मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त ऐसे समस्त स्ववित्तपोषित पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई-स्कूल और इण्टरमीडिएट कॉलेजो पर लागू होगा जिनमें किसी छात्र के लिए कुल सम्भावित संदेय शुल्क बीस हजार से अधिक हो;

यह उक्त परिषदों में से किसी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त/ सम्बद्ध अल्पसंख्यक संस्थाओं पर भी लागू होगा; यह स्वतंत्र पूर्व प्राथमिक विद्यालयों पर लागू नहीं होगा;

(4) यह दिनांक 9 अप्रैल, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषायें

2-इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''सम्बद्धता'' का तात्पर्य किसी परिषद के अनुमोदित विद्यालयों की सूची के मध्य मान्यता प्राप्त किसी ऐसे विद्यालय के नामांकन से है जो कक्षा-पॉच, आठ, दस और/या कक्षा-बारह तक के विहित/अनुमोदित पाठ्यक्रम अध्ययन के लिए हो और साथ ही साथ ऐसे विद्यालयों के नामांकन से है जो परिषद की परीक्षाओं के लिए विहित पाठ्यक्रमों के अनुसार छात्रों को तैयार करते हैं;

(ख) ''शैक्षणिक वर्ष'' का तात्पर्य सम्बन्धित परिषदों द्वारा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ होने और उसकी समाप्ति से है;

(ग) ''समुचित प्राधिकारी'' का तात्पर्य धारा 8 के अधीन गठित जिला शुल्क नियामक समिति से है;

(घ) ''परिषद्'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् (सी0बी0एस0ई0), भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् (आई0सी0 एस0ई0), इण्टरनेशनल बेक्कलॉरेट (आई0बी0) और इण्टरनेशनल जनरल सर्टीफिकेट ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन (आई0जी0सी0 एस0ई0) या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य परिषद् से है;

(ङ) ''जिला विद्यालय निरीक्षक'' का तात्पर्य राज्य के प्रत्येक जिले में यथाविहित रीति से नियुक्त किसी अधिकारी या माध्यमिक शिक्षा के जिला विद्यालय निरीक्षकों की शक्तियों का प्रयोग करने और उनके कृत्यों का निष्पादन करने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से है;

(च) ''जिला शुल्क नियामक समिति'' का तात्पर्य धारा 8 के अधीन गठित जिला शुल्क नियामक समिति से है;

(छ) ''शैक्षिक प्रयोजनों'' का तात्पर्य किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा कृत किसी ऐसे शैक्षिक क्रियाकलाप से है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या सृजन, पेटेंट, अनुसंधान और विकास संबंधी क्रियाकलाप, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, कर्मचारी वर्ग उन्नयन कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी उच्चीकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सह पाठ्यचर्या संबंधी क्रियाकलाप और खेल संबंधित अवसंरचना और उपकरण तथा नवीन शाखा एवं नवीन विद्यालय स्थापना संबंधी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं;

(ज) ''पात्र शैक्षिक इकाई'' का तात्पर्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन सृजित न्यास या न्यासों या कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनियों या राज्य में मान्यता प्राप्त विद्यालयों को संचालित करने वाले, उनका प्रबन्ध करने वाले या अनुरक्षित करने वाले किसी परिषद् द्वारा अनुज्ञा प्राप्त किसी अन्य इकाई से है;

(झ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;

(ञ) ''संरक्षक'' का तात्पर्य अभिभावक या किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम किसी छात्र के अभिभावक द्वारा संरक्षक के रूप में विद्यालय में रजिस्ट्रीकृत किया गया हो;

(ट) ''विद्यालय का प्रधान'' का तात्पर्य प्रधानाचार्य या यथास्थिति मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रशासन तथा शैक्षिक मामलों का प्रबन्ध करने हेतु पात्र शैक्षिक इकाई द्वारा अभिहित मान्यता प्राप्त विद्यालय के किसी अन्य नाम से नामित व्यक्ति से है;

(ठ) ''संयुक्त शिक्षा निदेशक''का तात्पर्य राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के मण्डल स्तर के अधिकारी से है;

(ड) ''स्थानीय प्राधिकारी'' का तात्पर्य स्थानीय क्षेत्र की अधिकारिता में स्थित नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या किसी जिला पंचायत द्वारा अधिसूचित किसी स्थानीय क्षेत्र से है;

(ढ) ''प्रबन्ध समिति'' का तात्पर्य किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय के व्यक्तियों के निकाय से है, जो सक्षम निकाय/प्राधिकरण द्वारा उस विद्यालय की कार्यप्रणाली का प्रबन्ध करने के लिए प्राधिकृत हो;

(ण) ''अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था'' का तात्पर्य धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एवं प्रशासित संस्था से है जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद-30 के खण्ड(1) के अधीन ऐसा करने का अधिकार प्राप्त हो;

(त) ''अभिभावक एसोसिएशन'' का तात्पर्य किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय के अभिभावक एसोसिएशन से है, जिसका गठन ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाय;

(थ) ''अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन विनियमावली, 1986 के अधीन निर्मित अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन और अन्य परिषदों के लिए विद्यालय द्वारा विद्यालय के अभिभावकों और अध्यापकों के साथ गठित अभिभावक-अध्यापक एसोसिएशन से है;

(द) ''अनुज्ञात शुल्क वृद्धि'' का तात्पर्य धारा-4 के अधीन अनुज्ञात शुल्क वृद्धि से है;

(ध) ''लोक निर्माण विभाग'' का तात्पर्य राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग से है;

(न) ''मान्यता प्राप्त विद्यालय'' का तात्पर्य राज्य में संचालन हेतु किसी परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से है;

(प) ''मान्यता'' का तात्पर्य राज्य में किसी विद्यालय के संचालन के लिए किसी परिषद द्वारा प्रदान किये गये ऐसे औपचारिक प्रमाणन से है कि वह विद्यालय संचालित करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों के अनुरूप हो;

(फ) "स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय" का तात्पर्य शिक्षा प्रदान करने वाली ऐसी किसी संस्था से है, जिसमें ऐसे किसी प्रयोजन, जो भी हो, के लिए प्रमुख संस्था संबंधी व्ययों का वहन, ऐसी संस्था के प्रबन्धतंत्र द्वारा स्वयं किया जाता हो और/या विद्यालय निधियों/राजस्व से या अभिदानों विद्यालय के सम्पत्ति पर किन्हीं विल्लगमों का सृजन करके प्राप्त ऋण सहित ऋण लेने के माध्यम से किया जाता हो;

(ब) ''विद्यालय '' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

(एक) प्राथमिक स्तर से नीचे की शिक्षा प्रदान करने वाला पूर्व प्राथमिक विद्यालय यथा नर्सरी या किन्डरगार्टन; या

(दो) कक्षा एक से पॉच (दोनों सम्मिलित) तक की शिक्षा प्रदान करने वाला प्राथमिक विद्यालय; या

(तीन) कक्षा छः से आठ (दोनों सम्मिलित) तक की शिक्षा प्रदान करने वाला उच्च प्राथमिक विद्यालय; या

(चार) कक्षा नौ एवं दस की शिक्षा प्रदान करने वाला हाईस्कूल; या

(पॉच) कक्षा ग्यारह एवं बारह की शिक्षा प्रदान करने वाला इण्टरमीडिएट कालेज;

जो किसी पात्र शैक्षिक इकाई द्वारा प्रबन्धकृत हो और किसी परिषद् से स्ववित्तपोषित स्वतन्त्र विद्यालय के रूप में संबद्ध हो:

परन्तु जहां ऐसा विद्यालय प्राथमिक स्तर से नीचे की शिक्षा प्रदान करने वाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय के रूप में एकल रूप में स्थित आधार पर प्रचालित हो, वहां वह इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं आयेगा;

(भ) ''विद्यालय सम्पत्ति'' का तात्पर्य मान्यता प्राप्त विद्यालय या पात्र शैक्षिक इकाई के, विद्यालय परिसर के अन्तर्गत उसके स्वामित्वाधीन या उसके कब्जाधीन और/या संबंधित मान्यता प्राप्त विद्यालय से संबंधित मूर्त या अमूर्त समस्त चल और अचल सम्पत्ति और ऐसी सम्पत्ति के या उससे उद्भूत होने वाले समस्त अन्य अधिकारों एवं हितों से है, और जिसमें भूमि भवन और इसके अनुलग्नक, खेल मैदान, छात्रावास, उपस्कर, पुस्तकें, साधित्र, नक्शे, बौद्धिक सम्पदा, उपकरण, बर्तन, नगदी, संरक्षित निधियां, निवेश एवं बैंक अधिशेष सम्मिलित है;

(म) ''राज्य'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(य) ''स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालयो के राज्य अपीलीय प्राधिकारी'' का तात्पर्य धारा 9 के अधीन गठित राज्य स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय प्राधिकारी से है;

अध्याय-दो

विद्यालयों में प्रवेश एवं शुल्क

शुल्क एवं निधि

3-(1)किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय को अन्य बातों के साथ-साथ अपने संचालन संबंधी व्ययों की पूर्ति करने, सुविधाओं में अभिवृद्धि की व्यवस्था करने तथा अवसंचरना का विस्तार करने, छात्रों को सुविधा उपलब्ध कराने और एक ही पात्र शैक्षिक इकाई के प्रबन्धन के अधीन नवीन शाखा या नवीन विद्यालय की स्थापना सहित शैक्षिक प्रयोजनों के विकास हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले युक्तियुक्त अधिशेष जनित करने के लिए तद्अनुरूप भिन्न-भिन्न कक्षाओं/श्रेणियों/विद्यालयीय स्तरों के लिए धारा-4 की उप धारा (1) एवं (2) के अधीन अपनी शुल्क संरचना अवधारित करना होगा;

(2) किसी विद्यालय में शुल्क संग्रह की प्रक्रिया खुली, पारदर्शी और उत्तरदायी होगी;

(3) प्रभारित किये जाने वाले शुल्क का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जायेगाः-

(क) सम्भावित शुल्क संघटकः- विद्यालय निम्नलिखित शुल्क संघटकों में से एक या समस्त संघटक समुच्चय को निर्धारित कर सकता है :-

(एक) विवरण पुस्तिका एवं रजिस्ट्रीकरण शुल्क- यह केवल छात्र द्वारा रजिस्ट्रीकरण के समय संदेय होगा;

(दो) प्रवेश शुल्क-विद्यालय में नवीन प्रवेश के समय प्रथम बार;

(तीन) परीक्षा शुल्क- परीक्षाओं के लिए संदेय होगा;

(चार) संयुक्त वार्षिक शुल्क-प्रतिवर्ष संदेय एकल शीर्षक वार्षिक आवर्ती शुल्क :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर विभिन्न शीर्षकों के अधीन आवर्ती शुल्क प्रभारित करने वाले किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आगामी शैक्षिक वर्ष से यथा उपबंधित रूप में ऐसे समस्त शीर्षकों को एकल आवर्ती शुल्क शीर्षक में सम्मिलित करने की अपेक्षा की जायेगी;

(ख) वैकल्पिक शुल्क संघटकः-विद्यालय द्वारा उपबंधित वैकल्पिक क्रियाकलापों तथा सुविधाओं हेतु संदेय विभिन्न शुल्क में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः-

(एक) परिवहन;

(दो) बोर्डिंग ;

(तीन) मेस या डाइनिंग;

(चार) शैक्षिक भ्रमण;

(पांच) कोई समान क्रिया-कलाप;

(ग) प्रतिदेय प्रभारः-प्रतिभूति धनराशि/अवधान धनराशि, छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़ने के समय समस्त लागू देयों का समाशोधन करने पर छात्रों को वापस की जायेगी :

परन्तु ऐसी प्रतिभूति/अवधान धनराशि संयुक्त वार्षिक शुल्क के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। प्रतिभूति धनराशि/अवधान धनराशि, विद्यालय में जमा अवधि हेतु भारतीय स्टेट बैंक बचत खाता में प्रचलित दर पर व्याज सहित वापस की जायेगी। प्रतिभूति धनराशि/अवधान धनराशि, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर विद्यालय द्वारा वापस की जायेगी;

(4) प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रमुख, प्रत्येक शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व समुचित प्राधिकारी को, आगामी शैक्षणिक वर्ष के दौरान ऐसे विद्यालय द्वारा उद्ग्रहीत किये जाने वाले शुल्क का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगा;

(5) ऐसा विद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रवेश प्रारम्भ होने के साठ दिन पूर्व अपनी वेबसाइट पर शुल्क का विवरण अपलोड करेगा एवं सूचना पट्ट पर प्रकाशित भी करेगा। तथापि वर्तमान वर्ष में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के तीस दिन के भीतर किया जायेगा;

(6) फीस का विवरण प्रकाशित किये जाने के समय उक्त विद्यालय यह भी विनिर्दिष्ट करेगा कि संदाय, मासिक या त्रैमासिक या अर्द्धवार्षिक किस्तों में किया जायेगा। परन्तु कोई विद्यालय यह एकमात्र व्यवस्था नहीं करेगा कि शुल्क का संदाय वार्षिक आधार पर किया जाय;

(7) कोई विद्यालय समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के सिवाय, शैक्षणिक सत्र के दौरान उप धारा (4) के अधीन समुचित प्राधिकारी के लिए संसूचित शुल्क से अधिक कोई शुल्क प्रभारित नहीं करेगा;

(8) प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि कोई कैपिटेशन शुल्क प्रभारित न किया जाय ;

(9) छात्र से उद्ग्रहीत प्रत्येक शुल्क या प्रभार के लिए रसीद जारी की जायेगी;

(10) किसी छात्र को पुस्तकें, जूते, मोजे व यूनिफार्म आदि किसी विशिष्ट दुकान से क्रय करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा;

(11) विद्यालय द्वारा पांच निरन्तर शैक्षणिक वर्षों के भीतर विद्यालय पोशाक में परिवर्तन नहीं किया जायेगा, यदि परिवर्तन अपेक्षित हो तो इसमें परिवर्तन जनपदीय शुल्क नियामक समिति के पूर्व अनुमोदन से समुचित औचित्य के साथ किया जा सकता है।

शुल्क निर्धारण

4-(1) विद्यमान छात्रों के लिए अनुज्ञात शुल्क वृद्धि- कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय, अपने विद्यमान छात्रों के लिए, पूर्ववर्ती वर्ष के अध्यापन कर्मचारिवर्ग के मासिक वेतन में प्रति व्यक्ति वृद्धि के औसत के बराबर विद्यालय के प्रत्येक वर्ग/कक्षा/स्तर के लिये स्वयं अपने वार्षिक शुल्क में पुनरीक्षण कर सकता है, किन्तु शुल्क वृद्धि, नवीनतम उपलब्ध वार्षिक प्रतिशत बढ़े हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक + छात्र से वसूल किये गये शुल्क के पॉच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

स्पष्टीकरण–प्रवेश के समय, वर्ग/कक्षा, जिसमें छात्र विद्यालय में प्रवेश ले रहा हो, पर ध्यान दिये बिना विद्यालय अभिभावक को नये छात्रों हेतु उस विशिष्ट वर्ष के लिए लागू समस्त वर्ग/कक्षावार कक्षा-बारह तक की पूर्ण शुल्क संरचना उपलब्ध करायेगा। यह शुल्क संरचना आगामी वर्ग/कक्षा हेतु छात्रों के लिए लागू शुल्क का अवधारण करने के लिए प्रत्येक वर्ग/कक्षा हेतु चक्रवृद्धि आधार पर अनुवर्ती वार्षिक अनुज्ञात शुल्क वृद्धि की संगणना का आधार हो जायेगी :

परन्तु, किसी विद्यालय में वेतन आयोग की सिफारिश लागू किये जाने की स्थिति में पद "किन्तु शुल्क वृद्धि, नवीनतम उपलब्ध वार्षिक प्रतिशत बढ़े हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक + छात्रों से वसूल किये गये पॉच प्रतिशत शुल्क से अधिक नहीं होगी" उस वर्ष में लागू नहीं होगा। जब विद्यालय में वेतन आयोग की सिफारिश लागू कर दी गयी हो तब उस वर्ष विद्यालय अपने विद्यमान छात्रों के लिए, पूर्ववर्ती वर्ष के अध्यापन कर्मचारिवर्ग के प्रति व्यक्ति औसत प्रतिशत मासिक वेतन वृद्धि के बराबर, विद्यालय की प्रत्येक श्रेणी/वर्ग/स्तर के अनुसार स्वयं अपने वार्षिक शुल्क में पुनरीक्षण कर सकता है। यह वर्ष 2018-2019 से लागू होगा।

कोई नया उपकर-उद्ग्रहण लागू किये जाने की दशा में, इसे जिला शुल्क नियामक समिति के पूर्व अनुमोदन से समुचित औचित्य के साथ उस उपकर के प्रभाव के स्तर तक प्रभारित किया जा सकता है;

पूर्ववर्ती प्रवेश प्राप्त छात्रों के लिए प्रथम वर्ष 2018-19 हेतु अनुज्ञात शुल्क वृद्धि की गणना वर्ष 2015-16 की शुल्क संरचना को आधार वर्ष के रूप में ग्रहण करते हुए उपधारा (1) के अनुसार की जायेगी, अर्थात, वर्ष 2015-16 हेतु शुल्क संरचना को ग्रहण करते हुए वर्ष 2018-19 हेतु शुल्क संरचना की गणना उपधारा (1) के उपबन्ध के अनुसार की जायेगी। वर्ष 2018-19 हेतु नियत किया जाने वाला शुल्क आधार वर्ष 2015-16 को ग्रहण करते हुए संगणित शुल्क और 2017-18 को आधार वर्ष के रूप में ग्रहण करते हुए उस पर आधारित शुल्क की संगणना तथा उप धारा (1) के उपबन्ध के अनुसार संगणना में से निम्नतर होगा;

(2) नये छात्रों के लिए अनुज्ञात शुल्क निर्धारण-विद्यालय, सरकार द्वारा अधिसूचित दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अध्यधीन किसी विशिष्ट शैक्षणिक वर्ष में किसी कक्षा/वर्ग/स्तर में नया प्रवेश चाहने वाले नये छात्रों के लिए अपना शुल्क अवधारित करेगा। इन छात्रों के लिए अनुवर्ती वर्षों में शुल्क वृद्धि उपधारा (1) के अनुसार की जायेगी।

आय

5-(1) छात्रों से प्रभारित समस्त शुल्क;

(2) विद्यालय परिसर में वाणिज्यिक क्रियाकलाप से होने वाली आय, यदि कोई हो, आय मानी जायेगी और विद्यालय के खाते में जमा की जायेगी न कि पात्र शैक्षिक इकाई के खाते में जमा की जायेगी।

विकास निधि

6-(1) वित्तीय वर्ष में विद्यालय की कुल आय की अनधिक पन्द्रह प्रतिशत धनराशि पात्र शैक्षिक इकाई को विकास निधि के रूप में अन्तरित की जा सकती है, तथापि जिस वर्ष विद्यालय द्वारा धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन जनपदीय शुल्क नियामक समिति की अनुज्ञा से अनुज्ञात शुल्क से अधिक शुल्क वृद्धि की जाय, उस वर्ष ऐसा अन्तरण अनुमन्य नहीं होगा;

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी पात्र शैक्षिक इकाई द्वारा विकास निधि का उपयोग विद्यालय के संचालन अथवा विद्यालय या उस इकाई के अधीन अन्य विद्यालयों के शैक्षिक विकास के लिए किया जायेगा। विकास निधि का उपयोग किसी वाणिज्यिक क्रिया कलाप के लिए नहीं किया जायेगा।

प्रवेश के समय मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा किये जाने वाले प्रकटीकरण

7-(1) विद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश प्रारम्भ होने के साठ दिन पूर्व, अपने सूचनापट्ट/वेबसाइट यदि कोई हो, निम्नलिखित विवरण प्रकाशित करेगा और विवरण पुस्तिका छात्रों को प्रवेश पत्र सहित उपलब्ध करायी जायेगी :-

(क) मान्यता प्राप्त विद्यालय के संबंध में सामान्य जानकारी, प्रत्यायन एवं सम्बद्धता;

(ख) प्रवेश नीति;

(ग) पूर्ववर्ती वर्ष, चालू वर्ष और आगामी वर्ष के लिए शुल्क एवं निधि संरचना का विवरण;

(घ) छात्रावास, खेल, पाठ्यचर्या संबंधी क्रियाकलापों और अतिरिक्त पाठ्यचर्या संबंधी क्रियाकलापों सहित सुविधाओं का विवरण;

(ङ) विद्यार्थी स्थान अनुपात एवं विद्यार्थी-अध्यापक अनुपात का विवरण;

(च) शैक्षणिक वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में अध्यापकों का वेतन-विवरण;

(छ) मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों हेतु सम्पूर्ण शैक्षणिक वर्ष के दौरान आयोजित किये जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का कैलेण्डर;

(ज) मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा अध्यापक प्रशिक्षण और कर्मचारिवर्ग विकास कार्यक्रमों हेतु सम्पूर्ण शैक्षणिक वर्ष के दौरान आयोजित किये जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का कैलेण्डर;

(2) जब तक कि इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली में अन्यथा उपबन्धित न हो, उपधारा-(1) के अधीन प्रकट की गयी सूचना सम्पूर्ण शैक्षणिक वर्ष के लिए लोक क्षेत्र में उपलब्ध रहेगी।

जिला शुल्क नियामक समितिः उसका गठन, कृत्य और शक्ति

8-(1) राज्य के प्रत्येक जिले में जिला शुल्क नियामक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगें:-

-अध्यक्ष (क) जिला मजिस्ट्रेट

-सदस्य (ख) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट

(ग) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता की श्रेणी से अन्यून श्रेणी का कोई अभियन्ता -सदस्य (पदेन)

(घ) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट एक राज्य वित्त एवं लेखा सेवा का वरिष्ठ अधिकारी -सदस्य (पदेन)

(ङ) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट जिला में स्थित किसी विद्यालय के अभिभावक शिक्षक ऐसोसिएशन का अभिभावक -सदस्य

(च) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट वित्तपोषित विद्यालय का कोई विख्यात प्रधानाचार्य/ प्रबन्धक/प्रशासक -सदस्य

(छ) जिला विद्यालय निरीक्षक -सदस्य-सचिव (पदेन)

(2) जिला शुल्क नियामक समिति की अधिकारिता सम्बन्धित जिला में स्थित शैक्षिक इकाई स्तर पर होगी;

(3) जिला शुल्क नियामक समिति की उपधारा (1) के खण्ड (ख), (ङ) एवं (छ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि उनके नाम निर्देशन के दिनांक से दो वर्ष के लिए होगी। यदि किसी कारण से सदस्यों की रिक्ति पदावधि से पूर्व होती है तो ऐसी रिक्ति ऐसे सदस्य की शेष पदावधि के लिए ही भरी जायेगी। नामनिर्दिष्ट सदस्य को पद से हटाये जाने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय;

(4) जिला शुल्क नियामक समिति के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगीः

(क) धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात शुल्क वृद्धि से अधिक प्रस्तावित शुल्क वृद्धि से सम्बन्धित प्रबन्ध समिति से प्राप्त प्रस्तावों पर विनिश्चय करना;

(ख) ऐसे विद्यालय के ऐसे छात्र या संरक्षक अथवा अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन की शिकायत सुनना जिसकी शिकायत इस अधिनियम के अधीन पन्द्रह कार्य दिवसों के भीतर विद्यालय के प्रधान द्वारा अनसुनी रह जाती है:-

(एक) धारा-4 के अधीन समुचित प्राधिकारी के लिए संसूचित किये गये शुल्क से अधिक प्रभारित किये जाने वाले शुल्क को नियत करना;

(दो) प्रभारित किये जा रहे कैपिटेशन शुल्क नियत करना;

(तीन) आगामी शैक्षणिक वर्ष के दौरान शुल्क पुनरीक्षण नियत करना; और

(चार) समुचित प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना अनुज्ञात से अधिक शुल्क वृद्धि को नियत करना;

(पांच) किसी विशिष्ट दुकान से पुस्तकें, जूते, मोजे व यूनिफार्म आदि क्रय करने की मजबूरी को नियत करना;

(छः) जिला शुल्क नियामक समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना पॉच वर्ष के भीतर विद्यालय के पोशाक में परिवर्तन;

(सात) धारा-7 के अधीन यथा उपबंधित प्रकटीकरण न किये जाने को नियत करना;

(आठ) धारा-3 (तीन) ग में किये गये उपबन्ध के उल्लंघन के पश्चात प्रतिभूति धनराशि/अवधान धनराशि का प्रतिदाय न किये जाने को नियत करना;

(नौ) धारा-6 (दो) के अधीन उल्लंघन को नियत करना;

(5) जिला शुल्क नियामक समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसा कि विहित किया जाय ;

(6) इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने के प्रयोजनार्थ जिला शुल्क नियामक समिति के पास किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के अधीन निम्नलिखित मामलों का निस्तारण करने के संबंध में दीवानी न्यायालय और अपीलीय न्यायालय की शक्तियां होंगी, अर्थात;

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थिति को प्रवर्तित करना तथा शपथपूर्वक उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज का खोज करना और उसे प्रस्तुत करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

(घ) साक्षी की परीक्षा हेतु कमीशन जारी करना;

(7) जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक की गणपूर्ति उसकी कुल सदस्यों और अध्यक्ष की संख्या के पचास प्रतिशत से होगी; जबतक गणपूर्ति न हो तब तक जिला शुल्क नियामक समिति द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा;

(8) अनुज्ञात शुल्क वृद्धि से अधिक, वृद्धि करने का प्रस्ताव करने वाला प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय, शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के कम से कम तीन माह पूर्व समुचित दस्तावेजों के साथ प्रस्तावित शुल्क विवरण से समाविष्ट प्रस्ताव, ऐसी वृद्धि की आवश्यकता को न्यायसंगत सिद्ध करते हुए जिला शुल्क नियामक समिति को प्रस्तुत करेगा;

(9) जिला शुल्क नियामक समिति मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा दिये गये प्रस्तावों और कारणों पर विचार करके प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करेगी या उतना प्रतिशत शुल्क वृद्धि विहित करेगी, जितना कि वह उचित समझे, जो धारा-4 के अधीन अनुज्ञात शुल्क वृद्धि से कम न हो, ऐसा आदेश लिखित में होगा और प्रस्ताव प्राप्त किये जाने के दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर मान्यता प्राप्त विद्यालय को दिया जायेगा। जिला शुल्क नियामक समिति द्वारा पारित आदेश उस शैक्षणिक वर्ष, जिसके लिए ऐसा प्रस्तावित शुल्क वृद्धि वांछित हो, के लिए मान्यता प्राप्त विद्यालय पर बाध्यकारी होगा;

(10) किसी छात्र या संरक्षकों या अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन से शिकायत, यदि कोई हो, प्राप्त किये जाने पर जिला शुल्क नियामक समिति सम्यक रूप से जॉच करने के पश्चात् और समाधान कर लेने के पश्चात् निम्नलिखित रीति से शास्तियॉ अधिरोपित कर सकती है :-

(क) अधिनियम के उपबन्धों का प्रथम बार उल्लंघन किये जाने की स्थिति में छात्र से अधिसूचित शुल्क से अधिक उद्ग्रहीत शुल्क वापस करने के साथ-साथ एक लाख रूपये तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित कर सकती है;

(ख) अधिनियम के उपबन्धों का दूसरी बार उल्लंघन किये जाने पर उद्ग्रहीत अधिक शुल्क वापसी के साथ पॉच लाख रूपये का अर्थ दण्ड अधिरोपित कर सकती है;

(ग) अधिनियम के उपबन्धों का तीसरी बार उल्लंघन किये जाने पर ऐसी कतिपय अवधि, जैसा कि उसके द्वारा विनिश्चित किया जाय, के लिए विकास निधि की अनुमति वापस लिये जाने के अतिरिक्त संबंधित परिषद् की मान्यता/संबद्धता वापस लिये जाने हेतु संस्तुति कर सकती है;

(11) जहां मान्यता प्राप्त विद्यालय या कोई व्यक्ति जिला शुल्क नियामक समिति के विनिश्चयन से व्यथित हो, वहां वह ऐसे विनिश्चयन के दिनांक से तीस दिन के भीतर यथाविहित रीति से अपील धारा-9 में निर्दिष्ट राज्य स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय प्राधिकरण को कर सकता है।

राज्य स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय अपील प्राधिकरण

9-(1) एक राज्य स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपील प्राधिकरण होगा;

(2) उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और शुल्क का नियमन) अधिनियम, 2006 की धारा-11 में उपबन्धित कोई अपील प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय प्राधिकरण के रूप में तब तक कार्य करेगा, जब तक कि सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा किसी पृथक प्राधिकरण का गठन न कर दिया जाय ;

(3) अपील प्राधिकरण के पास अपील की सुनवाई के दौरान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन 1908) के अधीन उपबन्धित सिविल न्यायालय और अपील न्यायालय की शक्तियॉ होगी। राज्य स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपील प्राधिकरण द्वारा पारित विनिश्चय अन्तिम होगा।

अध्याय-तीन

प्रकीर्ण

लेखा अनुरक्षण

10-(1) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय को लेखा पुस्तिकाओं का समुचित अनुरक्षण करना होगा;

(2) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय को सुसंगत लेखा मानकों और सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार लेखा अनुरक्षित करना होगा।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता पर रोक

11-किसी सिविल न्यायालय के पास किसी ऐसे प्रश्न का निस्तारण करने, उसका विनिश्चय करने या उसे व्यवहृत करने या ऐसे किसी मामले का अवधारण करने की अधिकारिता नहीं होगी जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन जिला शुल्क नियामक समिति या राज्य स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय प्राधिकरण या समुचित प्राधिकारी या किसी अन्य अधिकारी या इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन नियुक्त या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निस्तारित किया जाना, विनिश्चित किया जाना या अवधारित किया जाना अपेक्षित हो और इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के संबंध में किसी सिविल न्यायालय द्वारा कोई व्यादेश नहीं प्रदान किया जायेगा।

सद्भावनापूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

12-सरकार, समुचित प्राधिकारी या इस अधिनियम या तद्धीन विहित किसी नियम के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए सरकार या समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नही होगी।

नियम बनाने की शक्ति

13-राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

14-(1) यदि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसा उपबन्ध कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाइयॉ दूर करने के प्रयोजनार्थ उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(2) उपधारा-(1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

इस अधिनियम के अध्यारोही प्रभाव

15-इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत राज्य सरकार द्वारा पहले से बनाई गई किसी विधि, नियम, विनियम या अधिसूचना, असंगत होने की सीमा तक शून्य रहेगी।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2018 निरसन और अपवाद

16-(1) उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी,

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी।

(ख) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन गठित किसी मण्डलीय शुल्क नियामक समिति के समक्ष लम्बित समस्त मामले, सम्बन्धित जिला शुल्क नियामक समिति को अन्तरित किये गये समझे जायेंगे।

खण्डशः विचार

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-15 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन)विधेयक, 2018 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018 पारित किया जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[3:10] उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2018

विधायी एवं न्याय, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, राजनैतिक पेन्शन मंत्री (श्री बृजेश पाठक)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन से आग्रह करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोकतंत्र स्वतंत्रता सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2018

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-9 सन् 2016 की धारा-6 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 की धारा 6 में, उपधारा (1) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''परन्तु ऐसे लोकतंत्र सेनानियों, जो इस रूप में घोषित किये गये थे तथा सम्मान राशि प्राप्त कर रहे थे और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने अर्थात् दिनांक 22 मार्च, 2016 के पूर्व जिनकी मृत्यु हो गयी थी, की यथास्थिति उत्तराधिकारी पत्नी या पति को इस उपधारा के अधीन सम्मान राशि और सुविधाएं, इस अधिनियम के अधीन, मृत लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति उत्तराधिकारी पत्नी या पति को उनके इस प्रयोजनार्थ किये गये आवेदन को स्वीकृत किये जाने के दिनांक से प्रदान की जायेंगी।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बृजेश पाठक-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन से आग्रह करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[3:11] डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015

प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'')-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 में संलग्न संशोधनों पर विचार किया जाय।

***श्री उज्जवल रमण सिंह-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने एक राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान बनाया, जिसका उद्देश्य गरीबों के लिए चिकित्सा व्यवस्था कराना, जिनका इलाज दिल्ली के एम्स में न हो सके, जिनका इलाज सफदरगंज अस्पताल में न हो सके, जिनका इलाज पीजीआई में न हो सके, उससे बेहतर एक अस्पताल बनाने की परिकल्पना थी, उस परिकल्पना के तहत हम लोगों ने आयुर्विज्ञान संस्थान को बनाया था। और, जो मूल ऐक्ट है उसका तीसरा आर्टिकल कहता है कि लखनऊ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदृश डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नाम से एक संस्थान स्थापित किया जाएगा। आज मा0 मंत्री जी जो संशोधन लेकर आए हैं, वह मूल ऐक्ट के विपरीत है, उसमें जो व्यवस्था थी कि संस्थान में निम्नलिखित लोग होंगे, उसमें मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन अध्यक्ष बनाया गया था बाकी सदस्यों के नाम उसमें दिए हुए थे। मा0 मंत्री जी जो आप संशोधन लाए हैं इसमें कहीं पर भी आपने संशोधन को लाने का आधार नहीं बताया है। आप किस व्यक्ति के लिए यह संशोधन ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, सरकार की इसके पीछे की मंशा क्या है, ये साफ नहीं झलकता।

आपका नया संशोधन यह कहता है कि राज्यपाल उत्तर प्रदेश कुलाध्यक्ष होंगे। हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे की मंशा क्या है। मा0 मंत्री जी आप उत्तर प्रदेश की विधान सभा के लिए जवाबदेह हैं। एक-एक पैसा जो उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने जो पास किया है, वह गरीब जनता के लिए उपयोग में इस संस्थान के माध्यम से लाया जाता है। कल मान लीजिए कोई गड़बड़ी होती है, कल एक आदमी की मौत अगर होती है, अगर एक व्यक्ति को इलाज नहीं मिलता है तो वह आदमी कहां जायेगा? कुलाध्यक्ष के पास जायेगा ? मैं तो चाहता हूं, हमारा जो सपना था, एम्स की व्यवस्था जो हमने की थी, एम्स के सदृश्य यह व्यवस्था की थी। एम्स में यह व्यवस्था नहीं है कि प्रेसीडेंट ऑफ इण्डिया उसके कुलाध्यक्ष होंगे। जो व्यवस्था बदलने का काम, इस ऐक्ट की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया है, कहीं न कहीं मैं तो सरकार से कहूंगा कि आप अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भागते हैं, आप अपने अधिकारों को किसी दूसरे के हाथों में क्यों सौंपना चाहते हैं? मैं इस सरकार से इसलिए यह कहना चाहता हूं और खासतौर से माननीय मंत्री जी से कि इस संशोधन को वापस लेकर प्रवर समिति को सौंपिए, एक-एक विषय पर पुनर्विचार करिये क्योंकि आपने पूरे ऐक्ट में कहीं पर भी संशोधन नहीं किया है, सिर्फ आपने खण्ड-5 में संशोधन किया है, जहां पर आपने राज्यपाल का नाम कुलाध्यक्ष के रूप में जोड़ा है, जिसका आधार और उसकी मंशा को भी बतलाने का कार्य आपने नहीं किया है। खण्ड-10 में भी आपने किया, वहां पर भी कुलाध्यक्ष जोड़ा, बस आपने कुलाध्यक्ष को हर जगह जोड़ा है। मेरा आपसे कहना है कि यह जो आपका संशोधन है, वह विधि संगत नहीं है, यह विधि के विरूद्ध है, जो हमारी मंशा थी, उसके विरूद्ध है, मूल ऐक्ट की भावना के विरूद्ध है और इससे सरकार जो अपनी जिम्मेदारी है, उससे भागने का काम करेगी, सरकार की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिम्मेदारी कम होगी और माननीय राज्यपाल की जिम्मेदारी को आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसकी इस जनतंत्र में जरूरत मुझे नहीं लगती और मुझे लगता है कि अगर आप भी सोचेंगे, प्रवर समिति सोचेगी तो हम बेहतर इसमें कोई राय दे सकते हैं और इसी विश्वास के साथ कि माननीय मंत्री जी इसको प्रवर समिति को सौपेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री लालजी वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, मान्यवर, माननीय उज्जवल रमण सिंह ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, प्रवर समिति को सौंपे जाने का, उस पर बल देते हुए अनुरोध करना चाहूंगा। निश्चित रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और लखनऊ में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, एस0जी0पी0जी0आई0 के बराबर क्या उससे भी आगे बढ़ रहा है और उसके पीछे कारण था कि उसमें सरकार को, मुझे भी अवसर मिला था, काम करने का और जो सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा सकती थीं, जो समस्याएँ थीं उनका निराकरण किया गया, उसी का प्रतिफल है कि वह आज एक उच्चकोटि की संस्था दिखायी पड़ रही है। मान्यवर, हठधर्मिता हर चीज में अच्छी नहीं होती है। हम अगर यह तय कर लें कि हमें यही करना है तो अलग बात है। मान्यवर, जैसा माननीय उज्जवल रमण सिंह ने कहा इसमें संस्थान की स्थापना तथा निगमन का मुख्य उद्देश्य दिया गया है, लखनऊ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदृश्य डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नाम से एक संस्थान स्थापित किया जायेगा।

मान्यवर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली इस देश की सबसे अच्छी मानी जाने वाली चिकित्सा संस्थान है, जहां पर इलाज भी सबसे अच्छा होता है, जहां की हर तरह की व्यवस्थाएँ सबसे अच्छी हैं, प्राइवेट अस्पताल भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जो एम्स की सुविधाएँ हैं। लेकिन मान्यवर, एम्स के सदृश्य बनाने की जो बात है, तो एम्स में क्या दिया गया है, मान्यवर, उसकी एक इन्स्टीट्यूट बॉडी है, उसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्री जगत प्रकाश नाडा, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, उसके मेम्बर हैं- श्री रमेश बिधूरी, एम0पी0, लोक सभा, उसके मेम्बर हैं- प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, एम0पी0, लोक सभा, उसके मेम्बर हैं- प्रो0 राम गोपाल यादव, एम0पी0, राज्य सभा, यानी इस तरह की उसकी इन्स्टीट्यूट बॉडी है। उसी के साथ उसकी गवर्निंग बॉडी भी है, उस गवर्निंग बॉडी में जो अध्यक्ष हैं, वह हेल्थ मिनिस्टर हैं, उसके बाद लोक सभा और राज्य सभा के एक-एक मेम्बर, उसके मेम्बर हैं, उसके बाद सारे अधिकारीगण हैं, जो व्यवस्था इसमें भी की गयी है। मान्यवर, अगर हम लोग यह कहते हों कि अगर मंत्री रहेंगे तो उसकी जो स्थिति है, वह अच्छी नहीं होगी, तो अगर एम्स मंत्री की अध्यक्षता रहने के बाद सबसे अच्छा इस देश में माना जा सकता है तो क्या कारण है कि दूसरी संस्थाएँ नहीं मानी जा सकतीं ? मान्यवर, अन्य विश्वविद्यालय और चिकित्सा विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान में अंतर है। अन्य विश्वविद्यालय केवल एकेडमिक कार्य करते हैं। चिकित्सा विश्वविद्यालय एकेडमिक कार्य से ज्यादा लोगों की सेवा का काम करती है। लोगों के स्वास्थ्य मुहैया कराने का काम करती है। अगर एस0जी0पी0जी0आई0 में भी आग लगती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार के सिर पर थोप दी जाती है। राम मनोहर लोहिया में भी अगर एक व्यक्ति मरता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार के सिर पर थोपी जाती है। मान्यवर, अब जो ऐक्ट में संशोधन किया जा रहा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है वर्तमान सरकार के द्वारा उसमें राज्य सरकार का अधिकार समाप्त के प्रायः होगा। मैंने अनुभव किया है। मान्यवर, निश्चित रूप से हम इन संस्थाओं में प्रत्येक वर्ष चार सौ, पांच सौ करोड़ रूपया अनुदान देते हैं सरकार के माध्यम से और लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा देते हैं। जो अन्य एकेडमिक संस्थाएं हैं जो विश्वविद्यालय हैं उनका अंतर अलग है।

मान्यवर, हमारा जो संविधान कहता है उस संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि परिषद् होगी। जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपनी वीटो का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि परिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अब उसकी सलाह मानना उसका बाध्यकारी है। मान्यवर, संविधान में मैं यह देख रहा कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि राज्यपाल को संस्थाओं का अध्यक्ष बनाया जाए इस बात का जिक्र नहीं है। इसमें महामहिम जी के द्वारा कोई एक संदेश आता है तो उस पर विचार किया जाए और उस विचार के आधार पर हम यह परिवर्तन ला रहे हैं। मान्यवर, हो सकता है आज माननीय मंत्री जी को अच्छा लग रहा हो, उनसे अच्छे संबंध हो। आपकी बात को अक्षरशः मान लें, लेकिन कल की स्थिति ऐसी भी हो जाती है, मान्यवर, आपको भी बहुत लम्बा संसदीय ज्ञान है और जानकारी है और दुनिया के तमाम देशों में मान्यवर मूल संस्थाओं का मैंने जिक्र किया कि एम्स का हम मुकाबला करना चाहते हैं और एम्स के बराबर जब हम आना चाहते हैं तो एम्स की जो इस तरह की व्यवस्था है उससे हम इतर क्यों भागे। जनता के बीच में हम सब लोग रहते हैं। मान्यवर हम सब लोगों के पास तमाम तरह के लोग आते भी जाते हैं जिनका इलाज भी ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। हमें उसके बारे में जानकारी करना है बात करना है। अगर लोक सभा और राज्य सभा का एक-एक सदस्य उसमें उसका प्रतिनिधि होगा। उसका जो मंत्री अध्यक्ष होगा और जो सेकेट्री है वह उसका अध्यक्ष या मेम्बर होगा तो निश्चित रूप से उस विभाग की जब इतनी जिम्मेदारी होगी तो वह उसके प्रति पूरी तरह से जवाबदेह होगा।

मान्यवर, जब पूरा अध्यक्ष राज्यपाल हो जाता है, कभी-कभी बाहर के जो है उसका हेड बन जाता है जैसे एस0जी0पी0जी0आई0 का भी हेड बन गया उड़ीसा का या दूसरे प्रांत का तो उसकी जिम्मेदारी हमारे प्रदेश के बारे में इतनी नहीं रह जाती है। वह केवल अपना पांच साल का या 20 साल का कार्यकाल पूरा करने पाता है और उसको पूरा करके वह चला जाता है। तो इसलिए मान्यवर मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है मान्यवर, हमारी पूरी जिम्मेदारी होती है। एस0जी0पी0जी0आई0 यहां तक की अखबार का सारी सुर्खिया हमारे खिलाफ लिख दी गई। हमारा उसमें कोई अधिकार भी नहीं और सब हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई तो मान्यवर, इसलिए मै आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मा0 मंत्री जी यह अधिकार आपको देने जा रहे हैं उससे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और वह संस्था जो चार-पांच सालों में विकास के चरम पर पहुंची है निश्चित रूप से धीरे-धीरे उन्नति की दिशा में जाने का काम होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन बातों को समझते हुए, इन बातों को जानते हुए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस पर विचार करें और जो प्रस्ताव आ रहा है प्रवर समिति को उस पर विचार करके उस पर सर्वसम्मति से प्रवर समिति को सौंप दें और एक महीने में कोई पहाड़ तो नहीं गिर जा रहा है। दो साल से यह पड़ा था। वर्ष 2015 में पास हुआ आज तक यह कानून

नहीं बन पाया तीन साल हो गया तो तीन साल जैसे बीता वैसे एक महीना और बीत जाए और एक महीना में प्रवर समिति बनाकर उसके माध्यम से जो और सुझाव आवें हो सकता हो कि हमारा सुझाव सही ना हो, लेकिन उनके आधार पर बहुत अच्छे सुधार आवें उसके अनुसार आप एक दीर्घकालीक आम जनता के हितों के लिए एक प्रस्ताव ले आये। आप एक अधिनियम बनाने जा रहे हैं और यह संस्थाओं का आप इसके उद्देश्य निकाले हैं कि हम एम्स के सदृश्य बनाने जा रहे हैं, जब सदृश्य बनाने जा रहे हैं तो एम्स का मैनेजमेंट क्यों नहीं रखना चाहते हैं। इस पर भी विचार करने की जरूरत है। दूसरा, हमारा संविधान महामहिम को जो अधिकार दे रहा है। उससे इतर अधिकार देने की आवश्यकता हमें कहां से महसूस हो गई है। इस पर भी विचार करने के उपरान्त इसको पास किया जाए। ऐसा मेरा सुझाव है और इसलिए मैं चाहूंगा कि मा0 उज्ज्वल रमण सिंह का जो प्रस्ताव प्रवर समिति को सौंपने का आया है, सरकार भी स्वतः खड़े होकर इस बात को कहे कि हम इस प्रस्ताव के समर्थन में हैं और एक महीना कोई ज्यादा समय नहीं होता। एक महीने में जो बात आज जाएगी, हम उस पर विचार करेंगे।

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

मा0 अध्यक्ष जी, यह संशोधन क्यों लाना पड़ा। डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ विधेयक, 2015 उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के प्रथम सत्र 2016 से पारित होने के उपरान्त मा0 श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति हेतु प्रेषित किया गया। प्रस्तावित विधेयक के सम्बन्ध में मा0 राज्यपाल द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत अपने सन्देश दिनांक 03 मई, 2016 में विधेयक के कतिपय प्राविधानों के विधायी औचित्य तथा उसमें समुचित संशोधन पर राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा यथोचित समय पर पुनर्विचार किए जाने की अपेक्षा की गई। मा0 राज्यपाल महोदय के सन्देशों के क्रम में विधेयक के सुसंगत प्रस्तरों में संशोधन किए जाने हेतु शासन स्तर पर एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा मा0 राज्यपाल महोदय के सन्देश में विधेयक के जिन प्रस्तरों के विधायी औचित्य तथा उसमें संशोधन किए जाने पर पुनर्विचार किए जाने की अपेक्षा की गई थी, में एस0जी0पी0जी0आई0 ऐक्ट, 1983 की व्यवस्था के अनुसार संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ विधेयक, 2015 में संशोधन कर श्री राज्यपाल महोदय को कुलाध्यक्ष के रूप में सम्मिलित किए जाने का प्राविधान किया गया। प्रस्तावित संस्थान एक निगमित निकाय होगा और राज्य अधिनियम के रूप में स्थापित एक विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा।

मान्यवर, यह एक शैक्षणिक संस्थान है। अन्य विश्वविद्यालयों की तरह इसकी स्वायत्तता रहे और इसके संचालन में कोई बाधा न आए। इसलिए यह संशोधन किया गया है। जैसा मा0 सदस्यों ने कहा, जो चिन्ता व्यक्त की है तो मैं उनको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह संस्थान अपनी अपेक्षा के अनुसार जो इसकी मूल भावना है उसके अनुसार कार्य करेगा और मा0 राज्यपाल कुलाध्यक्ष होंगे। पहले विधेयक में यह था कि मुख्य सचिव संस्थान के अध्यक्ष होंगे और सारे अधिकार उनमें निहित थे। यदि कोई विवाद की स्थिति आती है तो फिर उसकी कौन सुनवाई करेगा। कुलाध्यक्ष विवाद के लिए, अन्तिम निर्णय के लिए अधिकृत होंगे और यह व्यवस्था एस0जी0पी0जी0आई0 में वर्षों से सुचारु रूप से चल रही है। वहां कोई कठिनाई नहीं है। कुलाध्यक्ष दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे और डायरेक्टर का जो सेलेक्शन होगा, उसमें भी संस्थान के अध्यक्ष, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में

कमेटी होगी, वह कुलाध्यक्ष को पैनल प्रस्तुत करेगी। इसमें कोई बहुत विशेष संशोधन नहीं है और जहां तक बात है चिकित्सा शिक्षा मंत्री के अध्यक्ष होने की। जैसा आपने कहा कि एम्स में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री अध्यक्ष हैं तो अलग-अलग प्रदेशों की व्यावहारिकता के अनुसार, वहां की परिस्थितियों के अनुसार कई जगह, कई तरह की व्यवस्था है और यहां एक व्यवस्था बहुत अच्छे रूप में एस0जी0पी0जी0आई0 में चल रही है। मैं मा0 वर्मा जी को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि वर्तमान चिकित्सा शिक्षा मंत्री के साथ-साथ पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी अगर कोई अच्छा सुझाव देंगे तो संस्थान उस पर जरूर गौर करेगा और आप क्यों उस पर शंका कर रहे हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मैंने इस बात को महसूस किया। एस0जी0पी0जी0आई0 को मा0 मंत्री जी ने कहा कि बड़ी अच्छी संस्था चल रही है। मान्यवर, शैक्षणिक संस्था एम्स भी है और कोई भी छात्र प्रवेश पाना चाहता है तो पहले नम्बर पर एम्स में ही जाता है। दूसरे नम्बर पर वह दूसरी जगह जाता है। मान्यवर, एम्स में कोई ऐसा कारण नहीं है कि जो अच्छी व्यवस्था न हो। एस0जी0पी0जी0आई0 में कोई इलाज कराने जाना चाहे और चिकित्सा शिक्षा मंत्री को मालूम भी हो, तमाम प्रयास भी कर लें। निश्चित रूप से वहां की जो कार्यविधि बनी हुई है। मान्यवर, इसलिए मैं चाहूंगा कि वह आम जनता के अनुकूल हो मैंने पहले ही कहा कि यह शैक्षणिक संस्था के साथ-साथ एक तरह का चिकित्सालय भी है और बढ़िया चिकित्सालय है जिसमें उच्चकोटि के इलाज होते हैं। इसलिए वह निश्चित रूप से सरकार के नेतृत्व में रहना चाहिए। यह बात इसलिए मैंने कहीं क्योंकि कुलाध्यक्ष को संविधान भी इस तरह की पॉवर नहीं देता है और जब संविधान ही इस तरह का पॉवर नहीं दे रहा है तो हम अलग से उनको पांवर क्यों दे रहे हैं। हम निश्चित रूप से उनके दबाव में आकर आज इसे पास कर लें तो यह अनुकूल नहीं होगा यह आम जनता के हित में कारगर नहीं होगा और निश्चित रूप से इससे आपको ही सबसे ज्यादा कठिनाई आएगी।

सबसे ज्यादा कठिनाई तो आपको कम-से-कम चार साल आएगी तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और मैं संसदीय कार्य मंत्री से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर विस्तृत रूप से विचार करने के लिए स्वतः ही इसको प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव करने का काम करें ऐसा मेरा निवेदन है, निश्चित रूप से मैं यह चाहूंगा कि हमारी इन बातों को माननीय मंत्री जी समझें और उस पर विचार करें। मैंने एम्स का इसीलिए उदाहरण दिया और एम्स के उदाहरण के साथ मैं कहना चाहता हूं इसमें लोक सभा का एक सदस्य और राज्य सभा का एक सदस्य उसके मेम्बर भी होते हैं। इस आधार पर यदि आप इसको करने का काम करेंगे तो यह जनता के हितों के लिए कारगर साबित होगा और उसके उत्तरोत्तर उन्नति होगी ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

पहले मैं माननीय उज्जवल रमण सिंह जी, श्री वर्मा जी और अन्य माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये संशोधन पर प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, दिल से सारे सदस्य और सारे मंत्रि परिषद् के सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं लेकिन ऐसा दबाव है उस दबाव से जो चाहे वह कर लें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

आज एक दुखी पल है कि एक मंत्री से अधिकार छीनकर कुलाधिपति को दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं दूसरा प्रश्न उपस्थित करता हूं जो प्रस्ताव माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी ने रखा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 में निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए-

(क) खण्ड 2 में उप खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

'' (छ) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य धारा-12 में संदर्भित संस्थान के अध्यक्ष से है''

(ख) खण्ड 5 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''5-संस्थान में निम्नलिखित होंगे :-

(क) श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शासन-कुलाध्यक्ष (पदेन)

(ख) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन-अध्यक्ष (पदेन)

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग-उपाध्यक्ष (पदेन)

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग अथवा उनका नाम-निर्देशिती-सदस्य (पदेन)

(ङ) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नियोजन विभाग अथवा उनका नाम-निर्देशिती-सदस्य(पदेन)

(च) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, न्याय विभाग अथवा उनका नाम-निर्देशिती-सदस्य (पदेन)

(छ) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश-सदस्य (पदेन)

(ज) निदेशक-सदस्य-सचिव (पदेन)

(झ) संस्थान का डीन-सदस्य (पदेन)

(ञ) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट चिकित्सा संस्थानों के प्रमुख/आयुर्विज्ञान क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव रखने वाले दो व्यक्ति-सदस्य

(ट) कुलाध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट भारतीय विश्वविद्यालयों के चिकित्सा संकायों अथवा संस्थानों के तीन प्रतिनिधि-सदस्य

(ठ) भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि-सदस्य

(ड) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का एक प्रतिनिधि-सदस्य

(ढ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि-सदस्य

(ण) भारतीय नर्सिंग परिषद् का एक प्रतिनिधि-सदस्य

(त) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो प्रख्यात शिक्षाविद्-सदस्य

(थ) दो वरिष्ठतम विभागाध्यक्ष, प्रत्येक दो वर्षों के चक्रानुक्रम द्वारा-सदस्य''

(ग) खण्ड 10 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

संस्थान के अधिकारी

''(10) संस्थान में निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :-

(क) कुलाध्यक्ष;

(ख) संस्थान के अध्यक्ष;

(ग) संस्थान का उपाध्यक्ष;

(घ) निदेशक;

(ङ) संस्थान का डीन;

(च) वित्त अधिकारी;

(छ) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें विनियमों द्वारा घोषित किया जाये।''

(घ) खण्ड-11 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

कुलाध्यक्ष

''11-(1) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल संस्थान के कुलाध्यक्ष होंगे।

(2) कुलाध्यक्ष अपनी पदीय हैसियत से संस्थान का प्रधान होगा और जब उपस्थित हो, संस्थान के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(3) मानद उपाधि अथवा विशिष्टता प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाध्यक्ष द्वारा पुष्टि किये जाने के अधीन होगा।

(4) कुलाध्यक्ष प्रति पांच वर्ष के पश्चात् संस्थान की प्रगति की समीक्षा ऐसी रीति से करायेंगे जैसा वह उचित समझें।

(5) संस्थान की प्रगति की समीक्षा करने पर कुलाध्यक्ष, राज्य सरकार को धारा-41 के अधीन कार्यवाही करने के लिये निर्देश दे सकते हैं या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये ऐसे निर्देश दे सकते हैं जो वह आवश्यक समझें और संस्थान ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा।

(6) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किन्तु धारा-42 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, कुलाध्यक्ष लिखित आदेश द्वारा संस्थान की किसी ऐसी कार्यवाही को निष्प्रभावी कर सकते हैं जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अनुकूल न हों :

परन्तु कोई ऐसा आदेश देने के पूर्व वे संस्थान से कारण बताने को कहेंगे कि क्यों न ऐसा आदेश दिया जाय और यदि कोई कारण ऐसे युक्तिसंगत समय के भीतर दर्शित किया जाये जिसकी अनुमति इस निमित्त दी गयी हो तो वह उस पर विचार करेंगे।''

(ङ) खण्ड-12 में,-

(एक) उपखण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(1) उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य सचिव, संस्थान का अध्यक्ष होगा और वह शासी निकाय का सभापति भी होगा।

संस्थान की बैठकें अध्यक्ष के निदेश के अनुसार बुलायी जायेंगी।''

(दो) उपखण्ड (3) और (4) निकाल दिये जायेंगे तथा उपखण्ड (5) और (6) को क्रमशः उपखण्ड (3) और (4) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायेगा।

(च) खण्ड-14 में,-

(एक) उपखण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(1) निदेशक की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा समिति की संस्तुति पर की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे,-

(क) संस्थान का अध्यक्ष;

(ख) संस्थान का उपाध्यक्ष;

(ग) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण;

(घ) कुलाध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किसी चिकित्सा संस्थान अथवा चिकित्सा विश्वविद्यालय के प्रधान से अन्यून पंक्ति के चिकित्सा क्षेत्र के दो विशेषज्ञ।''

(दो) उपखण्ड (2), (3), (4), (6) और (9) में शब्द ''अध्यक्ष'' जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द ''कुलाध्यक्ष'' रख दिया जायेगा।

(छ) खण्ड-19 के उपखण्ड (1) के मद (झ) में शब्द ''अध्यक्ष'' के स्थान पर शब्द ''कुलाध्यक्ष'' रख दिया जायेगा।

(ज) खण्ड-20 के उपखण्ड (2) के मद (च) के स्थान पर निम्नलिखित मद रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(च) संस्थान के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों का पद सृजित या समाप्त कर सकेगा।''

(झ) खण्ड-42 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

कुलाध्यक्ष को निर्देश

''42-यदि कोई प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति संस्थान, शासी निकाय, संस्थान के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य है या नहीं, या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं, या संस्थान, शासी निकाय या संस्थान के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई विनिश्चय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अनुरूप है या नहीं, तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर कुलाध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश उस दिनांक से जबकि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक होने के पश्चात् नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि कुलाध्यक्ष, आपवादिक परिस्थितियों में स्व-प्रेरणा से कार्य कर सकते हैं या पूर्वगामी परन्तुक में उल्लिखित अवधि भी समाप्ति के पश्चात् सन्दर्भ ग्रहण कर सकते हैं।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 संलग्न संशोधनों सहित पुनः पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 संलग्न संशोधनों सहित पुनः पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[3:41] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

क्या यह सब सूचनायें पढ़ी मान ली जायें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित हैं, उन्हीं की सूचनायें ली जायें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं नाम पुकार रहा हूं।

नाम पुकारे जाने पर पहली सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की जनपद कानपुर नगर के नानाराव पार्क के सौन्दर्यीकरण के नाम पर किये गये धन अपव्यय के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। दूसरी सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मनरेगा में श्रमिकों के धन दिये जाने में की गई अनियमितता के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। तीसरी सूचना श्री रमाशंकर सिंह की जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत डगमगपुर से जयहिन्दी पहाड़ी तक सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। चौथी सूचना श्री रामचन्द्र यादव की प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों एवं अन्य स्टॉफ की संविदा भर्ती में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। पांचवी सूचना श्री जन्मेजय सिंह की जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र देवरिया के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत बैतालपुर के ग्राम पंचायत लखनचंद में सिल्ट सफाई में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। छठी सूचना श्रीमती बन्दना सिंह की जनपद आजमगढ़ में समाज कल्याण अधिकारी के रिक्त पद पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। सातवीं सूचना श्री ममतेश शाक्य की, जो अनुपस्थित हैं। आठवीं सूचना श्री अनिल सिंह की, जो अनुपस्थित हैं। नवीं सूचना सुश्री अदिति सिंह की जनपद रायबरेली में अमृत योजना के अन्तर्गत पेयजल की आपूर्ति कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। दसवीं सूचना श्री कपिल देव अग्रवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत मुजफ्फरनगर-मेरठ रोड की मरम्मत कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। ग्यारहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में हाउसिंग कम्पनियों द्वारा प्लाटिंग किये जाने के उपरान्त मूलभूत सुविधायें न देने के

बावजूद हाउस टैक्स वसूले जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। बारहवीं सूचना श्री हरीराम की जनपद सोनभद्र में लघुवनोपज में गरीबी उन्मूलन एवं पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। तेरहवीं सूचना डा0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में नगर पालिका परिषद् में गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। चौदहवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत तहसील बीसलपुर में क्षेत्र पंचायत के गठन के लिये परिसीमन कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। पन्द्रहवीं सूचना श्री ज्ञान तिवारी की जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सेउता में बाढ़ पीड़ितों को बसाने के लिये प्रशासन द्वारा क्रय की गयी जमीन की जांच के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। सोलहवीं सूचना श्री असलम अली की जनपद लखनऊ के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में तैनात अध्यापिकाओं को समयमान वेतनमान उपलब्ध कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। सत्रहवीं सूचना श्रीमती सुषमा पटेल की, जो अनुपस्थित हैं। अठारहवीं सूचना श्री उमा शंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ उपलब्ध कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। उन्नीसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की विभिन्न विकास प्राधिकरणों, चिकित्सा संस्थानों/महाविद्यालयों तथा राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उ0प्र0 की ''उ0प्र0 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधि0 1984'' की धारा 20 के अधीन प्रख्यापित विभागीय लेखा परीक्षा नियमावली, 2005 के द्वारा संचालित वर्तमान संपरीक्षा व्यवस्था से पूर्ववत् बहाल रखने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। बीसवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार की जनपद सहारनपुर विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत कस्बा गंगोह में कम्युनिटी सेण्टर की स्थापना कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, हमारी सूचना भी ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

हां, उसी क्रम में ले लेंगे, जिस क्रम में नीचे है। अस्वीकृत सूचनाओं में से क्रम सं0-1 पर पं0 राधा कृष्ण शर्मा की, दूसरे नम्बर पर इं0 बृजेश कठेरिया की और तीसरे नम्बर पर श्री नफीस अहमद की सूचना को स्वीकार किया जाता है। कल सब लोग दे देना, कल हम सब ले लेंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, मेरी सूचना स्वीकार कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय लल्लू जी हमसे नाराज रहते हैं, तो उनकी कोई बात हम छोड़ेंगे नहीं ऐसी। (हंसी)। अब अगली मद लेते हैं।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर कस्बा के निवासियों की जमीन पर विद्युत विभाग द्वारा बगैर अधिग्रहण किये जाने का प्रयास किये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, अवगत कराना है कि 66/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र निगोही का गाटा संख्या.....

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[291, 298, 296, 348 एवं 297 स्थित ग्राम निगोही, तहसील तिलहर में लगभग 46 साल पूर्व का बना हुआ है तथा पूरी भूमि में विद्युत विभाग का उसी समय से कब्जा है। इस परिसर में विद्युत उपकेन्द्र का स्विचयार्ड, कन्ट्रोल रूम, अवर अभियन्ता आवास तथा कर्मचारियों के आवास बने हुये हैं तथा कब्जे वाली भूमि में पिलर व कटीले तारों से बाउण्ड्री भी पूर्व से बनी हुयी है। सम्बन्धित भूमि में कुछ हिस्सा खाली है, जिसका प्रयोग कालान्तर में विभाग द्वारा किया जायेगा। वर्तमान में उक्त परिसर में 66/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र क्रियाशील है, जो कि 132 के0वी0 सब स्टेशन चिन्नौर, जनपद शाहजहांपुर से पोषित है।

कतिपय लोगों द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः विभाग द्वारा मा0 न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन, शाहजहांपुर में वाद संख्या-ओ0एस0 344/18 विद्युत विभाग की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को रोकने हेतु दाखिल किया जा चुका है, जो मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। अवैध कब्जा रोके जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, शाहजहांपुर व पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर से अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, शाहजहांपुर द्वारा अनुरोध किया गया है।]

जनपद आजमगढ़ के चिकित्सालय में विगत 6-7 माह से रेडियोलाजिस्ट न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह)-

मान्यवर, इस संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश, लखनऊ के...

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[पत्र संख्या-2फ/नियम-51/2018/1216, दिनांक 29-08-2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों की अत्यन्त कमी है, विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर की जाती है।

3-महानिदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि डा0 राजेन्द्र कुमार, रेडियोलाजिस्ट (वरि0क्र0-9433), मण्डलीय जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ का स्थनान्तरण उनके निजी अनुरोध पर शासनादेश दिनांक 31-05-2018 द्वारा जिला चिकित्सालय, गोरखपुर किया गया है एवं दिनांक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

05-06-2018 को कार्यमुक्त किया गया है। वर्तमान में मण्डलीय जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में रेडियोलाजिस्ट तैनात नहीं है।

4-अतः उक्त तथ्य को संज्ञान में लेते हुये मण्डलीय जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में रेडियोलाजिस्ट की तैनाती की जा रही है।]

(सदस्य श्री सुखदेव राजभर के कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय राजभर जी, क्या कहना चाहते हैं ?

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, एक सूचना मैंने 27 तारीख को दिया था कि आजमगढ़ में एक मण्डलीय अस्पताल है जिले का और यहां पर रेडियोलाजिस्ट कई महीने से नहीं हैं। जनता की समस्याओं को मैंने सूचना के माध्यम से अवगत कराया था कि लोगों को बलिया जाना पढ़ता है, बलिया अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर बनारस जाते हैं और कभी-कभी लीगल एड नहीं पाते हैं बेचारों का, न तो उनकी इंजरी का एक्सरे हो पाता है और बहुत सी ऐसी सीरियस चोटें होती हैं, जिसका कोई उपचार भी नहीं हो पाता है और लीगल एड लेना चाहे तो उनके एफ0आई0आर0 भी नहीं हो पाती हैं, न मुकदमें दर्ज हो पाते हैं और माननीय मंत्री जी ने हमारे महानिदेशक का पत्र पढ़ दिया। 27 को दिया हमने सूचना, 29 तारीख को महानिदेशक के वहां से एक चिट्ठी मिल गई। 27 अगस्त की हमारी सूचना है कि इस समय रेडियोलाजिस्ट की बहुत कमी है, इसलिये नियुक्ति होना असम्भव है, जहां खाली पद रहे हैं। इन्होंने एक और काम किया कि हमारे आजमगढ़ के मण्डलीय चिकित्सालय के प्रति, यहां भी जनता है। मैंने जहां तक पता लगाया कि डा0 राजेन्द्र कुमार चाहते थे आजमगढ़ में रहना। मान्यवर, 31 मार्च को इन्होंने एक आख्या दिया है कि डा0 राजेन्द्र ने खुद अनुरोध किया कि हमारा ट्रांसफर गोरखपुर कर दिया जाये और इनको मई में गोरखपुर कर दिया गया। हमको जहां तक पता चला है कि उनको आजमगढ़ से गोरखपुर ले जाना था और उसको कहा गया कि अगर ट्रान्सफर करेंगे तो महानिदेशक का पत्र अभी जो उनको 29 अगस्त को मिला है, यह कहीं बाधक भी हो सकता है कि अगर कहीं नहीं है तो ट्रान्सफर नहीं किया जायेगा, जो जहां है, वहीं कम से कम संभाले रहे। इन्होंने गोरखपुर कर दिया उठा करके। आज जाकर देख लें, आजमगढ़ मण्डलीय चिकित्सालय है, इतना तो कम से कम दया करनी चाहिये थी, आजमगढ़ पर।

मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध कर रहा हूं कि जाकर देखें कि 6-6, 8-8 दिन तक और 4 दिन से तो हमारे क्षेत्र के खुद दो मरीज पड़े हुये हैं, बलिया में, वहां रेडियोलाजिस्ट नहीं हैं और उन्होंने 3 दिन के बाद कहा कि बनारस चले जाओ और बनारस वाले भी मना कर दिये कि हम नहीं करेंगे यहां। लेकिन इस तरह की जो स्थिति है, मान्यवर, डॉ0 राजेन्द्र कुमार यहां पर थे, उनकी लोकप्रियता थी, मैं मंत्री जी से यही कहूंगा कि अभी 27 अगस्त को मैंने एक नोटिस लगाया, 29 को आपको सूचना निदेशालय से मिल गई कि रेडियोलाजिस्ट की कमी है। 31 मई के उनके निजी अनुरोध पर उनका ट्रांसफर अब कर दिया है। गोरखपुर के प्रति प्रेम है, तो बहुत बड़ा हाथ है गोरखपुर का, पूरा प्रदेश गोरखपुर में जाकर रह सकता है। एक रेडियोलाजिस्ट तो हमारे आजमगढ़ के लिए बक्श दीजिये, गोरखपुर में तो आप कहीं से दे सकते हैं।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप हम सब लोगों के सीनियर भी हैं और सम्मानित सदस्य हैं। वास्तविकता यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में रेडियोलॉजिस्ट के 926 पद हैं। इस वास्तविकता से मैं जूझ भी रहा हूँ और मुझसे पहले जो लोग रहे हैं वह भी जूझे होंगे। 173 ही रेडियोलॉजिस्ट हम लोगों के पास हैं, 704 की कमी है और इस कमी को रेडियोलॉजिस्ट के बिना मैं पूरा भी नहीं कर सकता। जहां तक आजमगढ़ का सवाल है और गोरखपुर को इंगित किया जा रहा है तो आजमगढ़ तो मेरे मामा का ससुराल है इसलिए वहां तो वैसे भी बहुत ध्यान दूंगा। प्रयास यह कर रहा हूं मेरे संज्ञान में आया है कि कहीं एक की जगह दो रेडियोलॉजिस्ट हैं पता चल जायेगा तो मैं जरूर मिर्जापुर और आजमगढ़ में भेजने का प्रयास करूँगा। रेडियोलॉजिस्ट के 704 रिक्त पद हैं, योगी जी के नेतृत्व की सरकार आउट ऑफ बॉक्स ही चली है और आउट ऑफ बॉक्स ही मैं सोचता आया हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं को आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक कैसे पहुंचाऊं। मुझे खुशी है मैं इसे सदन के सभी सदस्यों के बीच में रखना चाहता हूं कि हम टेली रेडियोलॉजी को लेकर उत्तर प्रदेश में आयेंगे। इसके लिए हमने तीन क्लस्टर्स बनाये और आपको खुशी होगी कि तीन क्लस्टर्स का टेण्डर हो चुका है जो पी0पी0पी0 मॉडल में चलेगा वह तीन पारियां भी सेलेक्ट हो चुकी हैं और 360 जगह टेली रेडियोलॉजी के कार्यक्रम को नवम्बर में प्रारम्भ कर देंगे। उसका फायदा यह होगा कि जहां पर टेक्नीशियन नहीं हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है वह आपकी रिपोर्ट लेगा, इमेजेज लेगा, उस इमेज को ट्रांसफर करेगा, एक कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर है वहां पर वह आयेगा और उसे पढ़कर रिपोर्ट बना देगा जिससे डॉक्टर और फिजीशियन उसको पढ़ सकता है। इस प्रकार से एक कमी को दूर करने का प्रयास किया है, जिसमें हम सफल भी हैं, लोगों ने टेण्डर भरा है, उसकी नियुक्ति भी हो गई है और नवम्बर में इसको हम लोग शुरू कर देंगे तो आजमगढ़ भी उसमें कवर होगा मगर प्रयास यह होगा कि आजमगढ़ और मिर्जापुर में मैं जल्दी से जल्दी भेज दूं।

श्री सुखदेव राजभर-

हम जानते हैं कि आप मधुर रिश्ता निभा रहे हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट आप भेज रहे हैं इसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं और रिश्ता इस तरह से निभाना भी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा होता कि इनकी माएं और जिलों में भी होतीं।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के ब्लाक भनवापुर स्थित ग्राम गागापुर एवं ब्लाक खुनियाव स्थित ग्राम बड़हरा एवं नवेल में नदी द्वारा हो रहे कटान के दुरुस्तीकरण किये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

सिंचाई एवं सिंचाई यांत्रिक मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-

मान्यवर, ग्राम-गागापुर, भोजपुर-शाहपुर तटबंध के कि0मी0 12.600 से 16.600 के मध्य पड़ता है। .....

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य सिंचाई मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[उक्त रीच में तटबंध का निर्माण अपूर्ण है। इस स्थान पर तात्कालिक व्यवस्था के अन्तर्गत विभाग द्वारा नदी से कटान के बचाव हेतु 02 अदद् स्टड एवं 07 अदद् डैम्पनर वर्ष 2007-08 में बनाये गये थे। वर्तमान में राप्ती नदी द्वारा बड़ा लूप लेने के कारण एक स्टड 15 मी0 की लम्बाई में क्षतिग्रस्त हो गया है जिसे नैलान क्रेट में ई0सी0 बैग में ब्रिक रोड़ा लगाकर सुरक्षित किया गया है। भोजपुर-शाहपुर तटबंध में 16 अदद् गैप के पूर्ण कराने हेतु परियोजना रु0 69.61 करोड़ की स्थाई संचालन समिति से अनुमोदनोपरान्त गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

ग्राम-बड़हरा राप्ती नदी के बाये तट पर स्थित बांसी डुमरियागंज तटबंध पर स्थित गौरा दोबहा रिंग बांध पर स्थित है जिसकी लम्बाई 1.80 किमी0 है। यह रिंग बांध जमींदारी रिंग बांध है जो मानक के अनुरूप नहीं बना है एवं नदी से सट कर बना हुआ है। नदी से रिंग बांध की दूरी 35 मी0 है। जहां नदी द्वारा इस स्थल पर जमीनी मामूली कटान किया जा रहा है जिस पर सतत् निगरानी रखी जा रही है।

ग्राम-दवेल, ब्लाक खुनियाव में बूढ़ी राप्ती नदी के दाहिने तट पर मदरहवा-अशोगवा तटबंध के किमी0 7.00 से 7.500 के मध्य स्थित है। उक्त स्थल पर तटबंध से नदी की दूरी लगभग 100 मी0 है। तटबंध सुरक्षित रखने के दृष्टि से बाढ़ से पूर्व मनरेगा योजना के अन्तर्गत 05 अदद कटर का निर्माण करा दिया गया है।

तीनों तटबंध सुरक्षित है। उक्त तटबंधों पर सतत् निगरानी रखी जा रही है।]

श्री सतीश चन्द्र द्विवेदी-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी का जो वक्तव्य आया है उससे मैं संतुष्ट हूं लेकिन जब मैं यहां था तो इसी बीच एक सूचना क्षेत्र से आई जिससे अवगत कराते हुए मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। एक गागापुर गांव है, जहां की कटान का हमने जिक्र किया है। गांव है, गांव के बाद पिचरोड है और पिचरोड के बाद नदी है वहां पर जब नदी का पानी उतर रहा है तो कटान इतनी तेज है कि वहां स्थित कुछ घरों को खतरा है इसलिए मा0 मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दे दें।

श्री अध्यक्ष-

अभी आप मा0 मंत्री जी के घर चले जाना, ये आपको चाय पिलायेंगे।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, धन दे दिया गया है, पूरी निगरानी रखी जा रही है, गांव कटने नहीं दिये जायेंगे।

जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत जिला अस्पताल फिरोजाबाद में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह)-

मान्यवर, विधान सभा के द्वितीय सत्र 2018 में श्री मनीष असीजा, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 .....

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकांत शर्मा)-

मा0 अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[के अधीन दिनांक 27-08-2018 को यह सूचना दी गयी है कि :-

''वर्तमान में लगभग 25 लाख आबादी वाला जनपद फिरोजाबाद अपने कांच चूड़ी/उत्पादों के लिये पूरे भारत वर्ष में एक प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है, जिसमें सर्वाधिक संख्या में मेहनतकश किसान, श्रमिक, निम्न मध्यम वर्गीय एवं मध्यम वर्गीय श्रेणी में आने वाले नागरिक निवास करते हैं। लाखों की संख्या में फिरोजाबाद के यह नागरिक अपनी स्वास्थ्य, चिकित्सा उपं उपचार सुविधा हेतु जिला अस्पताल, फिरोजाबाद के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं। परन्तु जिला अस्पताल, फिरोजाबाद में चिकित्सा सुविधाओं का बहुत बड़े पैमाने पर अभाव है।

गम्भीर रूप से घायल ट्रामा रोगियों के उपचार हेतु 4 महीने पूर्व स्थापित सी0टी0 स्कैन मशीन पूर्णतः निष्प्रयोज्य पड़ी हुई है। आई0सी0यू0 में सेंट्रल आक्सीजन सप्लाई यूनिट, इको कार्डियोग्राफी एवं कलर डाप्लर मशीन, वेंटीलेटर आदि महत्वपूर्ण उपकरण/सुविधाओं के अभाव के कारण इसमें भर्ती होने वाले रोगियों को समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा है। जिला अस्पताल में कैथलेव न होने के कारण जनपद एवं समीपस्थ क्षेत्रों के हृदय रोगियों को उपचार सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जिला अस्पताल में वर्तमान में संचालित ब्लड बैंक का स्थान अपर्याप्त है तथा ब्लड कम्पोनेंट सेपटेटर न होने तथा पैथालॉजी विभाग में आधुनिक उपकरणों के अभाव के चलते रोगियों को स्तरीय उपचार सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है। किडनी (गुर्दा) सम्बन्धित इलाज की सुविधा हेतु ''राष्ट्रीय डायलेसिस कार्यक्रम'' के अन्तर्गत जिला अस्पताल, फिरोजाबाद परिसर में ''डायलेसिस यूनिट'' की स्थापना हेतु आवश्यक निर्मित भवन की उपलब्ध होने सम्बन्धी प्रस्ताव मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एस0एन0एम0 चिकित्सालय एवं क्षयरोग्याश्रम के द्वारा एक प्रस्ताव मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक संख्या-जि0चि0/डायेलेसिस/भूमि/2017-18/1434, दिनांक 14-07-2017 एवं संख्या-जि0चि0/डायेलेसिस/2018-19/1434, दिनांक 04-06-2018 के माध्यम से शासन में लम्बित पड़े होने के कारण गुर्दा रोग से पीड़ित रोगियों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए जिला अस्पताल, फिरोजाबाद में सी0टी0 स्कैन मशीन को तत्काल संचालित कराये जाने, आई0सी0यू0 में सेंट्रल आक्सीजन सप्लाई सिस्टम, इको कार्डियोग्राफी एवं कलर डाप्लर मशीन, वेंटीलेटर की स्थापना कराये जाने, एवं पैथालॉजी विभाग हेतु नवीन भवन की स्थापना कराये जाने, डायलेसिस यूनिट स्थापित कराये जाने, इनको सुचारू रूप से संचालित कराने हेतु आवश्यक चिकित्सीय, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ को उपलब्ध कराने एवं लम्बे समय से जिला अस्पताल में स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त चल रहे चिकित्सीय, नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को भरने की महती आवश्यकता है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार को ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।

उक्त सूचना के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार है :-

1-सीटी स्कैन मशीन-जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद में दिनांक 07-06-2018 को कटेगिरी-2 की नई सीटी स्कैन मशीन स्थापित की गयी है तथा मशीन के संचालन हेतु कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हो गया है एवं संचालन अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) में निहित प्राविधानों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार सीटी स्कैन मशीन का संचालन शीघ्र किया जायेगा।

2-आई0सी0सी0यू0 में सेन्ट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम-जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद के अधिकांश भाग में सेन्ट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम स्थापित है, परन्तु आई0सी0सी0यू0 का निर्माण बाद में होने के कारण इसमें सेन्ट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम की स्थापना अभी नहीं की गयी है।

3-इको कार्डियोग्राफी एवं कलर डाप्लर मशीन-जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद में इको कार्डियोग्राफी मशीन उपलब्ध नहीं है, जबकि कलर डाप्लर मशीन रेडियोलाजी विभाग में स्थापित एवं क्रियाशील है।

4-वेन्टीलेटर-जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद के ट्रामा सेन्टर 05 स्थायी एवं 01 पोर्टेबल वेन्टीलेटर उपलब्ध है।

5-आधुनिक कैथलैब-जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद का उच्चीकरण कर मेडिकल कालेज बनाया जा रहा है। उच्चीकरण के पश्चात् कैथलैब की स्थापना का कार्य किया जा सकता है।

6-ब्लड कम्पोनेंट सेपरेटर युक्त आधुनिक ब्लड बैंक एवं पैथालॉजी विभाग हेतु नवीन भवन की स्थापना-जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद में ब्लड बैंक का विधिवत संचालन किया जा रहा है, जिसमें औसत प्रतिदिन सप्लाई 06 यूनिट है। ब्लड कम्पोनेंट सेपरेटर की आवश्यकता उस परिस्थिति में होती है, जब ब्लड की सप्लाई 15 यूनिट प्रतिदिन हो।

चिकित्सालय में पैथालॉजी की सेवा उपलब्ध है एवं आउट सोर्सिंग कम्पनी के माध्यम से भी पैथालॉजी सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

7-डायलिसिस यूनिट की स्थापना एवं संचालन-जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद में एन0एच0एम0 योजनान्तर्गत डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मेसर्स डी0सी0डी0सी0 हेल्थ सर्विसेज प्रा0 लि0 का चयन सेवा प्रदाता के रूप में किया गया है तथा अनुबन्ध-पत्र हस्ताक्षरित कर दिसम्बर, 2018 तक डायलिसिस की सुविधा प्रदान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के ब्लाक हसनगंज में प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल के भवनों एवं शौचालयों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र मोहान, जनपद-उन्नाव के विकास क्षेत्र हसन गंज में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय गजफ्फर नगर एक ही चाहरदीवारी के अंदर स्थित है....

कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मा0 अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[तथा विद्यालय भवन की फर्श ठीक है। कक्षा-कक्षों के दरवाजे नीचे से क्षतिग्रस्त हैं। प्राथमिक विद्यालय में एक यूनिट शौचालय चालू है तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में शौचालय चालू है। इस सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 08-08-2018 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों का सेफ्टी आडिट करा लिया जाय और यह सुनिश्चित किया जाय कि असुरक्षित भवनों में विद्यार्थियों का प्रवेश कदापि न हो और जो भवन असुरक्षित हो वहां पर छात्रों के पठन-पाठन के लिये वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चिात की जाय तथा ऐसे जर्जर भवनों के मरम्मत ग्राम पंचपायत/स्थानीय स्रोतों से तत्काल करायी जाय। यदि ग्राम पंचायत/स्थानीय स्रोतों से मरम्मत कार्य कराना संभव न हो तो उसका प्रस्ताव आगणनसहित शासन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। जहां तक बाउन्ड्रीवाल के निर्माण का बिन्दु है इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से जनपद स्तर पर बाउन्ड्रीवाल के निर्माण का कार्य कराया जा सकता है।]

छात्रवृत्ति आवेदन की अन्तिम तिथि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 नीरज बोरा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, नीरज बोरा, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 27-08-2018 को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम-51 के अंतर्गत ...

कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मा0 अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[यह सूचना दी गयी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसके लिये नियमानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा प्रदेश में लगभग 850 नर्सिंग संस्थानों में संचालित सभी पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों का शैक्षणिक वर्ष 01 सितम्बर एवं कुछ पाठ्यक्रमों का 01 अक्टूबर से प्रारंभ होता है। इन पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षायें उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा अगस्त एवं सितम्बर माह में आयोजित की जाती हैं। छात्रवृत्ति आवेदन अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2018 निर्धारित होने से इन छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति से वंचित किया जा रहा है। जनहित में पैरामेडिकल छात्र/छात्राओं का भविष्य सुरक्षित रखते हुये छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि तत्काल बढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक है। लाखों छात्रों के भविष्य का मामला है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाये जाने के लिये वक्तव्य की मांग करता हूं।''

2-उपर्युक्त दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत 01 जुलाई, 2018 से छात्रों के स्तर से आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरने की व्यवस्था एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से की गयी है। मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा लोक महत्व के उपरोक्त मामले को दृष्टिगत रखकर स्वीकार करते हुये छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरने की निर्धारित अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2018 को बढ़ाकर 10 अक्टूबर, 2018 किये जाने पर राज्य सरकार विचार कर रही है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11:00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 03 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 30 अगस्त, 2018 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

अनुलग्नक-1

नत्थी (क)

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-75 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-76 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2018 के प्रथम गुरुवार हेतु निर्धारित श्री जटा शंकर त्रिपाठी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-75 का उत्तरालेख की पुष्टि हेतु अनुपूरक सामग्री

वर्तमान में भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन) पूरे प्रदेश में लागू है। योजना के अन्तर्गत 05 घटक हैं, जिसमें से जनपद कुशीनगर में गेहूं घटक एवं दलहन घटन क्रियान्वित है। इन घटकों के अन्तर्गत मदवार कृषकों को अनुमन्य सुविधाओं का विवरण निम्नवत् है :-

धनराशि रु0 में

क्र0 सं0	**मद का नाम**	**इकाई**	**गेहूं घटक**	**दलहन घटक**	**अभ्युक्ति**
1	2	3	4	5	6
1	**क्लस्टर प्रदर्शन (प्रत्येक 100 हे0)**	रु0/हे0	**9000**	**9000**	निःशुल्क
2	**फसल पद्धति प्रदर्शन (निःशुल्क)**	रु0/हे0	**15000**	**15000**	
3	**बीज/प्रमाणित बीज वितरण**				निर्धारित धनराशि अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो
	- संकर बीज	रु0/कु0	-	-	
	- उन्नतशील प्रजातियों के बीज (10 वर्ष से कम की प्रजाति)	रु0/कु0	**2000**	**5000**	
	- उन्नतशील प्रजातियों के बीज (10 वर्ष से कम की प्रजाति)	रु0/कु0	**1000**	**2500**	
4	**बीज उत्पादन**		-	**5000**	
5	**कृषि रक्षा/भूमि रक्षा प्रबन्धन**				
	- सूक्ष्म पोषक तत्व	रु0/हे0	**500**	**500**	
	- जिप्सम/सल्फर	रु0/हे0	**750**	**750**	
	- जैव उर्वरक	रु0/हे0	-	**300**	
	- कृषि रक्षा रसायन/बायोएजेन्ट	रु0/हे0	**500**	**500**	
	- खरपतवार नाशी	रु0/हे0	**500**	**500**	
6	**स्रोत संरक्षण तकनीकी/यन्त्र/ऊर्जा प्रबंधन**		-	-	
	- **कोनोवीडर** (ए0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	-	-	अथवा मूल्य का 50%
	- **कोनोवीडर** (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	-	-	अथवा मूल्य का 40%

1	2	3	4	5	6
	- मैनुअल/नैपसैक/फुट आपरेटेड स्प्रेयर (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/ महिला कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**600**	**600**	अथवा मूल्य का 50%
	- मैनुअल/नैपसैक/फुट आपरेटेड स्प्रेयर (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	-	-	अथवा मूल्य का 50%
	- ड्रम सीडर (चार पंक्तियों से कम वाला) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	-	-	अथवा मूल्य का 50%
	- ड्रम सीडर (चार पंक्तियों से कम वाला) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	-	-	अथवा मूल्य का 40%
	- ड्रम सीडर (चार से अधिक पंक्तियों वाला) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	-	-	अथवा मूल्य का 50%
	- ड्रम सीडर (चार से अधिक पंक्तियों वाला) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	-	-	अथवा मूल्य का 40%
	- पावर स्प्रेयर (8-12 लीटर वाला) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**3100**	**3100**	अथवा मूल्य का 50%
	- पावर स्प्रेयर (8-12 लीटर वाला) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**2500**	**2500**	अथवा मूल्य का 40%
	- पावर स्प्रेयर (12-16 लीटर वाला) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**3800**	**3800**	अथवा मूल्य का 50%
	- पावर स्प्रेयर (12-16 लीटर वाला) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**3000**	**3000**	अथवा मूल्य का 40%
	- पावर स्प्रेयर (16 लीटर से अधिक वाला) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**1000**	**1000**	अथवा मूल्य का 50%
	- पावर स्प्रेयर (16 लीटर से अधिक वाला) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**8000**	**8000**	अथवा मूल्य का 40%

1	2	3	4	5	6
	- चीजल प्लाऊ (20 बीएचपी से कम ट्रैक्टर चालित) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**8000**	**8000**	अथवा मूल्य का 50%
	- चीजल प्लाऊ (20 बीएचपी से कम ट्रैक्टर चालित) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**6000**	**6000**	अथवा मूल्य का 50%
	- चीजल प्लाऊ (20-35 बीएचपी से अधिक ट्रैक्टर चालित) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**10000**	**10000**	अथवा मूल्य का 50%
	- चीजल प्लाऊ (20-35 बीएचपी से कम ट्रैक्टर चालित) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**8000**	**8000**	अथवा मूल्य का 40%
	- टैक्टर चालित स्प्रेयर (20 बीएचपी से कम) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**10000**	**10000**	अथवा मूल्य का 50%
	- टैक्टर चालित स्प्रेयर (20 बीएचपी से कम) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**8000**	**8000**	अथवा मूल्य का 40%
	- टैक्टर चालित स्प्रेयर (35 बीएचपी से कम) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**13000**	**13000**	अथवा मूल्य का 50%
	- टैक्टर चालित स्प्रेयर (35 बीएचपी से अधिक) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**10000**	**10000**	अथवा मूल्य का 40%
	- टैक्टर चालित स्प्रेयर (35 बीएचपी से अधिक) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**63000**	**63000**	अथवा मूल्य का 50%
	- टैक्टर चालित स्प्रेयर (35 बीएचपी से अधिक) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**50000**	**50000**	अथवा मूल्य का 40%
	- सीडड्रिल (20 बीएचपी से कम) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**15000**	**15000**	अथवा मूल्य का 50%

1	2	3	4	5	6
	- सीडड्रिल (20 बीएचपी से कम) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**12000**	**12000**	अथवा मूल्य का 40%
	- सीडड्रिल (20-35 बीएचपी) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**19000**	**19000**	अथवा मूल्य का 50%
	- सीडड्रिल (20-35 बीएचपी) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**15000**	**15000**	अथवा मूल्य का 40%
	- सीडड्रिल (35 बीएचपी से अधिक) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**44000**	**44000**	अथवा मूल्य का 50%
	- सीडड्रिल (35 बीएचपी से कम) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**35000**	**35000**	अथवा मूल्य का 40%
	- जीरोटिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल (20 बीएचपी से कम) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**15000**	**15000**	अथवा मूल्य का 50%
	- जीरोटिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल (20 बीएचपी से कम) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**12000**	**12000**	अथवा मूल्य का 40%
	- जीरोटिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल (20-35 बीएचपी) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**19000**	**19000**	अथवा मूल्य का 50%
	- जीरोटिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल (20-35 बीएचपी) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**15000**	**15000**	अथवा मूल्य का 40%
	- जीरोटिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल (35 बीएचपी से अधिक) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**44000**	**44000**	अथवा मूल्य का 50%
	- जीरोटिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल (35 बीएचपी से अधिक) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**35000**	**35000**	अथवा मूल्य का 40%

1	2	3	4	5	6
	- जीरोटिल मल्टीक्रॉप प्लान्टर (20 बीएचपी से कम) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**15000**	**15000**	अथवा मूल्य का 50%
	- जीरोटिल मल्टीक्रॉप प्लान्टर (20 बीएचपी से कम) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**12000**	**12000**	अथवा मूल्य का 40%
	- जीरोटिल मल्टीक्रॉप प्लान्टर (20 से 35 बीएचपी) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**19000**	**19000**	अथवा मूल्य का 50%
	- जीरोटिल मल्टीक्रॉप प्लान्टर (20 से 35 बीएचपी) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**15000**	**15000**	अथवा मूल्य का 40%
	- जीरोटिल मल्टीक्रॉप प्लान्टर (35 बीएचपी से अधिक) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**63000**	**63000**	अथवा मूल्य का 50%
	- जीरोटिल मल्टीक्रॉप प्लान्टर (35 बीएचपी से अधिक) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**5000**	**5000**	अथवा मूल्य का 40%
	- रिज फरो प्लान्टर (20 बीएचपी से कम) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	-	**15000**	अथवा मूल्य का 50%
	- रिज फरो प्लान्टर (20 बीएचपी से कम) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	-	**12000**	अथवा मूल्य का 40%
	- रिज फरो प्लान्टर (20-35 बीएचपी) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	-	**19000**	अथवा मूल्य का 50%
	- रिज फरो प्लान्टर (20-35 बीएचपी) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	-	**15000**	अथवा मूल्य का 40%
	- रिज फरो प्लान्टर (35 बीएचपी से अधिक) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	-	**63000**	अथवा मूल्य का 50%

1	2	3	4	5	6
	- रिज फरो प्लान्टर (35 बीएचपी से अधिक) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	-	**50000**	अथवा मूल्य का 40%
	- पावर वीडर (2 बीएचपी से कम) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**15000**	-	अथवा मूल्य का 50%
	- पावर वीडर (2 बीएचपी से कम) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**12000**	-	अथवा मूल्य का 40%
	- पावर वीडर (2 बीएचपी से अधिक) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**19000**	**19000**	अथवा मूल्य का 50%
	- पावर वीडर (2 बीएचपी से अधिक) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**15000**	**15000**	अथवा मूल्य का 40%
	- रोटावेटर (20 बीएचपी से कम) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**35000**	**35000**	अथवा मूल्य का 50%
	- रोटावेटर (20 बीएचपी से कम) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**28000**	**28000**	अथवा मूल्य का 40%
	- रोटावेटर (20-35 बीएचपी) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**44000**	**44000**	अथवा मूल्य का 50%
	- रोटावेटर (20-35 बीएचपी) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**35000**	**35000**	अथवा मूल्य का 40%
	- रोटावेटर (35 बीएचपी से अधिक) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**63000**	**63000**	अथवा मूल्य का 50%
	- रोटावेटर (35 बीएचपी से अधिक) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**50000**	**50000**	अथवा मूल्य का 40%
	- पैडी थ्रेसर (20 बीएचपी से कम) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	-	-	अथवा मूल्य का 50%

1	2	3	4	5	6
	- पैडी थ्रेसर (20 बीएचपी से कम) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	-	-	अथवा मूल्य का 40%
	- पैडी थ्रेसर (20-35 बीएचपी) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	-	-	अथवा मूल्य का 50%
	- पैडी थ्रेसर (20-35 बीएचपी) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	-	-	अथवा मूल्य का 40%
	- पैडी थ्रेसर (35 बीएचपी से अधिक) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	-	-	अथवा मूल्य का 50%
	- पैडी थ्रेसर (35 बीएचपी से अधिक) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	-	-	अथवा मूल्य का 40%
	- मल्टीक्रॉप थ्रेसर (20 बीएचपी से कम) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**20000**	**20000**	अथवा मूल्य का 50%
	- मल्टीक्रॉप थ्रेसर (20 बीएचपी से कम) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**16000**	**16000**	अथवा मूल्य का 40%
	- मल्टीक्रॉप थ्रेसर (20-35 बीएचपी) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**25000**	**25000**	अथवा मूल्य का 50%
	- मल्टीक्रॉप थ्रेसर (20-35 बीएचपी) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**20000**	**20000**	अथवा मूल्य का 40%
	- मल्टीक्रॉप थ्रेसर (35 बीएचपी से अधिक) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**63000**	**63000**	अथवा मूल्य का 50%
	- मल्टीक्रॉप थ्रेसर (35 बीएचपी से अधिक) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**50000**	**50000**	अथवा मूल्य का 40%
	- लेजर लैण्ड लेवलर (20 बीएचपी से कम) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**15000**	**15000**	अथवा मूल्य का 50%

1	2	3	4	5	6
	- लेजर लैण्ड लेवलर (20 बीएचपी से कम) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**12000**	**12000**	अथवा मूल्य का 40%
	- लेजर लैण्ड लेवलर (20-35 बीएचपी) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**19000**	**19000**	अथवा मूल्य का 50%
	- लेजर लैण्ड लेवलर (20-35 बीएचपी) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**15000**	**15000**	अथवा मूल्य का 40%
	- लेजर लैण्ड लेवलर (35 बीएचपी से अधिक) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**63000**	**63000**	अथवा मूल्य का 50%
	- लेजर लैण्ड लेवलर (35 बीएचपी से अधिक) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**50000**	**50000**	अथवा मूल्य का 40%
	- सेल्फ प्रोपेल्ड पैडी ट्रांसप्लान्टर (4 पंक्तियों वाला) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	-	-	अथवा मूल्य का 50%
	- सेल्फ प्रोपेल्ड पैडी ट्रांसप्लान्टर (4 पंक्तियों वाला) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	-	-	अथवा मूल्य का 40%
	- सेल्फ प्रोपेल्ड पैडी ट्रांसप्लान्टर (4-8, 8-16 पंक्तियों वाला) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	-	-	अथवा मूल्य का 50%
	- सेल्फ प्रोपेल्ड पैडी ट्रांसप्लान्टर (4-8, 8-16 पंक्तियों वाला) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	-	-	अथवा मूल्य का 40%
	- पावर टिलर (8 बीएचपी से कम) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**50000**	**50000**	अथवा मूल्य का 50%
	- पावर टिलर (8 बीएचपी से कम) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**40000**	**40000**	अथवा मूल्य का 40%

1	2	3	4	5	6
	- पावर टिलर (8 बीएचपी एवं अधिक) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**75000**	**75000**	अथवा मूल्य का 50%
	- पावर टिलर (8 बीएचपी एवं अधिक) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**60000**	**60000**	अथवा मूल्य का 40%
	- पैडी प्लान्टर (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	-	-	अथवा मूल्य का 50%
	- पैडी प्लान्टर (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	-	-	अथवा मूल्य का 40%
	- रीपर (20 बीएचपी से कम) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**20000**	-	अथवा मूल्य का 50%
	- रीपर (20 बीएचपी से कम) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**16000**	-	अथवा मूल्य का 40%
	- रीपर (20-35 बीएचपी) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**25000**	-	अथवा मूल्य का 50%
	- रीपर (20-35 बीएचपी) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**20000**	-	अथवा मूल्य का 40%
	- रीपर (35 बीएचपी से अधिक) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**63000**	-	अथवा मूल्य का 50%
	- रीपर (35 बीएचपी अधिक) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**50000**	-	अथवा मूल्य का 40%
	- हैपी सीडर (20 बीएचपी से कम) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**35000**	-	अथवा मूल्य का 50%
	- हैपी सीडर (20 बीएचपी से कम) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**28000**	-	अथवा मूल्य का 40%

1	2	3	4	5	6
	- हैपी सीडर (20-35 बीएचपी) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**44000**	-	अथवा मूल्य का 50%
	- हैपी सीडर (20-35 बीएचपी) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**35000**	-	अथवा मूल्य का 40%
	- हैपी सीडर (35 बीएचपी से अधिक) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**63000**	-	अथवा मूल्य का 50%
	- हैपी सीडर (35 बीएचपी से अधिक) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**50000**	-	अथवा मूल्य का 40%
	- रीपर कम बाइन्डर (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**125000**	-	अथवा मूल्य का 50%
	- रीपर कम बाइन्डर (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**10000**	-	अथवा मूल्य का 40%
	- रेज्ड बेड प्लान्टर (20 बीएचपी से कम) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**15000**	-	अथवा मूल्य का 50%
	- रेज्ड बेड प्लान्टर (20 बीएचपी से कम) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**12000**	-	अथवा मूल्य का 40%
	- रेज्ड बेड प्लान्टर (20-35 बीएचपी) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**19000**	-	अथवा मूल्य का 50%
	- रेज्ड बेड प्लान्टर (20-35 बीएचपी) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**15000**	-	अथवा मूल्य का 40%
	- रेज्ड बेड प्लान्टर (35 बीएचपी से अधिक) (एस0सी0/एस0टी0/लघु एवं सीमान्त/महिला कृषक हेतु)	रु0/मशीन	**44000**	-	अथवा मूल्य का 50%
	- रेज्ड बेड प्लान्टर (35 बीएचपी से अधिक) (अन्य कृषकों हेतु)	रु0/मशीन	**35000**	-	अथवा मूल्य का 40%

1	2	3	4	5	6
7	**सिंचाई प्रबन्धन**				
	- स्प्रिंकलर सेट	रु0/सेट	**10000**	**10000**	अथवा मूल्य का 50%
	- पम्पसेट	रु0/मशीन	**10000**	**10000**	अथवा मूल्य का 50%
	- मोबाइल स्प्रिंकलर रेनगन	रु0/रेनगन	-	**15000**	अथवा मूल्य का 50%
	- पानी ले जाने हेतु पाइप (अधिकतम रु0 15000 एच0डी0पी0ई0 पाइप पी0वी0सी0 पाइप लैमिनेटेड ले-फ्लैट ट्यूब	 रु0/मीटर रु0/मीटर रु0/मीटर	 **50** **35** **20**	 **50** **35** **20**	अथवा मूल्य का 50%
8	लोकल इनिशिएटिव				
	- बड़ा तिरपाल	रु0/इकाई	**1325**	**1325**	अथवा मूल्य का 50%
	- छोटा तिरपाल	रु0/इकाई	**350**	**350**	
	- मिनी दाल मिल	रु0/इकाई	-	**40000**	
	- सामुदायिक थ्रेसिंग फ्लोर	रु0/इकाई	**170000**	**170000**	10 या 10 से अधिक कृषकों के समूह को
8	प्रशिक्षण- फसल पद्धति आधारित	रु0/प्रशिक्षण	**14000**	**14000**	निःशुल्क

अनुलग्नक-2

नत्थी (ख)

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-75 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-76 पर)

नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन घटक (गेहूं एवं दलहन) योजना के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र-खड्डा (विकास खण्ड-खड्डा एवं नेबुआ नौरंगिया) के लिये आवंटित धनराशि

मद का नाम	धनराशि (रु0 में)	
	गेहूं घटक	दलहन घटक
बीज वितरण	400000	31250
कृषि यंत्र	420200	177000
कृषि निवेश	350000	37400
सिंचाई उपकरण	119800	3500
योग	**1290000**	**249150**

मिशन निदेशक,
(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन),
उ0प्र0।

पी0एस0यू0पी0-एल0 65 विधान सभा (91)-02-07-2019-631 प्रतियां (कम्प्यूटर)।